ग्रन्थमाला, खंड 21, अंक 2

बुधवार, 5 नवम्बर, 1986
14 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 21, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 2, बुधवार, 5 नवम्बर, 1986/14 कार्तिक, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
मंत्रियों का परिचय :	... ...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	2—24
*तारांकित प्रश्न संख्या :	21, 23, 24, और 26 से 30	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	25—150
तारांकित प्रश्न संख्या :	22, 25, और 31 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	222 से 224, 226 से 292, 294 से 307, 309 से 315 और 317 से 339	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र :	... ...	150—157
विधेयकों पर अनुमति	... ...	157—158
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 24वां प्रतिवेदन	... ...	158—162
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण : कराची में पैन-अमेरिकन विमान का अपहरण	...	163—178

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
	श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	163 व 165 से 169
	श्री के० नटवर सिंह	163-164 व 173 से 176
	श्री जी० एस वसवराजू	169—170
	श्रीमती गीता मुखर्जी	170—172
	श्री एच० एन० नन्जे गौडा	172—173
कार्य मंत्रणा समिति	... ...	178
	28वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	179 से 182
(एक)	कोचीन में औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
	प्रो० के० वी० थामस	179
(दो)	तालचेर के बृहद तापीय विद्युत संयंत्र और इब घाटी के तापीय विद्युत संयंत्र को सातवीं योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता	
	श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	179
(तीन)	हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता	
	श्री के० डी० सुल्तानपुरी	179—180
(चार)	पारादीप पत्तन के विकास के लिए दक्षिण कोरिया के मैसर्स ह्युनदाई कारपोरेशन के के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयन्त पटनायक	180
(पांच)	20-सूत्री कार्यक्रम को, विशेषरूप से बिहार में, प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	180—181
(छः)	बिहार स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से, विशेषतः पटना से, उर्दू में समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता	
	श्री काली प्रसाद पांडेय	181
(सात)	झंझारपुर में कमला नदी पर सड़क पुलों के निर्माण के लिए बिहार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
	डा० गौरी शंकर राजहंस	181—182

विषय		पृष्ठ
सम्थान शुल्क (संशोधन) विधेयक : —(जारी)	... ...	182—194
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री मूलचन्द डागा	... ...	182—185
श्री थम्पन थामस	... ...	185—187
श्री राम सिंह यादव	... ...	187—189
श्री के० एस० राव	... ...	189—190
श्री बी० के० गडवी	... ...	190—192
खण्ड 2 और 1	... ...	194
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री बी० के० गडवी	... ...	194
रेल विधेयक, 1986	... ...	194—198
संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव		
किशोर न्याय विधेयक	... ...	198—239
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	... ...	198—204
श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी	... ...	204—208
डा० फूलरेणु गुहा	... ...	208—211
श्री ए० चार्ल्स	... ...	211—213
श्री शान्ताराम नायक	... ...	213—216
डा० सुधीर राय	... ...	216—218
श्री गिरधारी लाल व्यास	... ...	218—221
श्री सलाउद्दीन	... ...	221—224
श्री थम्पन थामस	... ...	224—227
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	... ...	227—229
श्री आई० रामा राव	... ...	229—230
श्रीमती गीता मुखर्जी	... ...	230—233
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	... ...	233—236
श्री हरीश रावत	... ...	236—239

लोक सभा

बुधवार, 5 नवम्बर, 1986/14 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मन्त्रालय में नये राज्य मंत्री, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही से आपका परिचय कराते हुए प्रसन्नता हो रही है।

श्री के० नटवर सिंह अब विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री होंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव अब संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री होंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ये सभी महान विशेषज्ञ हैं और किसी भी विषय को देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय चिन्ता और सन्तोष दोनों ही आ गए हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आरक्षण नीति

*21. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव
श्री सोडे रमैया } : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों की आरक्षण नीति के विरोध में हाल ही में हुए आंदोलनों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार को आरक्षण नीति के बारे में राष्ट्रीय जनमत के लिए कार्यवाही करने के लिए लिखा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

कल्याण मन्त्रालय का राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, ह

(ग) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने 21 सितम्बर, 1986 को एक पत्र लिखा था कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। भारत सरकार की राय है कि इस विषय पर जनमत तैयार होने तक यथास्थिति को कायम रखा जाए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : संविधान निर्माताओं ने वस्तुत: किसी पिछले वर्ग के उन नागरिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण हेतु उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 15 (4) तथा 16 (4) में निर्दिष्ट किया है जिन्हें, राज्य के विचार से, राज्य की सेवाओं के अधीन समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अभी तक केंद्रीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्राय: सभी राज्य सरकारों में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लिए कुल 22.5 प्रतिशत पद आरक्षित किए गये हैं। किन्तु केन्द्रीय सेवाओं में जैसी कि आज स्थिति है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जो संविधान निर्माताओं की मनोभावना के विरुद्ध है। इस उत्तर में सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इस विषय पर जनमत तैयार होने तक यथास्थिति बनाई रखी जाए। इसका मतलब है कि पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं। चूंकि 50 प्रतिशत तक आरक्षण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी, इस रिपोर्ट को 1980 में ही पेश किया गया था। क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के पदों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सामा-

आर्थिक दृष्टि से तथा शिक्षा की दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने सम्बन्धी प्रस्ताव लेकर आएगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 16 (4) का सन्दर्भ दिया है, मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगी कि इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, किन्तु साथ ही, जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों के निर्धारण के बारे में संविधान में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है। मण्डल आयोग ने जो निर्धारित करने का प्रयास किया है उसमें पहली बात उन्होंने कही है कि कुल मिलकर 52 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्गों के हैं। इसके बाद उन्होंने किसी स्थान पर कहा है कि चूंकि यह संभव नहीं है और चूंकि न्यायालयों के अनेक निर्णयों में उन्होंने कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता इसलिए यह 27 प्रतिशत होना चाहिए। जनगणना में भी हम जाति को आधार मानकर नहीं चलते। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चल सके कि यह कौन जाति का है और वह कौन जाति का है। इसलिए ऐसा कोई वैज्ञानिक अथवा ठोस आधार अथवा ठोस मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि इसे 27 प्रतिशत, 38 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत होना चाहिए। इसलिए, यह सब भ्रम उत्पन्न करने वाला है। भारत सरकार के जिम्मे केवल यह संवैधानिक बाध्यता है कि हम समय-समय पर आयोगों की नियुक्ति कर सकते हैं और राज्य भी आयोगों की नियुक्ति के लिए स्वतन्त्र हैं और हम मात्र पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने 1952-53 में काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की गई थी ; उसके निष्कर्षों पर विचार-विमर्श भी किया गया था। तत्पश्चात् इस मण्डल आयोग की नियुक्ति की गई और इसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा गया। संसद् में दो बार इस पर विचार-विमर्श किया गया। सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं हो पाई। इसलिए माननीय सदस्य को स्थिति की वास्तविकता पर विचार करना चाहिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मण्डल आयोग की नियुक्ति सामाजिक रूप से तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए की गई थी। इसने अपना कार्य कर लिया है और सरकार को अपने निष्कर्ष दे दिए हैं। इसे स्वीकार करना अस्वीकार करना या कोई अन्य उपयुक्त कदम उठाना सरकार का काम है। एक अन्य बात जो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं वह यह है कि उनके उत्तर से स्पष्टतः यह पता चलता है कि भारत सरकार कोई शुरुआत नहीं करना चाहती। इस समय कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है किन्तु कुछ राज्यों में उनके लिए बिल्कुल आरक्षण नहीं है और कमजोर वर्गों के बीच स्पष्टतः एक भेदभाव है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर वास्तव में कुछ पीड़ित और शोषित पिछड़ समुदाय हैं जो आर्थिक दृष्टि से नितांत निर्धन और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। इन परिस्थितियों में क्या सरकार कोई पहल करेगी तथा इस मामले पर जनमत तैयार करने के लिए मुख्य मन्त्रियों और सामाजिक जीवन में प्रमुख व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाएगी ? 38 वर्ष बीत चुके हैं। क्या सरकार कम-से-कम अब भी कोई पहल करेगी तथा पिछड़े वर्गों के साथ न्याय करने के लिए शीघ्र एक सम्मेलन बुलाएगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, पहले हमें पिछड़ा वर्ग और जाति के अर्थ को समझना चाहिए। यदि हन पिछड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझ रहे हैं, तो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में यह निहित है। हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और यदि किसी राज्य में 48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल किये गये हैं। इसमें सामाजिक दृष्टि से तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। संविधान में और हमारी केन्द्रीय सूची में कहीं भी पिछड़ी जातियों अथवा पिछड़े वर्गों की ऐसी कोई सूची नहीं है किन्तु हमने इस पर विचार किया है कि जो शिक्षा की दृष्टि से तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, हमें उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास करने चाहिए तथा इन सब के लिए हमारे कार्यक्रमों में लक्ष्य रखे गए हैं कि·····(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न है : क्या केन्द्रीय सरकार कोई राष्ट्रीय सम्मेलन बुलायेगी ? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सर्वसम्मति के लिए हम ऐसे अनेक तरीके अपना सकते हैं। केवल सम्मेलन का आयोजन करना आवश्यक नहीं है। संसद् में भी कोई मतैक्य हो सकता है अथवा हम बाहर किसी सेमिनार या वाद-विवाद का आयोजन कर सकते हैं। इसलिए, सर्व-सम्मति के लिए सम्मेलन की व्यवस्था भी की जा सकसी है। किन्तु हमें तथ्य का पता लगाना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर दिलवा रहा हूं।

डा० वी० वेंकटेश : यह तो अनादर है। केवल यही नहीं है। सरकार की गलत नीति के कारण ही इस देश के लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० वेंकटेश, कृपया आप इसे इस रूप में न लें। यह आपके उपयुक्त नहीं है। आपको नियमों के अनुसार चलना है। मैं केवल चार या पांच पूरक प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं। वह मैं करूंगा। दो की अनुमति मैं दे चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि संविधान में अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जांच पड़ताल करने के लिए कमीशन नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और इसके अन्तर्गत जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा दो-चार कमीशन नियुक्त भी हुए ? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज संविधान में भी है और एकोनामिकली पूअर जो हैं, गरीबी रेखा के नीचे, उनके लिए दूसरा कार्यक्रम है। भारत जैसे देश

में मन्त्री जी यह नहीं कह सकतीं कि सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड लोग नहीं हैं। जाति के आधार पर इस देश में कुछ लोगों को सम्मान मिलता है, दूसरों को अपमान मिलता है। हमने स्वयं अपने जीवन में यह बात देखी है। इसलिए यह देने मात्र से काम नहीं चलेगा जाति को आप संसद में चें या न लें लेकिन जाति प्रथा आज भी है और आप उसका लाभ उठाते हैं। जो लोग उच्च जाति के हैं या उच्च जाति में अपने को कहते हैं कि पंडा हैं और दूसरे दूसरी जातियों में वे इसका फायदा उठाते हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि अभी दिल्ली में रिजर्वेशन को लेकर कई हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी, कितने ही लोगों ने गिरफ्तारी न दी ? सभी दलों के लोग इस बात पर सहमत हैं कि पिछड़ी जातियों को, एजूकेशनली सोशली बैकवर्ड लोगों को नौकरियों में स्थान दिया जाय। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सारे जिलों के जिला अधिकारी और एस० एस० पी० को लेंगे तो पिछड़ी जाति का शायद ही कोई अधिकारी होगा।

इन बातों को देखते हुये सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को न लेना उचित नहीं है जबकि सरकार अधिक से अधिक उनको वेतन दे रही है, भत्ते दे रही है और भ्रष्टाचार से भी लोग रुपये कमा रहे हैं, तो इस बहती हुई गंगा में सबको समान अवसर दीजिये। क्यों नहीं आप इसके ऊपर विचार करतीं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बात फिर वहीं पर आ जाती है। जब आर्थिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन की बात कही जाय तो वह तो ठीक है और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाया जाय और यह सबके ऊपर लागू होता है। जो भी पीछे हैं शिक्षा की दृष्टि से, हमारी नयी शिक्षा नीति भी इसकी ओर देख रही है। हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसको देख रहा है। इसलिए यह नहीं है कि हम किसी को छोड़ देते हैं।

अगर आप जाति की भी बात करें तो यह नहीं है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनने क्यों नहीं देते हैं ? चार सौ या पांच सौ को तो हम एक दफा में मौका दे नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

मुझे पूरी सभा का ध्यान रखना है। मुझे इस सभा को सन्तुष्ट रखना है।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके लिए जो सालाना आमदनी 6400 रुपये रखी गई है वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं रखी गई है। वह तो सब के ऊपर लागू है। उसमें जो कोई भी आ सकता है अगर वह गरीब है, पिछड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी वह लागू होता है। जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं वह उनके ऊपर भी लागू होते हैं।

नौकरियों का जहां तक सवाल है नौकरियों में खुले तरीके से लोग अपनी योग्यता से आते हैं। अब हर स्टेप पर क्या 'बेसिस बनाया जाय। किस तरह से उसको रिजर्वेशन दिया जाय, मैंने जैसा पहले कहा, इसके लिए कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। जैसे कि हरिजनों के लिए आल इंडिया बेसिस पर 15 परसेंट हमारे पास है जो कि अनुसूचित जाति के हैं और साढ़े सात परसेंट आदिवासी हैं। लेकिन इस तरह से पिछड़ी जातियों के लिए कोई स्पष्ट क्राइटीरिया नहीं रखा गया है जिसके आधार पर कहा जाय कि 27 प्रतिशत ही दिया जाय। अब खुद ही मण्डल कमीशन कंट्राडिक्शन करता है, खुद ही मण्डल कमीशन में विरोधाभास है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो 22 और 11 प्वाइन्ट तक पहुंचेगा, उनके फार्मूले के हिसाब से, वह तो पहुंच गया बैकवर्ड में, बाद में उन्होंने उसको घटाकर 27 कर दिया। सवाल यह उठता है कि जब आप एक तरफ 52 कहते हैं, एक तरफ 27 कहते हैं तो इस तरह का कंफ्यूजन स्वयं कमीशन क्रिएट करता है, सरकार के ऊपर कैसे बात लागू होती है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी लोगों को कैसे अनुमति दे सकता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी तीन बार अनुमति दी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आक्षेप किया है। उन्हें आधे घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए।

डा० बी० वेंकटेश : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है इस तथ्य के बारे में, जबकि धारा (340) में दो शब्द आए हैं—सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पं० जवाहरलाल नेहरू, डा० बी० आर० अम्बेडकर ने संविधान बनाने के समय में और फिर संविधान में जब परिवर्तन हुआ 1951 में, उस समय साफ-साफ कहा है :

[अनुवाद]

"चाहे हम इसे वर्ग कहें या जाति बात एक ही है। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा।"

[हिन्दी]

इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि बैकवर्ड की क्या परिभाषा है। आपने खुद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बातें कीं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा नहीं कराना चाहता ।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट आए हैं वह रिजर्वेशन पर हैं और इस सदन में गृह मन्त्री जी ने अगस्त, 1983 में आश्वासन दिया था कि हम रिजर्वेशन करेंगे, हो सकता है आरक्षण का जो परसेन्टेज है वह आगे पीछे हो—तो ऐसे एंश्योरेंस के बाद अगर मन्त्री जी तैयार होकर नहीं आती हैं तो खेद का विषय है । आपको स्पष्ट रूपसे सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए और इस प्रकार से सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए जोकि तथ्य नहीं है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं । मैं पूरी तरह से तैयार होकर आई हूं और जो मैंने कहा है वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अभी हाल में जो आंध्र प्रदेश में घटनायें हुई या कर्नाटक में जो घटनायें हुई हैं वह आई-ओपेनर हैं और सभी माननीय सदस्यों को बात करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए ।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, मैं उत्तर जानना चाहता था क्योंकि इस सरकार ने इस देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को मूर्ख बनाया है । मैं सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

डा० डी० वेंकटेश : वे यह 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर करते हैं । इसीलिए, मैं उनसे यह प्रश्न कर रहा हूं कि क्या वे मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने जा रहे हैं अथवा नहीं । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष जी, कन्सेन्सस पर पहुंचने की जो बात है, हम देख रहे हैं कि कैसे कन्सेन्सस आ सकता है ।

[अनुवाद]

हमें इस मुद्दे पर कुछ सामंजस्य स्थापित करना है। अतः, रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने अथवा स्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० डी० वेंकटेश : आरक्षण के सम्बन्ध में, आप इसे कब तक बनाए रखना चाहते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी—अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : हम आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर चर्चा के लिए काफी समय दे दिया है—एक बार नहीं बल्कि तीन बार पहले ही काफी चर्चा हो चकी है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

परम विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या का प्रयास

* 23. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री विजय कुमार यादव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर 1986 को राजघाट पर प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या करने का प्रयास किया गया था ;

(ख) क्या सुरक्षा व्यवस्था में खामियों की जांच करने तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्ति की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या इस बीच अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 2 अक्तूबर, 1986 को राजघाट पर प्रधान मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति और अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति भी राजघाट पर उपस्थित थे।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) समिति ने 31-10-1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कल सारा करवा दिया है।

[अनुवाद]

कल हमने इस पर पूरी चर्चा की थी। हमने चर्चा कर ली है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है। इन्होंने कहा है समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मैंने पूछा था कि उसमें कितने दोषी साबित हुए हैं और उसका परिणाम क्या निकला?

अध्यक्ष महोदय : अभी आ रही है। कल तो बताया था।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो घटना घटी है और जो अखबारों में आया है, इससे लोगों में आतंक छा गया है अखबार पढ़ने पर जनता में शंका पैदा हो गई है। अपराधकर्मी इतनी बड़ी सुरक्षा प्रबन्ध के बावजूद घुस गया और घुस करके कन्ट्रीमेड से काम किया। इससे लोगों में अविश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब ने दिया। कल हो गया।

···(व्यवधान)···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : जनता में आक्रोश है, जनता के उस आक्रोश और विमाग को बदलने के लिए, क्या सरकार की तरफ से ड्रामा रचा गया है?—(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के छपे हुए पोस्टर्स स्वर्णमन्दिर में लग गए हैं और कल यहां डिसकशन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए तुलसीराम जी, ऐसे थोड़े ही करते हैं।

श्री वी० तुलसीराम : आप कह रहे हैं कि कल हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो प्रश्न की बात कर रहा था।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में आने वाले शरणार्थियों को दी गई भूमि पट्टा मुक्त करना

* 24. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों को दी गई भूमि पट्टा मुक्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; है और

(ग) इस संबंध में कोई ठोस निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) 1974 में लिए गए निर्णय के अनुसार, पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बसाये गये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को गई भूमि को पहले ही पट्टा मुक्त कर दिया गया है। किन्तु शहरी क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को 99 वर्ष की लीज पर भूमि दी गयी है। नीति की हाल ही में पुनरीक्षा की गई है और इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को पट्टायुक्त भूमि दी गई है किन्तु शहरी क्षेत्रों में 99 वर्ष का पट्टा दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह भेदभाव क्यों किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे। (व्यवधान) इस प्रकार के भेद-भाव से भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आने वाले विस्थापित व्यक्तियों में पूर्ण असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। दिनांक 18-9-84 को एक बैठक हुई थी जिसमें माननीय प्रधान मन्त्री महोदय उपस्थित थे, और माननीय मन्त्री महोदय भी उपस्थित थे। यह बैठक पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के साथ कलकत्ता में हुई थी। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि बैठक में इस समस्या पर चर्चा की गई। मैं जानना चाहता हूं कि बैठक के क्या परिणाम निकले, उसमें क्या निर्णय लिया गया क्योंकि बाद में मुझे समाचार पत्र से पता चला कि प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में लम्बा भाषण दिया था कि शरणार्थियों को पट्टायुक्त भूमि देने की मंजूरी दी गई है। किन्तु इस उत्तर में यह नहीं बताया गया है। माननीय मन्त्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : पहले, मैं यह स्पष्ट रूप से कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है जैसा कि मेरे माननीय संसद सदस्य ने कहा है। जैसी कि उन्हें पूरी जानकारी है, पिछली बार 99 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि दिए जाने का निर्णय वर्ष 1974 में लिया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में प्लाट रखने वाले लगभग 1.02 लाख लोगों को प्लाटों का स्वामित्व दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। इसका कारण यह था कि भूमि की कीमतें बहुत अधिक थीं। भूमि के हस्तांतरण की गुंजाइश हो सकती है। पिछले सत्र में अनेक माननीय सदस्यों ने, विशेषरूप से कांग्रेसी संसद सदस्यों ने—आपको अच्छी तरह याद होगा—यह मामला उठाया गया था। मैंने प्रधान मंत्री के निदेशों के संबंध में यह वायदा किया था कि हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के शरणार्थियों को समान सुविधायें उपलब्ध कराई जाएं। बाद में हुई एक बैठक में—माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है—प्रधान मन्त्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि इस विसंगति को भी दूर किया जाएगा और हम इसे अन्तिम रूप दे रहे

हैं। उनकी सरकार को भलीभांति पता है। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य क्यों असन्तुष्ट हैं। निर्णय अन्तिम चरण में है। हम दो या तीन दिन में निर्णय लेने वाले हैं। ऐसा कर दिया जाएगा।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बैठक के बारे में कहा है, मैं इस बारे में ये दो शब्द और कहना चाहता हूं। जैसा कि मुख्य मन्त्री के साथ हुई मेरी बैठक के बारे में प्रश्न उठाया गया है, मुझे मुख्य मन्त्री की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था और मैंने अपने सचिव से कहा कि वे मुख्य मन्त्री के सचिव को उक्त बैठक के पश्चात जो भी कदम उठाया गया है उन सबका पूरा ब्यौरा भेज दें। और, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें उक्त पत्र की एक प्रति भेज दूंगा। उक्त पत्र से उन्हें पता चलेगा कि केन्द्र की ओर से इस कार्य में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई है। केवल वही मदें अनिर्णीत पड़ी हैं जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास विचाराधीन हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं एक विशिष्ट मुद्दा उठा रहा हूं। माननीय सदस्य ने यह आश्वासन दिया है कि वे दो या तीन दिन के भीतर उक्त परियोजना को स्वीकृति दे देंगे। इसीलिए मैं दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर जोर नहीं दे रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, पश्चिम बंगाल के लोगों और पूरे देश के शरणार्थियों की ओर से···

कुछ माननीय सदस्य : पूरे विश्व के।

कुमारी ममता बनर्जी : जी, हां। मुझे हमारे प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को बधाई देनी चाहिए क्योंकि प्रधान मन्त्री ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है और उन्होंने शरणार्थी लोगों के लिये एक नई योजना की घोषणा की है। माननीय मन्त्री महोदय ने पहले ही घोषणा की है कि इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानती कि विपक्ष के सदस्यों को इस सम्बन्ध में पता क्यों नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं करना है। इसमें कोई राजनैतिक चाल नहीं है। (व्यवधान) उन्हें शरणार्थी समस्या के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यह राजनीतिक ड्रामा है सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। आपको हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आपको कुछ भी पता नहीं है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार इन बातों की देख रेख करने के लिए कलकत्ता में एक क्षेत्रीय पुनर्वास विभाग की स्थापना करने जा रही है। यदि राज्य सरकार इन प्रमुख कार्यों का वितरण करने की इच्छुक है, तो वह इन कार्यों को अपनी पार्टी के लोगों को ही देगी। इस सम्बन्ध में जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी निष्पक्ष समिति अथवा कोई सलाहकार समिति का गठन करने का प्रयास कर रही है जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों; जिसमें शरणार्थियों के प्रतिनिधि हों। (व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी अभद्र शब्द रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, वैसे तो ममता जी का कोई जवाब नहीं है। मगर जो बात उन्होंने कही है···

अध्यक्ष महोदय : ममता शब्द ही ऐसा है।

सरदार बूटा सिंह : जो बात उन्होंने कही है, यह बात प्रधान मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी की मीटिंग में तय हुई थी कि नए प्रोजेक्ट और पुराने प्रोजेक्ट जिनके लिए सेन्ट्रल की तरफ से सहायता दी जा रही है, उनकी मोनेटरिंग की किस तरह से उनकी इम्प्लीमेंन्टेशन हो रही है, सेन्टर स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेगा।

[अनुवाद]

मैं इस सम्मानित सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसकी जांच करेंगे कि परियोजनाओं के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के समय कोई भेदभाव न किया जाए।

जनरल वैद्य की हत्या

*26. **श्री उत्तम राठौड़**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल वैद्य की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस मामले में मुख्य अभियुक्त तथा उसके एक साथी को पकड़ लिया गया है। जांच पड़ताल पूरी होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

(ख) ऐसे अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को कहा गया है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सुरक्षा कर्मियों के रूप में काम

करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यदि हां, तो प्रशिक्षण की अवधि कितनी है और क्या उनकी कार्यकुशलता का आवधिक मूल्यांकन किया गया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : हम सुरक्षा कार्यों के लिए नियुक्त व्यक्तियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण दे रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस विशेषीकृत प्रशिक्षण देती है। अन्य क्षेत्रों में हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षा कार्यों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करें जिन्हें विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष या किसी राज्य विशेष की पुलिस अपने सुरक्षा कर्मियों को विशेष रूप से सुरक्षा कार्य का प्रशिक्षण दिलवाना चाहे, तो हम इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं जान सकता हूं कि क्या जनरल वैद्य के मामले में निगरानी की कोई व्यवस्था की गई थी ?

श्री पी० चिदम्बरम : जनरल वैद्य के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने स्वयं जनरल वैद्य के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी और सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थायें निश्चित कर ली थीं। महाराष्ट्र सरकार ने हमें बताया है कि दो वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारियों को सुबह तथा दो वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारियों को रात को बारह-बारह घण्टे के लिए तैनात किया जाता था तथा चार पहरेदार सुबह तथा चार पहरेदार रात को बारह-बारह घण्टे के लिए तैनात किये जाते थे; आवासीय प्रहरियों के रूप में एक हैड कान्स्टेबल और चार कान्स्टेबल प्रदान किए गए थे और यह भी व्यवस्था थी कि यदि जनरल स्थानीय प्राधिकारियों को अपनी यात्रा की सूचना दें, तो उनके लिये एक वैयक्तिक सुरक्षा निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबलों सहित एक सुरक्षा जीप प्रदान की जाए। पुलिस उपायुक्त, पुणे और पुलिस आयुक्त, पुणे ने जनरल के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इन सभी प्रबन्धों के बावजूद दुर्भाग्यवश जनरल वैद्य की हत्या कर दी गई।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि जनरल वैद्य की हत्या के बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी, फिर भी प्रीकाशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गये और उनकी हत्या के बारे में आज तक सफलता क्यों नहीं मिली ? इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आगे आप क्या कदम उठायेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, यह तो इन्वेस्टीगेशन का विषय है कि प्रीकाशनरी मेजर्स क्या-क्या लिए गये थे और क्या वे इनएडीक्वेट थे। मगर अभी तक उसमें प्रगति क्या हुई, जहां तक इसका प्रश्न है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि दो कल्प्रिट पकड़े गये हैं और उनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है और पुलिस उसमें लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी दूसरे अपराधी भी पकड़े जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सुरक्षा सम्बन्धी चूकों की जांच के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जब कभी जनरल वैद्य बाहर जाते थे, उनके साथ पुलिस कर्मियों सहित एक जीप होती थी। जब उनकी हत्या हुई···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा था कि "यदि जनरल स्थानीय प्राधिकारियों को सूचित करते।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी : फिर भी दो पुलिस कर्मियों को उनके साथ होना चाहिये था। जैसा कि समाचारपत्रों और संसद में हमें बताया गया है, उस कार में केवल एक पुलिस कर्मी था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा में हुई चूक की कोई जांच की गई है। दूसरी बात यह कि क्या यह सच है कि भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई को आतंकवादियों से एक धमकी भरा पत्र मिला था और क्या उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, जनरल वैद्य द्वारा स्थानीय अधिकारियों को धमकी भरे पत्रों की जानकारी दिये जाने के बाद पुलिस उपायुक्त द्वारा जनरल के साथ सुरक्षा सम्बन्धी मामले की समीक्षा की गई थी। पुलिस आयुक्त ने 8 अगस्त, 1986 को जनरल के साथ सुरक्षा सम्बन्धी मामले की समीक्षा की थी और ये व्यवस्थायें निर्धारित की गई थी। दुर्भाग्यवश उस दिन जनरल वैद्य ने स्थानीय पुलिस को अपनी यात्रा की सूचना नहीं दी, इसीलिये उस दिन पुलिस सुरक्षा दल उनके साथ नहीं रहा। उनकी मारुती कार में एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी था। जैसा कि मैंने कहा था, सुरक्षा व्यवस्था में चूक यह हुई कि जनरल वैद्य के साथ जो व्यवस्थायें निर्धारित की गई थीं, उनका पूर्णत: पालन नहीं किया गया, ऐसा कुछ तो इसलिए भी हुआ कि स्वयं जनरल ने अपने बाहर जाने के बारे मे सूचना नहीं दी। इसीलिये मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश सुरक्षा व्यवस्था में इस दृष्टि से चूक हुई है। हमने सुरक्षा-प्रबन्धों की समीक्षा की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की थी। हम अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये सुरक्षा के पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इसके लिये मुझे नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न का भाग (ख) अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रबन्धों के बारे में है। मन्त्री महोदय भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को दी गई हत्या की धमकी की उपेक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखकर दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि हर प्रकार से सुरक्षा के प्रबन्ध किये जायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के जीवन को खतरा होने की बात कही है। वे इसका उत्तर देना भी उचित नहीं समझते।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि उन्हें इसका ध्यान है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गृह मन्त्री इस बात को क्यों नहीं कहते। वे इसे हल्के तौर पर ले रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सम्बन्धित मन्त्री को उत्तर देना चाहिये।

सरदार बूटा सिंह : जहां तक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई को धमकी भरा, भेजे जाने का प्रश्न है, हमने उस पर कार्रवाई की थी। मैंने तत्काल महाराष्ट्र सरकार से सम्पर्क किया था। हमने यहां से भी श्री मोरार जी देसाई से सम्पर्क स्थापित किया था और सुरक्षा के ऐसे प्रबन्ध किये थे जिनसे वे सन्तुष्ट थे।

केरल में खनिजों की खोज

* 27. **श्री थम्पन थामस** । क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मोनाजाइट जैसी विरल मृदा (रेअर अथर्स) की उपलब्धता की जानकारी है ; और

(ख) केरल में खनिजों और धातुओं के दोहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है, इल्मेनाइट, रूटाइल, मोनाजाइट जर्कन आदि जैसे विभिन्न खनिज निकालने के वास्ते चवारा में एक संयंत्र और विरल मृदा यौगिकों के उत्पादन के लिए मोनाजाइट के संसाधन के वास्ते आल्वे में एक संयंत्र चला रहा है।

श्री थम्पन थामस : केरल में बहुत दुर्लभ और बेजोड़ धातुयें उपलब्ध हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा और रक्षा सम्बन्धी उत्पादों क लिये इन अत्यन्त उपयोगी और बेजोड़ धातुओं और खनिजों की उपलब्धता के बारे में कोई अन्वेषण कार्य शुरू किया है, क्या पिछले तीन वर्षों से कोई जांच की गई है और केरल में इन दो परियोजनाओं के अलावा कौन-कौन सी प्रायोगिक परियोजनायें शुरू की गई हैं और केरल में परमाणु ऊर्जा तैयार करने के लिये क्या आपके पास कोई परियोजना है।

श्री के० आर० नारायणन : हम केरल में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये निरन्तर अन्वेषण कर रहे हैं। यह प्रश्न विरल मृदा के बारे में है। जहां तक विरल मृदाओं के उत्पादन

और संसाधन का सम्बन्ध है, केरल में हमारी यही दो फैक्टरियां हैं— एक चवारा में तथा दूसरी आल्वे में।

श्री थम्पन थामस : मैं यह पूछ रहा था कि इनका पता लगाने के सम्बन्ध में क्या कोई अन्य प्रस्ताव अथवा योजना है। इस बात का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री के० आर० नारायणन : हम अन्वेषण कर रहे हैं। वस्तुतः ये संसाधन इतने असीमित और प्रचुर मात्रा में हैं कि इन दोनों फैक्टरियों को इन धातुओं और खनिजों के ससाधन के लिये अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना पड़ता है इस सम्बन्ध में अन्य प्रस्ताव आने पर उनकी जांच की जायेगी।

श्री थम्पन थामस : ऐसे दो मामले हैं जिनकी जानकारी दी गई है। एक मामला आल्वे स्थित इण्डियन रेअर अर्थ्स लि० से प्राप्त हुआ है जिसमें प्रदूषण तथा उससे कामगारों तथा आस-पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाओं के बारे में बताया गया है। प्रबन्ध, कम्पनी के अपशिष्ट का व्ययन ठीक प्रकार से नहीं करते। इस मामले में न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है और फैक्टरी के कार्यकरण के बारे में एक निषेधाज्ञा जारी की है। क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

शेरतल्लई नामक एक अन्य स्थान में विरल मृदा पाये जाने से वहां विकिरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उस क्षेत्र के निवासी विकिरण के कारण खास किस्म की बिमारियों का शिकार हो रहे हैं क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है तथा उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : सरकार ने आल्वे में विकिरण के कारण हुई मौतों और बामारियों के बारे में रिपोर्टें देख ली हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के जैविक-चिकित्सा प्रभाग तथा स्वास्थ्य-भौतिकी प्रभाग की सहायता से इन रिपोर्टों का आद्योपान्त अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि फैक्टरी में विकिरण होने से हुये कैंसर के कारण 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसकी जांच की जा चुकी है और हमने यह पता लगाया है कि पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई लेकिन इस विशेष फैक्ट्री में विकिरण या पर्यावरण की समस्या के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई। विकिरण के कारण बीमार हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में दूसरी रिपोर्ट थी। इन लोगों को कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र तथा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में भेजा गया था और यह सिद्ध हो गया कि वह कैंसर से पीड़ित नहीं थे। हमने गहराई से जांच कर ली है और यह रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री थम्पन थामस : शेरतल्लाई के लोगों के बारे में क्या सूचना है जो वहां विद्यमान दल में मृदा मिश्रण के कारण विशेष बीमारी से पीड़ित हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ?

श्री के० आर० नारायणन : इस सम्बन्ध में शेरतल्लाई में जांच कर ली गई है और अध्ययन से पता लगा है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर मोनाजाइट बालू से विकिरण के फल-स्वरूप कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है। इस मामले पर निरंतर निगरानी रखने के विचार से शेरतल्लाई में मोनाजाइट सर्वेक्षण एकक है।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उड़ीसा के छत्रपुर क्षेत्र में रेअर अर्थ्स की एक बहुत बड़ी डिपाजिट जो 18 किलोमीटर लम्बी है उसके एक्सप्लायटेशन के लिए 130 करोड़ रुपये का एक प्लांट लगाने की जो योजना वहां बनी थी तो प्लांट लगाने के बाद भी जो शेड्यूल टाइम था, उसमें उसका उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ। उसके कारण उसके उत्पादन से जो लाभ हमारे देश के हित में और फारेन करेन्सी प्राप्त करने में हो सकता था, वह नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को जानकारी हो तो इस समय सदन को बताएं अथवा जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराएं। इस प्रकार की लाभदायक इकाई सारे साधनों के दिये जाने पर भी नहीं सही-सही काम कर रही है।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : महोदय उड़ीसा सैण्ड कम्प्लैक्स इस वर्ष चालू कर दिय गया है यह सच है कि इसमें विलंब हुआ है। परियोजना वर्ष 1982 में बनायी गयी थी। अनेक अपरिहार्य कारणों से विलंब हुआ। विलंब के कारण हैं—सर्व प्रथम सिविल (निर्माण) कार्य भारी वर्षा और बाढ़ के कारण पूरा नहीं किया जा सका। दूसरा कारण यह है कि हम भवन निर्माण के लिए जितना इस्पात प्राप्त करना चाहते थे उसमें से कुछ इस्पात समय पर प्राप्त नहीं हुआ। इन कारणों से विलंब हुआ है लेकिन मुझे यह कहने में खुशी है कि संयंत्र चालू कर दिया गया है और यह कार्य करने लगेगा।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में चर्चा

* 28. श्री शरद दिघे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 12 सितम्बर, 1986 को आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ;

(ख) बैठक में क्या निर्णय किए गये ;

(ग) क्या उन पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

12-9-1986 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा तैयार किए गए 15 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण और सम्प्रदायवाद का मुकाबला करने के उपायों और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। अगली अनुवर्ती कार्यवाही का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों में से 3-5 सदस्यों का एक सब-ग्रुप गठित करने का निर्णय किया गया था।

श्री शरद बिघे : उत्तर में यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और सम्प्रदायवाद का मुकाबला करने के उपायों और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से सम्बन्धित विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था फिर अगली अनुवर्ती कार्यवाही का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों में से 3-5 सदस्यों का एक सब-ग्रुप गठित करने का भी निर्णय किया गया था।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सब ग्रुप का गठन कर दिया गया है और यदि नहीं, तो अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए इस सब-ग्रुप को गठित न करने के क्या कारण हैं ?

सरदार बूटा सिंह : प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस सब-ग्रुप में लिए जाने वाले सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है और हम शीघ्र ही इस सब-ग्रुप का गठन कर देंगे। इस परिषद की बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और यह ग्रुप उन पर विस्तार से विचार करेगा।

श्री शरद बिघे : यह भी बताया गया था कि बैठक में रूढ़िवाद साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार आर्थिक और सामाजिक पहलुओं विशेष कर उन स्थानों में जहां जातिय साम्प्रदायिकता भड़कती है का गहराई से अध्ययन करने के लिए जोर दिया गया था। क्या इन पहलुओं के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि विभिन्न पुलिस संगठनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय रूढ़िवाद पर रोक लगाने की आवश्यकता, अल्पसंख्यकों में साम्प्रदायिक आतंक सामूहिक दंडात्मक जुर्माने, धार्मिक स्थानों के उपयोग, धार्मिक जुलूसों आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया था और सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। यह बैठक बहुत लम्बे समय तक चली। राष्ट्रीय एकता परिषद के नेताओं ने क्षेत्रीय रूढ़िवाद के सम्बन्ध में अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए थे। यह ग्रुप इस बात पर भी विचार करेगी कि क्षेत्रीय रूढ़िवाद के मामलों को सुलझाने के लिए किस प्रकार सर्वसम्मति अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार किया जाए जो देश की एकता और साम्प्रदायिक सदभाव को समाप्त कर रहा है।

श्री शांताराम नायक : राष्ट्रीय गान के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात्, समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए थे कि सरकार ने **राष्ट्र गौरव अपमान निवारण** अधिनियम 1971 के अन्तर्गत इस मामले का पुनरीक्षा याचिका का फाइल करने के लिए महान्यायवादी को निदेश दे दिए हैं। जब हम इस अधिनियम में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संशोधन कर सकते हैं तो हमें कानून की विस्तृत व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय के पास क्यों जाएं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सरकार की स्थिति यह है कि हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए महा न्यायवादी ने पहले निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय में मामले को उठाया है। माननीय सदस्यगण इस बात का ध्यान दें कि संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत के उच्चतम न्यायालय का फैसला कानून बन जाता है। हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। हमें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की जानकारी है। अधिनियम में एक कमी है। इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए उपबंध नहीं है जो राष्ट्रीय गान में जानबूझकर शामिल नहीं होना चाहता है।

इस पहलू को ध्यान में लिया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरीक्षा याचिका के निपटान किए जाने के पश्चात हम और ऐसे सभी आयोजित उपाय करेंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय गान को प्रत्येक व्यक्ति गाए और राष्ट्रीय गान को पूरा सम्मान दिया जाए। इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मन्त्री महोदय ने उन कुछ सामान्य किस्म के मामलों को ही बताया है जिन पर राष्ट्रीय एकता परिषद की अन्तिम बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। यदि इस लघु सब ग्रुप को वास्तव में अनुवर्ती कार्यवाही का सुझाव देना है तो यह सुझाव ऐसे विशिष्ट मामलों के आधार पर होना चाहिए जिन पर केवल विचार-विमर्श ही नहीं किया जाए बल्कि व्यापक करार किया जाए। अन्यथा यह ग्रुप अनुवर्ती कार्यवाही करेगा। क्या मन्त्री महोदय इस सभा को कम से कम ऐसे कुछ विशिष्ट मुद्दे बताने की कृपा करेंगे जिसके सम्बन्ध में साधारण सहमति और जिनके बारे में सब ग्रुप द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने का सुझाव दिया जा सकता है, अन्यथा यह सब कुछ ढुलमुल है। प्रत्येक व्यक्ति रूढ़िवाद के विरुद्ध है। लेकिन क्या हो रहा है ?

सरदार बूटा सिंह : जब इस मामले को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय एकता परिषद के समक्ष रखा गया था कि इसे व्यापक सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए, तब विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि राष्ट्रीय सर्वसम्मति की बातें न करके हमें समस्या पर विस्तार से विचार करना चाहिए। तब इस सब-ग्रुप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस रूढ़िवाद के द्वारा फैलाई जा रही समस्याओं, इसके विस्तार का अध्ययन करेंगे। इस परिषद के माननीय सभापति हमारे प्रधान मन्त्री ने स्वयं यह निर्देश दिया था कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जो हमारी राष्ट्रीय शक्तियों को कमजोर कर रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता की जड़ों को खोखला कर रहा है।

अत: उन समस्याओं या बलों का अध्ययन कराना चाहिए जो इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता से पैदा होती हैं। यह ग्रुप अन्तिम चरण में है और यह समापति के अधीन है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में यह ग्रुप इस अत्यन्त गम्भीर मामले पर विचार करेगा जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर रहा है और इससे ठोस कार्यवाही योजना सामने आएगी जिसके सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से इस सम्माननीय सभा को जानकारी दूंगा।

[हिन्दी]

सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना

*29. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा समस्या सुलझाने के लिए हाल ही में सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) भारत-बंगलादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारत बंगलादेश सीमा के साथ-साथ पहले सीमा सड़कों आदि का निर्माण करने का फैसला किया गया है। कुछ क्षेत्रों में सीमा सड़कों के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही चल रहा है। सीमा पर बाड़ लगाने का मामला सड़कों के निर्माण के बाद हाथ में लिया जाएगा। कार्य को जितनी जल्दी सम्भव हुआ पूरा करने के प्रयास किए जाएँगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत बंगला देश सीमा के पास सीमा-सड़कों के निर्माण का फैसला कब किया गया था और अब तक कितने क्षेत्रों में सीमा सड़कों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, यह पहले ही निर्णय किया गया है कि कार्य वर्षा काल के बाद शुरू किया जायेगा क्योंकि वर्षा-काल की अवधि लम्बी रही है। वर्षा काल समाप्त होने के

बाद कार्य शुरू कर दिया गया था और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को वित्तीय आबंटन किया गया है। सीमा के साथ-साथ 2010 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और विद्यमान सड़कों के 650 किलोमीटर के सुधार कार्य के लिए मंजूरी दी गई है। असम सीमा पर धुबी, कछार और करीमगंज क्षेत्र में 202 किलोमीटर कंटीले तार लगाने बाड़ और मेघालय सीमा पर—गारो पहाड़ियो, डाकी और शीला बाजार में 135 किलोमीटर तक कटीले तार लगाने और सीमांकन क्षेत्र से 150 गज दूर कंटीले तार लगाने के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। इस कार्य के निष्पादन के समन्वय के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य एजेन्सी हैं। प्रति वर्ष किये जाने वाले कुल कार्य, तथा सारे कार्य को कुल कितने वर्षों में पूरा किया जाना है, इस बारे में निर्णय लेने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की गई है और इस प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष किये जाने वाले बजट प्रावधान के सम्बन्ध में भी अन्तिम निर्णय लिया गया है। लागत अनुमानों और तकनीकी ब्यौरे की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति को स्थापना को अन्तिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : दूसरा प्रश्न, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सीमा-सड़कों का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक इसे पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही, यह भी जानना चाहता हूं कि सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने की कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने कहा है 6 फरवरी को असम के माननीय मुख्य मन्त्री को मेरे द्वारा बताए गए उपरोक्त निर्णय की सूचना दे दी गई थी। प्रत्येक कार्य के लिए पहले ही से समय-सीमा निर्धारित है।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : महोदय, सरकार ने अनेक बार आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा सीमा पार से प्रशिक्षित व्यक्तियों को भेजा जाता है। क्या पाकिस्तान-सीमा पर कंटीले तारें लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है कि यह प्रश्न पूर्वी क्षेत्र में सीमा के बारे में है और माननीय सदस्य को इस बात की पूरी जानकारी है कि हम पाकिस्तान की सीमा के बारे में बहुत सावधान हैं और हम सीमा पार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वे अपने जोखिम पर ही सीमा पार करते हैं।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : अध्यक्ष महोदय, जब दूसरी ओर की सीमा पर कंटीले तार लगाए जा सकते हैं, तो इस सीमा पर कंटीले तार लगाने में क्या दिक्कत है?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। केवल एक प्रश्न पूछा जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : सामग्री की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : कंटीले तार लगाना असम समझौते का एक हिस्सा है। असम की जनता के मन में अनेक आशंकाएँ हैं कि जहाँ तक असम समझौता और इस उपबंध का संबंध है, सरकार इस बारे में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए सड़कों के निर्माण कार्य के लिये इस वर्ष कितना वित्तीय आवंटन किया गया है।

दूसरे बात यह है कि सड़क का काम पहले शुरू करने तथा कंटीले तार लगाने के काम को बाद में करने के स्थान पर सड़क का निर्माण करने के साथ-साथ कंटीले तार लगाने का काम करने में सरकार को क्या कठिनाई है जो असम सरकार की मांग है।

सरदार बूटा सिंह : आप चाहते हैं कि मैं आपको सभी कार्यों का ब्यौरा दूं। जो मेरे पास उपलब्ध है।

(क) असम के धुब्री जिले में 72 किलोमीटर का सर्वेक्षण के लिए 14,43,365 रुपये की मंजूरी इसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा भी मंजूरी दी जा चुकी है। (ख) असम के करीमगंज जिले में सर्वेक्षण के लिए 6,475,527 रुपये की मंजूरी, (ग) असम के करीमगंज जिले में सर्वेक्षण के लिए 5,64,100 रुपये की मंजूरी।

महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हर बात को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा मेरे विचार से असम के मुख्यमन्त्री को इन सभी मंजूरियों तथा तकनीकी समिति और उच्चस्तरीय समिति के गठन के बारे में जून के पिछले सप्ताह में सूचित किया गया था। कार्य को गति देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय एजेन्सी है। कार्य के निष्पादन पर इसके द्वारा निगरानी रखी जायेगी। दिवसबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रमों की घोषणा की गई है।

असम के करीमगंज जिले में सर्वेक्षण का कार्य सीमा सुरक्षा बल के संरक्षण में असम लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समय किया जा रहा है। असम के धुब्री क्षेत्र में खड़ी फसलों की कटाई तथा हाल की बाढ़ के पानी के सूखने के पश्चात् असम लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा। अन्य क्षेत्रों में इस काम के मौसम के दौरान ही सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक (निर्माण) 6 नवम्बर, 1986 को गुवाहाटी का दौरा करेंगे और सभी निर्माण एजेन्सियों के साथ यह देखने के लिए बैठकें करेंगे कि सभी क्षेत्रों में और सभी मंजूर किए गये कार्यों के संबंध में समय-सीमा का अनुपालन किया जाये। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह क्या है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें। इस प्रकार न बोलें।

यहां अधिनायकवाद नहीं चल रहा है।

(व्यवधान)

पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

* 30. श्री एच० एन० नन्जे गौडा+
श्री बृजमोहन महन्ती } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के सैनिक आसूचना विभाग द्वारा राजधानी में भेजा गया एक पाकिस्तानी जासूस दिनांक 9 सितम्बर, 1986 को दिल्ली छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त और सितम्बर, 1986 के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में, कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये थे।

(ग) यदि हां, तो कुल कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को विदेशी जासूसों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने के बारे में कोई निदेश जारी किये गये थे ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 8-9-1986 को एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन थाना नारायणा में उसके विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3/9 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था।

(ख) तथा (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अगस्त और सितम्बर, 1986 में 25 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था।

राज्यवार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2
गुजरात	1

1	2
जम्मू तथा कश्मीर	16
पंजाब	3
राजस्थान	3
पश्चिमी बंगाल	1
दिल्ली	1

सभी मामलों की जांच पड़ताल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है।

(घ) सरकार की विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में जासूसी की समस्या की जानकारी है और भारत पाकिस्तान सीमा पर तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जासूसी गतिविधियां रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है।

श्री एच० एल० नन्जे गौड़ा : विवरण से यह पता चलता है कि केवल दो महीनों में लगभग 25 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गये। कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि एक जासूस से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उसे हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों पर नजर रखने तथा पाकिस्तानी अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जांच-पड़ताल से इस बात का पता चला है कि इन जासूसों के सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ सम्बन्ध हैं तथा उनकी मदद से वे गुप्त सैनिक समाचार पकिस्तान सरकार को भेजते रहे हैं। यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री पी० चिदम्बरम : सभापटल पर रखे गये विवरण में अगस्त और सितम्बर के बीच राज्यवार गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। उनकी पूछताछ से पता चला कि कुछ जासूसों को पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। यह स्पष्ट है कि आप यह नहीं चाहेंगे कि मैं पूछताछ के ब्यौरे बताऊं···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना

* 22. **श्री विष्णु मोदी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 की उप धारा (3) के उपबंधों की परिधि के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अन्तर्गत लाने का है ; और

(घ) यदि हां तो कब तक ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 14(2) तथा धारा 14(3) के अधीन, सरकारी अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1986 को जारी कर दी गई थी, जिसके द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को 17 नवम्बर, 1986 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में ला दिया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

थोरियम से ऊर्जा

* 25. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने थोरियम से ऊर्जा पैदा करने हेतु एक परीक्षण किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी अन्य विभाग ने थोरियम से ऊर्जा पैदा करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ग) थोरियम सीधे ही विखंडित नहीं होता। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान रिएक्टरों में किरणित थोरियम से यूरेनियम-233 को अलग किया गया है। एक ऐसा अनुसंधान रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है, बनाया गया है और प्रायोगिक कार्यों के लिए सफलतापूर्वक चलाया गया है। तथापि, ऐसी संभावना है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए थोरियम का उपयोग वाणिज्यिक स्तर पर इस शताब्दी के अंत तक ही किया जा सकेगा।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

बालेश्वर (उड़ीसा) राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र से प्रभावित होने वाले लोगों का पुनर्वास

* 31. श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालेश्वर क्षेत्र में बलियापाल भोगरेई क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 128 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उड़ीसा में बालासोर क्षेत्र के बलियापाल—भोगरई इलाके में राष्ट्रीय रेंज स्थापित करने से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन की योजनाएं पहले ही तैयार कर ली गई हैं। केन्द्र सरकार इस कार्य के लिए अर्जित भूमि और उसमें बने मकान आदि के लिए पर्याप्त मुआवजा देगी ; वहां उद्योग तथा स्वः रोजगार योजनाएं चलाने के लिए "निवेश धन" की व्यवस्था करेगी और विस्थापित परिवारों को आदर्श गांवों में बसाने का खर्च भी वहन करेगी। उपर्युक्त कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला धन अनुमानतः लगभग 280 करोड़ रुपया है।

भारत सरकार ने आरम्भिक अदायगी के रूप में उड़ीसा सरकार को पुनर्वास/पुनः स्थापन के लिए 13.925 करोड़ रुपये की राशि दे दी है। केन्द्र तथा उड़ीसा सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विस्थापित परिवारों की सही देख-रेख हो और उन्हें समुचित रूप से पुनः स्थापित किया जाए।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

विस्थापित परिवारों को आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले आदर्श गांवों में बसाया जाएगा, जहां मूलभूत नागरिक सुविधाओं एवं अन्य सामाजिक आर्थिक ढांचे की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार को इन आदर्श गांव में बने बनाए मकानों के साथ-साथ वासभूमि भी प्रदान की जाएगी। वहां डिस्पेंसरियां, पशु चिकित्सा केन्द्र, स्कूल, बाजार, विपणन केन्द्र, नलकूप, डाकघर आदि स्थापित किए जाएंगे। उस क्षेत्र में 50 बिस्तरों का अस्पताल और प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा। पुनर्वास योजनाओं में प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को लाभकारी रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास योजना के अंश के रूप में कई औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें सूतीवस्त्र परिसर, तेल की मिल, वनस्पति संयंत्र, चमड़ा उद्योग एवं कृषि के उपस्करों के कारखाने स्थापित करना शामिल है। मछुआरों एवं भूमिहीन मजदूरों जैसे कुछ उन परिवारों को जिनको कि कई कारणों से औद्योगिक रोजगारों में नहीं लगाया जा सकेगा, मछली पकड़ने, डेयरी, छोटे-छोटे व्यापार धंधे एवं ग्रामीण यातायात जैसी स्वरोजगार की योजनाएं चलाने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की वास्तविक सीमा रेखा क्या होगी इसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बलियापाल क्षेत्र में 41 गांव एवं भोगराई क्षेत्र में 13 गांवों के प्रभावित होने की संभावना है, जिनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है।

परिशिष्ट

उड़ीसा के बलासोर क्षेत्र में राष्ट्रीय रेंज स्थापित करने से जिन गांवों के प्रभावित होने की संभावना है उनकी सूची।

(क) बलियापाल क्षेत्र

1. बड़ाबटिया
2. कटारामहल
3. सुन्दरकुली
4. अरुहाडाम
5. नलडाम
6. जमुनासुली
7. नौगांव

8. तकारपाड़ा
9. महिनसामुन्डा
10. कौमारी
11. ताराडाम
12. भीकामडिया
13. पादिमा
14. डंगापिटा
15. चंदामनी
16. बालीबिल
17. अनलादिहा
18. बदनपुर
19. बीरिदिहा
20. सुरूदिहा
21. काशीपुर
22. हरनकुली
23. बेटागदिहा
24. नारायणपुर
25. मुन्डनानजी
26. लताजोरी
27. जमातकुला
28. डागरा
29. जुगादिहा
30. अमचुआ

31. माझीकुड़ा

32. धामतपुर

33. बेनचुआ

34. चौमुख

35. पंचूपली

36. कालासीमुली

37. जाम्भीराय

38. सतगुहालिया

39. सरोजपुर

40. बोलोंग [बंगाल की खाड़ी की तरफ के गांव का केवल कुछ हिस्सा] (आधे से कम)

41. महाबल [बंगाल की खाड़ी की तरफ के गांव का केवल कुछ हिस्सा] (आधे से कम)

(ख) मोगराई क्षेत्र

1. चन्द्रबली

2. किरतानिया जनपाही

3. नरनमहन्तीपडिया

4. अन्धरीबालीबंध

5. रनकोठ (आंशिक)

6. ननकार

7. कुंभीरगड़ी

8. फतेपडिया

9. शंखझूली

10. किस्मतशंखझूली

11. चौलकेर

12. भीतरभौनर (आंशिक)

13. पुरीपत्रभौनरी

"कर्नाटक में अनधिकृत शिकारी"

* 32. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों में, विशेषकर कर्नाटक में, हाल ही के वर्षों में अनधिकृत शिकारी और तस्कर हाथियों, चन्दन और अन्य वन सम्पदा के लिए भारी खतरा बन गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों में अनधिकृत शिकारियों द्वारा कुल कितने हाथियों को मारा गया और तत्संबंधी वर्ष-वार ब्योरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक के वनों से चन्दन की अनुमानत: कितनी मात्रा की तस्करी की गई ; और

(घ) हाथयों का मारा जाना और चन्दन की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) दक्षिणी राज्यों में हाथी दांत के लिए हाथियों के चोरी छिपे शिकार की कुछ घटनाएँ हुई हैं. लेकिन चन्दन और अन्य वन सम्पत्ति की चोरी और तस्करी के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों में 56 हाथियों को मारे जाने की सूचना मिली है। वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

1983—84	30
1984—85	10
1985—86	16

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाना है ।

विवरण

हाथियों को मारने और चन्दन की लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है। संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय हथियारों के हाथी दांतों के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा तथा अधिनियम के प्रावधानों से हाथीदांत के आयात के लिए जो छूट दी गई थी उसे वापिस ले लिया गया है।

2. अफ्रीका मूल के हाथीदांतों के व्यापार और उत्पादन के लिए लाइसेंस पद्धति आरम्भ की गई है।

3. अफ्रीकी मूल के हाथीदांतों से तैयार वस्तुओं के आयात और पुनः निर्यात को प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

4. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को हाथीदांत की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के उनके प्रयासों में सहायता के लिए चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार का विरोध करने के लिए अपेक्षित पूंजी परिव्यय पर केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच 50% लागत अंशदान के आधार पर एक नई योजना आरम्भ की गई है, जिनके लिए सातवीं योजना के लिए 110.00 लाख रुपये का योजना प्रावधान है। कर्नाटक 1986-87 के लिए इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6.00 रुपये प्राप्त करेगा।

5. केन्द्रीय वन्यजीव प्रभाग को सुदृढ़ बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य वन्यजीवों की मदों के अवैध व्यापार को रोकना और वन्यजीव कानूनों को लागू करना है।

6. तीनों दक्षिणी राज्यों में चोरी-छिपे शिकार करने की समस्या के नियंत्रण के लिए निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, भारत सरकार द्वारा इन तीन राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों की एक बैठक आयोजित की गई थी तथा कुशल अन्तर्राज्यीय समन्वय के लिए चोरी-छिपे शिकार के नियंत्रण के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, भारत सरकार के सम्बन्धित मुख्य वन्यजीव वार्डन शामिल हैं। इसकी बैठकें समय-समय पर होंगी।

7. राज्यों को विशेषरूप से चयनित महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान वनों की सुरक्षा के लिए जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एक नई केन्द्रीय परियोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, केन्द्रीय परिव्यय की अनुमोदित मदों पर 50% निधियां प्रदान करेगी। चालू योजना अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के एकक-एक की मरम्मत

* 33. श्री मूलचन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के एकक-एक में मरम्मत-कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई और इसमें बार-बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ने के क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, एकक-एक, अधिकतम कितनी अवधि के लिए बन्द रहा ; और

(घ) एकक-एक में प्रशासनिक तथा अनुरक्षण पर क्रमश: प्रति वर्ष औसतन कितनी धनराशि व्यय होती है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर, कोटा के पहले यूनिट की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में 109 लाख रुपये व्यय हुए हैं। एंड-शील्डों में दरारें पड़ने के कारण इसकी जल्दी-जल्दी मरम्मत करना आवश्यक हो गया था।

(ख) तथा (ग) जहां तक क्षमता-गुणक का सम्बन्ध है पिछले तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन की औसत प्रतिशतता क्रमश: 0.0%, 4.0% तथा 9.0% रही है।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट पर पिछले तीन वर्षों में प्रशासनिक तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए औसतन क्रमश: 140 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपए व्यय हुए हैं।

"कर्नाटक में वन-रोपण"

* 34. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में, वन-रोपण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में क्या बाधायें आ रही हैं ;

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :—

(1) धनराशि की कमी, (2) अनुपयुक्त ढांचा, (3) विभिन्न सामाजिक वानिकी स्कीमों के बीच समन्वय का अभाव, (4) निर्धन ग्रामीणों को वृक्षारोपण का कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करने में कानूनी और प्रशासनिक रुकावटें, (5) इस कार्यक्रम में जन सहयोग में बढ़ावा देने के लिए सक्रिय स्वयंसेवी अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य विकेन्द्रीकृत संरचनाओं का अभाव, (6) सामाजिक वानिकी गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा प्रोत्साहन कार्यकलापों का अभाव।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का 25% सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित किया गया है।

(2) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को धनराशियों के प्रवाह को समन्वित करने के लिए और विभिन्न वनरोपण स्कीमों के अन्तर्गत गतिविधियों और ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए मोडल एजेंसी/तंत्र सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(3) परती भूमियां शीघ्र उपलब्ध करवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृक्षारोपण से होने वाला आर्थिक लाभ ग्रामीण निर्धनों को मिलेगा। राज्यों को सलाह दी गई है कि भूमि धारण कानूनों और वन कानूनों में संशोधन किया जाए।

(4) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि सरकारी परती भूमियां ग्रामीण निर्धनों, वन आधारित उद्योगों, वन विकास निगमों और संगठित वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों को पट्टे पर दी जाए।

(5) वनरोपण और सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है।

(6) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि विकेन्द्रीकृत जनता की नर्सरियों और जनरोपण को प्रोत्साहन दिया जाए।

(ग) कार्यक्रमों में जन-सहयोग बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने विकेन्द्रीकृत जनता की नर्सरियों और स्कूल नर्सरियों को बढ़ावा देने का एक विशाल कार्यक्रम हाथ में ले लिया है।

"गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से औषधीय जड़ी-बूटियों का संरक्षण"

* 35. श्री टी० बशीर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि रोक लगाये जाने के बावजूद,

भ्रष्ट व्यापारी गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ क्षेत्र से जंगल में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों की कटाई कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इस कटाई के कारण पर्याप्त परिस्थितिकीय हानि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जड़ी-बूटियों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह बात ध्यान में आयी है कि गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ क्षेत्र में औषधीय जड़ी-बूटियों की कुछ प्रजातियों को उनके मूल प्राकृतिक स्थलों से हटाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय क्षति हो सकती है। इसको रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) तुंगनाथ क्षेत्र केदारनाथ अभयारण्य के अन्तर्गत आता है। तद्नुसार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वनस्पतिजातों और प्राणिजातों को सुरक्षा प्राप्त है।

(ख) कुछ प्रजातियों की संख्या में कृत्रिम वृद्धि की जा रही है और बाद में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और गढ़वाल विश्वविद्यालय के हाई एस्टीट्यूड फिजिलोजी सेंटर द्वारा इनका पुनर्वास और प्रजनन किया जाएगा।

(ग) प्राणिजातों और वनस्पतिजातों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी समझौते के अन्तर्गत पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य की अनुमति नहीं है।

(घ) राज्य द्वारा प्रतिबन्ध को अधिक कड़ाई से लागू करना।

वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट/प्लेयर रंगीन टेलीविजन परियोजनाओं पर विदेशी मुद्रा का व्यय

* 36. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर के निर्माण पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय होती है :

(ख) यदि हा, तो क्या रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण पर भी अत्यधिक विदेशी मुद्रा व्यय होती है :

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर परियोजनाओं और रंगीन टेलीविजन सेटों के पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) : जी, हां।

(ख) तथा (ग) कैलेण्डर वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान अनुमोदित इकाइयों द्वारा संयोजित वी. सी. आर. /वी. सी. पी. में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों के आयात पर लगभग 84 लाख अमरीकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

कैलेण्डर वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान रंगीन दूरदर्शन में प्रयुक्त होने वाले संघक-पुर्जों के आयात पर लगभग 1155 लाख अमरीकी डालर के बराबर विदेशी-मुद्रा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

करतारपुर में एक पूजा-स्थल में शक्तिशाली ट्रान्समीटर का पाया जाना

* 37. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि जिस शक्तिशाली ट्रान्समीटर ने पंजाब पुलिस संचार व्यवस्था को अवरूद्ध कर दिया था तथा जिसके कारण 30 सितम्बर, 1986 को अमृतसर में सभी पुलिस बेतार संचार प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई थी, उसे पाकिस्तानी क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर अन्दर एक पूजा स्थल के निकट स्थित पाया गया है :

(ख) क्या सेना को ट्रान्समीटर के स्थान का पता लगाने के लिए कहा गया था :

(ग) यदि हां, तो उनके प्रयास का क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसका पता लगाने में असफल रहने के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य जांच की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) घटनास्थल पर जांच करने के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल भेजा गया था। अब तक किसी अवैध ट्रान्समीटर का पता नहीं लगा है।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक की हत्या का प्रयास

* 38. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उग्रवादियों द्वारा पंजाब पुलिस के महानिदेशक श्री जे० एफ० रिबेरो की पंजाब सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में हत्या का प्रयास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्र सरकार आतंकवादियों द्वारा श्री रिबेरो पर किए गए आक्रमण की निन्दा करती है । सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है ।

विमान दुर्घटनाएं

*39. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रक्षा सेवाओं के हेलीकाप्टरों और अन्य विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) क्या ऐसी एक दुर्घटना अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें पांच व्यक्तियों को मृत्यु हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० शिवराज पाटिल) : (क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान हेलीकाप्टर-दुर्घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है लेकिन विमान दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ।

(ख) जी, हां । 15 सितम्बर, 1986 को पश्चिम क्षेत्र में एक चेतक हेलीकाप्टर दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था जिसमें दो पायलटों एवं तीन ग्राउण्ड कर्मियों की मृत्यु हो गई ।

(ग) विमान दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवभूल, तकनीकी खराबियां और पक्षियों से टकरा जाना पाये गए हैं ।

मानव भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की दृष्टि से पायलटों के लिए रखी गई प्रशिक्षण योजना संशोधित कर दी गई है ; प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में यंत्रों के सम्बन्ध में तथा रात की उड़ानों के सम्बन्ध में विशेष रूप से पुनरीक्षण किया गया है और इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों पर कड़ाई से नजर रखी जाती है । पायलटों के मूल्यांकन और उनके श्रेणीकरण की प्रक्रिया भी पुनरीक्षित की जा रही है । सैनिक पायलटों के उड़ान के प्रति रुझान तथा मानसिक क्षमताओं का पता लगाने के लिए उनके चयन सम्बन्धी परीक्षाओं के स्तर में संशोधन किया जा रहा है ।

तकनीकी खराबियों के कारण, जैसे विमान के डिजाइन या उनके निर्माण सम्बन्धी कमियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए विमान निर्माताओं से विचार-विमर्श किया जाता है ताकि जब इन कारणों का पक्का पता चल जाए तो विमान में संशोधन का काम शुरू किया जा सके। विमान की सर्विस में होने वाली भूलों को कम करने की दृष्टि से विंग अनुरक्षण संगठन को पुनर्गठित किया गया है और वहां अप्रशिक्षित तकनीशियनों का प्रतिशत कम कर दिया गया है। विमान की सर्विस तथा मरम्मत के काम के लिए अनुभवी पर्यवेक्षक कार्यभारी अधिकारी के रूप में तैनात किए गये हैं और विशिष्ट विमान की सर्विस के लिए तकनीशियनों के दल गठित किए गए हैं। इन विशिष्ट विमानों के लिए तकनीकी किस्म के प्रशिक्षण स्कूल भी खोले जा रहे हैं।

पक्षियों से होने वाले खतरों से बचने के लिए प्रायोगिक आधार पर चुने हुए हवाई अड्डों में विमान दौड़ पट्टी के आस-पास के क्षेत्रों में पक्षियों को नष्ट करने के लिए कुछ दल गठित किये गए हैं। कुछ हवाई अड्डों में, जहां पक्षियों की संख्या खासकर अधिक है, सफाई की बेहतर व्यवस्था करके अब घास लगाकर और इमारतों में इस प्रकार सुधार करके कि वहां कबूतर आदि न जा पाएं, पक्षियों की संख्या कम करने के उपाय भी किये गए हैं।

प्रत्येक विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच अदालत द्वारा जांच की जाती है। जांच अदालत के निष्कर्षों और सिफारिशों की विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद उपचार सम्बन्धी कार्रवाई की जाती है जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ न होने पाएँ।

मन्त्रालयों में लोक शिकायत कक्ष

*40. श्री के० कुञ्जम्बु
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मन्त्रालयों में लोक शिकायत कक्षों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) लोक शिकायतों को निपटाने की व्यवस्था प्रायः सभी मंत्रालयों/विभागों में कर दी गई है। इसमें, मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाना तथा उन मंत्रालयों/विभागों में, जिनका

कि जनता से काफी अधिक वास्ता पड़ता है, विशेष उपायों का अपनाया जाना, शामिल है। कतिपय मंत्रालयों में दिये गए उपाय नीचे दिये गए हैं :

(i) **रेल मन्त्रालय** :

प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए डिवीजन, जोन और बोर्ड स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त मन्त्रालय ने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर लोक शिकायत बूथ स्थापित किए हैं।

(ii) **वार्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)** :

–एक केन्द्रीय ग्राहक सेवा योजना जो प्रारम्भ में दिल्ली में चलाई गई थी अब 22 शहरों में चल रही है। शिकायतों को निपटाने के लिए 3 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी शिकायत का निपटान एक माह के भीतर नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता सचिव (बैंकिंग) से सम्पर्क कर सकता है।

–प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपना तन्त्र स्थापित कर रखा है। प्रत्येक शाखा में शिकायत पुस्तिकायें रखी जाती हैं और अपेक्षतया बड़ी शाखाओं में "सहायता केन्द्र" खोले गए हैं।

–प्रत्येक माह की 15 तारीख को सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी जनता की शिकायतों को सुनने तथा उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

(iii) **दूर संचार विभाग** :

–उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक "सिंगल विण्डो" स्कीम शुरू की गई है।

–शिकायतों के निपटान के लिए, महानिदेशालय/जिला/सर्किल/क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को पदनामित किया गया है।

(iv) **डाक विभाग** :

–राजपत्रित डाकघरों में पोस्ट मास्टर के नियंत्रण में प्रकाशन शाखा में एक पर्यवेक्षक द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। सुझाव और शिकायत पुस्तिकायें डाकघरों के पूछताछ काउण्टरों पर उपलब्ध कराई गई हैं।

–डिवीजन स्तर पर एक शिकायत निरीक्षक, मण्डल अधीक्षक के समग्र नियंत्रणाधीन, शाखा का प्रभारी होता है।

–क्षेत्रीय स्तर पर एक सहायक अधीक्षक अथवा जांच निरीक्षक को, क्षेत्रीय निदेशक देख-रेख में, कार्य करने के लिए लगाया गया है।

–परिमण्डलों में, सहायक पोस्ट मास्टर जनरल परिमण्डल शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करता है ।

(v) **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय :**

–स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन अस्पतालों में चिकित्सीय देखभाल सम्बन्धी प्रसुविधाओं से सम्बन्धित शिकायतों को निपटाने के लिये एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

–आम जनता को तत्काल समाधान प्रदान करने की दृष्टि से अस्पतालों ने शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित किया है ।

–मन्त्रालय में एक अधिकारी को निदेशक लोक शिकायत के रूप में पदनामित किया गया है ।

(vi) **शहरी विकास मन्त्रालय :**

–सम्पदा निदेशालय, हुडको, मुद्रण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रीजनल स्टेशनरी डिपो, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि और विकास कार्यालय में शिकायत कक्षों की स्थापना की गई है ।

–दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिवसों को जनता की सुनवाई करने की एक प्रणाली लागू की गई है ।

(vii) **राजस्व विभाग :**

–मुख्यालय में लोक शिकायत का कार्य अपर सचिव (प्रशा०) और उप सचिव (प्रशा०) द्वारा देखा जाता है ।

–केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में, शिकायत कक्ष सीधे ही अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है।

–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने जनता की शिकायतों को निपटाने के लिए चार अधिकारियों को नामित किया है । ये चार अधिकारी हैं—निदेशक (सीमा शुल्क), उप सचिव (भू-सीमा शुल्क), उप सचिव (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

–समाहर्ता कार्यालयों/सीमाशुल्क गृहों में लोक शिकायत कक्षों/समितियों की स्थापना की गई है ।

–हवाई अड्डों पर, जहां अधिकारियों और यात्रियों का एक दूसरे के साथ बराबर वास्ता पड़ता रहता है, एक जन सम्पर्क अधिकारी को तैनात किया गया है ।

(ग) और (घ) कुछेक विभागों में शिकायत निवारण तंत्र की कार्यकुशलता का एक सीमित मूल्यांकन किया गया था। इससे पता चला था कि, जबकि शिकायतों के निवारण की आवश्यकता के लिए काफी जागरूकता थी फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि क्रियाविधि सम्बन्धी कमियों का पता लगाने के बजाय जिनसे कि विभिन्न शिकायतें उत्पन्न होती हैं, व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने की ओर अधिक प्रयास किये गए थे। जबकि व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के प्रयास बढ़ाए जाते रहेंगे फिर भी मन्त्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए पद्धतियों और प्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने की ओर विशेष ध्यान दें।

लक्षद्वीप में दिहाड़ी श्रमिकों को नियमित करना

222. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप, प्रशासन में विभाग वार कितने दिहाड़ी श्रमिक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) 3 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर दैनिक वेतन पर काम कर रहे श्रमिकों की विभागवार संख्या कितनी है;

(ग) यदि पद खाली पड़े हुए हैं, तो भी उन्हें सेवा में न खपाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कोई पद रिक्त नहीं है, तो उनके लिए नए पदों का सृजन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि श्रमिकों को इतनी लम्बी अवधि तक कार्य आवश्यकता के आधार पर लगाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी पादरी

223. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विदेशी पादरी है जो भारतीय नागरिक बन गए है और इस सम्बन्ध में कितने आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) विदेशी नागरिकों के भारत में रहने की अनुमति की स्वीकृत के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार द्वारा अब तक 34 विदेशी पादरियों/बौद्ध भिक्षुओं/पुजारियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, परन्तु नागरिकता अधिनियम तथा नियमों के तहत, हर प्रकार से पूरा कोई आवेदन केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) विदेशी पादरियों के भारत में लगातार ठहरने के मामलों पर गुणावगुण के आधार पर तथा पूर्णतः विदेशियों से सम्बन्धित कानूनों के अनुसार विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण

224. श्री सैयद मंसूबल हुसैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड ने एक स्वदेशी लड़ाकू विमान अर्थात् एच. एफ-24 (मारूत), जो 15 वर्षों से अधिक समय से उपयोग किया जा रहा है; का डिजायन तैयार किया है और उसका निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स द्वारा हल्के लड़ाकू विमान का वर्तमान शताब्दी के अन्तिम दशक के मध्य तक निर्माण आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लागू नहीं होता।

समुदाय के आधार पर भर्ती के बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद में चर्चा

226. श्री आर० एस० माने : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद ने सितम्बर, 1986 में हुई अपनी बैठक में समुदाय के आधार पर भर्ती की नीति के विषय में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) ऐसे अल्प संख्यक समुदायों के नाम क्या हैं; और

(घ) परिषद द्वारा इन समुदायों के कल्याण के लिए क्या विशेष उपायों का सुझाव दिया गया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद ने 12 सितम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस बल को शामिल करते हुए विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधान मंत्री ने किसी समूह के लिए कोई प्रतिशत नियत किए बिना निष्पक्ष पुलिस बल रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जो राष्ट्रीयन राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पांच धार्मिक अल्प-संख्यक समुदाय हैं।

7 अप्रैल 1986 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधान मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि :

"जब हम अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं उसके अनुसार तस्वीर बदल जाती है। एक भाग में बहुसंख्यक दूसरे भाग में अल्पसंख्यक हो सकते हैं और इसका प्रभाव एक सा है। अल्पसंख्यक भय महसूस करते हैं और ऐसे सभी क्षेत्रों में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को विश्वास देना चाहिए।"

राष्ट्रीय एकता परिषद ने 15 सूत्री कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्रवाई पर जोर दिया है।

एटोमिक पावर रिएक्टर की सुरक्षा के लिए पुनरीक्षा दल की स्थापना

227. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा बोर्ड ने एटोमिक पावर रिएक्टरों की सुरक्षा के लिये एक पुनरीक्षा दल का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दल के मुख्य लक्ष्य क्या हैं तथा इस दल के निदेश पद क्या हैं इसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) इस दल की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) चेरनोबिल की दुर्घटना के सन्दर्भ में, भारत में लगे परमाणु विद्युत रिएक्टरों की सुरक्षा सम्बन्धी विशिष्टियों की समीक्षा गहराई से करने के लिए अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों का एक वर्ग गठित किया गया है।

(ग) आशा है कि यह वर्ग अपनी पहली रिपोर्ट दिसम्बर, 1986 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा।

हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण में प्रगति

228. **श्री रेणुपद दास**
श्री हरीश रावत } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्तिम दशक में हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए सम्भाव्य अध्ययन पूरा कर लिया गया है और हल्के लड़ाकू विमान के लिए वायु सेना कर्मचारियों की आवश्यकता को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हल्के लड़ाकू विमान पर संभाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। वायुसेना के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस समय परियोजना की परिभाषा चरण का काम चल रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) हल्का लड़ाकू विमान एक बहु-भूमिका वाला विमान होगा जिसमें "स्टेट आफ आर्ट" प्रौद्योगिकियों का समावेश होगा। यह विमान छोटे आकार का और हल्के वजन का होगा तथा इसकी उच्च कार्यनिष्पादन क्षमता होगी।

त्रिपुरा में चकमा शरणार्थियों का आगमन

*229. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1986 के अन्त तक त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले चकमा शरणार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) बंगलादेश लौटने वाले चकमाओं की संख्या क्या है;

(ग) इन शरणार्थियों पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) राज्य सरकार को अभी तक कितनी वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी गई है; और

(ङ) राज्य सरकार ने इस अतिरिक्त बोझ के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि की मांग की है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) 31 अगस्त, 1986 तक त्रिपुरा में 27,225 जनजातीय शरणार्थियों ने प्रवेश किया ।

(ख) उपर्युक्त के अलावा 21,208 जनजातीय शरणार्थियों को, जिन्होंने उस तारीख तक त्रिपुरा में प्रविष्ट होने की कोशिश की थी, बंगलादेश वापस भेजा गया ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1986 तक चकमा जनजातीय शरणार्थियों पर किया गया व्यय लगभग 93.62 लाख रुपये था।

(घ) अब तक राज्य सरकार को 133 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

(ङ) इस अतिरिक्त भार के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 142 लाख रुपए की धन राशि मांगी थी ।

पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव

230. **श्री आनन्द पाठक**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने पूर्वी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, स्थलों का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया है कि वे स्थल परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए सीमा तक उपयुक्त हैं ।

(ग) स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय परियोजनाओं पर निगरानी

231. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई रेलवे लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पनबिजली उत्पादन/सिंचाई सम्बन्धी उन परियोजनाओं पर निगरानी रखी है और उनका पुनरीक्षण किया है जो योजना आयोग द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में माने गए राज्यों में छठी योजना के समय से निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से ऐसी प्रत्येक परियोजना का नाम क्या है जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है और उनसे सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं की कार्यान्विति के बारे में हुई वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में की गई निगरानी और समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या इन योजनाओं की कार्यान्विति को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि कम से कम सातवीं योजना के अन्त तक इन्हें पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सातवीं योजना के दौरान इन राज्यों में आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बीस करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली नई रेल लाइन राष्ट्रीय राजपथ और पन बिजली उत्पादन/सिंचाई आदि समेत चालू केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जाता है।

(ख) और (ग) छठी योजना से विशेष श्रेणी के राज्यों में कार्यान्वयनाधीन 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजपथ और सिंचाई क्षेत्रक की कोई परियोजना नहीं है। रेल लाइन परियोजना के सम्बन्ध में पांच राज्यों की सूचना और पन बिजली परियोजना के संबंध में तीन राज्यों की सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। विवरण पत्र में नहीं दिए गए राज्यों में कार्यान्वयनाधीन कोई रेल लाईन और पन बिजली परियोजना नहीं है।

(घ) सरकार, परियोजनाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए कार्यवाही कर रही है ताकि और विलम्ब न हो। सरकार इन राज्यों में आधारी संरचना क्षेत्रक के विकास के लिए राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों को भी सहायता दे रही है।

विवरण

रेलवे परियोजनाओं की सूची

नाम	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	विशेष
असम			
सिल्चर जिरीबम एम० जी० लाईन (मणिपुर में भी)	49	32.25	सितम्बर 1986 तक 41% कार्य पूरा किया गया। प्राथमिक कार्य सातवीं योजना में पूरा होने की संभावना।
2. लाला बाजार मेरा बी० एम० जी० लाईन	48	31.38	मिजोरम में भी, सितम्बर, 1986 तक 46% कार्य पूरा किया गया। प्राथमिक कार्य, सातवीं योजना में पूरा होने की संभावना।
3. ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल और जोगी घोपा से गोहाटी तक बी० जी० लाईन	143	190.00	सितम्बर, 1986 तक एक प्रतिशत कार्य पूरा किया गया।
त्रिपुरा			
4. धर्मनगर-कुमारघाट एम० जी० लाईन	33	35.25	सितम्बर, 1986 तक 66% कार्य पूरा किया गया। 22 कि० मी० खोला गया। प्राथमिक कार्य, सातवीं योजना में पूरा होने की संभावना।
हिमाचल प्रदेश (पंजाब में भी)			
5. नांगल डैम-तलवाड़ा बी० जी० लाईन। मुकेरियन की ओर से तलवाड़ा तक।	113	98.00	सितम्बर, 1986 तक 6% कार्य की प्रगति। 7 कि० मी० पूरा किया गया।
जम्मू-कश्मीर			
6. जम्मूतवी—उधमपुर बी० जी० लाईन	53	68.68	सितम्बर, 1986 तक 6% कार्य की प्रगति।

पन बिजली परियोजनाओं की सूची

नाम	क्षमता (मे० वा०)	लागत (करोड़ रुपये) मूल	अब प्रत्याशित	चालू करने की तारीख अब प्रत्याशित	मूल	विशेष
असम						
1. कोपिली I और II (निपको)	100	56.77	212.00	12/82	7/87	50 मैगावाट चालू की गई क्षमता के अतिरिक्त 22/9/86 को ट्यूनर के बैठ जाने से परियोजना को धक्का लगा ।
2. डोयंग (निपको)	105	96.31	138.17	7/92	7/92	भूमि अभिग्रहण की कठिनाई का सामना करना पड़ा और तकनीकी प्राचल में विलम्बित परियोजना कार्य को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ।
हिमाचल प्रदेश						
चमेरा	540	809.29	827.23	3/90	3/90	——
जम्मू और कश्मीर						
सलाल; I, II और III (345 अनुमोदित)	690	55.15	567.34	6/79(1)	3/87	अभिकल्प और विषय क्षेत्र में परिवर्तन, प्रतिकूल हालत और ठेकेदारों द्वारा विलम्ब ।
3. दुलहस्ती	360	161.72	367.50	1/91	12/91	द्विपक्षीय वित्तीय कार्यविधि में कठिनाई ।

उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए औद्योगिक योजना

232. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई औद्योगिक योजनाएं और वर्तमान औद्योगिक यूनिटों के विस्तार की योजनाएं शामिल की गई हैं ; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए आबंटित धनराशि का योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) (क) और (ख) पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल केंद्रीय और राज्य औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम और परिव्ययों के विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० टी०-3147/1986]

अमरीका से सुपर कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव

233. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से एक सुपर कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव अब भी सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या अमरीकी सरकार भारत को सुपर कम्प्यूटर बेचने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुपर कम्प्यूटर कब तक प्राप्त हो जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महा सागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भारत को सैद्धांतिक रूप से सुपर कम्प्यूटर बेचने के लिए सहमत हो गई है। किन्तु सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने से संबंधित शर्तों एवं निबन्धों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मिजो विद्रोहियों द्वारा हथियारों का समर्पण

234. **श्री हम्मान्न ओल्लाह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो समझौते के पश्चात कितने मिजो विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है ?

(ख) उनके द्वारा समर्पित शस्त्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन विद्रोहियों ने सभी शस्त्रों और हथियारों को समर्पित कर दिया है ।

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) मिजो नेशनल फ्रंट के 534 सदस्य (परिवारों के 154 सदस्यों को छोड़कर) बाहर आ गए हैं ।

(ख) और (ग) मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा सरकार को दी गई सूचना के अनुसार मिजो नेशनल फ्रंट ने सभी शस्त्र जमा करा दिये हैं । 214 हथियार जमा कराये गए हैं जिनमें लाइट मशीन गनें, सब मशीन गनें, सैल्फ लोडिंग राइफलें, अद्ध-स्वचालित राइफलें, .303 राइफलें, राकेट, लांचर, 12 बोर गनें इत्यादि शामिल हैं । 20,280 राऊण्ड गोलाबारूद, 25 हथगोले तथा तीन वायरलैस सैट भी जमा कराए गए हैं ।

आंध्र प्रदेश में आयुध कारखाने की स्थापना

235. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के चिलाकम्पालेम ; श्री काकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक आयुध निर्माणी की स्थापना की सम्भावना के संबंध में आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों को अपने यहां उपयुक्त स्थान सुझाने के लिए कहा गया था । आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले में एक स्थान सहित कुछ स्थानों की पेशकश की है । इन स्थानों का "स्थान चयन समिति" ने दौरा किया है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्य स्थानों के साथ-साथ इन स्थानों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

236. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा संचलित कितने क्षेत्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित किये गये हैं और किन-किन स्थानों में स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन० आई० सी०) के दक्षिण क्षेत्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क के स्थापित किये जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत का और इसके अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के नेटवर्क को राज्यवार स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो केरल राज्य के लिये कब तक नेटवर्क स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा कम्प्यूटरीकरण विस्तार के संबंध में शुरू किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत, दिल्ली, पुणे भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में सुपर/बड़े कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किए गए/जा रहे हैं। दिल्ली तथा पुणे की कम्प्यूटर प्रणालियों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख), जी हां। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र का दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क (निकनेट) के विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने सातवीं योजना में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान के लिए 62 करोड़ रु० का प्रावधान किया है, जिसमें इन प्रणालियों को प्रतिष्ठापित करने और क्षेत्रीय केन्द्रों, राज्यों में स्थापित कम्प्यूटरों तथा जिला स्तरीय पर स्थापित कुछ कम्प्यूटर केन्द्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य शामिल है। सूचना-प्रणालियों को सगठित करके उनका विकास करने के कार्य में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। साथ ही, आंकड़ों का कम्प्यूटर पर आधारित विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करना और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम्प्यूटर के प्रयोग तथा प्रणाली-विश्लेषण की पद्धतियों पर प्रशिक्षण देना भी राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र का उद्देश्य है।

(घ) यदि पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) सभी राज्यों का राजधानियों में सुपर-मिनी-कम्प्यूटर तथा सभी जिला मुख्यालयों में (ए० टी०) किस्म के वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करेगा। इन सभी कम्प्यूटरों को उपग्रह संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। केवल राज्य की प्रणाली नवम्बर 1986 में प्रतिष्ठापित कर दी जाएगी। समूचे नेटवर्क के दिसम्बर, 1987 तक चालू हो जाने की संभावना है।

वैमानिकी इंजीनियरी विभाग की स्थापना

237. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश के बोलरम नामक स्थान पर स्थित मिलिटरी कालेज आफ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स (एम० सी० ई० एम० ई०) में एक वैमानिकी इंजीनियरी विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

238. **श्री के० मोहन दास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी रोजगार दिया जाना है ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केरल के जिला सैनिक बोर्डों से प्राप्त विवरणियों के अनुसार उनके रजिस्टर में 30 जून, 1986 को भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 27,440 थी । लेकिन इसमें वे भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं जिन्होंने बेहतर रोजगार के लिए अपने नामों को पंजीकृत कराया है और पंजीकरण के पश्चात् जिन्होंने रोजगार तो प्राप्त कर लिया लेकिन जिला सैनिक बोर्डों को इस बात की सूचना नहीं दी है जिससे कि बोर्डों के रजिस्टरों से उनके नामों को हटाया जा सके ।

(ख) राज्य सरकार को समय-समय पर कहा गया है कि यथासंभव अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाए । केरल सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के काम में प्रगति लाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) उनको सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कम्पनियों एवं सरकारी नौकरियों की कुछ श्रेणियों में श्रेणी (iii) एवं श्रेणी (iv) के पदों पर नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाती है । इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणियों के पदों को केवल भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ही ही भरा जाता है । भूतपूर्व सैनिकों को आयु एवं शैक्षणिक अर्हता में छूट दी जा रही है ।

(ii) युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को सामान्य भर्ती नियमों में छूट देकर रोजगार सुविधाएं दी जा रही हैं। जिन कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और यदि मृत्यु सेवा के कारण होती है तो राज्य सरकार उनकी पत्नियों/आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करती है।

(iii) श्रेणी i और ii में भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त पदों पर पता लगाया जा रहा है।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानों का आरक्षण करके, फुटकर विक्रेता के रूप में उन्हें प्राथमिकता देकर और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के लिए मत्स्य उद्योग विभाग के नौका निर्माण कारखानों में बनाई गई मोटर चालित नावों का आरक्षण करके उन्हें स्वः रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को जय जवान स्टालों का भी आबंटन किया गया है और उनके लिए औद्योगिक प्लाटों/शैडों का आरक्षण भी है।

बालियापाल (उड़ीसा) में प्रक्षेपास्त्र अभ्यास केन्द्र

239. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालियापाल (उड़ीसा) में देश का पहला प्रक्षेपास्त्र अभ्यास केन्द्र स्थापित करने की दिशा मे कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस परियोजना को समय पर चालू कर दिया जायेगा अथवा इसमें विलंब होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परियोजना के लिए आगे बढ़ो (गो-अहैड) मंजूरी दे दी गयी है यहां से विस्थापित किए जाने वाले लोगों के लिए पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की व्यापक योजनाएं बना ली गयी हैं तथा उनको उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विस्थापित परिवारों को आस-पास स्थापित किए जाने वाले आदर्श गांवों में बसाने का प्रस्ताव है जहां मूल सुविधाएं तथा सामाजिक-आर्थिक ढांचा भी स्थापित किया जाएगा। पुनर्वास योजना के एक भाग के रूप में औद्योगिक एवं स्वः रोजगार की कई योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जा सके। भारत सरकार पुनः स्थापन योजनाओं के लिए धन एवं पुनर्वास योजनाओं के लिए अपेक्षित निवेश-धन की व्यवस्था करेगी। अब तक इन पुनःस्थापन/पुनर्वास योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को 13.925 करोड़ रुपयों की पहले ही अदायगी की जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस परियोजना और पुनः स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा घोषित कर दिया है।

(ख) परियोजना को समय पर चालू किए जाने की संभावना है।

नदियों में प्रदूषण

240. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के कार्य में स्वैच्छिक ऐजेंसियों को शामिल करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : नदियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को सम्मिलित करने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं बनाई गयी है। फिर भी, गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत, जन जागरूकता उत्पन्न करने एवं नदियों में प्रदूषण निवारण में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने में स्वैच्छिक अभिकरणों को सम्मिलित करने का प्रावधान है।

भारतीय नौसेना के लिए विमानों का निर्माण

241. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिये तेजी से हमला करने वाले पैट्रोल चालित विमानों के निर्माण के कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना के लिए तेजी से हमला करने वाले गश्ती विमान के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड डोरनियर विमान का लाइसेंस तो अन्तर्गत उत्पादन शुरू कर रहा है जिसका उपयोग समुद्रतटीय क्षेत्रों की टोह लेने के लिए किया जाएगा।

"उड़ीसा में वानस्पतिक और जीव वैज्ञानिक सर्वेक्षण

242. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में गन्धमर्दन वनक्षेत्र में तुष्प-पादपों, औषध उपयोग की वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के बारे में कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किये गये वानस्पतिक और जीववैज्ञानिक सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के इस क्षेत्र में पाये जाने वाले दुर्लभ जीवों के उचित अभिरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रमानुसार भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी० एस० आई०) एवं भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड० एस० आई०) द्वारा उड़ीसा में गन्धमर्दन वनक्षेत्र के वनस्पतिजात एवं प्राणिजातों के संबंध में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए गए।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी० एस० आई०) द्वारा किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, पुष्प पादपों की 2700 से अधिक प्रजातियां एवं औषध उपयोग की वनस्पतियों एवं जड़ी बूटियों की 150 प्रजातियों से अधिक प्रजातियां हैं।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा (जेड० एस० आई०) किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 26 प्रजातियां हैं। इनमें से कम से कम स्तनधारियों की सात प्रजातियां दुर्लभ एवं संकटापन्न हैं एवं वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सूची में सम्मिलित किया गया है।

केरल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नारायण जयन्ती पर छुट्टी घोषित करना

243. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से राज्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये श्री नारायण जयन्ती पर छुट्टी घोषित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) वर्ष 1986 के दौरान केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि इससे पहले के वर्षों में ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) विद्यमान छुट्टी नीति के अनुसार केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नारायण जयन्ती के अवसर पर छुट्टी घोषित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

असम को विशेष दर्जा

244. श्री जी० जी० स्वैल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम समझौते के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए असम को विशेष दर्जा देने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये संविधान की संबंधित धाराओं में संशोधन किया जा रहा है ; और

(ग) वे कौन सी धारायें हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) असम समझौते में असम के लिए विशेष दर्जे का उल्लेख नहीं है और न ही केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई वचन ही दिया है। इस तरह से असम को विशेष दर्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्द महासागर में रेडियोधर्मी खनिजों की खोज

245. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के तट-दूर समुद्री क्षेत्र में कितने तथा किन-किन स्थलों पर यूरेनियम सहित परमाणु खनिजों की खोज की जा रही है ;

(ख) क्या कोई आशाजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितना धन नियत किया गया ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस समय भारत के तट से दूर के समुद्री क्षेत्र में परमाणु खनिजों की, जिनमें यूरेनियम भी शामिल है, खोज नहीं की जा रही है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

[हिन्दी]

दिल्ली में डकैतियां

246. श्री राजकुमार राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1686 से 30 सितंबर, 1986 के दौरान दिल्ली में कुल कितनी डकैतियां हुई।

(ख) इनके परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) कितनी डकैतियों का पता लगा लिया गया है और कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनसे बरामद हुये माल का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 15 ;

(ख) (i) जन-हानि-11

(ii) सम्पत्ति का नुकसान-5,07,710 रु०

(ग) (i) पता लगाए गए मामले-11

(ii) पकड़े गए व्यक्ति-55

(iii) बरामद की गयी वस्तुओं की कीमत-3,91,180 रु०

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिकी उपकरणों के निर्यात पर जोर

247. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी उपकरणों के निर्यात पर जोर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं ; और

(ग) क्या इलेक्ट्रानिकी सामान की अपेक्षाकृत अधिक निर्माण लागत के कारण भारतीय इलेक्ट्रानिकी सामान प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेगा ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) यह सच है कि बहुत से इलेक्ट्रानिक उत्पादों के विनिर्माण पर आने वाली लागत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की अपेक्षा ऊंची है । किन्तु, यह आशा की जाती है कि हाल ही में किए गए वित्तीय, कर-सम्बन्धी तथा अन्य उपायों के कारण, कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रानिक वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतियोगिता का धीरे-धीरे मुकाबला करने योग्य हो जायेंगी ।

"उड़ीसा में वन-क्षेत्र"

248. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उड़ीसा में वर्तमान वन-क्षेत्र कितना है और गत तीन वर्षों के दौरान वन-क्षेत्रों में कितनी कमी आई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से वन-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएँ शुरू की हैं और इस सम्बन्ध में राज्य को योजनाओं के वित्त पोषण में भी सहयोग दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान वन-क्षेत्र के विस्तार के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को सहायता देने के लिए कितना केन्द्रीय आवण्टन किया गया है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं तथा वार्षिक उपलब्धि क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा राज्य में पंजीकृत वन-क्षेत्र 59,963 वर्ग किलोमीटर है । उपग्रही बिम्बावली के अन्वेषण से यह पता चलता है कि 1972-75 के दौरान 48,333 वर्ग किलोमीटर के तदनुरूप अनुमान के मुकाबले में 1980-82 के दौरान वास्तविक वन क्षेत्र 39,425 वर्ग किलोमीटर है ।

(ख) एवं (ग) जी, हां ।

ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई सहायता/प्रस्तावित परिव्यय

क्रम संख्या	स्कीम/कार्यक्रम	वर्ष में दी गई सहायता/प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपये में)				
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौध रोपण एवं पारि-संवेदनीय गैर-हिमालय क्षेत्रों का वनीकरण	94.62	120.00	90.00	90.00	90.00
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)	207.20	202.50			
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम आर० एल० ई० जी० पी०)	347.60	327.60	600.00	600.00	600.00
4.	सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०	49.00	—			

11. मौलिक सफलताएँ (बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत)

1985-86	—	1930 लाख पौध
1986-87 (सितम्बर 86 तक)	—	1670.55 लाख पौध

विश्व में परमाणु संयंत्रों को सुरक्षित बनाने की मांग

249. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस बात को दोहराया है कि विश्व में परमाणु संयंत्र सुरक्षित नहीं हैं और परमाणु सुरक्षा के सम्बन्ध में, विशेष रूप से विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच, अधिक सहयोग का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अग्रेतर कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, भारत का परमाणु सुरक्षा संबन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में सक्रियतापूर्वक भाग लेना जारी है और इस सम्बन्ध में हम इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी संबंधित राष्ट्रों में और अधिक सहयोग होना चाहिए।

कन्याकुमारी जिले में जरकोनियम का उपलब्ध होना

250. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल के वर्षों में कन्याकुमारी जिले में जरकोनियम डायो-ओक्साइड उपलब्ध होने के बारे में कोई खोज कार्य किया है ;

(ख) इस खनिज की उपलब्ध कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस खनिज को वाणिज्यिक आधार पर निकालने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) क्या कन्याकुमारी जिले में जरकोनियम डाई-ओक्साइड कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जरकोनियम का एक अयस्क जरकन देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इन भागों में तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला भी शामिल है। तमिलनाडु के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले आते हैं, अनुमानतः 68 लाख टन अयस्क के निक्षेप विद्यमान हैं।

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का मानवलाकुरिचि संयंत्र समुद्र तट की रेत को संसाधित करके वाणिज्यिक उपयोग के लिए जरकन का उत्पादन करता है।

(घ) जरकोनियम फैक्टरी लगाने के लिए देश के विभिन्न स्थलों के बारे में, जिनमें कन्याकुमारी जिला भी शामिल है, विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तैयार किया गया

15-सूत्री कार्यक्रम

251. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री सैयद शाहबुद्दीन
श्री आर० एस० भाने } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के निर्धारण का मानदंड क्या है क्योंकि एक जातीय सम्प्रदाय एक राज्य में बहुसंख्यक है तो दूसरे राज्य में वही सम्प्रदाय अल्पसंख्यक है ; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम में सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को शामिल किया गया है अथवा केवल कुछ को ही, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद ने, नवम्बर में हुई अपनी बैठक में, साम्प्रदायिक सौहार्दता और भावात्मक एकता के प्रश्न पर विचार किया था। बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा वांछित प्रगति के अनुरूप दिशा दिये गये थे। इन पर

आधारित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था और प्रधान मंत्री ने मई 1983 में 15 सूत्री कार्यक्रम के रूप में दिशा निर्देश जारी किए कार्यक्रम का एक विवरण संलग्न है।

प्रधान मंत्री ने अगस्त, 1985 में मुख्य मंत्रियों को लिखे गए अपने पत्र में 15 सूत्री निर्देशों को दोहराया। इन निर्देशों को आवश्यक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर पांच प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिम, सिख, इसाइयों, बौद्ध और जोरस्ट्रेटियनों पर लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 7 अप्रैल 1986 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि :

"जब हम अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के आधार पर स्थिति बदल जाती है। एक क्षेत्र में बहुसंख्यक दूसरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो सकते हैं और उसका प्रभाव समान है। अल्पसंख्यक ऐसे हरेक क्षेत्र में अपने आपको खतरे में महसूस करते हैं और बहुसंख्यकों को प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को विश्वास देना चाहिए।"

जहां तक 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संबंध है कल्याण मंत्रालय इस सम्बन्ध में प्रमुख मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक कल्याण और अल्पसंख्यक एकक में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहा है। कल्याण मंत्रालय इस मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है।

विवरण

I. साम्प्रदायिक दंगे :

1. राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि ज्ञात साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा प्रोन्नत जिलों में अधिक दक्षता वाले निष्पक्ष और धर्म निरपेक्ष पुलिस अधिकारियों को तैनात करें। इस प्रकार के क्षेत्रों में और अन्यत्र साम्प्रदायिक तनाव को रोकना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटी है। उनकी पदोन्नति के पहलुओं को निर्धारित करने के लिए, इस दिशा में उनका कार्य-निष्पादन एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए।

2. जिला और पुलिस अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में किए गये अच्छे काम के बदले में उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए।

3. साम्प्रदायिक तनाव को भड़काने वाले या हिंसा में भाग लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों को गठित किया जाए ताकि अपराधियों को तेजी से दण्ड दिया जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए उन्हें तत्काल और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

6. इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, साम्प्रदायिक सौहार्दता और शांति बहाल करने में रेडियो और दूर दर्शन को भी मदद करनी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी कुछ समाचार पत्र पक्षपातपूर्ण समाचार देने और आपत्तिजनक और उत्तेजक सामग्री प्रकाशित करते हैं जिससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक और अन्य सम्बन्धित व्यक्ति इस प्रकार की सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए कोई रास्ता निकालने में सहयोग करेंगे।

II. राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती :

8. पुलिस कार्मिकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से विचार करें। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों की संरचना प्रतिनिधित्व के आधार पर होनी चाहिए।

9. केन्द्र सरकार को भी, केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए।

10. रेल, राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बड़ी संख्या में रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाय।

11. बहुत से क्षेत्रों में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय, इस प्रकार की परीक्षाओं में समानान्तर आधार पर प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता करने के लिए शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। इस कमी से उनको उभारने में उनकी सहायता करने के लिए, इन परीक्षाओं में सफलता-पूर्वक प्रतिस्पर्द्धा करने के वास्ते व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में अनुशिक्षण कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जाएं।

12. जो आज पिछड़े हुए हैं उन अल्पसंख्यकों द्वारा तकनीकी कुशलता प्राप्त करने से राष्ट्रीय विकास में सहायता मिलेगी। बहुतायत अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों में सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा आई० टी० आई० और पोलेटेकनिक स्थापित करने के प्रबन्ध किए जाएं ताकि इन समुदायों के व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या को इन संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

III. अन्य उपाय :

13. 20 सूत्र कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन कार्यक्रमों से होने वाले लाभ उचित और पर्याप्त उपायों के रूप में अल्पसंख्यकों को प्राप्त हों। इस प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों के इन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाए।

14. जिन आम मुद्दों का मैंने यहां उल्लेख किया है उनके अलावा अनेक स्थानीय समस्याएं हैं जिससे अल्पसंख्यक अनावश्यक रूप से क्षुब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए वक्फ सम्पत्तियों, तथा कब्रिस्तान पर अतिक्रमण का कुछ स्थानों पर विरोध हुआ और कठिनाईयां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार की समस्याओं से तुरन्त और सन्तोषजनक आधार पर निपटने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

15. अल्प संख्यकों से संबंधित समस्याओं पर सतत आधार पर निपटा जाना चाहिए ताकि आशंकाओं को और वास्तविक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इस कार्य के लिए अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एकक गठित किया जाएगा।

मारे और पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या

252. **श्री कृष्ण सिंह**
श्री एच० वी० पाटिल
श्री शान्ति धारीवाल
श्री सोडे रमैया
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी का सामान लेकर अथवा अन्य कारणों से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दिया गया है अथवा पकड़ लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार महीनों के दौरान मारे गये अथवा पकड़े गये ऐसे घुसपैठियों की संख्या क्या है ;

(ग) उनसे किस प्रकार का माल जब्त किया गया उसकी मात्रा तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1-7-1986 से 29-10-1986 तक भारत-पाक सीमा पर 78 घुसपैठिए मारे गए और 53 गिरफ्तार किए गए।

(ग) उनसे जब्त किए गए सामान और उनके लगभग मूल्य के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क है। सीमा पर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए किए गये उपायों में सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करना, निगरानी बुर्जों का निर्माण और सीमा गश्त को अधिक गतिशील बनाना आदि शामिल हैं।

विवरण

जब्त किए गए सामान और उनके लगभग मूल्य का ब्यौरा

क्र० सं०	जब्त सामान की किस्म	जब्त सामान की मात्रा	लगभग मूल्य (रुपये में)
1.	हिरोइन	10 कि० ग्राम	30 लाख
2.	हशीश	400 ग्राम	1500/-
3.	वस्त्र	91 मीटर	1500/-
4.	घड़ियां	4	500/-
5.	भारतीय मुद्रा	2135/-रु०	2135/-
6.	पाकिस्तानी मुद्रा	1011/-रु०	1011/-
7.	विस्की	12 बोतल	700/-
8.	राइफल 303	एक	10,000/-
9.	12 बोर बन्दूक	एक	3,000/=
10.	12 बोर पिस्तोल	एक	500/=

जम्मू-कश्मीर में समाज-विरोधी गतिविधियां

253. श्री वी० तुलसीराम
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री एस० जयपाल रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर में समाज विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में समय-समय पर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रीय रहे हैं। केन्द्र सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और राज्य सरकार से उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोटा स्थित छावनी का स्थानांतरण

254. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का करोड़ रुपये की हानि उठाकर भी राजस्थान में कोटा स्थित छावनी का स्थानान्तरण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) नई छावनी की स्थापना में कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है इसके लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) कोटा में कोई छावनी नहीं है। हां, कुछ रक्षा यूनिटें वहां स्थित हैं।

इस समय इन यूनिटों को उनकी वर्तमान जगहों से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चेरनोबिल नाभिकीय परमाणु दुर्घटना का सोवियत संघ के दक्षिण भाग में प्रभाव

255. श्री एच० एम० पटेल
डा० जी० विजय रामा राव
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री मुरली देवरा } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग में चेरनोबिल में हुई दिल दहलाने वाली दुर्घटना पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या हमारे कुछ परमाणु संयंत्रों में ऐसी आंशिक पिघलने और विकिरण रिसाव दुर्घटनाओं की कोई संभावना है जिनमें बार-बार दिक्कतें आती रहती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हमारे परमाणु संयंत्रों में किसी रिएक्टर में दुर्घटना होने की स्थिति से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत के परमाणु बिजलीघरों के डिजायन चेरनोबिल बिजली घर के डिजायन से भिन्न हैं । हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों के डिजायन में सुरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था की गई है ताकि दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम रहे तथा यदि कोई दुर्घटना हो भी जाए तो उसका प्रभाव कम ही रहे । तथापि, चेरनोबिल में हुई दुर्घटना के बारे मे जो भी जानकारी मिली है उस सबका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि उससे उपयुक्त सबक लिए जा सकें और हमारे परमाणु बिजली घरों को सुरक्षित रूप से चलाया जा सके ।

प्रत्येक बिजलीघर में किसी रिएक्टर में दुर्घटना होने से उत्पन्न हो सकने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए गहन तथा विस्तृत योजनाएं अपनाई जाती हैं । इन योजनाओं में यह जानकारी रहती है कि आपात स्थिति में संयंत्र-स्थल पर और संयंत्र-स्थल से दूर के आबादी वाली क्षेत्रों के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए ।

"ध्रुव" का छोड़ा जाना दूसरी बरा स्थगित

256. **श्री एस० जयपाल रेड्डी**
श्री कमला प्रसाद सिंह } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ध्रुव" का छोड़ा जाना पुन: स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी तथा अंतरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) "ध्रुव" को अगस्त, 1985 में चालू किया गया था । इसकी सभी प्रणालियां काम कर रही हैं । इस रिएक्टर को 30-10-1986 को फिर चालू किया गया था और इसके विद्युत-स्तर को क्रमश: बढाकर उसकी अधिकतम सीमा तक ले जाया जा रहा है ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में मुख्य मंत्रियों की बैठक

257. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों की इन दो राज्यों के बीच चल रहे सीमा सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिए कोई बैठक हुई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) बताया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्री 29 सितम्बर, 1986 को बम्बई में मिले थे और उन्होंने दोनों राज्यों के बीच विवादास्पद क्षेत्रों में सभी विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का निर्णय किया।

कवलूर वेधशाला का विस्तार

258. **श्री ए० जैमोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कवलूर वेधशाला के विस्तार कार्यक्रम को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कवलूर वेधशाला में दूसरे टेलीस्कोपिक लेन्स लगाने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार इस परियोजना को कब शुरू करेगी और कब तक इसे पूरा करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवलूर वेधशाला के विस्तार के लिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के सभी प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। वेधशाला में छः वैज्ञानिक दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनके द्वारक (ऐपर्चर्स) 38 सैंटीमीटर से लेकर 234 सैंटीमीटर तक हैं। 234 सैंटीमीटर द्वारक वाली दूरबीन, जो एशिया में मौजूदा सबसे बड़ी दूरबीन है; अक्तूबर, 1985 में स्थापित की गई थी। इस दूरबीन के मुख्य फोकस को संचालित कर दिया गया है और अन्य दो फोक्सों को चालू पंचवर्षीय योजना में पूर्णतः प्रयोग में लाया जाएगा।

कर्नाटक और तमिलनाडु में भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा केन्द्र

259. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में भारतीय प्रशासन सेव/भारतीय पुलिस सेवा के लिए अलग-अलग कुल कितने परीक्षा केन्द्र थे ;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु से उपर्युक्त परीक्षाओं में अलग-अलग कितने उम्मीदवार शामिल हुये , और

(ग)वर्ष 1985 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में उपर्युक्त परीक्षाओं के आयोजन में कुल कितना व्यय हुआ ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० एस० ऐंग्ती) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विवरण में दर्शाई गई है ।

विवरण

कर्नाटक तथा तमिलनाडु में भा० प्र० से०/भा० पुसे० के परीक्षा केन्द्र

परीक्षा का नाम	कर्नाटक			तमिलनाडु		
	केन्द्रों की कुल संख्या (2)	प्रविष्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या	कुल व्यय*	केन्द्रों की कुल संख्या (2)	प्रविष्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या	कुल व्यय*
1. सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1985	1. बंगलौर (16 उपकेंद्र)	3093	रु० 33,326.10	1. मद्रास (22 उपकेन्द्र)	4476	रु० 50974.05
	2. धारवाड़ (6 उपकेन्द्र)	906	रु० 13,642.95	2. मदुराई (8 उपकेन्द्र)	1859	रु० 17765.10
2. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 1985	बंगलौर (2 उपकेन्द्र)	234	रु० 8,904.00	मद्रास (1 उपकेन्द्र)	334	व्यय विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

* ऊपर निर्दिष्ट किया गया व्यय केवल केन्द्र (केन्द्रों) के संचालन, जैसे केन्द्रों के पर्यवेक्षण, निरीक्षण व्यय तथा विविध व्यय आदि के लिए केन्द्र पर किये गये खर्चे से सम्बन्धित है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर, बम्बई में खराबी

260. डा० जी० विजय रामाराव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर, बम्बई में खराबी पैदा हो गई है जिसके कारण उसे बन्द करना पड़ा ;

(ख) देश में विभिन्न परमाणु संयंत्र अब तक कितनी बार बन्द हुए हैं ; और

(ग) क्या चेरनोबिल में उत्पन्न खतरों और सोवियत रूस की परमाणु अस्त्र पनडुब्बी के डूबने से उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार का ऊर्जा नीति की पुनरीक्षा करने और इसे पनबिजली ऊर्जा, जिसका इस समय भारी रूप से उपयोग किया जाता है, में बदलने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सूचना नीचे दी जा रही है ।

बिजलीघर	जिस वर्ष से वाणिज्यिक स्तर पर काम करना शुरू किया	वाणिज्यिक स्तर पर काम करना आरम्भ करने से लेकर बिजलीघर कितनी बार बन्द हुआ
1	2	3
तारापुर परमाणु बिलजीघर	पहला यूनिट नवम्बर, 1969	182
	दूसरा यूनिट	161
राजस्थान परमाणु बिजलीघर	पहला यूनिट दिसम्बर, 1973	193
	दूसरा यूनिट अप्रैल, 1981	85

1	2	3
मद्रास परमाणु बिजलीघर	पहला यूनिट जनवरी, 1984	48
	दूसरा यूनिट मार्च, 1986	19

* सितम्बर 1986 तक।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार यह उचित समझती है कि बिजली के सभी उपलब्ध और संभव स्रोतों–पन बिजली, ताप बिजली तथा परमाणु बिजली- को काम में लाया जाए। हमारे रिएक्टर चेरनोबिल किस्म के नहीं हैं। तथापि, रिएक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं।

अल्प संख्यक समुदायों के सम्बन्ध में डा० गोपाल सिंह पैनल की सिफारिशें

261. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) उक्त पैनल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन पर सरकार क्या निर्णय लिए हैं;

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) रिपोर्ट सभा पटल पर कब तक रख दी जायेगी ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त पैनल की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश में संगठनों द्वारा दान लिया जाना

262. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न गैर-सरकारी संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन दान प्राप्त करते हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ी जिलों में सक्रिय अनेक संगठन भी दान प्राप्त अधिनियम करते हैं और वे इस राशि का सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आदि चलाने में उपयोग करते हैं, और

(ग) यदि हां, तो विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम क्या हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें मिले धन का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उत्तर प्रदेश के इन पहाड़ी जिलों के कुछ संगठन विदेशी अंशदान प्राप्त कर रहे हैं। इन संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने में विदेशी अंशदान का प्रयोग किये जाने का कोई मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

[अनुवाद]

प्रशासन को कुशल बनाने सम्बन्धी उपायों की समीक्षा

263. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन को कुशल बनाने के विभिन्न उपाय शुरू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में परिणाम का पता लगाने के लिए कोई नई समीक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) जी, हां ।

(ख) की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) मंत्रालयों द्वारा, अपने कार्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करना और उपलब्ध परियोजनाओं को नियमित रूप से मानीटर करना ।

(ii) मामलों की विभिन्न श्रेणियों पर निर्णय लेने के लिए मन्त्रालयों द्वारा स्तरों का और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से मामलों के प्रस्तुत किये जाने के माध्यमों का निर्धारण तथा जवाबदेही का लागू किया जाना ।

(iii) भर्ती, प्रशिक्षण, चयन, कैरियर योजना, कार्मिकों के स्थानन की कार्यविधियों सहित, कार्मिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा ।

(iv) अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट के फार्मों में संशोधन किया जाना ताकि उनके मूल्यांकन को कार्यनिष्पादन से सम्बद्ध परिमाण और गुणवत्ता के पहलुओ से जोड़ा जा सके ।

(v) क्रियाविधि सम्बन्धी कमियों का पता लगाने और उपयुक्त उपचारी सुधार करने के साथ-साथ लोक शिकायतों को दूर करते के प्रयोजन से प्रशासन तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी रखना ।

(ग) और (घ) प्राप्त परिणामों की आवधिक पुनरीक्षा की गई है । बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 में प्रशासनिक सुधार के कुछेक अनिवार्य तत्वों को शामिल करके इसे और भी अधिक क्रमबद्ध बना दिया गया है ।

"सीमेंट उद्योग से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम"

264. **श्री बनवारी लाला पुरोहित** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों से होने वाले वायु-प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने के लिए देश की प्रमुख सीमेंट निर्माता एककों से हाल में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित सीमेंट निर्माताओं का विवरण क्या है ; और

(ग) सीमेंट कारखानों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी, हां ।

(ख) चर्चा का सम्बन्ध सीमेंट बनाने वाली इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विद्यमान स्थिति एवं सम्भावित उपायों से था । इस चर्चा में पांच मुख्य निर्माता ईकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ग) सीमेंट फैक्टरियों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—सीमेंट निर्माता ईकाइयों के लिए निस्सरण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

—प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (इलैक्ट्रोस्टेटिक अवक्षेपक) लगाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

—प्रदूषकों के परिक्षेपण के लिए कम से कम 30 मीटर की ऊँचाई वाली चिमनियां बनाने के लिए ईकाइयों को निदेश दिये गए हैं।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में खनिज पृथकीकरण संयंत्र का विफल होना

265. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का रासायनिक संयंत्र अपेक्षित उत्पादन करने में बार-बार विफल हुआ है और इसका खनिज पृथकीकरण संयंत्र पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की हालत सुधारने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) तथा (ख) इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का एक रासायनिक संयंत्र केरल में आल्वे स्थित उद्योग मण्डल में है। यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। कम्पनी का खनिज अलग करने वाला एक संयंत्र केरल में चवारा में तथा एक और संयंत्र तमिलनाडु में मानवलाकुरिचि में है। ये संयंत्र भी लगभग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं।

कम्पनी ने ऊपर बताये गए संयंत्रों के अलावा, अक्तूबर, 1986 में उड़ीसा के छतरपुर जिले में उड़ीसा रेत उद्योग समूह परियोजना चालू की थी जिसमें एक रासायनिक संयंत्र है तथा एक खनिजों को अलग करने वाला संयंत्र है। परियोजना को चालू करने के लिए किए गए परीक्षणों के दौरान कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां सामने आई हैं तथा कम्पनी उनके समाधान के उपाय कर रही है। आशा है कि उड़ीसा रेत उद्योग समूह का संयंत्र अगले दो वर्षों में विभिन्न चरणों में काम करता हुआ अपनी अभिकल्पित उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा।

दिल्ली में दहेज के कारण मौतें

266. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से अब तक दिल्ली में दहेज के कारण कितनी मौतें हुई हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 25 अक्तूबर, 1986 तक दहेज के कारण हुई मौतों के 56 मामले दर्ज किये गए थे ।

(ख) 92 ।

(ग) शून्य/न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले में मुकदमा समाप्त होते ही दण्ड दिया जाता है ।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के कुछ प्रावधानों को लागू करने में विलम्ब

7. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वक्स (संशोधन) अधिनियम, 1984 के कुछ निविवाद खण्डों के लिये अधिसूचना जारी करके उन्हें लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) संशोधन अधिनियम, 1984 के विवादास्पद खंड के संबंध में मुस्लिम समुदाय की इच्छा के अनुसार वक्फ अधिनियम, 1984 में और आगे संशोधन करने के लिये आम राय जानने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ख) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के दो उपबन्धों को, अर्थात जिन्हें नई धारा 66 जी० एवं 66 एच० द्वारा जोड़ा गया था और सरकार ने जिन्हें सामान्य वक्फों के लिए तुरन्त लाभकारी समझा था, 23 जून, 1986 से पहले ही लागू किया हुआ है । इसके अतिरिक्त, मुस्लिम, समुदाय से प्राप्त आपत्तियों के बारे में सरकार पहले ही एक समिति के साथ परामर्श कर रही है जिसमें अनेक ससद सदस्य भी शामिल हैं ।

"भारत में बंजर भूमि"

268. **श्री बीरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर भूमि के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है और कुल बंजर भूमि में से क्षारीय भूमि कितनी है ;

(ख) 1986-87 के दौरान क्षारयुक्त बंजर भूमि के सुधार के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस वर्ष कितनी क्षारीय भूमि का सुधार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) परती भूमियों का निश्चित अनुमान लगाने के लिए कोई देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों में दी गई जानकारी के अनुसार, एक समग्र अनुमान यह है कि देश में मिट्टी के कटाव और भूमि के ह्रास की समस्या से लगभग 175 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है। 175 मिलियन हेक्टेयर में से 4.5 मिलियन हेक्टेयर में क्षारीय मिट्टी होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड राज्यों को परती भूमियों की श्रेणी के आधार पर निधियां आवंटित नहीं करता और इसलिए क्षारीय परती भूमियों के क्षेत्र के लिए 1986-87 के दौरान आवंटित निधियों के बारे में कोई जवाब देना सम्भव नहीं है।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन

269. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था ;

(ख) कितनी परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है तथा उन्हें पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा ; और

(ग) कार्यशाला की क्या उपलब्धि रही ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बीस करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा है। 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार बीस करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 144 परियोजनाएं अपनी-अपनी चालू होने की मूल तारीख से पीछे रह गई हैं। संदर्भ-दिवस को प्रत्याशा किये अनुसार लागत में कुल वृद्धि मूल अनुमोदित लागत से 19811.33 करोड़ रुपये अधिक रही।

(ग) कार्यशाला की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले संगत प्रश्नों को उपयुक्त कार्यवाही हेतु सरकार के समक्ष रखा जायगा।

पश्चिम जर्मनी के सहयोग से पनडुब्बियों का निर्माण

270. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव बन्दरगाह ने पश्चिम जर्मनी के सहयोग से पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण तथा स्वदेशीकरण संबंधी कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) बन्दरगाह के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। पुर्जों, हिस्सों आदि के देशी करण का कार्यक्रम इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी कितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी और उनकी लागत कितनी किफायती होगी

(ग) ऐसे जलयानों के निर्माण करने में सक्षम बनने के लिए अनेक समर्पित सुविधाएं स्थापित की गई हैं जिनमें आधुनिक संयंत्र और मशीनें लगाई गई हैं ।

अनुसूचित जनजातियों को वन भूमि का आवंटन

271. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार अनुसूचित जनजाति के लोगों को परिवर्ती कृषि के लिए राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र वन भूमि आवंटित की गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न आदि के उत्पादन के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में आदिवासियों द्वारा लघु वन उत्पादों के विपणन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार की नीति झूम खेती के लिए वन भूमि आवंटित करना नहीं है। तथापि, झूम खेती के अधीन क्षेत्र का विस्तार विवरण । पर दिया गया है ।

(ख) प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में ब्यौरे विवरण-2 पर दिए गए हैं ।

(ग) लघु वन उत्पादों के संकलन और विपणन के तरीकों के बारे में जिन राज्यों से जानकारी प्राप्त हो गई है उनका ब्यौरा विवरण-3 पर दिया गया है ।

विवरण-1

झूम खेती के अधीन क्षेत्र

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	एक बार में झूम खेती के अधीन न्यूनतम क्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1500
2. अरुणाचल प्रदेश	2100
3. असम	1392
4. बिहार	810
5. मध्य प्रदेश	1250
6. मणिपुर	3600
7. मेघालय	2650
8. मिजोरम	1890
9. नागालैंड	768
10. उड़ीसा	26690
11. त्रिपुरा	1115
कुल	43565

विवरण-2

खाद्यान्नों का उत्पादन-राज्यवार

1983-84

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	(हजार टनों में) कुल खाद्यान्न
1	2
आन्ध्र प्रदेश	11,520
असम	2,720

1	2
बिहार	9,626
गुजरात	5,747
हरियाणा	69,04
हिमाचल प्रदेश	1,016
जम्मू और कश्मीर	1,137
कर्नाटक	7,377
केरल	1,267
मध्य प्रदेश	15,277
महाराष्ट्र	10,947
मणिपुर	295
मेघालय	163
नागालैण्ड	144
उड़ीसा	6,817
पंजाब	14,779
राजस्थान	10,057
सिक्किम	76
तमिलनाडु	6,218
त्रिपुरा	428
उत्तर प्रदेश	29,303
पश्चिमी बंगाल	9,116
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	22
अरुणाचल प्रदेश	156
दादर एवं नागर हवेली	27
दिल्ली	136
गोवा, दमन एवं दीव	132
मिजोरम	35
पाण्डिचेरी	68
कुल	151,510

विवरण-3

विभिन्न राज्यों में लघु वन उत्पादों के संकलन और विपणन का तरीका

राज्य	वर्तमान प्रथा
1. आंध्र प्रदेश	आदिवासियों का लघु वन उत्पादन संकलित करने, उपभोग करने और बेचने का अधिकार दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में गिरिजन का-ओपरेटिव कारपोरेशन का एकाधिकार है। तेन्दु पत्तियों का कार्य क्रय अभिकर्ता पद्धति से होता है।
2. बिहार	तेन्दु पत्ते और तेल बीज राष्ट्रीकृत मदें हैं। तेन्दु के पत्तों का संकलन राज्य वन विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है। तेल बीजों पर वन विकास निगम का एकाधिकार है। संकलन का कार्य लैम्प्स और अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है ;
3. गुजरात	गुजरात वन विकास निगम तिमरु पत्ते; महुआ के फूल और बीज तथा गोंद आदि जैसे लघु वन उत्पादों को एकाधिकार आधार पर प्राप्त करता है ;
4. केरल	लघु वन उत्पाद संकलित करने का अधिकार आदिवासियों को दिया गया है। संकलनगिरिजनों की सहयोगी समितियों के माध्यम से किया जाता है। सहयोगी समितियों द्वारा संकलित किए गए लघु वन उत्पादों का विवरण केरल फार्मा स्यूटीकल कारपोरेशन करता है। वन विभाग अब विपणन के लिए लघु वन उत्पादों की सुपुर्दगी लेता है।
5. मध्य प्रदेश	तेन्दु पत्ते, साल के बीज, हर्रा, गोंद, बांस आदि राष्ट्रीयकृत मद है और राज्य व्यापार के लिए विशिष्टीकृत है। गोंद और बांस विभागीय अभिकरणों के माध्यम से संकलित किए जाते हैं। तेन्दु के पत्ते, साल के बीज और हर्रा का लघु वन उत्पाद निगम द्वारा बहुत अधिक व्यापार किया जाता है। संकलन एल० ए० एम० पी० एस० और पी० ए० सी० एस० के माध्यम से किया जाता है, क्रेता-अभिकर्ता पद्धति जारी है।
6. महाराष्ट्र	आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उत्पादों के व्यापार का काम महाराष्ट्र राज्य को-आपरेटिव आदिवासी विकास निगम को एकाधिकार आधार पर सौंपा गया है। यह निगम गोंद, महुआ, हर्रा, चिरोंजी आदि का व्यापार करता है। जो क्षेत्र इस निगम के अन्तर्गत नहीं आते वहां प्रापण का काम वन मजदूर को-आपरेटिव सोसायटी करती है। तेन्दु पत्ती एक राष्ट्रीकृत मद है इसका संकलन क्रेता-अभिक्रेता पद्धति अपनाकर विभागीय अभिकरण के माध्यम से किया जाता है।
7. कर्नाटक	शहद, खजूर के पत्ते, इमली, हर्रा, रीठा जैसे लघु वन उत्पाद मदों की बहुतायत वाले जिलों में ये मदें रियायती दरों पर आदिवासियों को दी जाती हैं

8. उड़ीसा — तेन्दु पत्ते आदिवासियों को लगाकर विभागीय तौर संकलित किए जाते हैं किन्तु विपणन उड़ीसा वन निगम द्वारा किया जाता है, साल के बीज उड़ीसा वन निगम, सिमली पहार वन विकास निगम तथा आदिवासी विकास निगम के माध्यम से संकलित किए जाते हैं।

9. राजस्थान — लघु वन उत्पादों के संकलन का एकाधिकार आदिवासी क्षेत्र विकास सहयोगी संघ को दिया गया है। एल० ए० एम० पी० एस० तथा सहयोगी सोसायटियां घानों, गोंदों, फलों, औषधीय पौधों के संकलन में लगे हैं।

10. तमिलनाडु — आदिवासियों को अपने उपयोग और बिक्री के लिए लघु वन उत्पादन संकलित करने की अनुमति दी गई है। कुछ क्षेत्रों में लघु वन उत्पादों के संकलन का काम को-आपरेटिव सोसायटियों को सौंपा गया है।

11. उत्तर प्रदेश — तेन्दु पत्ते के व्यार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश वन विकास निगम उत्पादों को प्राप्त करता है और उनका विपणन करता है।

12. पश्चिम बंगाल — आदिवासियों को उनके उपभोग के लिए कुछ लघू वन उत्पाद की मदों को संकलित करने का अधिकार दिया गया है। तेन्दु पत्ते, तेल के बीज, संकलित करने का एकाधिकार एल० ए० एम० पी० एस० को दिया गया है। पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास को-आपरेटिव निगम लि० वित्तीय सहायता प्रदान करता है और विपणन में मदद करता है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य के घण्टे बढ़ाना

272. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में दैनिक कार्य के घण्टों में आधे घण्टे की वृद्धि करके अर्थात् उन्हें 7॥ घण्टे से 8 घण्टे करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू होगा और क्या यह निर्णय चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त किए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारत सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों में 30 मिनट की वृद्धि करके उनके कार्य के घण्टों को 37॥ घण्टे प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 40 घण्टे प्रति

सप्ताह करने का निर्णय किया है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर, सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान; इस मामले पर भी उनके साथ विचार विनिमय हुआ। उनके दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद इस मामले में निर्णय ले लिया गया है और इसे शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

भारतीय नौसेना के लिए और अधिक "सी हैरियर"
विमानों की खरीद का ठेका

273. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नौसेना के लिए और अधिक "सी हैरियर" विमानों की खरीद कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेके पर हस्ताक्षर हो गए हैं ;

(ग) उक्त विमानों की सप्लाई कब शुरू होगी ; और

(घ) पहले खरीदे गए "सी-हैरियर" विमानों का कैसा कार्य निष्पादन रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) 1990-91 के अन्त में।

(घ) पहले खरीदे गए "सी-हैरियर" विमानों कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में एक छोड़कर अगले शनिवार को
कार्य करना

274. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में एक शनिवार को छोड़कर अगले शनिवार को "कार्यदिवस घोषित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० एस० ऐंग्ती) : (क) तथा (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति

275. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उसमें हुए विचार-विमर्श का स्वरूप क्या था और उसके क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की आवधिक बैठकें विभाग द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए होती रहती हैं ।

(ख) इन बैठकों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामने आई समस्याओं और बाधाओं के बारे में तथा आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने के बारे में चर्चा की जाती है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति

276. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त और सितम्बर 1986 के दौरान स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना की स्वीकृति के कितने मामलों को निपटाया गया है ;

(ख) इन दो महीनों के दौरान जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है उनकी राज्यवार संख्या और नाम क्या है,

(ग) क्या पेंशन मंजूरी का कोई मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो लम्बित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) केन्द्र सरकार के पास स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन लम्बित थे इसलिए सभी लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए 12 जुलाई 1986 से एक माह का विशेष अभियान चलाया गया । गैर सरकारी जांच समिति (यों) द्वारा जांच किये जाने वाले मामलों अथवा वे जो विशिष्ट प्रकृति थे, को छोड़कर सभी लम्बित मामलों को इस अवधि के दौरान निपटा दिया गया है ।

(ख) से (घ) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अगस्त तथा सितम्बर 1986 के दौरान पेंशन स्वीकृत की गई है तथा 30 सितम्बर 1986 को सरकार के पास लम्बित मामले विव-

रण-I में दिये गए हैं। गैर सरकारी जांच समिति (यों) द्वारा किये जाने वाले मामलों की उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर निपटा दिया जायेगा। ऐसी समिति (यों) के पास लम्बित मामले विवरण-II में दिए गये हैं। विशिष्ट प्रकृति वाले मामलों को इस समय प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है तथा इनके शीघ्र ही निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण-I

छन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या जिन्हें अगस्त तथा सितम्बर, 1986 के दौरान पेंशन दी गई तथा 30-9-1986 को सरकार के पास लम्बित मामलों का विवरण

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का नाम	अभियान के दौरान स्वीकृत किये गये मामले	लम्बित
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	188	195
2.	असम	5	53
3.	बिहार	406	730
4.	गुजरात	15	—
5.	हरियाणा	1	—
6.	हिमाचल प्रदेश	9	—
7.	जम्मू और कश्मीर	3	—
8.	कनाटक	63	2
9.	केरल	56	56
10.	मध्य प्रदेश	32	242
11.	महाराष्ट्र	248	68
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	1	5
14.	नागालैंड	—	4

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	3	19
16.	पंजाब	30	—
17.	राजस्थान	4	—
18.	तमिलनाडु	33	4
19.	त्रिपुरा	5	8
20.	उत्तर प्रदेश	59	—
21.	पश्चिम बंगाल	255	60
		1416	1446
	संघ शासित क्षेत्र प्रशासन		
1.	चण्डीगढ़	1	2
2.	दिल्ली	3	19
3.	गोवा	3	65
4.	पान्डिचेरी	1	3
		8	89

विवरण-II

हैदराबाद विशेष समिति के पास जाँच के लिए (राज्यवार) लम्बित आवेदन

(I)	महाराष्ट्र	2276
(II)	कर्नाटक	301
(III)	आन्ध्र प्रदेश	350
		2927

उन व्यक्तियों को (राज्यवार) लम्बित मामले जिन्होंने आर्य समाज आन्दोलन में भाग लिया तथा इस उद्देश्य के लिए जांच समिति के सामने रखे जाने हैं

आन्ध्र प्रदेश	279
बिहार	183
दिल्ली	58
गुजरात	3
हरियाणा	225
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	134
मध्य प्रदेश	16
महाराष्ट्र	118
पंजाब	57
राजस्थान	47
उत्तर प्रदेश	136
पश्चिम बंगाल	1
	1265

उड़ीसा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की स्थापना

277. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में और अधिक इलेक्ट्रानिक यूनिटें स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में उड़ीसा में कितनी इलेक्ट्रानिक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) इन यूनिटों की अवस्थिति के लिए उड़ीसा राज्य में किन स्थानों को चुना गया है ; और

(घ) उक्त तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री महासागर विकास तथा परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग की अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, उड़ीसा में नई इलेक्ट्रानिकी उत्पादन इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, "निकनेट" के भाग के रूप में, भुवनेश्वर में सुपर कम्प्यूटर की प्रतिष्ठापना की जा रही है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

इलेक्ट्रानिक सामान के निर्यात में गति-हीनता

278. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का इलेक्ट्रानिक सामान का निर्यात गतिहीन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1984-85 और 1985-86 के दौरान इलेक्ट्रानिक्स सामान का कुल कितना निर्यात किया गया और इलेक्ट्रानिक्स सामान के निर्यात सम्बन्धी कार्य सम्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) वर्ष 1984 तक इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। वर्ष 1984 तथा 1985 में क्रमशः 158.5 करोड़ तथा 138.5 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1985 के दौरान, कांडला से अनुमानतः 16 करोड़ रुपये मूल्य का अतिरिक्त निर्यात भी किया गया।

वर्ष 1985 में सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज) से जितने निर्यात की अपेक्षा की जाती थी, उससे कम मात्रा में निर्यात हुआ।

नीति-विषयक अनेकों उपाय किए गए हैं, ताकि लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर हमारी इलेक्ट्रानिकी वस्तुएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें बढ़ावा मिले। यह आशा की जाती है कि उत्पादन में कुल वृद्धि के साथ-साथ इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, निर्यात करने योग्य महत्वपूर्ण उत्पादों का पता लगाकर उनके निर्माण का उत्तरदायित्व ऐसी कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव है, जिनमें निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं। साथ ही इन कम्पनियों

के साथ सतत् रूप से सम्पर्क बनाये रखा जाएगा ताकि उनके समक्ष उपस्थित होने वाली आम तथा विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके। इलेक्ट्रानिकी विभाग साफ्टवेयर के निर्यात से सम्बन्धित एक नई नीति भी बना रहा है, जिसका उद्देश्य साफ्टवेयर के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ावा देना है।

हिन्द महासागर का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु दोहन

279. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आयोग से हुए समझौते के एक फार्मूले के अन्तर्गत भारत को "अग्रणी निवेशकर्ता" घोषित किया गया है और उसे हिन्द महासागर के 52,300 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु दोहन करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में महासागर में विद्यमान खानों के गवेषण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और महा सागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां, श्रीमान। भारत को अग्रणी निवेशकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग के 5 सितम्बर, 1986 को समाप्त हुए पिछले सत्र में यह मान लिया गया है कि 3 अन्य अग्रणी निवेशकर्ताओं अर्थात्, फ्रांस, जापान और सोवियत संघ की तरह भारत भी अपने आवेदन-पत्र में संशोधन करेगा और उसे 25 मार्च, 1987 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रस्तुत कर देगा। इस प्रयोजन के लिए भारत को अपने आवेदन-पत्र में कुल 52,300 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र को पहचानने का भी विकल्प होगा, जिसे भारत को आबंटित किए जाने वाले 150,000 वर्ग कि० मी० के कुल अग्रणी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

(ख) आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवहार्य खान-स्थल का पता लगाने के लिए भारत द्वारा समग्र अग्रणी क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

भारत में नेपाली-भाषी लोगों सम्बन्धी आंकड़े

280. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल, करार, 1950 के उपबंधों के अनुसार भारत में कितने नेपाली नागरिक रह रहे हैं ;

(ख) इसी करार के अनुसार कितने भारतीय नागरिक नेपाल में रह रहे हैं ; और

(ग) कितने नेपाली नागरिक भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) चूंकि भारत में नेपाल के और नेपाल में भारत के नागरिकों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए ये आंकड़े सहज उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ये सूचना लोक हित में प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय प्रयोजित योजना शुरू करना

281. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की जा रही उन केन्द्रीय प्रयोजित योलनाओं पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में एक नयी प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे निष्पादन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जा सके और विशेष अवधि के भीतर ऐसी योजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं यह किस तारीख से लागू की गई है और चालू वित्तीय वर्ष सहित गई वित्तीय वर्ष के दौरान पीने के पानी की सप्लाई, सिंचाई कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की चुनी हुई योजनाओं पर निगरानी रखने से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी करने का दायित्व सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों का है। योजना आयोग ने तथापि, नियत व अनियत दोनों प्रकार के क्षेत्रकों के लिए अनुमोदित परिव्यय के संदर्भ में व्यय की प्रगति के बारे में तिमाही के आधार पर निगरानी करने की प्रणाली शुरू की है। इस प्रक्रिया में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के तहत नियत क्षेत्रकों के सन्दर्भ में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों पर भी विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता के संवर्द्धन हेतु स्वयं सेवी एजेंसियों को सहायता

282. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी एजेन्सियों के नाम क्या हैं जिन्हें विशेषत: राष्ट्रीय एकता कार्य करने के लिए सरकार से सहायता दी जाती है ; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन एजेन्सियों को कितनी वित्तीय और अन्य सहायता दी गई है/दी जाने वाली है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिन संगठनों को 1984-85 के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया

	उनकी सूची	रु०
1.	फकरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	35,000-00
2.	प्रान्तीय समाज कल्याण आश्रम, उत्तर लखीमपुर	7,000-00
3.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, नई दिल्ली	15,000-00
4.	सूर स्मारक मण्डल, आगरा (उ० प्र०)	7,500-00
5.	आनन्द निकेतन, जिला हावड़ा (पश्चिमी बंगला)	15,000-00
6.	गांधी स्मारक समिति, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	15,000-00
7.	अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशन, नई दिल्ली	2,500-00
8.	बाजाली प्रगति संघ, पाठशाला (असम)	2,500-00
9.	पंजाब संघ, मद्रास	14,000-00
10.	कलकत्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एकता परिषद, कलकत्ता	25,000-00
11.	बाजाली महिला समिति, असम	2,500-00
12.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ	15,000-00
13.	ग्रामीण विकास संघ, मणिपुर	4,000-00
14.	जनजाति समाज कल्याण आश्रम, असम	25,000-00
15.	अखिल भारतीय एकता परिषद, लखनऊ	15,000-00
16.	दुलाल स्मृति सम्सद, हुगली	800-00
17.	कौमी एकता न्यास, नई दिल्ली	14,000-00
18.	धमोरा माडल हिल्स, एण्ड प्लेन्स कलचरल संस्था, असम	6,000-00
19.	भारतीय राष्ट्रीय एकता बोर्ड, हैदराबाद	15,000-00

उन संगठनों की सूची जिन्हें 1985-86 के लिए सहायतानुदान स्वीकृत किया गया

1.	फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	49,000-00
2.	सूर स्मारक मंडल आगरा	5,000-00

		रु०
3.	अखिल भारत अनुसूचित जाति फैडरेशन, नई दिल्ली	15,000-00
4.	भारतीय राष्ट्रीय एकता बोर्ड, हैदराबाद	32,500-00
5.	प्रकाशन इंस्टीच्यूट आफ डबलपमेंट स्टडीज, हैदराबाद	20,000-00
6.	पंजाब एसोसियेशन, मद्रास	15,000-00
7.	एशियन वर्कर्स डबलपमेंट इन्सिटीच्यूट, उड़ीसा	5,000-00
8.	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, इलाहाबाद	15,000-00
9.	कलकत्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एकता परिषद, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	24,000-00
10.	सामाजिक कार्य और अनुसन्धान केन्द्र, राजस्थान	30,000-00
11.	अखिल भारतीय एकता परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1,500-00
12.	बंजाली महिला समिति, असम	2,500-00
13.	अंजुमन-सेर-ए-गुल-फरोसन, नई दिल्ली	2,500-00
14.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12,000-00
15.	आनन्द निकेतन, प० बंगाल	15,000-00
16.	नेहरू बाल समिति, नई दिल्ली	19,000-00
17.	सैन्टर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेबलपमैंट चण्डीगढ़	90,000-00
18.	समाज कल्याण सेवा समिति, बीरसिंहपुर (उत्तर प्रदेश)	15,000-00
19.	लोक शक्ति, बालासोर, उड़ीसा	15,000-00
20.	चिंगु पंगन्बा समाज कल्याण एसोसिएशन फार्यंग, मणिपुर	4,000-00
21.	दुलाल समिति समसद, प० बंगाल	3,750-00
22.	डिपार्टमैंट आफ सोशल वर्क इंस्टीच्यूट फार सोशल साइंस, तमिलनाडु	3,830-00
23.	मराठवाड़ा शिक्षण प्रासारक, महाराष्ट्र	7,500-00
24.	अडरसनपती रूरल डबलपमैंट, एसोसिएशन, तमिलनाडु	9,500-00
25.	कर्नाटक कल्याण समिति, कर्नाटक	5,000-00
26.	येशु भवन, तमिलनाडु	5,000-00

		रु०
27.	सागर शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000-00
28	मणिपुर सांस्कृतिक एकता सम्मेलन, इम्फाल मणिपुर	15,000-00
29.	एग्रो इन्डस्ट्रियल कन्सलटैन्सी, वेललोर, तमिलनाडु	9,000-00
30.	नवज्योति युवक संघ, उड़ीसा	2,5000-00
31.	सांस्कृतिक न्यास, कुपवाड़ा, कश्मीर	1,980-00
32.	इन्डियन इन्स्टीच्यूड आफ यूथ एण्ड डवलपमैंट उड़ीसा	4,000-00
33.	धन्योपासक शिक्षण मंडल रावा, कालेज आफ आर्ट, कामर्स एण्ड साइंस, पारभाणी, महाराष्ट्र	5,000-00
34.	पीपुल एक्शन फार पीपुल इन नीड सिरमोर, हिमाचल प्रदेश	2,200-00
35.	गौरीपुर विवेकानन्द कल्ब, जिला धुबरी (असम)	4,000-00
36.	शिक्षित युवा संघ, पुर्णिया, बिहार	4,000-00
37.	आनन्द भवन, बुदाबनपुर, जिला हावड़ा, प० बंगाल	6,500-00
38.	अखिल भारत धार्मिक नेता एसोसिएशन हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	17.500-00
39.	भारत स्काउट एण्ड गाईड, नई दिल्ली	1,00,00,000-00

उन संगठनों की सूची जिन्हें चालू वित्त वर्ष 1986-87 के दौरान सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया ।

	संगठन का नाम	स्वीकृत की गयी राशि रुपयों में
1.	एग्रिक राजभवन वैलोर, तमिलनाडू	5000-00
2.	फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	40,000-00
3.	सोसायटी फार सोशल अपलिफ्टमैन्ट थ्रू रूरल एक्शन जगजीत नगर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिलाचल प्रदेश	4000-00
4.	प्रकाशन इन्स्टीच्यूट आफ डवलपमैन्ट स्टेडीज हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	15,000-00
5.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय एकता परिषद केन्द्र कलकत्ता विश्व विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	28,000-00
6.	कलचरल ट्रस्ट कपवाड़ा, डिस्ट्रीक (रजि०), कश्मीर	5000-00
7.	नेहरू बाल समिति (रजि०) ई-63, साऊथ एक्सटेंसन पार्ट-1, नई दिल्ली	30,000-00

		रु०
8.	सूर समराट मण्डल, आगरा, उत्तर प्रदेश	15,000-00
9.	आल इण्डिया समाजोत्थान समिति (रजि०) दिल्ली	9,000-00
10.	भाषा संगम, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	15,000-00
11.	पिपुल्स एक्शन फार पिपुल्स इन नीड सिरमोर एच० पी०	2,500-00
12.	आल इण्डिया रिलीजन्स लीडर एसोसियेशन, हैदराबाद	22,500-00
13.	अंजुमन सायर-इ-गुल फाराशन	2,500-00
14.	प्रान्तीय समाज कल्याण केन्द्रीय किमिन, असम	6,700-00
15.	सागर एडुकेशनल सोसाइटी, लखनऊ (यू० पी०)	15,000-00

परमाणु बिजली उत्पादन कार्यक्रम

283. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली उत्पादन करने के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक बिजली का उत्पादन करने के लिए क्रियान्वयन हेतु कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी तथा इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दो नई परियोजनाएं लगाने का निर्णय लिया जा चुका है जिनमें से प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इनमें से एक परियोजना कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर लगाई जाएगी और दूसरी राजस्थान में रावतभाटा स्थित वर्तमान बिजलीघर के निस्तार के रूप में होगी। अतिरिक्त परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए स्थलों के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है। अनुमान है कि 10,000 मेगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने के कार्यक्रम पर आने वाली कुल लागत 1983 के मूल्य-स्तर पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए बैठेगी। इस कार्यक्रम को अगले 15 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

फील्ड सप्लाई डिपो द्वारा माल की खरीद

284. **श्री विष्णु मोदी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत भारतीय सेना में फील्ड सप्लाई डिपुओं के लिए ठेकेदारों/सप्लायरों को केवल 48 घण्टे पूर्व सप्लाई के लिए मांगपत्र जारी करना अपेक्षित है ;

(ख) यदि ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा 48 घण्टे में सप्लाई नहीं की जाती है तो क्या फील्ड सप्लाई डिपुओं को सामान अधिक मूल्य पर भी खुले बाजार से खरीदने का अधिकार है और इसके लिए ठेकेदारों/सप्लायरों पर कोई शास्ति नहीं लगाई जाती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्व की हानि और फील्ड सप्लाई डिपुओं में व्याप्त कदाचार को ध्यान में रखते हुए भी ठेकेदारों/सप्लायरों को मांगपत्र जारी करने की अवधि बढ़ाने का है ; और

(घ) क्या सरकार ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा मांगी गई सामग्री की समय पर सप्लाई न किये जाने पर उन पर शस्ति लगाने पर भी विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) यदि ठेकेदार/सप्लायर समय पर सामान की सप्लाई नहीं करते हैं तो यह सामान अफसरों के स्टेशन बोर्ड द्वारा स्थानीय बाजार से प्रचलित बाजार दरों पर खरीदा जाता है । यदि यह दरें ठेके की दर से अधिक होती हैं तो बकाया की वसूली ठेकेदार से की जाती है । ऐसी सभी खरीददारी ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर की जाती है ।

(ग) यूनिटों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है इसलिए बहुत समय पहले से आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । सप्लायरों द्वारा सप्लाई करने के लिए 48 घंटे की अवधि उचित एवं पर्याप्त समझी गई है । क्योंकि ऐसी खरीददारी ठेकेदारों के जोखिम और खर्च पर की जाती है, अतः इससे राजस्व की कोई हानि नहीं होती ।

(घ) ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर खरीद करना, ठेका समाप्त करना, उस पर रोक लगाना/उसे ब्लैक लिस्ट करना एवं ठेकेदारों की अनुमोदित सेना सेवा कोर सूची से उसे हटाने जैसे दाण्डिक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं ।

गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट के नेता को पत्र लिखना

285. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री विजय कुमार यादव
श्री जी० जी० स्वैल
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री ब्रजमोहन महन्ती
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री बी० तुलसी राम
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन
श्री एस० जयपाल रेड्डी
श्री इन्द्र जीत गुप्त
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री मुहम्मद महफूज अली खां
श्री शांताराम नायक

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट के नेता से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कोई पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की बैठक हो गई है अथवा अभी होनी है ;

(ग) क्या गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट की मांगों पर गौर किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) गृह मन्त्री को गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट के नेता से एक पत्र प्राप्त हुआ था । बैठक के लिए उनके अनुरोध को मानते हुए गृह मन्त्री ने बैठक की किसी तारीख के बारे में कोई निश्चित वायदा नहीं किया ।

(ग) और (घ) गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट की मुख्य मांगें (I) भारत संघ के अन्तर्गत पृथक राज्य के रूप में गोरखा लैण्ड का सृजन (II) भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 को समाप्त करना है । केन्द्र सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है ।

हिन्दी के प्रयोग करने के सम्बन्ध में सभी राज्यों को जारी सरकारी परिपत्र

286. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में सभी राज्यों को हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सन्दर्भाधीन परिपत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए सर्वसम्मति

287. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री नित्यानन्द मिश्र
श्री आर० एस० माने } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में एकमत से लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या कुछ संगठन देश में साम्प्रदायिकता भड़का रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक 12-9-86 को हुई तथा इस में एकमत से राय हुई कि साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाये। गृह मंत्री महोदय ने भी मुख्य मंत्रियों को इस सम्बन्ध में लिखा है। 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) सरकार ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर निकट से नजर रख रही है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें भी राज्य में शान्ति तथा सद्भाव बनाए रखने के लिए इन संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

दिल्ली में अपराध के मामले

288. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984, 1985 के दौरान और अक्तूबर 1986 तक संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में लूट, डकैती, आगजनी, हत्या आदि अपराध के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और कितने मामलों में निर्णय हो गये हैं तथा कितने मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं ;

(ग) क्या पुलिस विभागों की त्रुटियों के कारण उनमें से कुछ मामले खारिज कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां तो सरकार का विचार पुलिस विभाग की त्रुटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) तथा (घ) विभिन्न कारणों जैसे गवाहों का उपलब्ध न होना, गवाहों का बदल जाना, अभियुक्तों को शक का लाभ दिया जाना इत्यादि की वजह से मुकदमों में अन्त में दोषमुक्ति होती है। कुछ मुकदमों में न्यायालय जांच पड़ताल के दौरान खामियां पाते हैं।

न्यायालय से प्राप्त दोषमुक्ति की सभी रिपोर्टों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है ताकि पुलिस की किसी खामी का पता लगाया जा सके। संबंधित पुलिस अधिकारी(यों) की गलती पाई जाये तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

न्यायालय द्वारा निर्णीत

अपराध शीर्ष	सूचित किये गये	चालान किये गए	दोषी पाये गये	बरी किये गये	विचारण के लिए लंबित
1	2	3	4	5	6
		1983			
डकैती	22	17	—	1	16
हत्या	241	162	22	39	100
आगजनी	85	31	3	3	25
लूटपाट	202	98	12	8	73
चोरी	12860	1601	447	134	1020
		1984			
डकैती	29	18	—	1	17
हत्या	312	212	16	25	171
आगजनी	206	82	2	4	76
लूटपाट	235	111	7	11	93
चोरी	13958	1653	375	124	1154
		1985			
डकैती	26	13	—	—	13
हत्या	312	209	3	9	197
आगजनी	89	29	—	—	20
लूटपाट	256	106	6	3	97

1	2	3	4	5	6
चोरी	11763	1311	369	101	1841
		1986 (25-10-1986) तक			
डकैती	15	5	—	—	5
हत्या	216	85	—	—	85
आगजनी	87	5	—	—	5
लूटपाट	164	68	2	3	63
चोरी	10286	1262	148	12	1102

"देश में वनों की कटाई"

289. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में पेड़ों की कटाई में अभी भी वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेड़ों की कटाई के कारण विभिन्न राज्यों में वनों को हुई क्षति की मात्रा की कोई समीक्षा की है ; और

(ग) वनों के और ह्रास को रोकने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टें यह इंगित नहीं करती हैं कि पेड़ों की कटाई में वृद्धि हुई है । ये रिपोर्टें वर्तमान वनों की सुरक्षा के बारे में प्रधान मंत्री जी द्वारा सितम्बर 1985 में सभी मुख्य मंत्रियों को लिखे गए पत्र के उत्तर में मिली थीं ।

(ग) पहले उठाए गए कदमों के अलावा, दोनों के और अधिक ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के कारण वनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना ।

(2) संवेदनशील वन क्षेत्रों को चराई के लिए बन्द करना ।

(3) वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे सुरक्षित क्षेत्रों की वृद्धि ।

(4) वन सुरक्षा बलों को मजबूत करना ।

(5) सुधरे हुए अग्निशामक तरीकों को शुरू करना ।

(6) उद्योगों और रेलवे में लकड़ी की एवज में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री का अभिनिर्धारण ।

(7) आरा मशीनों और पृष्ठावरण मिलों के कार्यकरण पर कड़ा नियंत्रण ।

(8) झूम खेती पर नियंत्रण ।

"केरल में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

290. **श्री थम्पन थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना नया क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ;

(ख) इस मद में कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ दी गई राशि के उपयोग के संबन्ध में कोई जांच-पड़ताल करती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, अप्रयोगमूलक भूमि को सम्मिलित करते हुए, केरल में 1,01, 262 हेक्टेयर क्षेत्र की सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ख) छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में सामाजिक वानिकी सहित वनोरोपण पर 2103.27 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

(ग) जी, हां । निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक वानिकी स्कीमों का प्रबोधन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केन्द्रीय सहायता का ठीक उपयोग हो रहा है ।

(2) विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का भी राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदन और प्रबोधन किया जाता है ।

राष्ट्रीय गान गाये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

291. **श्री शरद् दिघे**
डा० ए० के० पटेल
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय गान गाये जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय गान का गाया जाना अनिवार्य बनाने हेतु कानून में उपयुक्त संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) इस मामले में महा अधिवक्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर मुकदमा इस समय निर्णयाधीन है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध होने के बाद सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए गए अत्याचार

292. श्री आर० पी० सुमन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1986 के दौरान अब तक राज्यवार कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की हत्या की गई और इस संबंध में पूरा विवरण क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : एक विवरण सभा के पटल पर रख गया है।

विवरण

1986 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की हत्याओं के मामलों की बताई गई संख्या।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1986 के दौरान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की की गई हत्या के मामलों की संख्या	आंकड़े निम्नलिखित मास तक	1986 के दौरान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की हत्या के मामलों की संख्या	आंकड़े निम्नलिखित माह तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	जुलाई	2	जून
2.	बिहार	13	मार्च	शून्य	मार्च

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	10	अगस्त	3	जुलाई (अप्रैल के अलावा)
4.	हरियाणा	4	सितम्बर	शून्य	—
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	सितम्बर (अगस्त के अलावा)	शून्य	अगस्त
6.	जम्मू और कश्मीर	1	अगस्त	शून्य	—
7.	कर्नाटक	2	जुलाई	शून्य	मई
8.	केरल	4	जुलाई	शून्य	मई
9.	मध्य प्रदेश	59	जुलाई	55	जुलाई
10.	महाराष्ट्र	4	जून	7	जून
11.	मणिपुर	शून्य	—	1	अगस्त
12.	मेघालय	शून्य	—	शून्य	जुलाई
13.	नागालैंड	शून्य	—	शून्य	जुलाई
14.	उड़ीसा	3	जुलाई	1	जून
15.	पंजाब	6	अगस्त	शून्य	—
16.	राजस्थान	27	अगस्त	13	अगस्त
17.	सिक्किम	शून्य	—	शून्य	अगस्त
18.	तमिलनाडु	12	अगस्त	शून्य	अगस्त
19.	त्रिपुरा	शून्य	अगस्त	शून्य	जुलाई
20.	उत्तर प्रदेश	184	अगस्त	शून्य	अगस्त
21.	पश्चिम बंगाल	शून्य	जुलाई	2	जुलाई
22.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	शून्य	जुलाई

1	2	3	4	5	6
23.	अंडेमान और निकोबार दीव समूह	शून्य	—	शून्य	अगस्त
24.	दादर और नगर हवेली	शून्य	—	शून्य	अगस्त (जनवरी के अलावा)
25.	दिल्ली	शून्य	अगस्त	शून्य	—
26.	गोआ, दमन और दीप	शून्य	सितम्बर	शून्य	सितम्बर
27.	लक्षद्वीप	शून्य	—	शून्य	अगस्त
28.	मिजोरम	शून्य	—	2	जुलाई
29.	पांडिचेरी	शून्य	सितम्बर	शून्य	—
	जोड़	336		86	

रक्षा विभाग द्वारा सामान की खरीद

294. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान खरीदे गये ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है, जो अनुपयोगी घोषित किया गया है और जो गोदामों में प्रयुक्त पड़ा है ;

(ख) इस सामान की खरीद के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया है और क्या रक्षा विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे इस्तेमाल करने का है और यदि हां, तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा अथवा क्या सरकार का विचार इस सामान को अप्रयुक्त पड़े रहने देने का और इसकी खरीद पर खर्च की गई धनराशि को बट्टे खाते में डालने का है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०. पाटिल) : (क) से (ग) रक्षा तैयारी में हथियारों, गोलाबारूद, उपकरणों, पुर्जों एवं अन्य सामान की अनिवार्य रूप से व्यापक मात्रा में खरीद का काम शामिल होता है। प्रौद्योगिकी में सुधार एवं सामान के भण्डारण की सीमित आयु के कारण यह सामान धीरे-धीरे पुराना पड़ जाता है और उसे फालतू घोषित कर दिया जाता है।

सामान को पुराना एवं फालतू घोषित किए जाने के बारे में व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं और सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होता है कि ऐसे सामान की खरीद से या उनके भण्डारण के दौरान कोई अनावश्यक नुकसान न हो। जब कभी भी किसी तरह की अनियमितता ध्यान में आती है तो उचित जांच की जाती है और जैसी आवश्यक हो कार्रवाई की जाती है। फालतू घोषित सामान को विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार बेचा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान कितना सामान खरीदा गया और नियत कारणों से उसमें से कितना सामान फालतू घोषित किया गया है इस बारे में सूचना देना सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

295. **श्री टी० बशीर**
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं का जमाव बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सीमा पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के जमाव से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के साथ-साथ पाकिस्तानी सेनाओं का असामान्य जमाव है। लेकिन पाकिस्तानी फौजों द्वारा शीतकालीन प्रशिक्षण युद्धाभ्यास के संबंध में सीमा पार की गतिविधियों के बारे में रिपोर्टें हैं।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उचित उपाय करती है।

क्षेत्रीय आयोजना के लिए नयी नीति

296. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई स्थिति से निपटने और अविलम्ब विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय आयोजना हेतु नई नीति बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद विकास की असमानताओं के कारण, क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार राज्यों को, केन्द्रीय सहायता का आवंटन करना जो विशेष श्रेणी के राज्यों सहित कम विकसित राज्यों के पक्ष में है, जैसे अनेक नीति उपायों और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों और जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों के जरिए क्षेत्रीय असमानताओं को उत्तरो त्तर कम करना है। केन्द्रीय सरकार चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए केन्द्रीय निवेश राज सहायता स्कीम, परिवहन राज सहायता स्कीम और आधार संरचनात्मक राज सहायता स्कीम के अंतर्गत अनेक रियायतें और सुविधाएं प्रदान करती रही है। इन उपायों के अलावा, सातवीं योजना में कृषि उत्पादकता, विशेष रूप से चावल, मोटे अनाज, दालों और तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि पर बल दिया गया है और इसमें अन्तर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की कार्यनीति के अंग के रूप में मानव संसाधन विकास के प्रमुख कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गई है।

"दून घाटी में पर्यावरण सन्तुल बनाये रखना"

297. श्री राधा कान्त डिंगाल
श्री मानिक रेड्डी } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दून घाटी में पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी, हां।

(ख) दून घाटी में पारिस्थितिकीय सन्तुलन की वापसी के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) चूना पत्थर, उत्खनन कार्यों को नियंत्रित किया गया है तथा इसे केवल छह खानों के कार्यों तक सीमित रखा गया है।

(2) केवल प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति है;

(3) एक क्षेत्रीय मास्टर भूमि उपयोग योजना तैयार की गई है जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ताकि समन्वित विकास को प्राप्त किया जा सके।

(4) मौजूदा प्रदूषक उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे प्रचालन तभी जारी रखें यदि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। देहरादून में चूने के भट्टों को पुन: स्थापित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की जांच की जा रही है; तथा

(5) वनीकरण और मुदा संरक्षण के एक मुख्य कार्यक्रम को तैयार करने के साथ-साथ परित्यक्त खानों का सुधार कार्य आरम्भ किया गया है।

प्रेस सूचना कार्यालय में हिंदी संबंधी परिपत्र पर तमिलनाडु सरकार की अप्रसन्नता

298. **श्री बल्लभ पाणिग्रही**
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन
श्री महेन्द्र सिंह
श्री पी० कुलनवेई वेलु } : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर, 1986 में हिन्दुस्तान टाइम्स में "हिन्दी इश्यु क्राप्स अप अगेन इन तमिलनाडु" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और क्या तमिलनाडु सरकार ने प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों से फाइलों और टिप्पणों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करने के निदेश देने सम्बन्धी परिपत्र जारी किए जाने से उत्पन्न हिन्दी विवाद पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले वर्षों की तरह ही हिन्दी सप्ताह आयोजित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था। यह पत्र सूचना कार्यालय के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में राजभाषा के प्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया गया था। परिपत्र में अनिवार्यता की बात नहीं थी।

नई दिल्ली को राज्यों की राजधानियों से जोड़ने वाला कम्प्यूटर नेटवर्क

299. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली को सभी राज्यों की राजधानियों से और इन राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाला एक वृहद कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के कम्प्यूटरीकरण विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत निकनेट नामक उपग्रह पर आधारित एक सरकारी सूचना-विज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जा रही है जिसके अन्तर्गत देश के सभी राज्यों तथा जिलों को लाया जाएगा । इस नेटवर्क के एक भाग के रूप में दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में सुपर/बड़े कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किये गए/जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, इस नेटवर्क के अन्तर्कन मिनी/सुपर-मिनी कम्प्यूटर भी शामिल किए जाएंगे जिन्हें राज्यों की राजधानियों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में प्रतिष्ठापित किया जाएगा । जिला-स्तर पर भी अभिकलन विषयक सुविधाएं प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है । सूक्ष्म (माइक्रो) भू-केन्द्रों की सहायता से सभी जिलों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर का बन्द किया जाना

300. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु बिजलीघर की यूनिट एक के रिएक्टर कोर की एण्डशील्ड में 1982 में पाई गई दरार की मरम्मत करने में न केवल कई लाख रुपए लगेंगे, बल्कि वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा इसे ठीक करना भी दुष्कर है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है और इस यूनिट की मरम्मत का कार्य यदि शुरू किया गया, तो इसमें कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या इसकी मरम्मत की अव्यवहारिकता को देखते हुए सरकार का राजस्थान परमाणु बिजलीघर को बन्द करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे बन्द किये जाने की स्थिति में कुल कितनी हानि होने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी तथा अंतरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर की दक्षिणी एण्ड-शील्ड में बड़ी दरारों को बन्द करने के लिए विकसित की गई टैक्नोलाजी सफल पाई गई । तथापि, एण्ड-शील्ड में जहां पहले दरारें पड़ी थीं उसके पास के ही एक अन्य स्थान पर नई दरारें दिखाई दीं, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को फिर से चलाने योग्य बनाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का अध्ययन पूरी तरह से किया जाए । इस बारे में निर्णय दिसम्बर, 1986 के अन्त तक लिया जाएगा ।

(ख) से (घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की एण्ड-शील्ड की मरम्मत पर अब तक कुल मिलाकर लगभग 100 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। यूनिट को फिर से चलाने योग्य बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले अन्य वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है। संयंत्र को फिर से चलाने योग्य बनाने पर आने वाली लागत अपनाए जाने वाले तरीके पर निर्भर करेगी।

केरल में इलैक्ट्रानिकी के विकास की योजनाएं

301. श्री के० कुञ्जम्बु
श्री वी. एस. विजयराघवन } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इलैक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी यूनिटों को स्थापित किया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी अन्तरिक्ष और विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने केरल में विकास कार्य/मूल-संरचना जुटाने से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की है :

कार्य का नाम	उपलब्ध कराई गई धनराशि (रु०)	टिप्पणी
(i) प्रौद्योगिकी विकास		
(क) प्रौद्योगिकी विकास परिषद्	82.5 लाख	
(ख) राष्ट्रीय रेडार् परिषद्	29.5 लाख	
(ii) "निकनेट" के एक भाग के रूप में एन० डी० 550 सुपर कम्प्यूटर	112.0 लाख	त्रिवेन्द्रम में स्थापना-स्थल पहले ही तैयार कर लिया गया है और एक महीने के अन्दर यह प्रणाली चालू हो जाएगी।
(iii) इलेक्ट्रादिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई० टी० डी० सी०), त्रिवेन्द्रम।	38.617 लाख	यह केन्द्र कार्यरत है।

(iv) सामान्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों के लिए सर्विस तकनीशियनों के प्रशिक्षण का जोरदार अभियान	84.4 लाख (लगभग)	3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरम्भ कर दिए गए हैं।
(v) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) कार्यक्रम।	27.20 लाख	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के 30 विद्यालयों को शामिल किया गया है।

केरल में विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अब तक 104 पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र/सचिवालय औद्योगिक अनुमोदन (एस० आई० ए०) प्रदान किए गए है ;

इझीमाला, केरल में नौसेना अकादमी

302. **श्री के० कुन्हम्बु**
श्री बी० एस० विजयराघवन
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री टी० बशीर
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इझीमाला में नौसेना अकादमी में पूरा किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन कार्यों पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने लगभग 79.05 लाख रुपए की लागत पर नौसेना अकादमी स्थल के चारों ओर 5.5 कि०मी० दीवार/सुरक्षा बाड़ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब तक 3.5 कि०मी० दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख) 36.58 लाख रुपये।

हिमाचल प्रदेश में खनिजों की खोज

303. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में यूरेनियम तथा अन्य खनिजों की खोज के लिए शुरू की गई परियोजना में चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है, ऐसे खनिजों की खोज को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन : (क) जी, हां ।

(ख) किए गए अन्वेषणों से यूरेनियम के खनिजीकरण के अधःस्तलीय व्यवहार, कुछ भू-भागों की भूवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूलता और अयस्कों के निष्कोणीयता सम्बन्धी गुणों के बारे में उपयोगी जानकारी मिली है । वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी निक्षेपों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किये जा रहे हैं । इन अन्वेषणों में समन्वेषी भू-वेधन और खनन भी शामिल है ।

योजना आयोग के पर्वतीय क्षेत्र कक्ष द्वारा मंत्रालयों को सहायता/सलाह

304. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना कक्ष द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में 2 मई, 1973 के अतरांकित प्रश्न संख्या 8927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित पर्वतीय क्षेत्र कक्ष ने भी स्थापित किए जाने से अब तक रेलों संचार, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को कोई सहायता सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से अब तक प्रत्येक योजनावधि के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि इस कक्ष ने कोई सलाह नहीं दी है तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) : योजना आयोग का पहाड़ी क्षेत्र एकक, अन्य बातों के साथ-साथ देश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की नीति और कार्यनीति से सम्बन्धित मामलों का कार्य करना है । समय-समय पर स्थापित विशेषज्ञ समितियों की शिफारिशें और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों पर आधारित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नीति और कार्यनीति को राष्ट्रीय पंच वर्षीय योजना दस्तावेजों में समाविष्ट किया जाता है । योजना दस्तावेज सभी केंद्रीय मन्त्रालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं ।

2. चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति के विकास के वास्ते सलाह और मिल कर काय करने के लिए कुछ विशेषज्ञ दल/समितियां/कृतिक बल स्थापित किए गए थे । यह उल्लेखनीय है कि हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिक विकास का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री

अध्यक्षता में जून, 1981 में एक कृतिक बल गठित किया गया जिसने परिवहन योजना से सम्बन्धित एक उप दल का गठन किया था। ये सिफारिशें सभी संबंधीत मंत्रालयों व राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई थीं। छठी पंच वर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों के लिए, पहाड़ी क्षेत्र विकास से सम्बन्धित योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी जिसमें सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों और स्वैक्षिक अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और नीतियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और जांच की सलाह दी जिसे पहाड़ी क्षेत्र विकास की कार्यनीति तैयार करने में उचित तरजीह दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूसरी सलाहकार समिति 17 जनवरी, 1986 से गठित की गई है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल अक्तूबर, 1983 जिसमें विशेषज्ञ, शिक्षाविद् स्वैच्छिक संगठन, और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और अधिकांश सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। दलने पहाड़ी क्षेत्र विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच की। इसने अन्य बातों के साथ-साथ संचार क्षेत्रक पर भी विचार किया जिसमें सड़क परिवहन, रेलवे, वायु मार्ग, रज्जु मार्ग, जल मार्ग, डाक और तार, दूरसंचार और टेलीविजन शामिल हैं। इस कार्यकारी दल की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, रेलवे (रेलवे बोर्ड) नागर विमानन, जल भूतल परिवहन विभागों और संचार मंत्रालयों सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई है।

यमुनापार के क्षेत्र में अपराधों की संख्या

305. **श्री मोहम्मद महफूज अली :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुनापार के क्षेत्रों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 से (अब तक) यमुनापार के क्षेत्र में अपराधों की तुलनात्मक संख्या कितनी हैं और उसकी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के अपराधों की संख्या से किस प्रकार तुलना की जाती है ;

(ग) इन क्षेत्रों में अपराधों की संख्या में हो रही वृद्धि के लिए उत्तरदायी पहलू क्या हैं ; और

(घ) अपराध संख्या को कम से कम करने और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पूर्वी दिल्ली जिला और अन्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1983 से लेकर 26 अक्तूबर, 1986 तक के तुलनात्मक अपराध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन आंकड़ों से पूर्वी दिल्ली या दिल्ली या दिल्ली के अन्य भागों में अपराध में कोई विशेष वृद्धि मालूम नहीं होती।

(ग) पूर्वी दिल्ली में अपराध की घटना में यद्यपि कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी क्षेत्र में बहुत अधिक निर्माण कार्य, बढ़ती श्रमिक जनसंख्या और पड़ोसी राज्य में आसान पहुंच को इसका कारण कहा जा सकता है।

(घ) त्रिलोकपुरी और नन्द नगरी में दो नये थाने स्थापित किए गए हैं। पुलिस कन्ट्रोल रूम वाहन क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और मोटर साईकिल की गस्त बढ़ा दी गई है। नई कालोनियों में पुलिस चौकियां भी खोली गई हैं।

विवरण

वर्ष 1983, 1984, 1985 और 1986 (26-10-86 तक) के दौरान दिल्ली के पूर्व जिले और अन्य क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए अपराध आंकड़े

अपराध शीर्ष	पूर्व जिला	अन्य क्षेत्र	पूर्व जिला	अन्य क्षेत्र	पूर्व जिला	अन्य क्षेत्र	पूर्व जिला	अन्य क्षेत्र
डकैती	2	20	4	25	7	19	4	11
हत्या	46	195	65	247	66	246	47	169
हत्या का प्रयास	40	190	41	238	55	202	56	209
लूटपाट	34	168	29	206	27	229	33	139
दंगे	21	156	96	343	17	109	19	128
चोट	281	1466	299	1498	385	1478	280	1226
सेंधमारी	228	1055	204	1364	234	1554	314	1060
छीनाझपटी	14	107	11	118	6	191	14	117
चोरी	1115	11745	1035	12923	974	12789	929	9357
विविध भा० दं० सं० जोड़	2976	24110	3262	27511	3119	27293	3084	21646
कुल जोड़	27086		30773		30412		24730	

त्रिपुरा नेशनल वालंटियरों की हिंसक गतिविधियां

306. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा नेशनल वालंटियर अपनी लड़ाई और हिंसा में तेजी लाये है ;

(ख) क्या 13 सितम्बर, को उन्होंने घात लगाकर सात पुलिस कर्मियों की हत्या की थी ; और

(ग) क्या मिजो नेशनल फ्रंट के बचे हुए विद्रोहियों को उनके साथ देखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अगस्त, 1986 के अन्तिम सप्ताह से त्रिपुरा नेशनल वालन्टिरों की हिंसक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी देखने में आयी है। 13 सितम्बर, 1986 को अम्बासा-गंदाचेरा पर अम्बासा से 20 कि० मी० दक्षिण में कारणामानीपारा में एक पुलिस जीप पर लगायी गयी घात में त्रिपुरा नेशनल वालंटियरों ने 7 पुलिस कर्मियों को मारा और 4 राईफलें और 200 चक्र गोला बारूद भी लूटा ।

(ग) सरकार के ध्यान में इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी है ।

त्रिपुरा में सीमा सड़क का निर्माण

307. **श्री बाजू बन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने विद्रोह को रोकने और त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा सड़क के निर्माण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) त्रिपुरा सरकार की इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने बंगला देश से उग्रवादियों के आने-जाने को रोकने के लिए एक सड़क गोविन्दाबारी-डांगाबारी रेशियाबारी जलेया-बेशनवपुर-सबरूम के निर्माण के लिए अनुरोध किया है । गोविन्दबारी-डांगाबारी-रेशियाबारी तक की उक्त सड़क के एक भाग (42-5 कि० मी०) का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा पहले ही किया जा चुका है । सरकार ने उन सभी राज्यों जिनकी बंगला देश के साथ सीमा है, में भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़क का निर्माण करने का निर्णय किया है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लम्बित मामले

309. **श्री रामकुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्वतंत्रता सैनानियों, उनकी विधवाओं और आश्रितों से प्राप्त पेंशन के कितने मामले लंबित पड़े हैं ;

(ख) इनमें से श्रेणीवार प्रत्येक कितने वर्षों से लंबित हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) आर्य समाज से सम्बन्धित यातनाओं के बारे में पेंशन के लिए 136 आवेदन पत्र (उत्तर प्रदेश से) अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं।

(ख) आर्य समाज से सम्बन्धित मामले के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30-6-86 थी।

(ग) इन मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए गठित की जा रही जांच समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद इनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

"देश में वन क्षेत्र"

310. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसाधारण में व्याप्त इस धारण के विपरीत कि देश में 750 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर वन क्षेत्र है ; राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी सर्वेक्षण ने इस बात की पुष्टि की है, कि यह संख्या पूर्णतया भ्रान्ति पूर्ण है और वास्तविक वनक्षेत्र केवल आधे ही क्षेत्र पर है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक रूप से कुल कितने क्षेत्र में वन हैं और इन आंकड़ों को निकालते समय किन स्रोतों पर निर्भर रहा गया है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिये, राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिये कितना आवंटन किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) देश में पजीकृत वन क्षेत्र 74.72 मिलियन हेक्टेयर। तथापि, राष्ट्रपति सुदूर संवेदन एजेंसी, हैदराबाद द्वारा वर्ष 1980-82 के भू-उपग्रह विम्बावलियों के प्रदर्शन के माध्यम से निर्धारित सघन वन क्षेत्र पंजीकृत वन क्षेत्र का 68.2 प्रतिशत है।

(ग) राज्यवार लक्ष्य वर्षानुवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। वानिकी के लिए सातवीं योजना परिव्यय के ब्यौरे संलग्न हैं।

विवरण

वानिकी और वन्य जीव के लिए सातवीं योजना परिव्यय

राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र

राज्य	(लाख रुपयों में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6570
असम	7000
बिहार	4500
गुजरात	12964
हरियाणा	6700
हिमाचल प्रदेश	11684
जम्मू तथा कश्मीर	3492
कर्नाटक	6200
केरल	7000
मध्य प्रदेश	7877
महाराष्ट्र	10600
मणिपुर	1441
मेघालय	2900
नागालैण्ड	1800
उड़ीसा	4500
पंजाब	3200
राजस्थान	4985
सिक्किम	950

1	2
	(लाख रुपयों में)
तमिलनाडु	7000
त्रिपुरा	1500
उत्तर प्रदेश	16200
पश्चिम बंगाल	5045
केन्द्र शासित क्षेत्र :	(लाख रुपयों में)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1200
अरुणाचल प्रदेश	3000
चण्डीगढ़	161.85
दादर तथा नगर हवेली	429.00
दिल्ली	210.00
गोवा दमन और द्वीप	600.00
लक्षद्वीप	—
मिजोरम	1500.00
पाण्डिचेरी	130.00
उप योग	
(i) राज्य	1,34,008
(ii) केन्द्र शासित क्षेत्र	7,231
(iii) केन्द्र	44-671
योग	1,85,910
(iii) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी, वनीकरण के लिए परिव्यय की अभिकल्पना	1,20,000

"दिल्ली में वनों का विकास"

311. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कई वर्षों से वृक्षारोपण हेतु भारी धनराशि निर्धारित करने और व्यय करने और इसका व्यापक प्रचार करने के बावजूद दिल्ली में वन क्षेत्र में वास्तव में 8 कलोमीटर की कमी हुई है ;

(ख) क्या सन् 2001 की दिल्ली के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की संदर्शी योजना में वनों के विकास हेतु मामूली धनराशि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय परती विकास बोर्ड ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी क्रिया-कलापों की जांच के लिए एक विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वनों पर व्यय की गई कुल धनराशि वन-क्षेत्र के घटने के कारण और राजधानी में वानिकी में प्रगति पर समुचित निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने, क्रियान्वयन के लिए एक संगठन की स्थापना एवं वनरोपण कार्यक्रम प्रबोधन का सुझाव दिया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों द्वारा वृक्षों का काटा जाना

312. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन-क्षेत्र घटता जा रहा है क्योंकि आदिवासियों की जो पूर्णतया वनों पर निर्भर है, वन उत्पादों से जीविकोपार्जन करने में सहायता नहीं की जा रही है और परिणामस्वरूप वे लकड़ी बेचने के लिये वृक्ष काटते हैं और खेती करने के लिए वन क्षेत्र को साफ करते हैं ;

(ख) क्या, सरकार ने इस पर चर्चा करने के लिए कोई सम्मेलन आयोजित किया था कि आदिवासियों की सहायता करने के लिए लघु वन-उत्पाद कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन से क्या ठोस सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, विशेष रूप से उड़ीसा में जहां अभी ऐसा काफी वन-क्षेत्र है जिसमें आदिवासी रहते हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जबकि यह सच है कि आदिवासियों द्वारा पेड़ों की अनधिकृत कटाई, अनधिकार प्रवेश और झूम खेती किए जाने से कुछ हद तक वनों के विनाश में वृद्धि हुई है। यह सच नहीं है कि आदिवासियों को उनके जीवनयापन में वन उत्पादों से कोई सहायता नहीं मिली है।

(ख) और (ग) लघु वन उत्पाद सम्बन्धी नीति के विषय पर 28 और 29 अगस्त, 1986 को हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वन सचिवों और मुख्य वन संरक्षकों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि (1) यह लाभकारी होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में शिकायत की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, (2) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विपणन ढांचे को सुदृढ़ बनाएं, (3) लघु वन उत्पादों के जननिक सुधार, पुनर्जनन और संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया जाए।

(घ) सम्मेलन की कार्यवाही को उड़ीसा सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित किया गया है। सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जाएगा।

लक्षद्वीप के लिए द्वीप समूह विकास प्राधिकरण

313. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सम्बन्ध में तैयार की गई रिपोर्ट में योजना आयोग ने द्वीप-समूह विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लक्षद्वीप द्वीपसमूह के विकास में प्रस्तावित प्राधिकरण क्या भूमिका निभाएगा ; और

(ग) क्या द्वीपसमूह के सम्पूर्ण विकास के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन और की गई प्रगति पर नियमित निगरानी रखने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण संरक्षण और इसी तरह द्वीप समूह की विशेष तकनीकी एवं वैज्ञानिक आवश्यकताओं के सभी पहलुओं, और कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति के पुनरीक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप सहित, द्वीप समूह के समन्वित विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्णय लेने की दिशा में एक द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण का पहले ही अगस्त, 1986 में गठन किया जा चुका है।

(ग) कार्यान्वयन कार्य नीति तय करने के सम्बन्ध में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। इस संचालन समिति का गठन किया गया है। इस संचालन समिति की पहली बैठक 22-9-1986 को हुई जिसमें पर्यावरण, कृषि, मत्स्य-पालन, वन रोपण, निर्माण, परिवहन, पर्यटन, दूर संचार, स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं, ऊर्जा आदि के सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इनमें से प्रत्येक मसले पर हुई प्रगति को संचालन समिति तथा द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से मानिटर किया जाएगा।

उड़ीसा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थान का चयन करने का मानदण्ड

314. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान के चयन के लिये विभिन्न स्थानों पर प्रारंभिक जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में अन्तिम रूप से कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ग) उपयुक्त स्थान के रूप में चुने गये स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने पूर्वी विद्युत क्षेत्रों के अन्य राज्यों के स्थलों के साथ-साथ उड़ीसा राज्य के स्थलों का भी अध्ययन यह अनुमान लगाने के लिए किया है कि वे परमाणु बिजली घर लगाने की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि में "लिक्विड प्रोपल्शन सेन्टर"

315. **श्री एल० डेविस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में महेन्द्रगिरि में कोई "लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर" कार्य कर रहा है ;

(ख) इस केन्द्र में किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके विस्तार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का इस एकक को एक स्वतंत्र स्वायत्त शासी एकक के रूप में बदलने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं । तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि में केवल एक द्रव नोदन जांच सुविधा (एल० पी० टी० एफ०) स्थापित की जा रही है । एल० पी० टी०एफ० में किए जा रहे कार्यों में समाकलन एवं समुच्चयन, इंजिनों खण्डों और अन्य प्रमुख उप-प्रणालियों जैसे भरण प्रणालियां, दाबीकृत प्रणालियां इत्यादि की भू-जांच और अर्हता सम्बन्धी कार्य शामिल हैं ।

(ग) भावी पी० एस० एल० वी० कार्यक्रमों के लिए निम्नतापी नोदन सहित उन्नत द्रव नोदन प्रणालियों के विकास के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार भावी जांच सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महेन्द्रगिरि में विद्यमान सुविधाओं का ही पर्याप्त रूप में विस्तार किया जायेगा ।

(घ) महेन्द्रगिरि स्थित द्रव नोदन जांच सुविधा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ही एक भाग है और फिलहाल इसरो-अंतरिक्ष विभाग की द्रव नोदन प्रणाली यूनिट (एल० पी० एस० यू०) के अधीन है । चूंकि यह एक प्रमुख इसरो सुविधा है जो मुख्यतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विकसित द्रव इंजिन खण्डों और उपप्रणालियों की भू-जांचों का कार्य करती है, अतः इस जांच केन्द्र को एक स्वतन्त्र स्वायत्त शासी यूनिट के रूप में बदलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"राष्ट्रीय वन नीति"

317. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिये अब राष्ट्रीय वन नीति स्पष्ट रूप से तैयार और घोषित करना आवश्यक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो नीति तैयार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् एवं सभी संभव पहलुओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय वन नीति को तैयार किया जाना है। जैसे ही ऐसे परामर्श पूर्ण हो जाते हैं, नीति को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

जनरल वैद्य की हत्या की जांच

318. श्री एस० जयपाल रेड्डी
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री आर० एम० भोये } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल ए० एस० वैद्य की हत्या के लिए उत्तरदायी सुरक्षाकर्मियों की जांच के आदेश दिए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) मामले की जांच पड़ताल की गई है। पता लगाए गये तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

"देश में बाघ अभयारण्य"

319. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघ परियोजना, (प्रोजेक्ट टाइगर) के अन्तर्गत देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या, स्थान आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के विकास और उसके अन्तर्गत हुई प्रगति की पुनरीक्षा हेतु गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करना है ; और

(ग) क्या बाघ अभयारण्यों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बाघ परियोजना के अन्तर्गत देश में 11 राज्यों एवं 1 केन्द्र शासित प्रदेश में 15 बाघ अभयारण्य हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बाघ बाड़ों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और इन बाघ बाड़ों के केन्द्रीय सहायता के तरीके में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले अनुमोदित मदों पर गैर-आवर्ती व्यय

के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता दी जाती थी। अब ऐसी मदों के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

विवरण

बाघ बाड़े एक नजर में

क्र० सं०	रिजर्व एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	अन्त: क्षेत्र	अन्त: क्षेत्र का स्तर
1	2	3	4	5
		1973-74		
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	866	523	राष्ट्रीय उद्यान
2.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	520	320	राष्ट्रीय उद्यान
3.	काम्हा (मध्य प्रदेश)	1945	940	राष्ट्रीय उद्यान
4.	मानस (असम)	2840	391	अभयारण्य
5.	मेलाघाट (महाराष्ट्र)	1597	308	अभयारण्य
6.	पालामऊ (बिहार)	930	213	अभयारण्य
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	825	392	राष्ट्रीय उद्यान
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	2750	846	राष्ट्रीय उद्यान
9.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	2585	1330	राष्ट्रीय उद्यान
		1978-79		
10.	पेरियार (केरल)	777	350	अभयारण्य
11.	सरिसका (राजस्थान)	800	495	अभयारण्य
		1982-83		
12.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	745	313	अभयारण्य
13.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	2799	1258	राष्ट्रीय उद्यान
14.	नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश)	3568	1200	अभयारण्य
15.	नामदफा (अरुणाचल प्रदेश)	1985	1808	राष्ट्रीय उद्यान
		25532	10690	

केरल में परमाणु संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थान का चयन

320. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री के० मोहन दास } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल में किसी स्थान का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां परमाणु संयंत्र कब तक स्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्या इस क्षेत्र विशेष के लोगों ने वहां इस प्रकार के परमाणु संयंत्र की स्थापना का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय किया है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के स्थलों के साथ-साथ केरल के स्थलों का भी अध्ययन किया है ;

(ख) स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) केरल के कुछ व्यक्तियों ने केन्द्र सरकार पर इस बारे में दबाव डाला है कि उनके राज्य में परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में विचार न किया जाए ।

(घ) इस बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है कि भविष्य में परमाणु बिजलीघर किन स्थलों पर लगाए जाएं ।

देश में साम्प्रदायिक हिंसा

321. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री बृज मोहन महन्ती
श्री सोमनाथ रथ
श्री हुसैन दलवाई } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों की संख्या कितनी है तथा संबंधित स्थानों और राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन दंगों के दौरान जान और माल का कितना नुकसान हुआ ;

(ग) साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) दंगा पीड़ितों को कितना मुआवजा और/अथवा अनुग्रह राशि दी गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों और स्थान और राज्यों के नाम, इन दंगों में हुई जान और माल की हानि को दिखाने वाला विवरण तैयार किया गया है और वह संलग्न है ।

(ग) साम्प्रदायिक सद्भाव और लोक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनेक बार जोर देकर कहा गया है। उनको प्रशासनिक और आसूचना तन्त्र को सुचारु बनाने और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने, शस्त्र और गोला बारूद की बरामदगी के लिए तलाशी लेने और जब्त करने और साम्प्रदायिकता भड़काने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने जैसे उपायों के बारे में सुझाव दिये गए हैं । केन्द्रीय बलों के लिए जब भी अनुरोध किया जाता है वे राज्यों को उपलब्ध कराए गये हैं । इसके अलावा समय पर चेतावनियां दी जाती हैं और कहने पर मार्ग-दर्शन और परामर्श दिया जाता है । सांप्रदायिक हिंसा के कारगर नियन्त्रण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक विस्तृत सेट, जिसे 1985 में पुनरीक्षित और संशोधित किया गया था, अभी तक राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है ।

इस सम्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15-सूत्री कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकारों से सिफारिश की गई थी । राष्ट्रीय एकता परिषद ने 12 सितम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया ।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और अनुकम्पा अनुदान देने के बारे में केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1985 में विभिन्न राज्यों सरकारों से मार्गदर्शी सिद्धांतों की सिफारिश की । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ये सिफारिशें अधिकांश रूप में मान ली गई है ।

विवरण

1-1196 से 31-10-1986 तक देश में हुए बड़े साम्प्रदायिक दंगों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण ।

स्थान और तिथि	मृत व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति का नुकसान (रुपये लाख में)
1	2	3
बिहार :		
नवादा अप्रैल 22	10*	उपलब्ध नहीं है । *बिहार सरकार के अनुसार केवल 3 मौत केवल मात्र साम्प्रदायिक हिंसा के कारण हुई कही जा सकती है ।

1	2	3
गुजरात		
अहमदाबाद :		
जनवरी-5-7	9	7.73
जनवरी-22-24	5	0.38
मार्च 26-30	4	0.05
जुलाई 9-17	49	63.16
वेरावल		
मार्च 26-27	13	246.98
नादियाड		
अगस्त 9-16	7	उपलब्ध नहीं है ।
बड़ौदा		
सितम्बर 17-20	5	उपलब्ध नहीं है ।
कर्नाटक :		
रामनगरम		
जुलाई 22-25	5	उपलब्ध नहीं है ।
मध्य प्रदेश :		
सिहोर		
फरवरी 16-17	8	100.00
महाराष्ट्र :		
नासिक		
मई 10	8	43.05
पनवल		
मई 10	2	66.43
उत्तर प्रदेश :		
मेरठ		
फरवरी, 26	2	7.42

1	2	3
नियोरिया (पीलीभीत)		
मार्च 26-27	26	—
इलाहाबाद		
जून 14-18	9	2.65

[हिन्दी]

पेंशन अदालतों के माध्यम से पेंशन सम्बन्धी मामलों को निपटाना

322. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में पेंशन अदालत स्थापित करने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिनमें इनकी स्थापना की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० एस० ऐंती) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में पेंशन अदालतें गठित करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) तथा (ग) फिर भी, अभी तक उत्तरी, दक्षिणी, केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवे में पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 1986 के अन्त तक शेष क्षेत्रीय रेलवे को भी इस योजना के अधीन लाये जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

सुरक्षा पट्टी योजना

323. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुरक्षा पट्टी योजना में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ?

कार्मिक तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत 13 अगस्त, 1986 को राज्य सभा में एक संकल्प पारित किया गया ताकि पंजाब और भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं के अन्य क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए उसमें वर्णित मामलों के बारे में कानून बनाए जा सकें। संकल्प के अनुसरण में विधायन विचाराधीन है।

"वनरोपण के माध्यम से आदिवासी कल्याण"

324. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वनरोपण के माध्यम से आदिवासी कल्याण हेतु एक नई योजना प्रारम्भ कर रही है ;

(ख) सातवीं योजनावधि में इस योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए कितना योजना परिव्यय है;

(घ) क्या यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हालांकि स्कीम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न ही स्वीकृत किया गया है।

(ख) भारत सरकार के अंश के रूप में 20 करोड़ रुपये ;

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए 1.00 करोड़ रुपये। शेष वर्षों के लिए आवंटन का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) स्कीम को राज्य सरकारों के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रस्तावित स्कीम में किसी विशेष राज्यवार विभाजन पर विचार नहीं किया गया था।

असम में पुनः आंदोलन छिड़ना

325. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अखिल असम विद्यार्थी संघ ने केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध पुनः आंदोलन छेड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो 26 सितम्बर, 1986 से, छेड़े इस आन्दोलन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आन्दोलन के पीछे मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अखिल असम विद्यार्थी संघ के नेताओं को उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए आमन्त्रित करने का है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) से (घ) अखिल असम छात्र संघ ने 26 सितम्बर, 1986 को अन्य बातों के साथ-साथ असम समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन, अवैध प्रवासी (न्यायाधीकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के संशोधन और घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बंगलादेश सीमा को बन्द करने की मांग करने के लिए असम में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सामने धरना दिया था । असम समझौते के तहत सरकार अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वचन-बद्ध है और इसके लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है । अखिल असम छात्र संघ के नेता 6 अगस्त 1986 को गृह मन्त्री से मिले थे ।

मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र में तकनीकी खराबी

326. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री यशवन्त राव गाडाख पाटिल
श्री मुरली देवरा } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र के दूसरे यूनिट में एक अप्रत्याशित तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण अगस्त, 1986 में इसे बन्द करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र कितने समय बन्द रहा तथा उक्त खराबी को दूर करने पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या इस यूनिट ने कार्य करना शुरू कर दिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) मद्रास परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट के ईंधन अन्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया के दौरान रिएक्टर से निकले भुक्तशेष ईंधन के दो बंडल रिएक्टर से बाहर की ईंधन अन्तरण प्रणाली में फंस गए थे । फंसे हुए बंडलों को भुक्तशेष ईंधन पूल तक ले जाने के लिए यह यूनिट 14 अगस्त, 1986 से बंद किया हुआ है । खराबी को दूर करने के लिए कोई विशेष अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है । यह व्यय सामान्य अनुरक्ष के लिये गए प्रावधान के अन्तर्गत किया गया है ।

(ग) रिएक्टर के दूसरे यूनिट को फिर से चालू कर दिया गया है और आशा है कि इसे शीघ्र ही ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा ।

सरकारी चिह्न के उपयोग सम्बन्धी आदेश

327. **श्री दिनेश सिंह** : क्या गृह मत्री मन्त्री लेखन सामग्री पर सरकारी चिन्ह का उपयोग करने के बारे में 13 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4095 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी चिन्ह के उपयोग के बारे में जारी किये गए आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों और मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा सरकारी चिन्ह के उपयोग के लिए निर्धारित डिजाइन स्थान और रंग सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जा रहा है ; और

(ग) क्या गत एक वर्ष में सरकार ने इन मार्ग-निर्देशों से विचलन का कोई मामला पाया है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) भारत के राज्य चिन्ह के प्रयोग से सम्बन्धित आदेश जिनमें मंत्रालयों और विभागों, केन्द्रीय सरकार के अधीन एजेंसियों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के अनुसरण के लिये आदेश है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए हैं। आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3193/86]

(ख) राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और उनकी एजेंसियों द्वारा चिन्ह के प्रयोग के लिये आकार, नियोजन और प्रकार से सम्बन्धित निर्धारित आदेशों का कोई विचलन इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

राष्ट्रीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना

328. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय परमाणु विद्युत निगम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नये परमाणु विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने की योजना यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया है कि परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की जाए।

(ग) दो नये परमाणु बिजलीघर लगाने का निर्णय लिया जा चुका है जिसमें से प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी। उनमें से एक बिजलीघर कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर लगाया जाएगा और दूसरा राजस्थान में रावत भाटा स्थित वर्तमान बिजलीघर के विस्तार के रूप में होगा। अतिरिक्त परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए स्थलों के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा में घुसपैठ

329. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-पाक सीमा में कोई घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) जनवरी, 1986 से अब तक इन झड़पों में कितने भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए ; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा हमले की संभावना का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत-पाक सीमा पर हाल ही मे मिलिटरी—घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारी सशस्त्र सेनायें सीमाओं के पार से होने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सदैव सतर्क रहती हैं;

[अनुवाद]

चौथे वेतन आयोग द्वारा पुलिस कर्मचारी का वर्गीकरण

330. श्री शांताराम नायक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि है चौथे वेतन आयोग ने पुलिस कर्मचारी का वर्गीकरण एक अकुशल श्रमिक के रूप में किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

331. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को संचालित करने के लिए नियम निर्धारित किये हैं ;

(ख) इन नियमों के शीर्षक क्या है ;

(ग) क्या आयोग केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों को इन नियमों के अतिरिक्त इस विषय पर निर्देश और अनुदेश भी जारी करता है ; और

(घ) यदि हां, तो किन मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाये गए हैं और निदेशों और अनुदेशों के अन्तर्गत क्या-क्या पहलू आते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० एस० ऐंग्ती): (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पद्धतियां अपनाकर सिविल संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पदों पर भर्ती करता है :

संघ लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

(क) परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार सहित/साक्षात्कार के बिना भर्ती ।

(ख) विज्ञापन तथा साक्षात्कार द्वारा भर्ती ।

(ग) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ।

(घ) प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति ।

ऊपर निर्दिष्ट की गई विभिन्न पद्धतियों द्वारा नियुक्तियां नीचे बताए अनुसार, प्रत्येक मामले में अधिसूचित किए गए नियमों के आधार पर की जाती हैं :

क. परीक्षा द्वारा साक्षात्कार सहित/साक्षात्कार के बिना नियुक्ति

प्रत्येक परीक्षा को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक अवसर पर नियमों को

अधिसूचित किया जाता है, जिनमें रिक्तियों की संख्या, विषय, पाठ्यक्रम तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आबंटित किये गए अंकों सहित परीक्षा के विभिन्न ब्यौरे निर्धारित किये जाते हैं। यदि नियमों में परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी निर्धारित किया गया हो तो नियमों में साक्षात्कार के लिए आबंटित अंकों का प्रतिशत भी निर्दिष्ट किया जाता है। साक्षात्कारों के मामले में, आयोग संगत निकायों के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करता है।

ख. विज्ञापन तथा साक्षात्कार द्वारा भर्ती

इस पद्धति के अन्तर्गत भर्ती पूर्णतः संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन विनिष्ट पद के लिए अधिसूचित किये गए भर्ती नियमों के आधार पर की जाती है जिनमें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं और अनुभव का सुस्पष्ट शब्द निर्देश होता है। इन योग्यताओं तथा अनुभव आदि का उल्लेख आयोग द्वारा जारी किए गये विज्ञापन में किया जाता है : विज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि प्रार्थनापत्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो आयोग योग्यताक्रम के अनुसार छंटाई करके सूची तैयार करने की पद्धति अपनाएगा जिससे कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या और रिक्तियों की संख्या के बीच अनुपात बना रहे। कतिपय पदों के मामले में जिनके लिए विशेष कार्य-कुशलता तथा अभिरुचि अपेक्षित होती है और जहां प्रार्थना पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, वहां आयोग साक्षात्कार के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने की पद्धति भी अपनाता है। संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किये गए साक्षात्कारों के आधार पर चुनावों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

ग. पदोन्नति द्वारा चयन

इस मामले में भी चयन प्रत्येक पद अथवा पदों के प्रवर्ग के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों के उस प्रवर्ग का निर्देश किया जाता है जो कि पदोन्नति के लिए पात्र होगा और साथ ही पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा-वर्षों का भी उल्लेख किया जाता है। विभागीय पदोन्नति समिति का गठन या तो भर्ती नियमों में या सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किया जाता है। चयन पद्धति तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की संचालन प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों में निर्धारित की जाती है।

घ. प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्तियां

स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए नियमों में यथानिर्धारित विभिन्न स्रोतों से नामांकन मंगवाने के परिपत्र सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद विभाग प्राप्त हुए सभी नामांकनों को प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता पर टिप्पणियों के साथ आयोग को भेजता है। इस प्रकार पात्रता का मूल्यांकन, अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों में उल्लिखित

अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है कतिपय वरिष्ठ तकनीकी हैसियत के पदों के मामलों में जहां पात्र अधिकारी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों जैसे विभिन्न स्रोतों से सम्बन्धित होते हैं वहां आयोग चयनों को वैयक्तिक चर्चा के आधार पर अन्तिम रूप देता है जिसमें भर्ती क्षेत्र के एक अथवा दो सलाहकार सहयोजित किए जाते हैं।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर यह देखा जा सकता है कि आयोग द्वारा किए गए चयन प्रत्येक मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन या संगत सांविधिक नियमों/विनियमों के अधीन अधिसूचित किए गए आयोग से निदेश, अनुदेश आदि सांविधिक नियमों के आधार पर किए जाते हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के लिए निदेशों तथा अनुदेशों का सम्बन्ध है यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयोग की भूमिका सलाहकार स्वरूप की होती है और उसके द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जाते।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, योग्यताक्रम सूचियां तैयार किए जाने, विशेषज्ञों के सहयोजन आदि के माध्यम से चुनावों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया भी एक ऐसी सुस्थापित पद्धति के अनुरूप है, जो कि आयोग की आन्तरिक गोपनीय क्रियाविधियों का ही एक अंग होती है, जिन्हें परम्परा और व्यवहार के अनुसार सार्वजनिकरूप से अधिसूचित नहीं किया जाता।

"राजस्थान घाना पक्षी अभ्यारण्य में आग लगने की घटना"

332. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में घाना पक्षी अभ्यारण्य में हाल ही में भयंकर आग लगी थी ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कोई हानि हुई है तथा इसमें क्या किसी तोड़-फोड़ की आशंका है ; और

(ग) आग लगाने की घटना की सरकार द्वारा की गयी जांच का परिणाम क्या निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) दिनांक 15 अक्तूबर, 1986 को लगी आग से राजस्थान में केवलदेव घना राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 108 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसका कुल क्षेत्र 2873 हेक्टेयर है। क्षति गंभीर एवं स्थायी नहीं है और किसी भी पक्षी एवं पशु-जीवन की हानि की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जांच प्रारम्भ की गई है।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एकमुश्त समझौता

333. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने, 18 सितम्बर, 1986 को उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच विचार विमर्श के दौरान विचार किये गये 684 करोड़ रुपये के एक मुश्त समझौते को मंजरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिसके लिये यह धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इस विचार-विमर्श के सम्पूर्ण निष्कर्ष के प्रति राज्य सरकार ने क्या प्रक्रिया व्यक्त की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां ।

(ख) समझौते में शामिल परियोजनाओं की सूची संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के निष्कर्ष का स्वागत किया ।

समझौते में शामिल परियोजनाओं की सूची

कुल संवेष्टन (पेकेज)

		(करोड़ रु०)	
1.	आई० एफ० सी० आई० में पटसन आधुनिकीकरण निधि	150.00	
2.	पुनर्स्थापन, पुनर्प्रारंभ व पुनर्निर्माण के लिए पटसन विशेष निधि यह (उत्पादन-शुल्क के उन्मूलन का एक विकल्प है)	100.00	(ओ० टी०)
3.	द्वितीय हुगली पुल (ऋण)	80.00	
4.	सुपर बाजार की तरह के भंडार	1.04	
5.	614 आबादकार कालोनियों को नियमित करना	93.00	अनेक वर्ष से
6.	रेलवे यात्री निवास	3.00	
7.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर शोध केन्द्र तथा कैंसर अस्पताल का एकीकरण	4.00	

8.	नया कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल हवाई अड्डा	23.00
9.	गंगासागर व मायापुरी में यात्री निवास	0.03
10.	साल्ट लेक स्टेडियम को पूरा करने के लिए अनुदान	10.00
11.	नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का पूर्वी केन्द्र (सुविधाओं का विस्तार)	3.00
12.	मैरियन एक्वेरियम तथा शोध केन्द्र, दीघा	1.97
13.	सी० ई० एस० सी० के लिए कोयला, पर्यावरण और निवेश की दृष्टि से 67.5 मेगावाट की क्षमता वाली 2 इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकृति	210.00
14.	दीघा-तमलुक लाइन	5.00
	कुल स्वीकृत संवेष्टन=	684.00

दक्षिणी अफ्रीकी नौसैनिक टोही विमान द्वारा भारत की गोदावरी श्रेणी की फ्रिगेट का पीछा करना

334. **डा० कृपा सिन्धु भाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो दक्षिणी अफ्रीकी नौसैनिक टोही विमानों ने क्यूबा से गोदावरी श्रेणी की फ्रिगेट का बहुत निकट से पीछा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना से सम्बन्धित परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक दक्षिण अफ्रीकी टोही विमान ने 12 सितम्बर, 1985 को पोत के आस-पास उड़ान भरी थी। परन्तु किसी युद्धक विमान ने इस पोत का पीछा नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं योजना अवधि में गरीबी उन्मूलन

335. **श्री आर० एस० माने** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1986 को निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशतता क्या थी ; और

(ख) सातवीं योजना अवधि में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हर पांच वर्ष में एक बार पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित सर्वेक्षण करता है जो योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाने का आधार है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर नवीनतम सर्वेक्षण जनवरी से दिसम्बर 1983 तक किया गया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी के अनुमान वर्ष 1983-84 के लिए राज्य-वार तैयार किए गये और ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप सातवीं योजना की विकास कार्यनीति और इससे उत्पन्न होने वाली संवृद्धि के स्वरूप से गरीबी के कम होने की संभावना। त्वरित कृषि संवृद्धि, पूर्वी भारत में चावल की अधिक उत्पादकता, शुष्क भूमि कृषि क्षमता का विकास, छोटे और सीमान्त किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल देने से गरीबी कम करने में काफी सहायता मिलेगी। जनजातीय विकास कार्यक्रमों और अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना जैसे कार्यक्रमों के अलावा ग्राम और लघु उद्योगों जैसे उद्योगों की कार्यनीति से भी गरीबी कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने और रोजगार संवर्धन करने जैसे अनेक कार्यक्रमों को सातवीं योजना में त्वरित गति से जारी रखा जा रहा है जिनका उद्देश्य परसम्पत्तियों के सृजन और रोजगार सृजन द्वारा गरीबों की आय में वृद्धि करना है। गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को संसाधन आवंटित करते समय गरीबी कम करने की दिशा में छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना में अधिक बल दिया जाना है जिससे गरीबी के अधिक अनुपात वाले राज्यों को इन कार्यक्रमों के लिए अधिक धनराशियां आवंटित की जाएंगी।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशत : 1983-84 (अनंतिम)

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू और कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.5	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिमी बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21.	नागालैंड, सिक्किम और सभी सं०रा० क्षेत्र	1 .9	47.4	14.4	17.7	32.3	26.1
	अखिल भारतीय	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणी :—

1. उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56.64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

2. 1983-84 के लिए, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गरीबी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

3. ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 38वें दौर (जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983) से सम्बन्धित अनंतिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में, किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

5. गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से सम्बन्धित हैं।

नकली कारतूस सप्लाई करने से सम्बन्धित कपटपूर्ण सौदा

336. श्री मोहम्मद महफ़ूज अली खाँ
श्री पी० एम० सईद
श्री प्रकाश बी० पाटिल
डा० बी० एल० शैलेश
श्री कमला प्रसाद सिंह
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1986 के अन्तिम सप्ताह में गन कार्टरेज फैक्ट्री, जबलपुर को बड़े पैमाने पर नकली कारतूस सप्लाई करने से सम्बन्धित एक कथित कपटपूर्ण मामला समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नकली कारतूस सप्लाई करने के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार ने मामले पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) त्रुटिपूर्ण खाली कारतूस खोल सप्लाई करने का मामला प्रेस रिपोर्ट से पहले सरकार के ध्यान में आ गया था। इस सम्बन्ध में जांच की गई तथा मामले को मार्च, 1986 में जांच करने एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया।

सैनिक स्कूलों के बारे में सहारे समिति की सिफारिशें

337. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों के शिक्षण स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों पर हुए व्यय की पुनरीक्षा करने के लिए वर्ष 1978 में नियुक्त सहारे समिति की सिफारिशें क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू वेतनमान जुलाई, 1978 से लागू किए गए थे जबकि केन्द्रीय विद्यालय और केन्द्रीय सरकार के स्कूलों में ये जनवरी, 1973 से लागू हुए थे ;

(ग) यदि हां, तो उक्त भेद भाव के क्या कारण हैं ;

(घ) सहारे समिति ने अन्य क्या लाभों की सिफारिश की थी जिन्हें सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा अभी क्रियान्वित किया जाना है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले बोनस, चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी के एवज में नकद भुगतान जैसे अन्य लाभ सैनिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सैनिक स्कूलों की सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा गठित उप-समिति ने सैनिक स्कूलों के शिक्षण स्टाफ के लिए उन्ही वेतनमानों की सिफारिश की जो केन्द्रीय विद्यालयों में उनके समकक्षों पर लागू थी। अन्य कर्मचारियों के मामले में समिति ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों को अपनाने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) सैनिक स्कूलों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए उप-समिति ने इन वेतनमानों को 1-7-1978 से अपनाने की सिफारिश की तथा इसे बोर्ड आफ गवर्नर्स ने स्वीकार कर लिया था।

(घ) उप-समिति ने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभों की सिफारिश की थी जिन्हें बोर्ड आफ गवर्नर्स ने अस्वीकार कर दिया :—

(i) शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों दोनों को तथा उनके परिवारों को स्कूल की डिस्पेंसरियों और राज्य सरकार के नजदीकी अस्पतालों में, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(ii) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों को सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को भी दिया जाए।

(ङ) सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मुख्यत: वित्तीय कठिनाइयों के कारण सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता और छुट्टी के एवज में नकद भुगतान जैसे लाभ नहीं दिए हैं। फिर भी, सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को इस शर्त पर बोनस का लाभ दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए अपने प्रतियोगी विद्यार्थियों में से स्कूलों के एक वित्तीय वर्ष में एक न्यूनतम प्रतिशत में विद्यार्थी भेजें।

सैनिक स्कूलों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

338. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारे समिति ने सैनिक स्कूल सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह विशिष्ट सिफारिश की है कि केन्द्रीय विद्यालयों ने शिक्षकों के वेतनमानों में स्वत: संशोधन किए जाने की स्थिति में सैनिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों में स्वत: संशोधन किया जाए ;

(ख) क्या सहारे समिति ने यह सिफारिश भी की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने का निर्णय किए जाने पर सैनिक स्कूलों के अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में स्वत: संशोधन किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दोनों सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अब तक इन सिफारिशों को सैनिक स्कूलों की सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। लेकिन सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों सहित उन स्कूलों से सम्बन्धित सभी पहलुओं को देखने के लिए सरकार ने मई 1986 में शिक्षाविदों का एक अध्ययन दल गठित किया है। इस अध्ययन दल की सिफारिशों को देखते हुए सैनिक स्कूल द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के अध्ययन हेतु शिक्षाविदों के अध्ययन दल का गठन किया जाना

339. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल समिति के शासी बोर्ड ने सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के अध्ययन हेतु हाल ही मे मेजर जनरल वाई० एन० शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षाविदों के एक अध्ययन दल का गठन किया है ;

(ख) इसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या इसके द्वारा शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं वेतनमान ढांचे पर भी विचार किया जाएगा ; और

(घ) इस बारे मे उनके हितों के संरक्षण एवं पुनरीक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) शिक्षाविदों के अध्ययन दल का गठन सरकार ने किया है, सैनिक स्कूल सोसायटी के शासी बोर्ड ने नहीं।

(ख) अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(I) सैनिक और मिलिटरी स्कूलों के विद्यमान कार्य संचालन का अध्ययन करना तथा उनमें हर दृष्टि से सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना।

(II) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं/सेवा चयन बोर्डों में सैनिक एवं मिलिटरी स्कूलों के विद्यार्थियों के असन्तोषजनक कार्य के कारणों का पता लगाना।

(III) सैनिक एवं मिलिटरी स्कूलों के कार्य संचालन में सुधार लाने के लिए उच्च स्तरीय अध्ययन दल 1975 की रिपोर्ट की जांच करना एवं उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत निर्धारित अध्ययन के आधार पर इस विषय पर सुविचारित सिफारिशें पेश करना।

(ग) जी, हां।

(घ) अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की समीक्षा करने का काम सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके नेता से यहां पर पूछूंगा। मैंने आपके नेता से पूछा है। श्री सुदेव आचार्य, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट···मैं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं चाहते कि मैं श्री बसुदेव आचार्य की बात सुनूं।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मन्त्री ने गोरखा लैंड आन्दोलन के बारे में एक अत्यन्त खतरनाक वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आचार्य से पूछता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए·····यह क्या हो रहा है। मैंने एक ही व्यक्ति को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी। आचार्य जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : इस पर आज ही स्थगन प्रस्ताव के रूप चर्चा की जानी चाहिए।

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? स्थगन प्रस्ताव की कोई बात ही नहीं है। हम इस पर विचार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी इधर देखिए !

(व्यवधान)

मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। आप सुनिए, मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भई, ऐसा करने से गाड़ी नहीं चलेगी। आप सुनिए, ऐसा करने से गाड़ी नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बैठ जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। आपको स्पष्ट करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात करने का ढंग नहीं है। मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैंने आपसे बात की है। हम सब इस बात से सहमत थे कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई सवाल ही नहीं। सुनिए। (व्यवधान) श्री सैफुद्दीन चौधरी, यह कोई तरीका नहीं है। कृपया धैर्य से काम लें।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधान मन्त्री ने अत्यन्त खतरनाक वक्तव्य दिया है···

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिये सुनिए। इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इसी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं :

श्री वसुदेव आचार्य : आप को स्पष्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात पर विचार कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से एक साथ बात नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। मैं आप सबसे एक साथ बात नहीं कर सकता। मैं आप से कुछ कह रहा हूं। मैंने आपकी बात मान ली है। मैंने आपसे अनुरोध किया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, यह आपकी बड़ी बुरी आदत है। आप इतने होनहार व्यक्ति हैं और इतने अच्छे काम कर सकते हैं। इस तरह से नहीं। आप एक बात जानते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऊपर क्यों देख रहे हैं। मेरी तरफ देखिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी बात सुनें···

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। कुछ नहीं।

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : अब इधर देखिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रजातन्त्र है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आप

* * कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

इसका विरोध कर सकते हैं, इससे इन्कार नहीं कर सकते। आप इस पर बहस कर सकते हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति आपको दे सकता हूं। इसमें सन्देह नहीं ;

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी। जो जैसा चाहता है, उसे वैसा करने दें।

(व्यवधान) * *

श्री इंद्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : महोदय, मेरा एक सुझाव है ? (व्यवधान) क्या मैं इस विषय पर एक सुझाव दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सुझाव सुनने के लिए तैयार हूं किन्तु सह सब अनाप-शनाप सुनने के लिए तैयार नही हूं। यह इतना घटिया और ओछा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों की मर्जी से चलूंगा। मैं किसी बात पर रोक नहीं लगाता।

(व्यवधान)

वसुदेव आचार्य : क्या आपने प्रधान मन्त्री का वक्तव्य नहीं देखा ? (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपने हमारी बात नहीं सुनी है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों सदनों के सदस्यों ने भाग लिया है, पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया है। अब आपने अपनी बैठक में बताया है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में विचार कर रहे हैं। अब स्थिति के महत्व और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पर पूरी बहस की अनुमति देने के बारे में विचार करेंगे जिन सदस्यों के नाम बैलेट में आए हैं केवल वही बोलेंगे, अन्य सदस्य नहीं बोल सकते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर बहस करने की अनुमति प्रदान करें।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे अधिकार दिया है, आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है। आपने मुझे कुछ कर्त्तव्य सौंपे हैं। क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? कृपया एक-एक करके बोलिए। आप फिक्र न करें। कुछ अनुशासन तो होना ही चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी कह लीजिए आप भी बोलिए, आप क्यों बैठे हैं।'

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग इसी तरह से शोर शराबा करते रहे तो मेरी क्या आवश्तकता है ? यदि यह सदन इसी प्रकार चलना है तो आपने मुझे चुना ही क्यों है। मैंने पहले भी आपकी बात सुनी और मैं आगे भी आपकी बात सुनूंगा। मैं अपने सहयोगियों से यहां कहता रहा हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे चुना है तो मैं भी आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सर्व सम्मति से कार्य करूंगा और मैं यही कर रहा हूं। मैंने इस सदन में कार्य मंत्रणा समिति में नेताओं की बैठक में यह कहा है कि मैं सर्व सम्मति से कार्य करूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। यदि 50 सदस्य एक साथ चिल्लाते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा ठीक है आप चिलाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगी। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमति ले रहा हूं मैं जो ठीक समझूंगा वही करूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो अपना काम करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा सुझाव है कि आप दोनों पक्षों के सदस्यों को बोलने की अनुमति दें।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, किस बात पर ? अगर मैं इन्कार करता हूं तो कहिए । मैं तो कहता हूं कि डिस्कशन एलाऊ करूंगा । और मैं क्या कर सकता हूं ? अगर ये 50 कहेंगे तो भी वही बात है और एक कहेगा तब भी वही बात है । मेरे लिए तो बात वही है।

[अनुवाद]

मुझे 50 या 100 से फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे जिस बात से फर्क पड़ने वाला है वह यह है कि सदन मुझसे क्या कह रहा है और मेरी अन्तःकरण की आवाज क्या कहती है ।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कोई नयी बात होती है तो क्या आप अपने पिछले निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, मैंने कब कहा कि मैं डिस्कशन नहीं कराऊंगा ? मैंने तो कहा कि मैं डिस्कशन कराऊंगा ;

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझ पर छोड़ दें । मुझे अपने निर्णय के अनुसार चलना है । मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि—

[हिन्दी]

अगर आचार्य जी लीडर होते हुए भी उनको कुछ पता नहीं तो, मैं क्या कर सकता हूं ।

[अनुवाद]

वह इसमें शामिल थे । हमने निर्णय किया...

श्री वसुदेव आचार्य : बिल्कुल नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी शामिल थे ।

(व्यवधान)

... कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने विवेकानुसार अपना निर्णय लेता हूं।

श्री अमल दत्त : आप एक नया नियम बना रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग बैठ नहीं जाते तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यह मेरा विशेषाधिकार है। और मैं इस विषय पर निर्णय करूंगा। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। मैंने सुना है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री स्वैल

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी मर्जी से इस पर बहस कराऊंगा। मुझे यही कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : तो अपने स्थान पर बैठिए। मैं जो आश्वासन दे सकता हूं, वह पहले ही दिया जा चुका है। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अमल दत्त : कौन-सा आश्वासन?

अध्यक्ष महोदय : यह मुझसे नहीं, उनसे पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है श्री स्वैल।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने और परमाणु बम बनाए जाने के समाचार से देश की सुरक्षा को अचानक खतरा पैदा हो गया है ··(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस विषय में हम आपका समर्थन करते हैं और उस मामले में आप हमारा समर्थन कीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब तक महत्वपूर्ण सदन मुझे इस सम्बन्ध में न कहे, मैं अपना निर्णय कभी नहीं बदलता हूं, अन्यथा मैं आप सबकी राय के अनुसार जो निर्णय करता हूं उसके अनुसार ही कार्यवाही करूंगा और आप इस कार्यवाही का एक अंग थे। आप अपने निर्णय पर कायम रहने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

(**व्यवधान**)

सीमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, इसके लिए प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस सम्बन्ध में बहस करने का अवसर दूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : अतः परिस्थिति बदल गई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं बदला है। मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की राय पूछ सकते हैं और यदि दोनों पक्ष यह महसूस करते हैं कि यह ऐसा गंभीर मामला है जिससे एक और पंजाब बनने के आसार बन रहे हैं तो उस स्थिति में किसी न किसी रूप में चर्चा की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में वे भी मुझसे सहमत होंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैंने कब कहा है कि डिस्कशन नहीं होगा ? इनकी आदत है इसलिए ऐसा कहते हैं। आचार्य जी जो हैं इनकी पढ़ाने की आदत जाती नहीं है मैं क्या करूं ? पढ़ाने की इनकी आदत है।

[अनुवाद]

वे अध्यापक रहे हैं इसलिए दूसरों को पढ़ाते हैं। इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप साथियों से बात कर लीजिए, झगड़े की जरूरत ही नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : इस सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस सम्बन्ध में चर्चा करवाना चाहता हूं और मैं इसकी व्यवस्था करूँगा···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी मरजी से चर्चा करवाऊंगा। मैं अपनी शक्तियां आपको नहीं सौंपूंगा। मैं इस पद पर बने रहने तक इन शक्तियों का इस्तेमाल करता रहूंगा। मैं त्यागपत्र दे सकता हूं पर अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता···

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन तो मैंने माना हुआ है। मैं करवा दूंगा लेकिन मैं कहने से नहीं चलूंगा।

[अनुवाद]

इसके लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप इसके लिए मेरा गला नहीं पकड़ सकते हैं मैं किसी के आगे नहीं नहीं झुकूंगा। सीधी सी बात है कि···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तो वचनबद्ध ही हूँ।

[हिन्दी]

बाकी मेरी जो आत्मा और दिमाग कहता है उसके अधीन करवा दूंगा। जितना मैंने कहा है, उसे जरूर करवा दूंगा।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। महोदय, चाहे कुछ भी हो मैं अपने निर्णय

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

से नहीं पलटूंगा···

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इतना कह दीजिए कि जल्दी-जल्दी होगा।

(व्यवधान)**

12.22 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(अनुवाद)

स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, शुल्क तथा प्रकीर्ण मामले) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986,

वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना धन कर (संशोधन) नियम 1986,

दान कर अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, मैं, श्री जनार्दन पुजारी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, शुल्क तथा प्रकीर्ण मामले) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 685 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3127/86]

(2) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1151 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन,

---

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो बंगलौर में 10 नवम्बर, 1986 से 17 नवम्बर, 1986 तक आयोजित किए जाने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम के द्वितीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले शिष्ट-मण्डलों के प्रमुखों और उनके पति-पत्नियों को (जहां भी साथ जाएं और अपने-अपने देशों में मंत्रियों की प्रास्थिति धारण करने वाले शिष्ट-मंडलों के सदस्यों को, उक्त शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर भारत के बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बावत विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3128/86]

(3) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 703 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3129/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (15वां संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1055 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3130/81]

(5) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दान-कर (संशोधन) नियम, 1986, जो 1 अक्टूबर 1986 के भारत के राजपत्र में अधसूचना संख्या का० आ० 704 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दान-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 24 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 761(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3131/86]

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1986, जो 4 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1986, जो 4 सितम्बर, 1986 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 655(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1986, जो 5 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (नवां संशोधन) नियम, 1986, जो 1 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3132/86]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 1009 (अ), जो 18 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो डेनमार्क के क्रोनर को भारतीय मुद्रा को अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दर के बारे में है।

(दो) सा०का०नि० 1012 (अ), जो 20 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो बेल्जियम के फ्रैंक और फ्रांस के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 1011 (अ), जो 21 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 108/81-में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि जीवन रक्षक उपस्कर के रूप में एड्स परीक्षण किटों का शुल्क-मुक्त आयात किया जा सके।

(चार) सा० का०नि० 1043(अ), जो 26 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 88/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि "तार" की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जा सके जैसा भूतपूर्व टैरिफ के तहत लागू थी।

(पांच) सा०का०नि० 1048(अ), जो 28 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 9 जून, 1987 की अधिसूचना संख्या 117-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया

गया है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 18 तथा उससे कम कैरेट के सोने को और सोने से बनी विनिर्दिष्ट वस्तुओं को इसमें शामिल किया जा सके।

(छः) सा०का०नि० 1067(अ), जो 9 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 341-सी० शु० और 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 83–सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि छूट के विस्तार को स्पष्ट करने के लिये इन अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिये नये टैरिफ में उपर्युक्त शीर्ष संख्याएं अंतःस्थापित की जा सकें।

(सात) सा०का०नि० 1103(अ), जो 19 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 86/80 सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि छूट के विस्तार को स्पष्ट करने के लिये नायलोन गटस संबंधी अधिसूचना के लिये नये टैरिफ में उपर्युक्त अध्याय संख्या अन्तःस्थापित की जा सके।

(आठ) सा०का०नि० 1104(अ), जो 22 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे एक तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की विनिमय दर के बारे में है।

(नौ) सा०का०नि० 1112(अ), जो 26 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्राओं अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3133/86]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1986, जो 16 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 597 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 16 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 596 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 30 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 654 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1986, जो 30 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 655 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1986, जो 6 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 730 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1986, जो 6 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 731 में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय वन सेवा (काडर-सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 20 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 763 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1986, जो 20 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 764 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1986, जो 20 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 765 में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1986, जो 20 सितंबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 766 में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1986, जो 27 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 796 में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1986, जो 27 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 797 में प्रकाशित हुए थे ।

(13) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1986, जो 27 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 798 में प्रकाशित हुए थे ।

(14) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1986, जो 27 सितंबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 799 में प्रकाशित हुए थे ।

(15) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन), पांचवां संशोधन विनियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 833 में प्रकाशित हुए थे ।

(16) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 834 में प्रकाशित हुए थे ।

(17) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1986, जो 4 अक्तूबर 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 835 में प्रकाशित हुए थे ।

(18) भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 836 में प्रकाशित हुए थे ।

(19) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 837 में प्रकाशित हुए थे ।

(20) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 838 में प्रकाशित हुए थे ।

(21) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1986, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 880 में प्रकाशित हुए थे ।

(22) भारतीय वन सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1986, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 881 में प्रकाशित हुए थे ।

(23) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1986, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 882 में प्रकाशित हुए थे ।

(24) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1986, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 883 में प्रकाशित हुए थे ।

(25) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम 1986, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 884 में प्रकाशित हुए थे ।

(26) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1986, जो 18 अक्तूबर 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 885 में प्रकाशित हुए थे ।

(27) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1986, जो 4 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 840 मेंप्रकाशित हुए थे ।

(28) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम 1986, जो 25 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1036 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(29) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के अन्तिम परीक्षा) संशोधन अधिनियम, 1986, जो 25 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1037 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी-3134/86]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (सभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा

शर्तें) नियम, 1986, जो 4 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 935 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986, जो 4 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 936 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (सभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1986, जो 28 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1015 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986, जो 22 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1016 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3135/86]

12.24 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 22 अगस्त, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयकों को सभापटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनयमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1986

(2) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1986

(3) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1986

(4) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1986

(5) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1986

(6) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक, 1986

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (भूतत्वश्री छूट) विधेयक 1986)

(8) कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1986

महोदय, मैं, 22 अगस्त, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित निम्नलिखित सात विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभापटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1986

(2) मिजोरम राज्य विधेयक, 1986

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1986

(4) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1986

(5) तमिलनाडु विधान परिषद (उत्साहन) विधेयक, 1986

(6) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 9986

(7) राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक, 1986

12.24½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : महोदय ; मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

इस समय श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी अनुमति नहीं । है···

(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैंने नियम 193 के अधीन सूचना दी है·····

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाउस ऐसे ही चलना है तो यह शर्मसार की बात है ।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल, मैं इस पर, विचार करूंगा···

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए भी वही बात है ।

[अनुवाद]

मैं आपकी बात पर विचार करूंगा । मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचूंगा । यदि समय हुआ और हर दृष्टिकोण से इजाजत दी जा सकती है तथा मेरा मन कहता है कि यह ठीक है, तो मैं करूंगा, अन्यथा मैं उसे स्थगित कर दूंगा । बहुत ही मामूली सी बात है···

(व्यवधान)**

श्री० वत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महाराष्ट्र-कर्नाटक समस्या के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि 10 लाख मराठी लोगों को कर्नाटक में फैंक दिया गया है । क्या आप इसे जनता की मर्जी पर छोड़ देंगे ? मैंने इस सभा में दस-दस बार इसकी सूचना दी है, आप कुछ भी नहीं स्वीकार करते···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। आप चर्चा की मांग कर सकते हैं।

डा० दत्ता सामन्त : मैं गत तीन सत्रों से ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव आदि की सूचनाएं देता आ रहा हूँ। परन्तु आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, परन्तु आप इसे लोगों की मर्जी पर छोड़ देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामन्त, प्रत्येक सप्ताह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और वह इन विषयों पर निर्णय लेती है और आपकी जानकारी के लिये लोकतंत्र है।

डा० दत्ता सामन्त : प्रश्न गृहीत नहीं किये जाते हैं।(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मेरा एक निवेदन है (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, कृपया सुनिये।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय मेरा एक अत्यन्त आदरपूर्ण निवेदन है। वह यह है कि इन बातों पर निर्णय करने के लिए समिति है। आप सत्र आरम्भ होने से पहले विपक्षी नेताओं से मिलते हैं आप मिलें। उसके बाद यह बात कार्य मंत्रणा समिति में रखी गई। इस पर पहले ही आम सहमति है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : आप ने जो कुछ बात कही है, मैं केवल उसे दोहरा रहा हूं। उस बैठक में इस खास मामले पर जिसे हमारे मित्र उठा रहे हैं, सर्व सम्मति हुई थी कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा और आपने वही कहा। उस बैठक में सभी उपस्थित थे। अब मैं कहता हूं कि जो उस समय उपस्थित थे, वे इस सभा में खड़े हैं और स्थिति को बिगाड़ते हैं और फिर बाद सभा से बाहर चले जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

इसके दूसरे भाग, अर्थात् सुरक्षा वातावरण के बारे में आपने कहा है कि आप विचार करेंगे। आप उस पर विचार करें। (व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : यह बात हमारे सामने नहीं आई थी। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (पोडियेट्टिपालयम) : पाकिस्तान हमारे देश की सुरक्षा को धमकी दे रहा है। यह एक गंभीर मामला है और इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में·····(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए यहां करने को कुछ भी नहीं है। यह उनकी दलगत राजनीति है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह दलगत राजनीति है, यहां नहीं।

[हिन्दी]

यह वहां का सवाल है, हमारा कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप मुझसे मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप की संसद् के समाचार बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टेलीप्रिंटर और टेलेक्स सेवाएं बन्द हो गई हैं, ठप्प हो गई हैं। खास तौर से हिन्दी भाषा के समाचार बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप संचार मन्त्री जी से कहें कि वे इस मामले को ठीक करें। उनकी हड़ताल चल रही है और संसद की कार्यवाही के समाचार बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : करेंगे, करेंगे ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : मैंने मामला उठाया है कि कर्नाटक सरकार·····(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामन्त यह ठीक है, परेशान मत होइये ।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, आप क्यों नाराज हो रहे हैं ?

श्री अजय मुशरान : आज सुबह मैं ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में एक सूचना दी है । हमें आज सुबह के समाचार पत्रों से इसके बारे में पता चला है और इसी कारण हमने अनुरोध किया है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा । आप यह न मानें कि मैंने इसकी अनुमति दे दी है । जी नहीं मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं ।

श्री अजय मुशरान : मेरा अनुरोध है कि आप आज ही इस पर विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यही तात्पर्य है । आपका अनुरोध विचाराधीन है, मैं इतना ही कह सकता हूं । आपका अनुरोध विचाराधीन है और यह मेरा विशेषाधिकार है, मैं इसे त्यागना नहीं चाहता । यह बिल्कुल मामूली सी बात है ।

श्री दत्ता सामन्त, यदि आप चाहते हैं, तो इसे नियम 377 के अधीन उठा सकते हैं और मैं इसकी अनुमति दे दूंगा ।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, मैं तैयार हूं । कन्नड़ भाषा को पहली कक्षा से अनिवार्य कर दिया गया है । यह संविधान के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता ।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने सभा में यह मामला दस बार उठाया है··· ··(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : श्री भट्टम श्री राममूर्ति ।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, यदि आप को यही उत्तर देना है, तो मैं सभा का बहिष्कार करता हूं ।

(तत्पश्चात डा० दत्ता सामन्त सभा भवन से उठ कर बाहर चले गये ।)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.30 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

कराची में पैन-अमेरिकन विमान का अपहरण

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति ।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें—

> "कराची हवाई अड्डे पर हाल में पैन-अमेरिकन विमान के अपहरण और स्थानीय अधिकारियों के अनुपयुक्त कार्यवाही किये जाने के कारण भारतीय मूल के अनेक व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में यात्रियों के मारे जाने तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

12.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : 5 सितम्बर, 1986 को कराची हवाई अड्डे पर चार विमान अपहरणकर्ताओं ने पैन-अमरीका विमान पी० ए-073 पर कब्जा कर लिया जो बम्बई से प्रातः 4.15 पर चला था । विमान अपहरणकर्ताओं की अभी शिनाख्त की जानी है । बम्बई से चलते समय विमान में चालक दल सहित 416 व्यक्ति थे जिनमें 200 से अधिक भारतीय थे । रात को 9.30 बजे (भारतीय मानक समय) के थोड़ी देर बाद विमान की रोशनी चली गई और उसी समय हवाई पट्टी की बतियां भी बुझ गई । इसके तुरन्त बाद ऐसा लगता है कि विमान अपहरणकर्ता हड़बड़ा गए और उन्होंने यात्रियों पर गोली चलानी शुरू कर दी । उसके परिणामस्वरूप 13 भारतीय राष्ट्रिकों सहित 20 व्यक्ति मारे गए और लगभग 117 व्यक्ति घायल हुए जिनमें 76 व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक हैं । भारतीय मृतकों के बारे में सूचना हमें खुद अपनी पहलकदमी तथा प्रयासों से मिली और सम्बन्ध में औपचारिक रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार से अभी तक नहीं मिली है जैसा कि 1944 के सिकागो अभिसमय में अपेक्षित है ।

विमान अपहरण की सूचना मिलते ही प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जो हरारे में राष्ट्रपति जिया के साथ गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, ने तुरन्त राष्ट्रपति जिया से इस बात का आश्वासन चाहा कि पाकिस्तान सरकार भारतीय यात्रियों की सुरक्षा और रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करेगी और राष्ट्रपति जिया ने ऐसा आश्वासन दिया था । इस्लामाबाद और कराची स्थित हमारे राजनयिक मिशन भी इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी अधिकारियों

[श्री के० नटवर सिंह]

के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए थे। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद प्रधान मंत्री ने यात्रियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इस घटना को ठीक तरह से नहीं संभाला जिसकी वजह से अनेक लोगों की जानें गई।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इंडियन एयरलाइन्स विमानों के पहले के अपहरणों में पाकिस्तान का हाथ है तथा बताया कि यदि पाकिस्तान अपहरणकर्ताओं को इसी प्रकार प्रोत्साहन देता रहा और उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो इस प्रकार के अपहरण होते ही रहेंगे।

भारत ने इस घटना की गहराई से जांच करने की मांग की और 23 सितम्बर, 86 को मांट्रियल में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बैठक में यह आशा व्यक्त की कि भारी संख्या में हताहत यात्रियों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कड़ी कार्रवाई की जायेगी। भारत ने पाकिस्तान से इस घटना की अधिकृत रिपोर्ट भेजने की भी मांग की है।

पाकिस्तान ने घटना की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया है। दो महीने बीत जाने के बावजूद भी जांच-पड़ताल के परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

प्रधान मंत्री के आदेश पर इस्पात और खान मंत्री श्री के० सी० पंत और नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए कि भारतीय राष्ट्रिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा प्रदान की जाए और जो यात्री भारत वापस लौटाना चाहें वे तुरन्त लौट सकें, डाक्टरों के एक दल के साथ 6 सितम्बर, 1986 को एक विशेष विमान द्वारा कराची गए। पाकिस्तान में हमारे राजनयिक मिशनों ने भी समूची घटना के दौरान पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा, हालांकि उनसे समुचित सहयोग नहीं मिल रहा था। गोलाबारी होने के बाद कराची में हमारे प्रधान कौंसलावास के अधिकारी उन हस्पतालों और होटलों में गए जिनमें यात्रियों को ठहराया गया था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी ओर से भरसक कोशिश करके दुर्घटनाग्रस्त पैन एम विमान के भारतीय राष्ट्रिकों को कुछ सहायता प्रदान की।

पाकिस्तान ने इस घटना के दौरान जिस तरीके से कार्रवाई की उससे सरकार पूर्णतः असंतुष्ट है, विशेषकर इसलिए कि इस दुर्घटना में हताहत हुए भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा थी।

सर्वोच्च स्तर पर पाकिस्तान के आश्वासनों के बावजूद, पाकिस्तान में इस घटना पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति बहुत कम रुचि दिखाई। यह भी खेदजनक बात है कि अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बारे में हमसे सलाह करना तो दूर रहा पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने हमें उचित रूप से सूचना भी नहीं दी। सरकार

आशा करती है कि पाकिस्तान जांच-पड़ताल शीघ्र पूरी करके हमें एक पूरी रिपोर्ट भेजेगा और जो लोग इस अपराध में दोषी पाए जाएंगे उन्हें दंड देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति। आपके लिए दस मिनट का समय है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं जानता हूं। आप कोई नई प्रक्रिया स्थापित नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्मरण करा रहा हूं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि संभव हो तो आप भी लोगों की सहायता कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपको सिर्फ याद दिलाया था।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : यदि आप सहायता नहीं कर सकते, तो भी ठीक है। अन्यथा आप अन्त में रोक लगाते हैं, प्रारम्भ में नहीं।

महोदय पाकिस्तान सरकार ने स्थिति को समझदारी से नहीं निपटाया है और इसमें गड़बड़ी कर दी है जिसके फलस्वरूप पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की नृशंसतापूर्ण सामूहिक हत्या की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। प्रधान मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि कराची में पैन अमरीकन जुम्बोजेट के अपहरण और बाद में हुई हत्याओं के लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्हें स्वयं को जिम्मेदार मानना चाहिए। इस देश का यही विचार है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। हमारा यही विचार है। उन्होंने न केवल गड़बड़ी की है, बल्कि वस्तुतः वे निर्दोष पुरुषों महिलाओं और बच्चों के इस सामूहिक हत्याकांड के लिए भी जिम्मेदार है। वस्तुतः प्रधान मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान ने अपहरणकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया है। पाकिस्तान तो यह सिद्ध करना चाहता था कि इसके लिए अन्य तत्व, लीबियाई जिम्मेदार हैं। शुरू में यह कहा गया था कि इसमें कुछ उर्दू भाषियों का हाथ है। उस समय प्रधान मंत्री ने स्वयं स्पष्टतः यह कहा था कि ऐसे व्यक्ति इस उप महाद्वीप में ही हैं जो उर्दू में बातचीत कर सकते हैं। पता नहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बयान को क्यों बदल दिया है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारी समय-समय पर परस्पर विरोधी बातें करते हैं और विभिन्न प्रकार के बयान देते हैं। इस बात पर भी विचार करना होगा।

5 सितम्बर 1986 को कराची में हुई विमान अपहरण की घटना इस उप महाद्वीप के विमानन के इतिहास में सबसे वीभत्स घटना है। अपहरण के बाद जो सामूहिक हत्याकांड हुआ, उसमें मरे व्यक्तियों में 23 भारतीय मूल के थे—मेरे पास इस समय यही आंकड़े हैं। मन्त्री महोदय कहते हैं कि बन्दूक की गोली से मरे व्यक्तियों की संख्या 20 थी और 130 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे। 1971 से अब तक इस उप महाद्वीप में हुई विमान अपहरण की 15 घटनाओं में से केवल दो घटनाओं में जनहानि हुई—प्रत्येक मामले में एक-एक व्यक्ति ही

[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति]

मारा गया था। हवाई अड्डे में सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने का यह सबसे भद्दा उदाहरण है, आततायी भारी मात्रा में शस्त्र और विस्फोटक सामग्री सहित अपने लक्ष्य के विमान तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच गये।

नागरिक विमानन के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि हवाई अड्डे पर खड़े विमान का अपहरण करने का प्रयास किया गया। विमानन क्षेत्र के जानकारों को कराची की इस घटना के लिए कोई नया शब्द गढ़ना होगा। ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ता साइप्रस में बंदी अपने कुछ साथियों की मुक्ति के लिए बातचीत करने के लिए इस विमान को रास्ता बदल कर साइप्रस ले जाना चाहते थे। यदि यही बात थी तो, जाहिर है कि वे पहले विमान में प्रवेश करते और विमान चालक दल और अन्य यात्रियों को भी अपने स्थान पर बैठने देते और विमान को उड़ान भरने देते, तदन्तर यह सारा नाटक किया जा सकता था। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह एक नाटक रचा गया है। जो भी हो, अब यह बहुत स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान को इस भावी नाटक की पहले से ही जानकारी थी। पाकिस्तानी आसूचना विभाग को इसका पता था, यह बात समाचार-पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से छापी गई थी, लन्दन टाइम्स के रविवारीय संस्करण में भी इस सम्बन्ध में बताया गया था। एक सप्ताह पहले यह बता दिया गया था कि इस प्रकार की घटना अर्थात् अपहरण-कांड होने वाला है। इस पूर्व-जानकारी के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रधान मन्त्री ने स्वयं बहुत ही स्पष्ट कहा है कि भारत को काफी पहले यह सूचित कर दिया गया था कि पाकिस्तान का इरादा विमान पर धावा बोलने का है। यह हमारी खुफिया रिपोर्ट है। पाकिस्तान यह करना चाहता था। पाकिस्तान को भी यह सूचना मिल गई थी कि इस प्रकार की कोई घटना होने जा रही है। इस प्रकार की वारदात होने जा रही है। किन्तु इस बारे में उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। इसके अतिरिक्त पैन अमरीकन जम्बो विमान में प्राधिकारियों ने क्या किया ? अमरीकी गृह विभाग ने आतंकवादियों के विरुद्ध अतिरिक्त सतर्कता के उपाय करने के लिए सभी हवाई कम्पनियों को हिदायतें जारी कीं। पैन अमरीकन प्राधिकारियों ने इसके प्रति उपेक्षा क्यों दिखाई ? पैन अमरीकन ने 12 जून, 1986 को यह विज्ञापन दिया था कि यह अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध चौकसी है। किन्तु उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। अपहरण-कर्ताओं ने हत्याएं कीं, बर्बतापूर्वक और अंधाधुन्ध लोगों को मौत के घाट उतारा।

हमारे सामने हाल ही में घटी घटना है। भारतीय विमान के अपहरण की हाल की घटना से पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि हुई है। हमें पूरे सबूत मिल गए हैं। अपने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उठाया है। इसके अलावा, अपहरण में आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाये गये हथियार एक जर्मन फर्म द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे जिसने इसके लिए साक्ष्य दिया था। यह भी दृष्टव्य हैं कि पाकिस्तान सरकार उस अवसर पर भी कठोर कार्यवाही करने में विफल रही है। अपहरणकर्ताओं पर अभी भी मुकदमा चलाया जा रहा है।

इसके दूसरे पहलू पर विचार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि विमान की सहायक बिजली यूनिट को जानबूझ कर काटा गया था। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो सकता कि विमान की बिजली यूनिट का ईंधन समाप्त हो गया था। हमारे प्रधान मन्त्री ने उस समय ऐसा ही कहा था। मैं इससे सहमत हूं।

श्री जगदीश टाईटलर कराची गए थे। उन्होंने प्रधान मन्त्री को इसकी रिपोर्ट दी थी। इस मामले पर हमने एक प्रेस रिपोर्ट भी दी थी। कराची में पैन अमेरिकन जम्बो पर कब्जा करना एक योजना का अंग था तथा कमांडो कार्यवाही एक दिखावा था। इसका पाकिस्तान ने दावा किया है, लेकिन कोई कमांडो कार्यवाही नहीं की गई। मेरा यह विश्वास है।

ब्रिटेन का प्रेस कहता है कि विमान को कब्जे में लेने के लिए प्रशिक्षित कमांडों दस्ता पैन एम० विमान के आसपास उपस्थित नही था। यह तो किसी दूसरे में विमान में अभ्यास का कार्यक्रम था। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार जैसाकि ब्रिटेन में प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है, कमांडो दस्ते को यह कहा गया था कि दो-तीन घंटों तक इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपहरण जैसे मामले में बातचीत में काफी समय लगता है। हम दो-तीन दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। किन्तु पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इस विशेष मामले में, उन्होंने पर्याप्त धैर्य नहीं दिखाया। पाकिस्तान को अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए थी और कुछ अधिक समय तक उलझाये रखना चाहिए था। बातचीत के समय वास्तव में क्या घटना घटी, इस बारे में मालूम नहीं हो पाया है। बातचीत किसके साथ हुई उसका भी कुछ पता नहीं है। सामान्यत: पाकिस्तान को अधिक समय लेना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। यह सब जानबूझ कर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हमें यह देखना चाहिए कि मृत व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों के साथ क्या हुआ ? इस प्रकार की परिस्थितियों में, पासपोर्टों की जांच करने कागजातों एवं अन्य दस्तावेजों का पता लगाने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने में अति तीव्र गति से कार्य किया जाता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने क्या किया ? उन्होंने इन औपचारिकताओं को पूरा करने में 48 घंटे का समय लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि 98 घायल व्यक्ति और 6 शवों का पहला जत्था अपहरण के 48 घंटे बाद बम्बई पहुंचा। आश्चर्य की बात है कि कोई भी पैन एम० अधिकारी कराची के विभिन्न चिकित्सालयों में भारतीय यात्रियों को देखने के लिए नहीं गया। यह एक अत्यधिक दयनीय पहलू है। हमारे अपने राजदूत अवश्य ही उन्हें देखने गये।

उस समय जबकि पैन एम० हवाई कम्पनी के प्राधिकारियों ने सुरक्षा खामियों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जिसके कारण आतंकवादियों ने विमान को अपने कब्जे में लिया, राष्ट्रपति रीगन और श्रीमती मारग्रेट थैचर ने इस निर्लज्ज और साहसी कार्यवाही के लिए पाकिस्तान की सराहना की। खासकर उस समय जबकि भारत अपने मृत व्यक्तियों का शोक मना रहा था। यह एक अत्यधिक करुणाजनक पहलू है। हमें बताया गया है कि प्रधान मन्त्री स्वयं राष्ट्रपति रेगन के साथ पत्राचार कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि यह किस बारे में है और इसकी विषय-वस्तु क्या है। इस प्रकार के पत्राचार से इस समय स्थिति क्या है, अमरीकी

[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति]

राष्ट्रपति रेगन ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है ? यदि मन्त्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें, तो मैं बहुत आभारी हूंगा।

अमरीकी रक्षा सचिव ने कहा है कि उनका विश्वास है कि अबु निदाल ग्रुप, फिलिस्तीनी छापामारों का एक आतंकवादी दल, इस अपहरण के पीछे हैं।

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं को जब पुलिस वाहनों में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने नारा लगाया था, "हम लेबनान के फिलिस्तीनी हैं।" क्या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा ? क्या वे अपनी पहचान के बारे में चिल्ला-चिल्ला कर घोषणा करेंगे ? क्या वे ऐसा करेंगे ? किन्तु अमरीकी रक्षा सचिव और पाकिस्तानी अधिकारी खुले आम कहते हैं कि इन लोगों ने स्वयं इस प्रकार की घोषणा की है ?

पाकिस्तान सरकार अपहरणकर्ताओं के पूर्ववृत्तों और नामों को प्रकट क्यों नहीं करती ? पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि दो अपहरणकर्ता मारे गए। यह उन्होंने शुरू में ही कहा किन्तु बाद में उन्होंने कहानी बदल दी और कहा कि एक मारा गया और एक घायल हुआ तथा उनकी कुल संख्या चार है। आरम्भ में उन्होंने कहा कि उनकी संख्या पांच है। अब वे कहते हैं कि यह संख्या चार है। समय-समय पर वे अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और अपनी बात बदलते रहते हैं।

विमान अमरीका का था। जिन लोगों की हत्या की गई। भारत के थे। हत्या-स्थल कराची था। अपहरणकर्ता लेबनान के कहे जाते हैं। इसलिए इसमें अनेक देश शामिल हैं। यह केवल पाकिस्तान का कोई आन्तरिक मामला नहीं है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति पर विचार करना है। इसलिए भारत सरकार ने ठीक ही आग्रह किया है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा मामले की निष्पक्ष और अनासक्त रूप से जांच-पड़ताल और छानबीन की जानी चाहिए। हमें इस बात का विश्वास नहीं हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई छानबीन के परिणामस्वरूप सही जानकारी और वस्तुस्थिति का पता लग पायेगा। उनकी राष्ट्रीयता के विषय में अन्ततः वे जो कुछ कहेंगे, वह अवलम्बनीय और विश्वसनीय नहीं होगा। इस बात का भी विश्वास नहीं है कि सही जानकारी मिल पायेगी। पाकिस्तान दूसरों के साथ पूछताछ रिपोर्ट तथा जांच-पड़ताल निष्कर्षों में भाग लेने की इस आधार पर मनाही करता है कि इसमें पाकिस्तान की प्रभुसत्ता निहित है। जांच-पड़ताल बहुत धीमी गति से की जा रही है। अपहरणकर्ताओं की परीक्षण नहीं किया जा रहा है। जांच-पड़ताल को सितम्बर के अन्त तक पूरा कर लिया जाना था, किन्तु अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। यह स्थिति है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इसमें हुई प्रगति के प्रक्रमों का एक प्रामाणिक और तैथिक क्रम से विवरण देने के लिए कहा था किन्तु कुछ भी नहीं दिया गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं समाप्त कर रहा हूं। अपहरण के बारे में पाकिस्तान के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें पता था कि विमान के भीतर रोशनी लगभग 9.30 बजे म०प० चली जायेगी। उसने यह भी कहा कि कमांडो कार्यवाही की सुविधा के लिए विमानपट्टी की बत्तियां बुझा दीं गई थीं। किन्तु दूसरी सुबह उसने अपनी दोनों बातों से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी प्रकार शुरू से ही ऐसा हो रहा है।

पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने यह दावा किया है कि विमान में धमाके के साथ विस्फोट हुआ था। विमान अपहरणकर्ताओं की सही संख्या के बारे में पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : यात्रियों की सुरक्षा के लिए कर्मीदल जिम्मेदार हैं। अपहरणकर्ता ने विमान में काकपिट से प्रवेश नहीं किया। काकपिट के कर्मीदल ने विमान को किशोर अवस्था की नीरजा के ऊपर कैसे और क्यों छोड़ा दिया जिसने अपहरणकर्ताओं का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है। यह अच्छी तरह स्पष्ट है·····

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें भविष्य में इस देश के हितों की सुरक्षा करने के विचार से अधिक सख्त और निश्चित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री जी० एस० बसवराजु (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पैन अमरीकी विमान का अपहरण एक ऐसी अत्यन्त घिनौनी दुर्घटना है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपहरण की घटनाओं के इतिहास में घटी हैं। अन्य देशों में अब तक अपहरण की जितनी घटनाएं हुई हैं ऐसा देखने में आया है कि उन देशों द्वारा अपहरणकर्ताओं पर अत्यधिक नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही की गई है। यह भी पता लगा है कि जिन देशों ने इस समस्या को सुलझा लिया है उन्होंने यात्रियों की जान बचाने के भी प्रयास किए हैं। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसकी सम्पूर्ण विश्व के देशों ने निंदा की है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने यह जानने के लिए अपहरणकर्ताओं से सम्पर्क किया था कि उनकी क्या मांगें हैं और क्या वहां विद्यमान भारतीय दूतावास के अधिकारियों से उस अवधि के दौरान किसी समय परामर्श किया था।

कुछ शंकाएं हैं। क्या अपहरणकर्ताओं द्वारा उपयोग की गई जीप को जप्त कर लिया गया है अथवा नहीं और क्या पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा अपहरणकर्ताओं का पता कर लिया गया है। जिस समय चार बंदूकधारी अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों पर गोली चलाना शुरू किया था उस समय तथाकथित कमांडों कहां थे ? यदि वास्तव में कमांडों को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया था तो अपहरणकर्ता विमान में कैसे घुसे ? पाकिस्तान के प्राधिकारियों और

[श्री जी० एस० बसवराजु]

अमरीकी सलाहकारों की आतंकवादियों के साथ की जा रही तथाकथित गहन बातचीतें क्या थीं, उस बातचीत में भारतीय अधिकारियों को शामिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ? भारतीय अधिकारियों को कंट्रोलटावर में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई और बातचीतों के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया गया ?

अमरीकी संघीय हवाई अड्डा प्रशासन दो सदस्यीय दल सुरक्षा प्रबंधों सहित हाल ही में बम्बई आया था और केवल पिछले सप्ताह में ही करांची में भी गया था। दल की कार्यवाही क्या थी। क्या दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रीमन्, अब यह सर्वविदित है कि पश्चिमी आसूचना एजेंसियों ने सम्भावित आतंकवादी हमलों के बारे में पाकिस्तान के प्राधिकारियों को अग्रिम चेतावनी भेज दी है। इसलिए सभी संवेदनशील स्थापनाओं हवाई अड्डों को सतर्क कर दिया गया था। फिर हवाई अड्डा प्राधिकारियों की जानकारी के बगैर वे हवाई अड्डे की परिधि में कैसे पहुंच गए ?

घटना के बारे में तथ्य नहीं देने के पाकिस्तान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार पैन अमरीकी विमान के अपहरणकर्ताओं का पाकिस्तान कमांडो द्वारा मुकाबला किए जाने के बारे में गहराई जांच करने पर विचार करना सम्भव समझती है ? क्या भारत सरकार ने अपने सूचना केन्द्र से घटना के पूरे तथ्य प्राप्त कर लिए हैं ? भारत में विभिन्न हवाई अड्डों से अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ?

क्या देश में अपहरण की घटनाओं पर विचार करने के लिए इन उपायों में पर्याप्त उपबंध है ? यदि पाकिस्तान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो हमारे देश को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस मामले पर विचार करने से पहले मैं फ्लाईट परिसर भारतीय युवती कुमारी नीरजा मिश्र को अपनी ओर से सम्मान और शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी

वक्तव्य में ही यह कहा गया है कि हमारी सरकार पाकिस्तान के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। इसमें बहुत प्रश्न पहले ही शामिल किए गए हैं। ये बातें सन्देहास्पद परिस्थितियों में हुई हैं। इस सम्बन्ध में, मैं एक नए आयाम के बारे में बताना चाहूंगी जिसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है और जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी नहीं कहा गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस दल ने क्या सूचना दी है जिसमें श्री टाईटलर और श्री पंत, हमारे मन्त्री महोदय शामिल हैं जो सरकार की ओर से पाकिस्तान गए थे। इसके सम्बन्ध में उनकी वास्तविक सूचना क्या है। मैं समझती हूं कि इसका पूरे राष्ट्र को पता होना चाहिए।

जबकि इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान के प्राधिकारियों की ओर से अक्षम्य असफलता हुई थी तो प्रश्न उठता है कि क्या ये असफलताएं जानबूझ कर की गईं और क्या यह कुछ अन्य शक्तियों के साथ सांठगांठ थी। मैं दो संगत प्रश्न पूछना चाहूंगी। हमें जो कुछ सूचना मिली है उसके आधार पर मेरी धारणा यह है कि यह सन्देह करने के कारण हैं कि फिलस्तीनी मुक्ति संगठन लीबिया का बुरा करने तथा भारत सम्बन्धों को खराब करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक निरंकुशता और अमरीकी साम्राज्यवाद की सांठ-गांठ से निश्चित ही राजनैतिक उद्देश्य से यह अपहरण करवाया गया था। ये तीन राजनैतिक उद्देश्य थे जिनके कारण उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी और यह केवल पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा ही नहीं किया गया बल्कि इसमें अमरीकी साम्राज्यवादियों का पूरा सहयोग था। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान में कराची में तैनात किए गए अमरीकी कंसूलजनरल और अमरीकी दूतावास के अन्य वरिष्ठ कार्मिक सिंध के गवर्नर श्री खां के साथ स्थायी तथा घनिष्ठ सम्पर्क बनाए हुए थे जिसके अपहरण द्वारा उत्पन्न इस स्थिति पर कार्यवाही करने में इस वृणित ढंग से व्यवहार किया ? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या यह भी सच है कि यह नियंत्रण कक्ष जो यात्रियों के तथाकथित मुक्ति के कार्य में मार्गदर्शन कर रहा था और ये अमरीकी अधिकारी वहां 'बाकी टाकी' उपकरणों के साथ घूम रहे थे क्या यह भी सच है कि करांची का यह नियंत्रणकक्ष वाशिंगटन में गृह विभाग के संकट प्रबन्ध ग्रुप से सीधे सम्पर्क स्थापित किए हुए था ? इन तथ्यों के आधार पर जो भारतीय समाचार पत्रों और अन्यत्र प्रस्तुत किए गए हैं क्या भारत सरकार ने इस जटिल प्रश्न पर विचार किया है क्योंकि यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पैन एम प्राधिकारी स्वयं यह कहते हैं कि उन्होंने केबिन कर्मीदल को तुरन्त जहाज को छोड़ने के लिए कहा था। पैन एम प्राधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह प्रक्रिया के अनुरूप है। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या अपहरण के इतिहास में यह एक सुस्थापित प्रक्रियाहै कि केबिन कर्मीदल तत्काल जहाज छोड़ते हैं ? यदि नहीं, तो इसका यहां दावा क्यों किया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इसका क्या कारण है कि इस विमान को इसके पश्चात् जाने की अनुमति दी गई क्योंकि विमान के वहां रहने से साक्ष्य भी कहां होते ? क्या यह सच नहीं है कि इस सांठ-गांठ के कारण जांच पूरी होने से पहले ही इस विमान को वहां से जाने की अनुमति दी गई जिससे साक्ष्य नष्ट हो गए। इसके बारे में वास्तविक प्रामाणिक सूचना क्या है ? कुछ लोग कहते हैं कि कमांडो विमान में नहीं गए। उन्होंने सड़क से ही गोली चलाई थी जो व्यवस्थित स्थिति में यात्रियों पर गोली चलाने के लिए अपहरणकर्ताओं के लिए संकेत था क्योंकि सड़क से गोली चलाने के बारे में कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिन में करांची के प्राधिकारियों ने अलग अलग तीन बयान दिए थे। इन सब बातों से पाकिस्तान के प्राधिकारियों और अमरीकी साम्राज्यवादियों में सांठ-गांठ होने के संबंध में अत्यधिक शंका पैदा होती है, जो हमारे लोगों और अन्य देशों के नागरिकों के जीवन की परवाह नहीं करते हैं। वे भारत अरब सम्बन्धों को खराब करना और हमारे साहसी भाइयों को बुरा बनाने चाहते हैं।

1.00 म० पं०

मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सही जानकारी के बारे में जानना चाहूंगी जो सरकार के

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

पास उपलब्ध है। सरकार को यह जानकारी सम्पूर्ण राष्ट्र को बतानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चर्चा भोजनावकाश के पश्चात् सभा के पुनः समवेत होने पर जारी रहेगी।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण (—जारी)

कराची में पैन-अमेरिकन विमान का अपहरण

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नन्जे गौडा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : श्रीमन्, नि.सन्देह मन्त्री महोदय के वक्तव्य में सख्त शब्दों का प्रयोग किया गया है और उससे भी सरकार के इरादे का पता लगता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घटना के दो महीने के पश्चात् भी इसकी जांच के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं हैं। इससे ऐसा लगता है कि अपहरण पाकिस्तान के अधिकारियों की पूरी सांठ-गांठ से किया गया था। श्रीमन् मुझे आश्चर्य है कि ऐसा पता लगा है कि एक अपहरणकर्ता घटना से 18 दिन पहले पाकिस्तान आया था। उसने वर्दी सिलवाई थी और वाहन तैयार करवाया था। वे केवल हवाई अड्डे में ही नहीं घुसे बल्कि वे विमान में भी घुसे। वहां उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने ड्राइवर को गिरफ्तार न कर दर्जी को गिरफ्तार किया है।

श्रीमन्, बहुत बातें हैं जिनका फिर से स्पष्टीकरण दिया जाना है। मैं अभी मन्त्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि मेरे साथियों ने सम्पूर्ण घटना के बारे में पहले ही बता दिया है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अमरीका के राष्ट्रपति, श्री रेगन स्थिति को सम्भालने के लिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों को बधाई देने के बहुत इच्छुक थे लेकिन वे भारत को घटना के संबंध में शोक समाचार भेजने के इच्छुक नहीं थे जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक ने स्वयं सुरक्षा की कमी को स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि प्रेजीडेंट रेगन को उनकी क्षमता पर विश्वास हो गया जो अत्यन्त ही आश्चर्यजनक बात है और जब पाकिस्तान के विदेश मन्त्री

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को आश्वासन देना चाहते थे कि विमान अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जायेगा। और यथाशीघ्र संभव उन्हें कड़ी सजा दी जायेगी, ऐसा लगता है, जब उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री से भेंट की, उन्होंने यह बात भी निकाल दी। महोदय इस नाटक को पूरे रुख से और जिस ढंग से इसे चलाया गया है और ऐसे समय मैं जब हरारे में गुट-निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन चल रहा था, ऐसा लगता है कि दोनों सरकारें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को बदनाम करना चाहती थीं।

महोदय, यह समाचार है कि प्रेजीडेंट रेगन ने हमारे प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है। हम अमरीका के राष्ट्रपति के पत्र की विषयवस्तु को जानने के लिए उत्सुक हैं और क्या हमारे प्रधान मंत्री ने उसका उत्तर दिया था अथवा नहीं। यदि उन्होंने उस पत्र का उत्तर दिया था, तो उसमें क्या लिखा था। हम उसे भी जानने के लिए उत्सुक हैं।

महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1944 के शिकागो समझौते का उल्लंघन किया है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है क्योंकि उन्होंने 1944 के शिकागो समझौते का उल्लंघन किया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसी स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा जांच किए जाने सम्बन्धी अन्य उपबंध पर विचार किया है अथवा क्या वे संयुक्त राष्ट्र संघ को इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए मनवा रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए जानना चाहता था कि हमें विश्वास है कि यदि पाकिस्तान सरकार इस बात की जांच करेगा, तो यह निश्चित है कि वे इसे छिपा देंगे। उनका दोषी को दण्डित करने का कोई इरादा नहीं है। यही कारण है कि हमारी सरकार को इस बात पर गम्भीर रूप से सोचना चाहिए तथा क्या हमें इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध करना चाहिए। मैं भी यह जानना चाहता था। और वहां पर भी यह मामला उठा। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि किन-किन देशों में इस गतिविधि की निन्दा की है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस गतिविधि की निन्दा नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री के० नटवर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पैन एम के विमान के अपहरण के सम्बन्ध में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। वे चार सदस्य जो बोले हैं, करांची हवाई अड्डे पर हुई अत्यन्त दुखद घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत हैं जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है जब यह घटना हुई, उसी वक्त प्रधान मंत्री ने हरारे में प्रेजीडेंट जिया से बात की और उस समय मैं उनके साथ था। हरारे में भी उन चौबीस घंटों के दौरान हमें अपने पाकिस्तान के शिष्ट मंडल में अपने मित्रों से यात्रियों की संख्या, अपहरणकर्ताओं की संख्या, जिस रूप में इस नाटक का दुखद अन्त हुआ उसके बारे में, बिजली चले जाने के समय के बारे में परस्पर विरोधी समाचार प्राप्त हुए। एक समय हमें बताया गया है कि उन्हें जानबूझ कर बुझा दिया गया, अन्य समय पर समाचार मिला कि मामला ऐसा नहीं है और अपहरणकर्ताओं की संख्या का पता नहीं है और न ही इस बात का पता लगा कि वे कौन सी भाषा बोल रहे थे एक समय हमें बताया गया कि चारों

[श्री के० नटवर सिंह]

मारे गए हैं उसके बाद बताया गया कि दो मरे हैं। अतः परस्पर विरोधी समाचार थे। और स्पष्टतया इसमें काफी गड़बड़ थी। वास्तव में यह सबसे अच्छी बात होती यदि वे कहते कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जायेगी। उन्होंने उस समय यह नहीं कहा परन्तु इसकी जांच की जा रही है। यह घटना लगभग दो महीने पहले हुई थी और हमें इसका ब्यौरा अथवा इस जांच के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने इसकी मांग की है।

पाकिस्तान के भीतर भी कुमारी बेनजीर भुट्टो ने इसकी आलोचना की है। प्रारम्भ में जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है प्रेजीडेंट रेगन और श्रीमती थैचर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की कार्यवाही का स्वागत किया, परन्तु शीघ्र ही हाउस आफ रेप्रेजेन्टिवज की उपसमिति में, मि० टाम लैंटस, अमरीकी कांग्रेस के सदस्य ने एक बयान दिया जिसमें अमरीकी सरकार की यह कहते हुए निन्दा की गई—और मैं उसे उद्धृत करता हूं।

> "मेरे विचार में आप लोगों ने प्रेजीडेंट को नीचा दिखाया है। आप लोगों ने उन्हें परेशानी में डाला है। आप लोगों ने यह मानते हुए कि प्रेजीडेंट रेगन को इसके संबंध में गलत सूचना दी गई है, उन्हें इस बारे में अनजान साबित किया है और पाकिस्तान के बचाव दल की खुलेआम सराहना की थी जबकि इन दलों ने बचाव कार्य में भाग भी नहीं लिया था।"

अतः अमरीकी कांग्रेस में भी इसकी आलोचना की गई है। मैं दो-तीन अन्य बातों का उल्लेख करूंगा। श्री गौडा जानना चाहते थे कि क्या प्रेजीडेंट रेगन ने संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने की थी। उन्होंने प्रधान मन्त्री को लिखा। उन्होंने कहा था।

> "मैं दुःख के साथ लिखता हूं और रोष के साथ आपको और भारत देश को पैन एम उड़ान-73 के अपहरण में मारे गए लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

प्रधान मंत्री ने उनके संदेश के उत्तर में प्रेजीडेंट रेगन को धन्यवाद करते हुए 17 सितम्बर को यह लिखा कि :

> "इस संतापदायी घटना से भारी क्रोध और रोष पैदा हुआ है। जैसे जैसे नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु का ऐसा कोई कारण नहीं था।"

यह उस पत्र का एक भाग मात्र है जिसे मैंने उद्धृत किया है। हमसे पूछा गया कि भारत सरकार और अधिक क्या कर सकती है।

जहां तक मुझे याद है हमारे राजदूत, वाणिज्य-दूत और विदेश सचिव यहां है। उन्होंने यहां पाकिस्तान के राजदूत से बात की थी और उन्होंने कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान

के अधिकारियों से बात की थी। हमें अपने मित्र श्री जगदीश टाइटलर से भी, जो श्री पंत के साथ गए हुए थे, विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें काफी गड़बड़ है और कराची हवाई अड्डे में सुरक्षा प्रबन्ध के बारे में भी भारी लापरवाही है।

पाकिस्तान में अनेक वर्ष कार्य करने और अनेक बार करांची का दौरा करने के कारण मैं जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उस हवाई अड्डे में प्रवेश करना और जोंगा प्राप्त कर अथवा जीप में आकर गड़बड़ी फैलाना अथवा जो भी हो, विमान के पास जाना इतना आसान नहीं है जैसा कि ये लोग गोला-बारूद के साथ विमान के अन्दर घुसे। यह बात स्पष्ट है कि या तो सुरक्षा के प्रबन्ध बिल्कुल असफल रहे जो वहां के शासन की स्थिति को देखते हुए बहुत ही कठिन है। मैं इसे सैनिक शासन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तकनीकी रूप में वहां पर किसी न किसी प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए। हमारे विचार में और लोकतंत्र में अन्तर है, परन्तु मैं हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो अधिकारी इस बात को देख रहा था, सिन्ध के गवर्नर और जुनेजो के प्रतिनिधि के विचारों में अन्तर था जिन्होंने वहां विदेश मंत्री श्री नूरानी को भेजा था।

भिन्न-भिन्न बयान दिए गए। स्पष्टतया अधिकारियों में विरोध था और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां घायलों की देखभाल और शवों को ले जाने के लिए संयुक्त और सम्मिलित प्रयास होने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ है। यह बात निश्चित है कि हमारे दोनों मंत्री वहां पर थे। उन्हें वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसकी कोई भी आशा रखता है। मैं फिलहाल यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि यह सब जानबूझ कर किया गया है, परन्तु तथ्य यह है कि इस तरह की दुखद घटना के समय शुद्ध मानवता के आधार पर सहयोग मिलना चाहिए था। हमने जो कुछ सबसे अच्छा कर सकते थे, वह किया। हमने यहां से अपना विमान भेजा। हमने अपना डाक्टर भेजा। एक समय ऐसा था जब यह भी पता नहीं था कि कितने लोग घायल हुए और कितने मरे, उनकी राष्ट्रीयता क्या है और आज तक भी इन अपहरणकर्ताओं की राष्ट्रिकता के बारे में विश्वसनीय जानकारी नहीं है। विभिन्न देशों के नाम बताए गए हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, यह कोई नहीं जानता। अपहरणकर्ताओं और कमान पोस्ट के बीच हुई बातचीत से यह पता चला है कि वे साइप्रस में लरनाका जाना चाहते थे। परन्तु हम शवों के सम्बन्ध में भी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ। वास्तव में यह अज्ञानता थी।

हम पाकिस्तान में अपने मित्रों से जानना चाहते हैं कि क्या वे अब भी हमें यह विवरण देंगे कि जो लोग विमान में यात्रा कर रहे थे, उनकी राष्ट्रीयता क्या थी। पैन एम के अधिकारियों में भी सुरक्षा प्रबंध और अपहरण के मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों की कार्यवाही की आलोचना की है।

अब राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने भी बाद में महसूस किया है। उनके साथ जो बर्ताव किया गया उसमें काफी कमियां थीं और यही कारण था कि उन्होंने एअर मार्शल सुबी हस्सन्

[श्री के० नटवर सिंह]

सईद के अध्यक्षता में इसकी जांच कराई। अब मैं यह बताता हूं कि हमने किस प्रकार इस बारे में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की थी। जैसे ही प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता चला, उन्होंने तत्काल बात की। बाद में वे पत्रकार सम्मेलन में भी इसके बारे में बोले। दिल्ली में संकट-कालिक प्रबंध के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल है जिसकी बैठक तत्काल बुलाई जाती है। मुझे मिनट-मिनट की खबर थी कि उन्होंने किस प्रकार कुशलतापूर्वक इस संकट के बारे में कार्यवाही की है। उन्हें 11.45 बजे पहली सूचना मिली और वे बारह बजे के थोड़ी देर के बाद एकत्र हुए और उसके बाद शवों और घायल व्यक्तियों के लौटने तक उनसे बातचीत जारी रही। अत: जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यथाशीघ्र जो कार्यवाही कर सकते थे, हमने की और यही हमारे साथियों ने कराची तथा इस्लामाद में किया।

मैं भी श्रीमती गीता मुखर्जी के साथ नीरजा मिश्र को, श्रद्धांजलि देने में शामिल होना चाहता हूं। सरकार ने उन्हें अशोक चक्र पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया है। वे 23 वर्ष की युवा लड़की थी और उन्होंने कई लोगों की जान बचाने में अपने युवा जीवन को न्यौछावर कर दिया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कार्य की जितनी प्रशंसा और सम्मान किया जाए वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में और कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि उन्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं अपने प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बैठने दीजिए। वे अभी बोल रहे हैं। उन्हें पूरा करने दीजिए। वे आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री के० नटवर सिंह : मुझे आपका प्रश्न प्राप्त हुआ है। आप कह रही थी कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका का वाणिज्य दूत सिन्ध के गवर्नर से सम्पर्क बनाए हुए थे और आप यह जानना चाहती है कि क्या वे कंट्रोल टावर और अमरीका सरकार के साथ सीधे सम्पर्क बनाए हुए थे। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। पाकिस्तानी और अमरीकी इस सूचना को हमें भिन्न-भिन्न रूप से दे रहे हैं किन्तु यदि आप मुझे यह जानकारी देती कि आपको यह बात किस स्रोत से मिली है तो मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता। मैं इस संबंध में और आगे जांच करवाऊंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पैन-अमरीकन के कैबिन चालक दल के सदस्यों को चलते समय क्या निदेश थे ?

श्री के० नटवर सिंह : मैं समझता हूं कि चालक दल के विमान छोड़कर चले जाने से विमान रुका रहा क्योंकि यदि चालक दल वहां होता तो अपहरणकर्ता उन्हें यात्रियों सहित

विमान को उड़ाने और उसे क, ख अथवा ग देश में उतारने के लिए कहते। तब सम्भवत: इससे भी बड़ी दर्दनाक दुर्घटना होती, जैसी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हूं। लेकिन वे लोग, जो इस बारे में जानते हैं यही कहते हैं कि चालक दल के विमान छोड़कर चले जाने से विमान वहां खड़ा था। लेकिन नासमझी यह हुई है कि बाद में विमान को चलाने की अनुमति दी गई।

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन चालक दल संघ के प्रेजीडेंट ने कहा है कि चालक दल का विमान छोड़कर भाग जाना, कायरता के अलावा कुछ नहीं है। उन्हें विमान छोड़ देने की अनुमति देना ठीक नहीं था। मैंने यह प्रश्न उठाया है। मैंने कहा है कि यह विचित्र बात है, मैंने यह प्रश्न उठाया है, आप भी यही कहते हैं कि यह बड़ी विचित्र है। लेकिन पहली वाली बात जो कि चालक दल द्वारा कैबिन छोलकर चले जाने के बारे में है, के बारे में हमारे भारतीय चालक दल संघ के प्रेजीडेन्ट ने स्वयं कहा है कि यह उचित नहीं है और यह कायरता के अलावा कुछ नहीं है।

श्री के० गडवर सिंह : मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है कि नहीं कि एक चालक दल विमान चलाने वाला दल होता है जिसमें चालक उसे चलाते हैं और दूसरे में उड़ान व विमान परिचारिका तथा अन्य होते हैं। कुमारी नीरजा मिश्र विमान छोड़कर नहीं गई, उसने अपनी जान दे दी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं कैबिन के चालक दल की बात कर रही हूं। चालक दल संघ के प्रेजीडेन्ट ने कहा···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी यही कह रहे हैं। यदि वे वहीं रहते तो अपहरणकर्त्ता उन्हें विमान चलाने के लिए कहते और उन्हें विमान को किसी दूसरी जगह ले जाने हेतु कहते और इसीलिए वे कैबिन छोड़कर गए।

श्रीमती गीता मुर्खी : यह ठीक है ? (**व्यवधान**)

श्री के० गडवर सिंह : यह तकनीकी ब्यौरे से सम्बन्धित मामला है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हूं कि इस बाबत कोई अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग-निर्देश हैं। हम इसका पता करेंगे और उन्हें मैं आपको बताऊंगा।

श्री एच० एन० मन्जे गौडा : मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा अपराधियों को सजा दिए जाने के बारे में कोई कार्यवाही की है। उन्होंने अपराधियों का पता लगाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री भक्तम श्रीराम मूर्ति : मैं पूछना चाहता हूं कि···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह प्रश्न पूछने का मंच नहीं है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पालन किया है। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : अतः आपको मुझे अवश्य ही अनुमति देनी चाहिए। आपने अन्यों को अनुमति दी है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नही दे सकता।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : आपका शुरू से ही यही दृष्टिकोण रहा है। आपकी ओर से निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रस्तावक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा मैं अगली मद ले रहा हूं।

(**व्यवधान**)

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : यह बड़ी खेद की बात है। यह आपका बड़ा विचित्र रवैया है। (**व्यवधान**) इसका विरोध करते हुए मैं सभा भवन से उठकर बाहर जाता हूं।

(**तत्पश्चात् श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति सभा भवन से उठ कर बाहर चले गए**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में मद संख्या 8 के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने सूचित किया है कि वह कल वक्तव्य देंगे।

2.26 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन

[**अनुवाद**]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन से, जो 4 नवम्बर, 1986 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अठ्ठाईसवें प्रतिवेदन से, जो 4 नवम्बर, 1986 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.27 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कोचीन में औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : केरल की औद्योगिक राजधानी कोचीन प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। कोचीन में प्रदूषण के कारण जीवन कठिन हो गया है। कोचीन शहर प्रातःकाल में कोहरे से छाया रहता है। यह कारखानों से निकलनी वाली जहरीली गैसों जैसे सल्फर डाइआक्साइड के कारण है। पेरियार नदी में इतना प्रदूषण हो गया है कि लोग इसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। प्रायः बड़ी यात्रा में मछलियां दम घुटने के कारण मर जाती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोचीन को प्रदूषण से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

(दो) तालचेर के वृहद् तापीय विद्युत संयंत्र और इब घाटी के तापीय विद्युत संयंत्र को सातवीं योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां बिजली की कमी चल रही है। किन्तु राज्य को बिजली की सप्लाई करने और बिजली का उत्पादन करने के क्षेत्र में भी समुचित तथा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यापक विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में बहुत ही कम आंकड़े दिए। तालचेर में सुपर ताप बिजली घर और इब घाटी में ताप बिजली घर की स्थापना, जो कि राज्य के हित में नितान्त आवश्यक समझा गया हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

तथापि, तालचेर सुपर ताप विद्युत संयंत्र को विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्तर्गत लाने और इब घाटी ताप विद्युत संयंत्र को विदेशी सहयोग से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। तालचेर सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए शीघ्रातिशीघ्र विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उसका कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो सके। जहां तक इब घाटी ताप विद्युत संयंत्र का प्रश्न है, यह बेहतर होगा यदि इसे सोवियत नेता श्री गोर्बाचोव की आगामी यात्रा के दौरान सोवियत संघ के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत में सोवियत संघ की सहायता के लिए रखा जाए।

[हिन्दी]

(तीन) हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में आलू, सेब, संतरा और अदरक

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

इत्यादि की फसलें, जो हिमाचल के किसान पैदा करते हैं, उनके लिए अभी तक मार्किटिंग का कोई प्रबन्ध नहीं है, जिस कारण से उन्हें इनकी कीमत प्राप्त नहीं होती और उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को मार्किट सैन्टर बनाने हेतु मदद दी जाए और साथ में यह प्रबन्ध किया जाए कि जो हिमाचल की फसलों की पैदावार दिल्ली इत्यादि शहरों में आती हैं उन्हें आढ़तियों के चंगुल से से छुड़ाया जाए ताकि वह भारी शोषण से बच सकें। मैं यह भी मांग करता हूं कि दिल्ली और अन्य शहरों में जहां हिमाचल की पैदावार आती है वह सरकार द्वारा खरीदी जाए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सकें और राज्य सरकारों को इस काम करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

(चार) पारादीप पत्तन के विकास के लिए दक्षिण कोरिया के मैसर्स ह्यूनदाई कारपोरेशन के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : दक्षिण कोरिया ने भारत से अपने लौह अयस्क के आयात में वृद्धि की है और पुनः इसका आयात बढ़ाने हेतु अपनी उत्सुकता इस शर्त पर दिखाई है कि पारादीप पत्तन में बड़े पोत आने हेतु व्यवस्था की जाए। दक्षिण कोरिया की मैसर्स ह्यूनदाई कारपोरेशन ने पारादीप पत्तन के विकास के लिए 1,70,000 डी० डब्ल्यू० टी० पोत प्राप्त करने और 17 मीटर का लोड ड्राफ्ट सुनिश्चित करने के किए पत्तन को गहरा बनाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यदि पारादीप का इस तरह से विकास किया जाता है तो दक्षिण कोरिया प्रति वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात बढ़ाएगा। लौह अयस्क का आयात करने वाला प्रमुख देश जैसे जापान, चीन और रूमानिया भी पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क का आयात बढ़ाएगे। इससे उस उत्तन से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ेगा। देश के समृद्ध खनन क्षेत्र में, जहां आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है, खनन कार्य पूरे जोर शोर से शुरू होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खनिज तथा धातु व्यापार निगम पूंजी निवेश किए जाने से 23 वर्षों के भीतर 349 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाएगा।

मैसर्स ह्यूनदाई निगम ने प्रस्तावित जाखपुड़ा-बांसपाणी लाइन का निर्माण कार्य पूरा करने का भी सुझाव दिया है। इस परियोजना के लिए धनराशि दक्षिण कोरिया से ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है। रेल तथा जल भूतल परिवहन विभागों ने पत्तन तथा रेल लाइन का विकास कार्य तीन वर्ष के अन्दर पूरा करने की पुष्टि की है। इसलिए, मैसर्स ह्यूनदाई निगम का प्रस्ताव मंजूर करना आवश्यक है। उड़ीसा के लोगों के हित में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह शीघ्र ही इस सम्बन्ध में पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय ले।

[हिन्दी]

(पांच) 20-सूत्री कार्यक्रम को, विशेष रूप से बिहार में, प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में तेजी से

बेकारी बढ़ रही है, जिसको लेकर देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इसको कम करने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। भूमि हदबन्दी एवं न्यूनतम मजदूरी को लागू करने से बिहार सरकार घबरा रही है। इसलिए बिहार में पंजाब से अधिक हत्याएं ग्रामीण क्षेत्र में हो रही हैं। यह भी सत्य है कि बिहार में खासकर दक्षिण बिहार में सिंचाई प्रबन्ध बिल्कुल कम हैं, जिससे कृषि में लगे लोग भी कृषि करने से उदासीन होते जा रहे हैं। दक्षिण बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना जो सन् 1980 से सी० डब्ल्यू० सी० में पड़ी हुई है उसका नाम पुनपुन दर्घा परियोजना है, जिसके बनने से बाढ़ और सुखाड़ समाप्त हो जाता है लेकिन केन्द्रीय सरकार उदासीन है। यह भी सत्य है कि बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद भी जनता को 20-सूत्री कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे लगता है कि सरकारी प्रणाली में कमी है, जिसके कारण गांव के गरीब दलित वर्ग के नौजवानों को गलत तत्व, उनको गुमराह करके गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि प्रशासन प्रणाली को दुरुस्त कर 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करें।

(छः) बिहार स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से, विशेषतः पटना से, उर्दू में समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्य राज्यों ने जिस प्रकार अपने यहां राजभाषा के बाद एक भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता दे रखी है, उसके परिपाटी के तहत बिहार सरकार ने भी करीब दो वर्ष पहले बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा को मान्यता दी थी। इसके बाद राज्य में उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गए। बड़े पैमाने पर उर्दू साहित्य विभिन्न विषयों एवं विचारधाराओं को दृष्टिगत रखते हुए लोगों के सामने आया लेकिन बार-बार बिहार के गणमान्य लोगों द्वारा मांग करने के बावजूद भी प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एवं राज्य की द्वितीय राजभाषा को असली जामा पहनाने के लिए आकाशवाणी से उर्दू समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू नहीं किया जा सका है। इस कारण उर्दू के जानकार एवं उर्दू श्रोताओं को काफी कठिनाई हो रही है।

इस परिस्थिति में केन्द्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बिहार के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों, विशेषकर पटना से नियमित रूप से उर्दू में समाचार बुलेटिन प्रसारित कराने की व्यवस्था करायें।

[अनुवाद]

(सात) झंझारपुर में कमला नदी पर सड़क पुलों के निर्माण के लिए बिहार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : नेपाल से जिन नदियों का उद्गम होता है, उनसे हर वर्ष आने वाली बाढ़ से उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में बड़ी बरबादी होती है। ऐसी

डा० गौरीशंकर राजहंस]

उफनती नदियों में से एक कमला नदी है। नेपाल से शुरू होने वाली यह नदी बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में तबाही मचाती है। इस नदी ने मिथिला क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उप-मंडल झंझारपुर को दो भागों में बांट दिया है। यही नहीं इसकी वजह से झंझारपुर नगर दो भागों में विभक्त हो गया है। संयोगवश, यह नेपाल जाने का मुख्य मार्ग है। मिथिला की जनता झंझारपुर में कमला नदी पर एक सड़क पुल बनाने की मांग काफी अरसे से करती रही है। पुल के अभाव में इस समूचे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है।

तथापि झंझारपुर में कमला नदी पर एक पुराना और बेकार रेल पुल है। भूतपूर्व केन्द्रीय रेल मन्त्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने मिथिला क्षेत्र की जनता की असीम कठिनाइयों को महसूस करते हुए इस रेल पुल को 2/3 फुट चौड़ा करवाने की अस्थायी व्यवस्था की थी ताकि पैदल चलने वाले इस पुल पर चल सकें। यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था थी। उस समय यह निर्णय किया गया था कि न केवल इस रेल पुल को मजबूत बनाया जायगा बल्कि झंझारपुर में कमला नदी पर एक सड़क पुल बनाया जाएगा। ताकि मिथिला क्षेत्र का आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो। इसके अलावा नेपाल जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह पता लगा है कि बिहार सरकार ने लगभग दो वर्ष पूर्व केन्द्र को एक प्रस्ताव भेजा था और उसके बाद उसने कई स्मरण-पत्र भी भेजे थे। अतः केन्द्र से अनुरोध है कि वह झंझार पुर में कमला नदी पर रेल पुल को मजबूत बनाने के अतिरिक्त, बिहार सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे ताकि यह परियोजना शीघ्र पूरी हो सके।

2.37 म०प०

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य-सूची के मद संख्या 10 - सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के समय में एक सवाल पैदा हो रहा है कि सन् 1953 के अन्दर इसी कांग्रेस सरकार ने एक पारित किया था। संविधान में एक आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 की जो इच्छा है, उस आर्टिकल के खिलाफ यह बिल लाया

जा रहा है। आर्टिकल 39 में यह कहा गया है—

[अनुवाद]

39 (ग) "आर्थिक व्यवस्था पर इस प्रकार से चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रित न हो।"

[हिन्दी]

इसी आर्टिकल 39 के आधार पर सन् 1953 में एस्टेट ड्यूटी एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के पास होने के बाद लन्दन और यूरोपियन कन्ट्रीज में उसकी चर्चा हुई। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी-कभी यहां की हमारी सरकार गलत रास्ते पर चलती है। हमें अमीरी और गरीबी के बीच मद को मिटाना है। हमें उसकी फिक्र नहीं है। हमारे यहां ऐसे भी राज्य हैं जहां पीने का पानी नहीं है और आप उन राज्यों को इसलिए मदद नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास फाइनेशयल रिसोर्सिज नहीं है या कम है। अब आप यह एस्टेट ड्यूटी बिल ले आये हैं। गढ़वी साहब आप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए यह बिल ले आये हैं लेकिन हमारे गले यह बात उतने वाली नहीं है।

हमने और हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया हुआ है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, ऊंची-ऊंची कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग में रहते हैं, राजे-महाराजे हैं, उनको कुछ नीचे लाएं और जो गरीबी और निर्धन लोग हैं उन्हें कुछ ऊपर लाएं ताकि अमीर और गरीब के बीच की असमानता दूर हो, इक्विलिटी दूर हो। लेकिन ये कहते हैं कि गरीब-गरीब रहेगा और अमीर-अमीर बनता जाएगा। आज ये लोग इस बात को साबित करना चाहते हैं—

[अनुवाद]

गरीब और अधिक गरीब हो गए हैं और अमीर, अधिक अमीर।

[हिन्दी]

और उस कानून को आज गढ़वी जैसे एक योग्य और ईमानदार, निष्ठावान फाइनांस मिनिस्टर जो हैं, वो इसको ला रहे हैं और यह उनके गले पड़ गया है, इस हड्डी को ये निगल नहीं पा रहे हैं।

सीधी बात यह है कि यह एस्टेट ड्यूटी क्या चीज है, जिस समय गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, उस समय की डिबेट पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि वह क्या चीज है—

[अनुवाद]

1953 का सम्पदा शुल्क विधेयक, धन को अमीरों के पास जमा होने से रोकने के एक

[श्री मूल चन्द डागा]

उपाय के रूप में और धन के वितरण में असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से तैयार किया गया था।

[हिन्दी]

1953 के अन्दर ये कानून बना और बनने के बाद उन्होंने सोचा कि आमदनी ज्यादा नहीं होती है, खर्चा ज्यादा होता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां खर्चा कम होता है और आमदनी ज्यादा होती है। आज ये सारा काला बाजार और काला धन कैसे पैदा हुआ, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कमजोरी से, क्योंकि ये कलेक्शन नहीं कर सकते और कह देते हैं कि यह ठीक नहीं है। आज हिन्दुस्तान में जो काला धन है और काले धन की जो इकानमी चल रही है यह देश को भ्रष्ट कर रही है।

[अनुवाद]

ऐसा बेइमान अधिकारियों और बेइमान व्यवसायियों की सांठ-गांठ से किया जाता है।

[हिन्दी]

ये आफिसर्स डिसआनेस्ट होते हैं, ये ही काले धन को बढ़ावा देते हैं, ये सब इनकम टैक्स आफिसर्स की गलती से हुआ है और गवर्नमेंट अपने पाप से छूटने के लिए क्या कहती है कि हमारी आमदनी कम होती है, 24 या 21 करोड़ होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और हम चाहते हैं कि इसको अबालिश कर दें।

हमने कानून बनाया था लैण्ड रिफार्मूस का, हमने कहा था कि जमीन का बंटवारा कर दो, जमीन उनको दो जो खेती करते हैं, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं हम जमीन उनको देंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे और दूसरे लोग मजदूरी करेंगे, उनका हम एक्सप्लाइटेशन करेंगे। आज जमीन उन लोगों के पास है जो अफसेंटी लैंड-लार्ड्स हैं, जो मौज करते हैं, कमाई करते हैं और जो जोत रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है और जो नहीं जोतता उसके पास जमीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप गरीबों के बहुत हिमायती है और आपके समय में यह बिल पास हो रहा है, आप इस पर रोक लगाइए, मिनिस्टर साहब से कहिए कि क्या बिल लेकर आए हैं। लैण्ड रिफार्मूस का कानून गवर्नमेंट ने बनाया है तो लैण्ड रिफार्मूस किया जाए, जमीन को सीलिंग लागू की जाए, आज तक इस पर काम नहीं हुआ। सरकार ने योजना पर योजना बना ली और सरकार ने कहा कि जमीन का बंटवारा कर लो, लेकिन नहीं हुआ, बंटवारा हुआ उनके बेटों में, भाइयों में, कुत्तों, गधों, घोड़ों के नाम जमीन कर दी और अब ये कह रहे हैं कि एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दो। जिन्होंने बहुत काला धन इकट्ठा कर लिया है, उनसे थोड़ा धन ले लिया जाए। रावत जी कहते हैं कि कानून तो ऐसा ही बनना चाहिए, ये गवर्नमेंट की आवाज में बोल रहे हैं, बोलो जरूर लेकिन सोच लो। आज मैं कहता हूं गढ़वी साहब कि जमाना

आएगा, थोड़े दिन अगर और देश में असमानता बनी रही, गरीबी और अमीरी का अन्तर नहीं मिटा तो महाजन जैसे लोग जो देश को खराब करने वाले हैं, इन लोगों की हालत खराब होगी। हम कहते हैं कि इन्इक्वेलिटिज्म खत्म करने का कानून बनाइए आप एस्टेट ड्यूटी खत्म करने का कानून लेकर आए हैं। जो राजे-महाजे हैं, उनकी हजारों बीघा जमीन है, उस पर एस्टेट ड्यूटी लागू नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। जमीन हैं, काला धन कमाया है तो मेरी औलाद खाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अपनी औलाद के लिए पूंजी मत छोड़ो, ये धन ही बेइमानी की जड़ है। जिसके पास धन है, उसको जो आनन्द मिलता है वह सच्चा आनन्द नहीं होता। यह कानून बेसीकली गलत है। आपको इससे 34 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। वह रुपया कहा जाता है। सारे राज्यों में जाता है। आज राजस्थान में अकाल है, दुर्भिक्ष है, लेकिन वहां पर पैसा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, हर वक्त यह बात कही जाती है। पाकिस्तान से अगर आज युद्ध करना पड़े तो हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। यह सरकार क्या कर रही है। यूरीपीयन केन्द्रीज में इसको डैट ड्यूटी कहते हैं। आप कहते हैं कि जर्मीन से हटा दो। यह कानून पास हो रहा है लेकिन मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फायदा करने का इरादा नहीं है। आपका सरकारी आदमी क्या करता है। पांच दिन का सप्ताह कर दिया, दो दिन मौज करते हैं। जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स है, सब घाटे में जा रही है। मेहरबानी करके इस बिल को वापस ले लें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह अच्छा बिल नहीं है।

[अनुवाद]

मैं श्री बी० के० गढ़वी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। इनका कहना है, कि—

"मैं इस सम्बन्ध में पहल नहीं करूंगा।"

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : यह एक साधारण सा विधेयक है परन्तु मैं विचार से इस विधेयक से इस बात की स्वयं जांच हो सकेगी कि आपकी आर्थिक नीतियों का देश पर क्या असर पड़ता है। आपने हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त देश में अपनाया है और आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि विदेशी बैंक और औद्योगिक बैंक ने 1,03,22 करोड़ रुपये की राशि जमा हैं। ऐसा कैसेट हुआ ? यह सब आपकी हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के कारण हुआ है। मेरे मित्र श्री मूलचन्द डागा कह रहे थे कि यह सम्पदा शुल्क विधेयक जब मूल रूप से संसद में पेश किया गया। या तो इस देश में समाजवाद के मूलभूत सिद्धान्त कायम करने का उद्देश्य रखा गया था। धनवान लोगों से पैसा लेकर उसे निर्धनों में बांटना। परन्तु इसके विपरीत विधेयक के परीक्षा से मायको पता चला कि पैसा एकत्र करतना सम्भव नहीं है और इसे एकत्र करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा। अत: आपने इस कानून को समाप्त कर दिया। कहावत है कि सर्कस सेंड पर कोई व्यक्ति किसी घेरे के बीच कूद लेगा पर सर्कस वाला ही इस घेरे को हटाने और उसमें से कूदने के बारे में फैसला कर सकता है। आपकी सरकार

[श्री चन्दन चामस]

यही कर रही है । आप बिना निष्प्रयोजन कार्य कर रहे हैं । इस तरह से आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ।

आप इस घोषणा के साथ कानून पेश करते हैं कि "हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं" और आप कुछ लोगों के पास पूंजी के जमाव को कम करना चाहते हैं और अन्त में यह पाते हैं कि इस काम में और धन खर्च करना पड़ेगा । आप इसे समाप्त कर देंगे । यह हास्यापद बात है और इससे पता चलता है कि आपकी आर्थिक नीतियों का स्वरूप क्या है ।

अत: मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि निसन्देह सम्पदा शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । आपका अनुभव यह रहा है । पैसा जुटाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है । लोग झूठे कागजात दिखा रहे हैं ।

यह सम्भव है हृदय गति रुक जाने से अचानक मरने वाले कुछ लोग अपनी धन सम्पत्ति का वसीयतनामा नहीं कर पाते हों । अथवा, वे अपने जीवन काल में ही अपनी सम्पत्ति दूसरों के नाम कर चुके होते ।

आपकी धन एकत्र करने की नीति और उसके लिए अपनाया गया तरीका निष्फल सिद्ध हुआ है । परन्तु मूल सिद्धांत यह है कि आप धन के संचय को घटाना चाहते हैं । मैं पूछता हूं कि प्रयोजन के लिए, क्या आप ऐसा कानून लाएंगे जिसके द्वारा आप कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकें हम यह देखना चाहते हैं । एक व्यक्ति के स्वामित्व में कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित हो और फिर यह स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकतम सीमा निर्धारित होती है तो वह उससे आगे नहीं जा सकता है । आप इसे समुचित रूप से लागू करें । इसलिए, विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से भूमि सुधार अधिनियम को लागू करना सरकार की नीति होनी चाहिये । आप इस सम्पदा शुल्क को समाप्त कर रहे हैं और इसे त्रिपुरा और पंजाब में लागू कर रहे हैं । इन राज्यों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है । अन्य राज्यों में, आप इसे पहले ही लागू कर चुके हैं । दूसरा कोई उपाय नहीं है । अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए । पर देश में ऐसा एक भूमि सुधार अधिनियम लागू कीजिए जिसमें आप किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि का कोई निश्चित क्षेत्र निर्धारित किया जा सके । दूसरे ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिसके द्वारा आप धन के संचय पर नियंत्रण अथवा सम्पत्ति पर नियन्त्रण रख सकें । लोगों ने बेहिसाब खर्च दिखाकर अपने पास पैसा इकट्ठा कर लिया है । इसलिए, महोदय, यदि आपके पास ऐसा कोई कानून, वित्त विधेयक अथवा विधान मौजूद है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के व्यय पर नियंत्रण रख सकते है, अगर व्यय पर कोई सख्त रोक होती है, तो दुरुपयोग की जाने वाली धनराशि राष्ट्रीय धन बन सकती है और उस धन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि आपका सम्पदा शुल्क को इस तरीके से समाप्त करने का विचार है और यदि आप इस समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण

अपनाएं तो उसमें राष्ट्र की भलाई होगी। मैं शहरी भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण के पक्ष में भी हूं। अब, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी शहर में फ्लैट हैं और दूसरे लोगों के पास 15 अथवा 20 एकड़ भूमि है। जब तक शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती और भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। यदि ऐसा सम्भव है तो मेरा यह सुझाव है कि धन के संचय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 1953 में लाए गए इस अधिनियम, जिसे तब आपने समाप्त कर दिया था, के पीछे पहला उद्देश्य यही था। इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना होगा। आप पर देशवासियों को काले धन, धन के संचय के प्रकोप से बचाने का दायित्व है और वह भी आपकी वित्तीय नीति के निर्धारण की छोटी सी अवधि—एक वर्ष के भीतर। यह सच सिद्ध हुआ है कि काला धन किसी न किसी रूप में जुटाया जाता है। यदि आप काला धन रखने वालों को क्षमा कर देते हैं तो आपको कितनी धनराशि प्राप्त होगी? मैं यह जानना चाहता हूं। आपने काला धन इकट्ठा करने वालों को क्षमा कर दिया है। आज चौंका देने वाली खबर छपी है। भारतीय मूल के लोगों का 1322 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में पड़ा है। यह दुखद स्थिति है कि आप मैक्सिको और बेल्जियम दोनों देशों का अनुकरण कर रहे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रणाली में दिवालिया हो चुके हैं। यदि ऐसी बात है तो हमें आपकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में भारी संशय है। हमें आशंका है कि यदि आप समुचित सख्त नियम और कानून नहीं बनाते, इस देश को क्षति पहुंच सकती है। इसे रोका नहीं जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस्टेट ड्यूटी अमेंडमेंट बिल 1986 का समर्थन करता हूं। यह सही है कि इस्टेट ड्यूटी बिल 1985, जो 16 मार्च, 1985 को इस सदन में पास किया गया और जिसको महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को मिली, तुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी स्वयं ही यह मान्यता है कि जो प्रावधान इस्टेट ड्यूटी बिल 1953 में विद्यमान थे, जिनको हमने इस्टेट ड्यूटी बिल 1985 के द्वारा रद्द कर दिया है अर्थात् इस एक्ट के प्रावधानों को लागू न करने का प्रावधान किया है उस पर पुनः इस सदन को विचार करने की आवश्यकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस्टेट ड्यूटी से भारतीय कोष को कितनी आय होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वित्त मन्त्रालय ने इसी पर गौर किया। देखने और सोचने की बात यह है कि आज जो कालाधन है उस पर नियन्त्रण रखने के लिए आपके पास कई उपाय हैं, उनमें इस्टेट ड्यूटी भी है···ऐसे व्यक्ति जो इन्कम टैक्स देते हैं या वैल्थ टैक्स देते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर आवश्यक था कि वे एस्टेट ड्यूटी की रिटर्न भी भरकर प्रस्तुत करें और उसकी जांच आपके इन्कम टैक्स अधिकारी, एस्टेट ड्यूटी से सम्बन्धित अधिकारी, या जो भी दूसरी मशीनरी है, करें इससे यह लाभ होगा कि किसी भी अरबपति या करोड़पति की मृत्यु के पश्चात्, उसकी दौलत आमदनी या सम्पदा का पूरा विवरण आपके पास, किसी न किसों शक्ल में, प्राप्त हो जाएगा। अभी तक आपके पास कोई ऐसा सरकारी तंत्र मौजूद नहीं है और ऐसे सरकारी तंत्र की आपको बहुत आवश्यकता है ताकि आप देश में बढ़ते हुए कालेधन पर अंकुश लगा सकें जो इस देश में

[श्री राम सिंह यादव]

एक पैरलल इकानॉमी बन गया है तथा एक नम्बर की शुद्ध आय को चैलेंज कर रहा है। काले धन के प्रसार के कारण ही हमारे देश में अनेकों तरह की बीमारियां, जैसे बेरोजगारी, प्राइस-राइस और रिश्वत जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठेकेदारों और इंजीनियरों के कमीशन का खास कारण ब्लैकमनी ही है और ब्लैकमनी को चैक करने के लिए सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास या आपके पास ऐसे कोई साधन नहीं हैं, हथियार नहीं हैं या कानून नहीं है, जिससे अच्छी तरह से निबटा जा सके। सिर्फ यही एस्टेट ड्यूटी थी। इसलिए एस्टेट ड्यूटी को फिर से लागू करने के सम्बन्ध में आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमारा देश विकासशील है और विकास-कार्यों के लिए हमको इन्टरनेशनल मौनीटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक या दूसरी फाइनैंशयल एजेन्सियों पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसे मुल्क में हमें ऐसे कानूनों को दोबारा लागू करने पर विचार करना चाहिए।

मैंने बजट-सत्र में, विभिन्न मुद्दों तथा फाइनैन्शयल बिल पर अपने विचार प्रकट करते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन किया था कि आप एस्टेट ड्यूटी एक्ट को पुनः लागू करने पर गम्भीरता से विचार करें और अब चूंकि आप पूरे टैक्सेशन लॉज का री-स्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं, इसलिए फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत कुशल, अनुभवी और योग्य हैं और सच्चे दिल से कालेधन को बाहर निकालना चाहते हैं, देश से कालेधन को समाप्त करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन तक मेरी बात को पहुंचा दें कि आपको एस्टेट ड्यूटी एक्ट को दोबारा लागू करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक प्रावधान करने चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कालेधन की बीमारी को खत्म नहीं कर पायेंगे। कालेधन की वजह से आज समाज में जितनी बीमारियां फैली हुई हैं उनका निराकरण भी तभी सम्भव है। इसके अतिरिक्त जैसा यहां पर आपके सामने अभी कहा गया कि स्विस बैंक में रेजिडैन्ट इंडियन्स की आज हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा हो चुकी है जबकि हम उम्मीद करते थे और हमारे वित्त मन्त्री जी ने पिछले साल कहा था कि विदेशी बैंकों में इण्डियन ओरिजिन के लोगों का जो पैसा जमा है, उसको कम कर सकेंगे परन्तु आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह राशि बढ़ गई है, कम नहीं हुई है और उसके बढ़ने से इस बात का संकेत मिलता है कि आज भी देश से बहुत सा धन विदेशी बैंकों में जा रहा है। उस धन के ऊपर आप किसी भी तरह का अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कानूनों को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी आपने जो प्रावधान किया है वह केवल कृषि-भूमि के सम्बन्ध में है और कृषि भूमि पर, 1985 में आप जो संशोधन लाए थे, उसके माध्यम से एस्टेट ड्यूटी को पूरे भारतवर्ष में समाप्त कर दिया है। केवल तीन राज्य, त्रिपुरा, नागालैंड और पंजाब ऐसे बचे थे जिनके ऊपर वह लागू नहीं होता था। उन पर भी आपको लागू करना चाहिए। कृषि भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जैसा सर्व-विदित है वह तो रिवैन्यू रिकार्ड में है। वह न तो कम हो सकती है और न ज्यादा हो सकती है और उसके ऊपर एस्टेट ड्यूटी का कोई असर नहीं पड़ता परन्तु देश में जितना छिपा हुआ धन है, ज्यूलरी के रूप में है या रेजीडैन्शयल एकोमोडेशन अथवा कार्मशियल काम्पलैक्सेज

हैं, और इसी तरह की दूसरी सम्पत्ति है, उसके सम्बन्ध में आपके पास कोई औथेन्टिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि किस इंडीवीज्यूअल के पास, इस मुल्क में, कितनी सम्पदा है। इसलिए इस सम्बन्ध में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे कानून बनाये जाएं ताकि आप को सारी जानकारी प्राप्त हो सके। आपने कृषि-भूमि पर तो सीलिंग लागू कर दिया परन्तु अर्बन प्रोपर्टीज के सम्बन्ध में आपके यहां कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हिन्दुस्तान भर में, जो नागरिक इन्कम टैक्स देता है, वैल्थ टैक्स देता है, उसके पास पूरे देश में कितने मकानात हैं, और दूसरी कुल कितनी पूंजी है, सम्पत्ति है। क्या आपने किन्हीं ऐसे केसेज का कभी वैरिफिकेशन कराया है, यदि हां, तो कितने केसेज में और कहां-कहां कराया है। यदि नहीं कराया है तो ऐसा करने की बहुत आवश्यकता है।

3.00 म० प०

मैं आशा करता हूं कि आप इस सदन में जो एक यूनिफाइड और कोडीफाइड रीस्ट्रक्चरिंग टेक्सेशन ला पेश करेंगे, उसमें इन सब मुद्दों का ध्यान रखते हुए इस तरह का एक नया कानून बनाएंगे जिससे काले धन के ऊपर अंकुश लग सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अन्त में यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आप लाए हैं यह बहुत आवश्यक था क्योंकि केवल तीन राज्यों को छोड़कर पूरे देश के अन्दर यह पहले से ही लागू किया हुआ था। इसलिए आपने अब इन बचे हुए तीन राज्यों में इसको रिट्रॉपेक्टिव इफैक्ट से लागू किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विशेषरूप से समर्थन करता हूं क्योंकि सम्पदा शुल्क की समाप्ति पहले ही की जा चुकी है और पंजाब और त्रिपुरा के क्षेत्रों में इसका केवल विस्तार किया जा रहा है। मैं समझता हूं यह वित्त मंत्री की करों की वसूली सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा व्यय में कमी करने की इच्छा और प्रयासों के अनुरूप है।

इस सन्दर्भ में, मैं वित्त मंत्री श्री गढ़वी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूंकि लोगों पर कम्पनी कर, आय कर, धन कर, उपहार कर आदि जैसे कर लगाने के अनेक तरीके हैं इसलिए मैं सम्पदा शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

संभवत: ये सम्पदाएं वहां पांच से लेकर छः दशकों से भी अधिक समय से थीं उस समय कर चुकाने की कोई प्रणाली नहीं थी। यदि उन्हें सम्पदा शुल्क से मुक्त कर दिया गया होता तो इसका उद्देश्य निरर्थक हो गया होता क्योंकि करोड़ों रुपये की ये सम्पदाएं हस्तांरित कर दी गई थीं। यदि उन्हें छूट दे दी गई होती, तो हमारा कर लगाने का प्रयोजन भी व्यर्थ हो गया होता। किसी आश्रित व्यक्ति को सम्पदा का हस्तांतरण किए जाने में और किसी ऐसे व्यक्ति को सम्पदा

[श्री के० एस० राव]

हस्तांतरित किए जाने में भेद किया जाना चाहिए जो दूर का सम्बन्धी अथवा दूर का उत्तराधिकारी हो।

यदि धन कमाने और बचाने के लिए प्रोत्साहन देने और पहल करने की पद्धति अपनायी जाए, तो सम्पदा शुल्क की समाप्ति का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। जब यह प्रश्न किया जाता है कि पांच-छः दशकों से भी अधिक पुरानी अथवा हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की सम्पदाओं को छोड़ दिया जाए, तो 1953 में यह अधिनियम लाने का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए, जैसे कि अन्य माननीय सदस्य भी टिप्पणी कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यह जांच करें कि क्या ऐसे विशिष्ट मामलों से बचने के लिए कोई अन्य अधिनियम लाया जा सकता है जहां बड़ी-बड़ी सम्पदाओं पर शुल्क नहीं लगाए जाते हैं। यह सच है कि सरकार का विचार मनुष्य और मनुष्य के बीच विद्यमान अन्तर को कम करना है; लेकिन इसके साथ ही कर ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे धन कमाने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाए। कोई व्यक्ति धन संचय करने के लिए ही नहीं कमाता बल्कि अपने अहं को सन्तुष्ट करने के लिए भी कमाता है। अतः मैं बार-बार कहता आया हूं कि मैं यह चाहता हूं कि सरकार ने जब ग्रामीण सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित की है तो उसे शहरी सम्पत्तियों की भी अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए ऐसा करने पर ही सम्पदा शुल्क की समाप्ति का प्रयोजन सार्थक होगा। जब तक शहरी सम्पत्ति इसी प्रकार रहेगी तब तक इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे शीघ्र ही शहरी सम्पत्ति की भी अधिकतम सीमा निर्धारित करें जो कि आदमी और आदमी के बीच धन के अन्तर को कम करने की घोषणाओं के पक्ष में होगी।

मंत्री महोदय बता रहे थे कि कि सम्पदा शुल्क वसूल किए जाने पर होने वाला व्यय अन्य वसूलियों पर होने वाले व्यय से अधिक है। सम्भवतः यह सच है क्योंकि सम्पदाएं कम हो गई हैं। सम्पदाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई हैं किन्तु शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर कम नहीं हुई है। अतः सम्पदा शुल्क की एक भिन्न परिभाषा पर विचार किया जाना है। आज वहां कारखानों, भवनों, शेयरों तथा अनेक अन्य पहलुओं की शक्ल में करोड़ों रुपयों की सम्पत्तियां हो गई हैं जो अधिकतम सीमा के क्षेत्र में नहीं आ रही हैं। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन मामलों पर विचार किया जाए और इन प्रवृत्तियों को भी रोकने के लिए शीघ्र ही कोई कानून बनाया जाए जिसके द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमने सम्पदा शुल्क क्यों समाप्त किया है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त सामान्य विधेयक पर चर्चा में ग्यारह सदस्यों ने भाग लिया है और विधेयक का समर्थन करते हुए अधिकांश सदस्यों ने सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के बहुत बड़े मसले पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्री यादव ने भी यह सुझाव देने की कोशिश की है कि सम्पदा शुल्क को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और धन के समान वितरण के सम्बन्ध में श्री डागा के उत्साह को हम सभी भलीभांति सराहना कर सकते हैं। किन्तु वे मुद्दे यह कानून बनाने के प्रयोजन से प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि कृषि-सम्पत्तियों तथा गैर-कृषि सम्पत्तियों पर सम्पदा शुल्क विगत समय में ही समाप्त कर दिया गया था किन्तु तीन

राज्यों अर्थात् पंजाब, त्रिपुरा और नागालैंड में कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क समाप्त नहीं किया जा सका। यह अधिनियम पारित करके हम नागालैंड को छोड़कर सम्पूर्ण देश में सम्पदा शुल्क समाप्त कर देंगे। जहां तक नागालैंड का प्रश्न है, उसकी विधान सभा ने अब तक संकल्प पारित नहीं किया है। उसे अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह प्राधिकार देना होगा कि कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाना है अथवा समाप्त करना है। जैसे ही उसकी सिफारिश प्राप्त हो जाएगी हम तदनुसार कार्य करेंगे।

जहां तक इस शुल्क की प्राप्ति के स्रोतों का सम्बन्ध है, ये स्रोत अत्यन्त अल्प संख्या में हैं और इससे भारी कठिनाइयां और जटिल प्रक्रियाएं उत्पन्न हो गई थीं। इसलिए, सम्पदा शुल्क को समाप्त करने की मांग की गई थी और यह बात वित्त मंत्री के बजट भाषण में काफी पहले स्पष्ट कर दी गई थी।

अब माननीय सदस्यों का कहना है कि वास्तविक वसूलियों की राशि की तुलना में वसूली प्रभार अधिक है। ऐसी बात नहीं है। हमने यह कहा था कि यदि आय कर और अन्य कर के वसूली प्रभारों की तुलना करें तो सम्पदा कर का वसूली प्रभार अपेक्षाकृत अधिक होगा। जहां तक निगम कर का सम्बन्ध है, वर्ष 1983-84 का वसूली प्रभार 0.42 प्रतिशत था। निगम कर के अलावा आय कर के सम्बन्ध में यह प्रभार 4 3 प्रतिशत था। वर्ष 1984-85 में निगम कर का वसूली प्रभार 0.45 प्रतिशत था और जहां तक निगम कर के अलावा आय कर का सम्बन्ध है, इसका वसूली प्रभार 4.2 प्रतिशत था। धन कर के सम्बन्ध में वर्ष 1983-84 में वसूली प्रभार 6.9 प्रतिशत था और वर्ष 1984-85 में यह 6.7 प्रतिशत था। जहां तक सम्पदा शुल्क का सम्बन्ध है, वर्ष 1983-84 में यह 6.95 प्रतिशत था और 1984-85 में यह 8.37 प्रतिशत था। अतः अन्य कर के वसूली प्रभारों की तुलना में सम्पदा शुल्क का वसूली प्रभार थोड़ा अधिक था किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे प्रभार, वसूल हुई शुल्क-राशि से अधिक थे।

महोदय, यह विधेयक केवल कृषि-सम्पत्तियों के बारे में है और हमारी वसूली बहुत कम हैं। जहां तक कृषि भूमि के बारे में त्रिपुरा का सम्बन्ध है, पिछले अनेक वर्षों के दौरान सम्पदा शुल्क की बिल्कुल भी वसूली नहीं हुई। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, वर्ष 1982-83 में वहां 2 लाख रुपए की वसूली हुई। वर्ष 1983-84 में 13 लाख रुपए की वसूली हुई। वर्ष 1984-85 में यह राशि 3 लाख रुपए थी और वर्ष 1985-86 में यह केवल 5 लाख रुपए थी। यह बहुत ही नगण्य थी और यह स्थिति केवल दो राज्यों की है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से, जो इस विधेयक से पूरी तरह सम्बन्धित हैं, एक मुद्दा—यह मुद्दा श्री व्यास ने उठाया था—यह है कि हमें कृषि उत्पादों पर आय कर लगाना ही चाहिए। इस कानूनी विदग्धता का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि जहां तक कृषि का प्रश्न है, यह राज्य का विषय है और इस पर विचार करना राज्य का काम है कि इस पर कोई आय कर लगाना है या नहीं ; यह केन्द्र का काम नहीं है।

[श्री बी० के० गढ़वी]

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में, हमारे पास नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के साथ-साथ पूरे देश में कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम भी है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैंने यह इसलिए कहा था कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा और दूसरे अन्य बड़े लोग नाजायज तरीके से एग्रीकल्चर लैंड से इनकम कर रहे हैं। इस कारण उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। इसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को सजैस्ट कर सकते हो।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है। किन्तु जहां तक कृषि भूमि का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न अधिकतम सीमाएं, भिन्न-भिन्न क्वाण्टम हैं और इस पर विचार करना राज्यों का काम है कि उन्हें क्या करना चाहिए।

जहां तक बेनामी सौदों का सम्बन्ध है, इनका पता लगाना अत्यन्त कठिन है हालांकि आजकल काले धन को रोकने के प्रयास जारी हैं।

विपक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। मैं उन्हें और इस महान सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का पूर्णतः ठोस आधार है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि हमारी स्थिति मैक्सिको तथा अन्य देशों की तरह हो जाएगी जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है। आगे आने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद हम स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल हमारे अपने लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है बल्कि विदेशों में लोगों द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी प्रशंसा की जाती है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक काले धन का प्रश्न है, हमने राजस्व वसूलियों में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है; हमारी वसूल की गई राशि काफी अधिक है और हम इस दिशा में अभी भी प्रगति कर रहे हैं। हम समस्त काले धन का पता लगा रहे हैं। राजक्षमा योजनाओं जैसी कुछ योजनाएं भी चल रही हैं।

मूलतः आय कर कानून कोई प्रतिशोध का कानून नहीं है बल्कि यह एक सुधार सम्बन्धी कानून है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को सुधारने तथा अपनी सम्पत्ति या आय की घोषणा करने का अवसर दिया जाता है तो उसे कर की परिधि में ले आया जायेगा। इसे प्रयोजनार्थ उसे एक अवसर प्रदान किया जाता है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि काले धन को सरकार गहरी चिन्ता की दृष्टि से देख रही है और इसका पता लगाने के लिए सभी अपेक्षित कार्यवाही की जा

रही है। इस देश में विकास-सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व की भी अधिक वसूली की गयी है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : स्विस बैंकों में भारतीय धन के जमा किये जाने के बारे में आज के टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री बी० के० गढ़वी : सरकार को केवल समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ही कार्य नहीं करना होता है। इस प्रकार की अनेक रिपोर्टें भरी पड़ी हैं। मैंने उसकी पुष्टि नहीं की है और इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कई बार हम देखते हैं कि समाचार पत्रों की रिपोर्टें सच भी होती हैं और सच नहीं भी होती हैं किन्तु इस पर तत्काल अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस पर निगरानी रख रही है ताकि इस देश से धन को बाहर न भेजा जा सके और लोग विदेशों में अपने धन को छुपा न सकें। हम सभी पहलुओं पर निगरानी रखे हुए हैं। किन्तु किसी समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने से आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भारत सरकार अत्यधिक प्रतिक्रियावादी और आतंकित हो जाये तथा आपको भी इससे भयभीत नहीं होना चाहिये। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से संचालित है और इसका आधार काफी मजबूत है।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, माननीय सदस्यों ने कई मामले उठाये हैं जो इस विधेयक से इस समय सम्बन्धित नहीं हैं। जब बजट प्रस्ताव आयेंगे तो ये मसले उससे अधिक सम्बद्ध होंगे। इस समय, इस विधेयक को दो राज्यों अर्थात् पंजाब और त्रिपुरा में लागू करना है।

श्री अमलदत्ता ने एक मुद्दा उठाया और पूछा कि कृषि-भूमि पर से सम्पदा-शुल्क को क्यों समाप्त किया जा रहा है। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि भूमि पर कभी-भी सम्पदा-शुल्क शुल्क नहीं लगाया अथवा लगाने की इच्छा की। यह उस सरकार का कार्य-निष्पादन है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अन्य दो-तीन राज्यों की तरह कृषि भूमि पर सम्पदा-शुल्क नहीं लगाया। इसलिए उन्हें यह कहना उचित नहीं है कि जमींदारों को मदद करने के लिए सरकार सम्पदा-शुल्क को समाप्त कर रही है क्योंकि यह बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड-2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड-1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम

विधेयक में जोड़ दिए गये

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये ।

श्री बी० के० गड़बी : मैं प्रस्ताव करता हूँ !

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.16 म० प०

रेल विधेयक, 1986

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 11 पर विचार करेंगे ।

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाला विधेयक, दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों जिनमें 30 सदस्य इस सभा के हों, अर्थात्

(1) श्री वसुदेव आचार्य

(2) श्री अताउर्रहमान

(3) श्री बनवारीलाल बैरवा

(4) डा० कृपासिंधु मोई

(5) श्री नारायण चौबे

(6) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(7) श्री तरुण कान्ति घोष

(8) श्री जनकराज गुप्त

(9) श्री हरपाल सिंह

(10) श्री हरेन भूमिज

(11) श्री जयदीप सिंह

(12) श्री जुझार सिंह

(13) श्री गुरुदास कामत

(14) श्री पी० कुलनदई वेलु

(15) श्री पी० आर० कुमार मंगलम

(16) प्रो० पी० जे० कुरियन

(17) श्री महेन्द्र सिंह

(18) श्री अरविन्द नेताम

(19) श्री राम प्यारे पनिका

(20) श्री एच० एम० पटेल

(21) श्री अजीज कुरेशी

(22) श्री के० एच० रंगनाथ

(23) श्री डी० एन० रेड्डी

(24) श्री माधवराव सिंधिया

(25) जनरल आर० एस० स्पैरो

(26) श्री के० डी० सुल्तानपुरी

(27) श्री तारिक अनवर

(28) डा० सी० पी० ठाकुर

[श्री माधवराव सिन्धिया]

(29) श्री बलराम सिंह यादव

(30) तीसवें सदस्य का नाम बाद में सूचित किया जायेगा

और 15 सदस्य राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ;

"कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस संयुक्त समिति के लिए राज्यसभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाला विधेयक, दोनों सदनों का एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, जिनमें 30 सदस्य इस सभा के हों अर्थात् :—

(1) श्री वसुदेव आचार्य

(2) श्री अताउर्रहमान

(3) श्री बनवारीलाल बैरवा

(4) डा० कृपासिंधु मोई

(5) श्री नारायण चौबे

(6) श्री वी किशोर चन्द्र एस० देव

(7) श्री तरुण कान्ति घोष

(8) श्री जनकराज गुप्त

(9) श्री हरपाल सिंह

(10) श्री हरेन भूमिज

(11) श्री जयदीप सिंह

(12) श्री जुझार सिंह

(13) श्री गुरुदास कामत

(14) श्री पी० कुलनदई वेलु

(15) श्री श्री पी० आर० कुमार मंगलम

(16) प्रो० पी० जे० कुरियन

(17) श्री महेन्द्र सिंह

(18) श्री अरबिन्द नेताम

(19) श्री राम त्यारे पनिका

(20) श्री एच० एम० पटेल

(21) श्री अजीज कुरेशी

(22) श्री के० एच० रंगनाथ

(23) श्री डी० एन० रेड्डी

(24) श्री माधवराज सिन्धिया

(25) जनरल आर० एस० स्पैरो

(26) श्री के० डी० सुल्तानपुरी

(27) श्री तारिक अनवर

(28) डा० सी० पी० ठाकुर

(29) श्री बलराम सिंह यादव

(30) तीसवें सदस्य का नाम बाद में सूचित किया जायेगा

और 15 सदस्य राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ;

[श्री माधवराव सिन्धिया]

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.20 म० प०

किशोर न्याय विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या-12 पर विचार करेंगे। श्रीमती राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी।

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से सम्बन्धित विषयों के न्याय निर्णयन का और उनके आवासादेश का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर निर्णय किया जाये।"

महोदय इस सभा के पिछले सत्र में, मैंने किशोर न्याय विधेयक, 1986, पुरः स्थापित किया था जिसमें उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से सम्बन्धित विषयों के न्यायनिर्णयन का तथा उनके आवासादेश का उपबन्ध करने की बात कही गई है।

जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं अथवा जो सामाजिक कुव्यवस्था की स्थिति में पाए जाते है, उन बच्चों के प्रति विभिन्न राज्य के विद्यमान दृष्टिकोण बाल अधिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वयस्क अपराधियों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया की तुलना में अपचारी किशोरों के लिए विशेष उपचार निर्धारित करने के अतिरिक्त इन अधिनियमों में कुछ श्रेणियों के बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का उपबन्ध किया गया है। बालक अपराधियों की पुनरीक्षा से यह पता चलता है कि आयु-समूह और परीक्षण तथा प्रक्रिया-तन्त्र से सम्बन्धित मूल उपबन्धों में कुछ खामियां और भिन्नतायें हैं। अपचारी बच्चों अथवा वे बच्चे जो कोई अपराध करते हैं, उनका आयु-समूह एक जैसा नहीं है तथा साथ ही जांच और प्रक्रिया तन्त्र भी एक जैसे नहीं हैं।

3.21 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए]

इन अधिनियमों के कार्यान्वयन का मूलभूत ढांचा देश के विभिन्न भागों में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। बालक अधिनियम इस देश में कोई नए नहीं हैं, किन्तु अभी भी इसे सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। मूल कानून तथा विशेष अधिनियमों के अधीन बच्चों के अपराधों के लिए निर्धारित दण्डों में भी बहुत ही स्पष्ट अन्तर दिखाई देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस प्रकार बस प्रचार बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने से सम्बन्धित अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता तथा भिक्षावृत्ति विरोधी विधियों के अधीन निर्धारित दण्ड विभिन्न बालक अधिनियमों के अधीन निर्धारित दंडों से अधिक कठोर है। इसलिए हमें इसके दोनों पक्षों को देखना है कि बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर न किया जाए तथा जो व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह गरीब बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं, उनके साथ सख्ती बरती जाए। तथा उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए। अपराधों के स्वरूप तथा अपराधों से सम्बन्धित परिस्थितियों के आधार पर अपचारी बच्चों को वर्गीकृत करने की भी कोई वैज्ञानिक प्रणाली है। यह तथ्य भी सामने आया। विभिन्न राज्यों में विद्यमान अधिनियम में यह भी एक खामी है। परिणामत: सभी अपराधियों को एक समान माना जाता है, भले ही वे छोटे अपराध या बहुत गम्भीर और जघन्य अपराध के लिए दोषी हों। कानून का यह एक ऐसा निष्ठुर पहलू है जिसका बच्चे आजकल सामना कर रहे हैं। बच्चों को जेल में कठोर अपराधियों के साथ रखा जाता है। अत: हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन बच्चों को जिन्होंने बहुत छोटे अपराध किये हैं, कम से कम जेल में दिन काट रहे अपराधियों के समान न समझा जाये। यही मुख्य बातें हैं। आम कानून के अन्तर्गत एक समान और सुस्पष्ट नियम और मानदण्ड न होने के कारण प्राय: इन सेवाओं के घटिया स्तर की तीखी आलोचना की जाती रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया था कि बच्चों को कठोर अपराधियों के साथ न रखा जाये, न ही उन्हें तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रखा जाये। उनके मामले तीन महीने के भीतर निपटा दिये जाएं। जल से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की नई संहिता बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत किशोर वय के अपराधियों को बाल अपराध अधिनियम के अंतर्गत मानना अनिवार्य है, तब से सारे देश के लिये एक समान कानून बनाने की आवश्यकता को व्यापक को व्यापक रूप से महसूस किया जाता रहा है। अत: इस सामान रूप विधेयक को लाने की आवश्यकता थी और इसीलिये इसे विचारार्थ संसद के समक्ष लाया गया है।

यह भी महसूस किया गया है कि इस कानून में आधुनिकीकरण और ग्रामीण जनता के शहरों में तीव्रगति से हो रहे प्रवर्जन के फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दबाओं को भी ध्यान में रखा जाए। बाल अपचारों का एक कारण यह भी है कि आधुनिकीकरण और उद्योगीकरण के बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से जनता शहरी क्षेत्रों में जाकर बस रही है। जब ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, तो एनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है।

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

जब वे शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के सुरक्षित जीवन का अहसास खत्म हो जाता है और बच्चे इस परिवर्तन का शिकार हो जाते हैं।

संदक्षात्मक संस्थाओं के समाप्त हो जाने और अनिश्चित जीवन-पद्धति के कारण भी बच्चों की समस्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण ससाज में उन्हें जिस प्रकार की सुरक्षा मिलती थी, वह शहरों में नहीं मिल पाती। इस कारण भी इन सभी परिवर्तनों के फल-स्वरूप सर्वाधिक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है क्योंकि उनमें देख-सुन कर अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक होती है।

सचमुच बच्चे इन परिवर्तनों और इस प्रकार के आधुनिकीकरण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सारे देश में इस बात को लेकर जोरदार मांग की जा रही है कि बालक अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें अवश्य ही आधुनिक संदर्भों में यह सोचना होगा कि वर्तमान जरूरतें क्या हैं। तदनुसार हमें बालकों के सम्बन्ध में, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखभाल और संरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, समग्र अधिनियम को युक्ति-संगत बनाना है। ऐसे अधिकांश बच्चे उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं अथवा प्राथमिक अवस्था में ही सुरक्षित व्यवस्था के समाप्त हो जाने के कारण ठीक से व्यवस्थित नहीं हो पाते। अभिभावकों के नौकरी की तलाश में अथवा किसी फैक्टरी में नौकरी करने के लिए शहरों में आ जाने पर तथा ऐसे में जबकि माता और पिता, दोनों के काम शुरू कर देने पर बच्चा गन्दी बस्तियों और गन्दी बस्तियों की परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया जाता है। शुरू में वह समझ नहीं पाता कि वहां क्या हो रहा है। अभिभावक भी इस बदलाव को समझ नहीं पाते, किन्तु धीरे-धीरे बच्चे को नुकसान पहुंचने लगता है और बाद में बच्चा अपचारी बन जाता है। इस प्रकार बच्चा परि-स्थितियों का शिकार हो जाता है।

यह महसूस किया गया है कि परिवार, स्कूल और पास-पड़ोस के स्वाभाविक वातावरण में ही बच्चे की सर्वोत्तम देख-रेख की जा सकती है। इस विधेयक में यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। अतः इस समस्या को समग्रतः हल करने के लिए यह आवश्यक है कि जहां कहीं वस्तुतः बच्चों के गुमराह होने की परिस्थितियां विद्यमान हों, किशोरों सम्बन्धी न्यायिक प्रणाली उनमें सुधार करे। इस जागरूकता के लिए किशोरों सम्बन्धी न्याय की नई संकल्पना किये जाने की आवश्यकता है और इस नई संकल्पना को लेकर ही हम इस कानून को यहां ला रहे हैं। कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा उल्लंघन की सम्भावना होने पर ही सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी पारम्परिक दृष्टिकोण के स्थान पर हमें इस नई संकल्पना को तैयार करना है।

अतः इस नये दृष्टिकोण के अन्तर्गत सामुदायिक आधार पर कल्याणकारी कार्य करने वाली एजेंसियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना परिकल्पित है—यही इस विधेयक की प्रमुख बातें हैं, हमें इस तरह से काम करना है कि बाल अपराधी को केवल अपराधी के रूप में ही नहीं माना जाए, बल्कि सामुदायिक आधार पर काम करने वाली एजेंसियां उस बच्चे की देख-रेख करें

और कानून की सीमाओं के भीतर उसकी देख-रेख किये जाने, सुरक्षा तथा पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने से कुछ समय बाद वह बच्चा सामान्य हो जाए।

कानून में बाध्यकर परिस्थितियों का शिकार होने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति राज्य के दायित्व को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है। यदि इस सन्दर्भ में किशोर न्याय विधेयक को देखा जाए तो इसमें किशोर अपराधियों से निपटने के पारम्परिक तरीके को बदलने की कोशिश की गई है। किशोर अपराधियों से निपटने का पारंपरिक तरीका जो भी हो, अब हम उसे बदल रहे हैं और अब किशोर अपराधियों को जिस प्रकार के व्यवहार की जरूरत है अथवा जिस प्रकार उनसे व्यवहार किया जाएगा, वह उनके साथ अब तक किये गए व्यवहार से पूर्णतः भिन्न होगा।

इस प्रकार किशोर न्याय विधेयक का उद्देश्य देश में किशोरों सम्बन्धी न्याय के लिए एक समान कानून निर्धारित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि—यह इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण अंश है—किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बालक को, जेल में अथवा पुलिस की तालाबन्दी में नहीं रखा जाए; और हम किशोर अपराधियों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार को पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं और अब किसी भी परिस्थिति में अपचारी बच्चों को जेल में अथवा पुलिस की तालाबन्दी में नहीं रखा जाएगा।

इस विधेयक में सामाजिक कुव्यवस्थाजनित किसी भी परिस्थिति में पड़े हुये बच्चे की विकासगत आवश्यकता को देखते हुये किशोर अपचारों को रोकने और उनसे निपटने के लिये विशेषीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है—यह इस विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश और उद्देश्य है। हमें कोई अपराध करने वाले बच्चे और ऐसे बच्चे के बीच अन्तर को समझना है जो कुव्यवस्था अथवा किसी बाह्यकर स्थिति में कोई बहुत हल्के किस्म का अपराध कर बैठा है। हमें इन सब बातों में विभेद करना है। इस विधेयक मे किशोर न्याय व्यवस्था के विचार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न वर्गों के बच्चों की देख-रेख, उनके प्रति व्यवहार और उनके पुनर्वास के लिए अपेक्षित तन्त्र और अवसंरचना निर्धारित की गई है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमें ऐसे बच्चे की देख-रेख करनी है और ऐसे बच्चे के प्रति सामान्य बच्चे की तरह सहनशीलता अपनानी है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे ऐसी संस्थाओं द्वारा, जो उनमें रुचि लेंगी अथवा उनकी जिम्मेदारी ग्रहण करेंगी, चलाये जा रहे सुधार गृहों में रहकर सामान्य बच्चे बन सकेंगे। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे अपराध न करें, बल्कि सामान्य जीवन जी सकें। इस विधेयक में जांच और अभियोजन, न्यायनिर्णयन, मनोवृति, देखरेख, सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से प्रशासन के लिये नियम और मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं। अतः इन व्यापक क्षेत्रों, कार्यकलापों, मुद्दों और उद्देश्यों के लिये इस विधेयक को यहां लाया गया है।

इस विधेयक में किशोर न्याय की अधिकृत व्यवस्था और स्वय सेवी ऐजेंसियों के बीच उचित तालमेल स्थापित किया गया है और हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि इस कार्य में अधिकाधिक स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल किया जाये क्योंकि अब सरकार बच्चों को जेल अथवा पुलिस की

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

तालाबन्दी में नहीं रखेगी। ऐसी स्थिति में स्वयंसेवी एजेंसियों को बच्चे की देख-रेख करनी होगी; उन्हें ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिये प्राधिकृत किया जायेगा या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये संगठन ऐसा उपाय कर सकें कि बच्चा यह महसूस करे कि वह अपने परिवार में रह रहा है। इस प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों को बहुत महत्वपूर्ण और अत्यन्त उपयोगी भूमिका निभानी होगी।

और अन्ततः इस विधेयक को देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के किशोर न्याय प्रशासन सम्बन्धी न्यूनतम मानक नियमों के अनुरूप किशोर न्याय व्यवस्था लागू करने के लिये लाया गया है।

अब हम इस व्यवस्था को अपना रहे हैं और इस व्यवस्था के द्वारा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप अर्थात् किशोर न्याय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक नियमों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे।

मैं इन्हीं मुद्दों को स्पष्ट करना चाहती हूँ।

इस विधेयक के अन्तर्गत 16 वर्ष तक की आयु का लड़का और 18 वर्ष तक की आयु की लड़की समान रूप से आती हैं। इस विधेयक की यही प्रमुख बातें हैं। हमने यह स्वीकार किया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत एक समान आयु वर्ग शामिल किया जाना चाहिये; लड़कों के मामले में अधिकतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों के मामले में अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

इस विधेयक में किशोरों को जेल अथवा पुलिस की तालाबन्दी में रखने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यह दूसरा प्रावधान है।

इस विधेयक में स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और संगठनों को प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत गैर-अपराधी किशोरों को सक्षम प्राधिकारियों और संस्थाओं को सौंपने के लिये प्राधिकृत करने की व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक में गिरफ्तारी, मुकद्दमा चलाये जाने और सजा देने की विभिन्न अवस्थाओं में अपराधी और गैर-अपराधी किशोरों सम्बन्धी न्याय निर्णयन के लिये अलग-अलग प्राधिकारियों की व्यवस्था का प्रावधान है और यह उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिन्हें हम भविष्य में अपनाने जा रहे हैं और इससे बच्चे के समस्त जीवन में परिवर्तन आ सकेगा।

इस विधेयक के अन्तर्गत समुदायिक व्यवस्था पर आधारित देख-रेख को प्राथमिकता देकर इन बच्चों के पुनर्वास के लिये उनकी मनोवृत्ति को बदलने की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि यदि कोई बच्चा कोई अपराध कर बैठा हो, तो उसे उपेक्षित छोड़ दिया जाये और इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये। प्रश्न यह नहीं है। अब हमारा यही दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सामुदायिक देख-रेख की व्यवस्था से भी आगे बढ़कर बच्चे की और अधिक देखभाल करें। और यह पहला अवसर है कि हम इस दृष्टिकोण को अपनाने जा रहे हैं और यह बहुत बड़े दृष्टिकोणों में से एक है और इससे हमारे

समाज और हमारे देश में पालन-पोषण की देख-रेख गोद लेना, प्रयोजन : परिवीक्षा और सामुदायिक सेवा और केवल अन्तिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल का उपयोग करने जैसे समाज कल्याण को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी।

विधेयक में किशोरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाओं के लिए न्यूनतम स्तरों की व्यवस्था है और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों को निपटाने, विचार करने, श्रेणियों में विभाजन, अपीलों, संशोधन आदि में विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसलिए उस पर विशेष बल दिया गया है : हम बच्चे को अपराधी नहीं बनाते हैं। बल्कि ये सुधारात्मक उपाय हैं, यह सुधारात्मक और कल्याण सम्बन्धी दृष्टिकोण है। इस विधेयक में किशोरों के लिए न्याय प्रणाली के माध्यम से विचार के लिए मामलों में संरक्षण के बाद और बाद की कार्यवाही के लिए व्यापक व्यवस्था है। यह भी इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इससे हम बच्चों की देखभाल करने जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। बल्कि हम इसमें समुदाय को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और हमें उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना है, जिससे कि छोटे-मोटे अपराध करने में उनका जीवन बर्बाद न हो। बेसमझी के कारण यदि वे छोटे-मोटे अपराध करते हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं कि वे स्वभाव से अपराधी हैं। कोई भी बच्चा स्वभाव से अपराधी नहीं होता। इसलिए हमें उसे सुधरने के लिए समय देना चाहिए जिससे कि वह दोबारा अपने सामान्य जीवन में आ सके।

इस विधेयक में स्वैच्छिक संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करने, गैर-सरकारी और सरकारी संगठनों तथा लोगों से धन एकत्र करने, उनमें जागरूकता पैदा करने तथा सामाजिक दृष्टि से विकलांग बच्चों के कल्याण और उनके पुनर्वास में भाग लेने की व्यवस्था है। इसमें हमने सभी प्रकार के बच्चों का ध्यान रखा है। इस प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और किशोर अपचारियों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है। यह ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी जेल अथवा किसी गृह में डाल देना है। संरक्षण के बाद उनकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया जाएगा। उसको पूरा करने के बाद समाज में उनका पुनर्वास किया जाएगा। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है।

इस विधेयक में किशोरों को भीख मांगने पर रोक लगाने, किशोरों को नशीली शराब अथवा खतरनाक औषधी देने और किशोर कर्मचारियों का शोषण करने जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का भी प्रावधान है।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करती हूं कि किशोरों से सम्बन्धी न्याय विधेयक पर विचार किया जाए और उसे प्राप्ति किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अपेक्षित या अपचारी किशोरों की देख-रेख, संरक्षण, उपचार, विकास और

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से सम्बन्धित विषयों के न्यायनिर्णयन का और उनके आवाक्षादेश का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सरकार किशोरों से सम्बन्धित न्याय विधेयक लाई है। इससे पहले भी बच्चों से सम्बन्धित बहुत से अधिनियम हैं और माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी अथवा बिना जानकारी के यह कहा था कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में कठिनाई है और यही कारण है कि वह यह विधेयक लाई हैं जिसको कि एक समेकित विधेयक माना जा सकता है।

इस विधेयक के माध्यम से बहुत सी बातें प्राप्त करना चाहते हैं। विधेयक का शीर्षक बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है कि "उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देख-रेख, संरक्षण, उपचार विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से सम्बन्धित विषयों के न्याय-निर्णयन का और उनके आवाक्षादेश का उपबन्ध करने" अब देखना यह है कि क्या सरकार इन सभी उद्देश्यों को अथवा उनमें से कुछ को प्राप्त करती है। यदि वे रोष करते हैं, तो मैं अवश्य ही सरकार की प्रशंसा करूंगा और सरकार को मुबारकबाद दूंगा।

इस विधेयक में बहुत-सी कमियां और अस्पष्टताएं हैं क्योंकि विधेयक का प्रस्ताव बहुत जल्दी में और सरसरी तौर पर तैयार किया गया है। इसी वजह से ये सभी कठिनाइयां आई हैं। इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी, इसमें बहुत से दोष हैं। मैं उनमें से एक या दो बातें आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं। इससे पहले भी बहुत से सामाजिक विधान पारित किये गए हैं। लेकिन जब कार्यान्वयन का प्रश्न आता है, जैसा कि—माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। इसका कार्यान्वयन बहुत कठिन है। वास्तव में, इससे पहले कुछ सामाजिक विधान पारित किये गए थे जिन्हे कार्यान्वित नहीं किया जा सका और वे विधान समाज में बुराइयों को रोकने के लिए पारित किये गए थे। लेकिन जब लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वे बहुत निरर्थक हो गए हैं और उनके कार्यान्वयन की बजाए उनका उल्लंघन करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, आप दहेज-विरोधी कानूनों को लीजिए। कोई मंत्री अथवा कोई व्यक्ति यह कहे कि क्या इस अधिनियम का पालन किया गया है। क्या समाज इस विधेयक को अपनाने के लिए तैयार है? जहां तक दहेज प्रथा का सम्बन्ध है। यह अधिनियम समाज में दहेज प्रथा को किसी प्रकार नहीं रोक सका है। सरकार इसके कार्यान्वयन में पूरी तरह असफल रही है।

पिछले अधिवेशन में हमने एक विधान पारित किया है जिससे हम बाल श्रम को रोकना चाहते थे। आप उस अधिनियम को कहां तक कार्यान्वित कर पाए हैं? क्या ऐसा कोई एक भी मामला है जहां आप युवा लोगों को श्रमिक के रूप में नियुक्त होने से रोक सके हैं? इसके लिए आपके पास आंकड़े नहीं हैं। पिछले अधिवेशन में आपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी विधेयक पारित किया है। आप किस सीमा तक आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाए है? इस विधेयक को पारित करने के बाद ऐसी आशा थी कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और आप आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने में सफल होंगे। लेकिन दुःख की बात

है कि यह क्या हुआ ? आतंकवाद और बढ़ गया है । यह दुगुना, तिगुना और कई गुना बढ़ गया है । मुझे आशा है कि इस विधेयक को पारित करने के बाद युवा किशोर लोगों के प्रति अपराधों में वृद्धि नहीं होगी ;

जब मैंने विधेयक को पढ़ा, किशोरों के लिए, मुझे महसूस हुआ कि यद्यपि यह विधेयक युवा लोगों के लिए वरदान माना जा सकता है, उनके लिए यह अभिशाप अथवा छल होगा । यह विधेयक बहुत ही दोषपूर्ण है क्योंकि स्वयं इसका मूलभूत विचार ही दोषपूर्ण है । प्रारूपकार ने समाज के गरीब लोगों के बारे में विचार नहीं किया है कि वे कैसे रह रहे हैं, उनके जीवन-यापन के क्या साधन हैं, उनके माता कैसे रह रहे हैं । इन सभी बातों पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है । इसी वजह से मैं कहता हूं कि यह विधेयक दोषपूर्ण है । यद्यपि पिता और माता दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी ऐसे लोग 5 से 10 बच्चे तक पैदा कर रहे हैं और उन बच्चों को बिना सहारा छोड़ देते हैं । ऐसे बच्चों के लिए न कोई स्कूल है, न कोई अस्पताल है, उनके जीवन-यापन के लिए कोई साधन नहीं है । कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता । इसको देखते हुए उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए वे कहते हैं कि यह विधेयक लाया गया है । लेकिन एक बात वे भूल गए हैं कि जब तक आप उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करते, इस प्रकार के विधेयकों का कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए मैं कहता हूं कि यह विधेयक समाज के बारे में बिना विचार किए अथवा समाज से बिना परामर्श किये उन लोगों से परामर्श किये बिना लाया गया है जिन लोगों से इन किशोरों के लिए गृह खोलने की आशा है ।

यहां बहुत से सामाजिक संगठन हैं । इस विधेयक को उनके विचार जानने और उस पर विचार करने के लिए उनको भेजा जाना चाहिए था और तब इसका प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए था ।

मैं इस विधेयक की कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । किशोरों के लिए दो संगठनों का सृजन किया जाना चाहिए । उन बच्चों के लिए जिनके माता-पिता बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं अथवा जब वे कुछ अपराध करते हैं और उनमें दोष पाये जाते हैं । एक किशोरों के लिए कल्याण बोर्ड और दूसरा है किशोरों के लिए न्यायालय । जब आप विधेयक को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किशोरों के लिए कल्याण बोर्ड और किशोरों के लिए न्यायालय का सृजन करना होगा । जब आप दो संगठनों का सृजन करेंगे, दोनों के कार्यों में अड़चन आने की सम्भावना है । उनके कार्यों में आर्त व्याप्ति हो सकती है । इसलिए या तो उनको कल्याण बोर्ड अथवा किशोरों के लिए न्यायालय को समाप्त कर देना चाहिए अथवा उनको पूरी तरह से अलग और भिन्न बनाना चाहिए । इसमें इसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए कि कल्याण बोर्ड के कौन-कौन से कार्य होंगे और किशोरों के लिए न्यायालय के लिए कौन-कौन से कार्य होंगे । आपको इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए अन्यथा जब वह दोनों साथ-साथ होंगे तो बहुत से ऐसे मामले होंगे जहां उनका क्षेत्राधिकार कहीं नहीं होगा । एक संगठन अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करेगा । कल ही मैंने प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के बारे में सुना है । इसके लिए तीन अथवा चार संगठन जिम्मेदार

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

हैं और प्रत्येक संगठन एक-दूसरे पर दोष डालने की कोशिश कर रहा है। कोई भी संगठन अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार, कल्याण बोर्ड और किशोरों के लिए न्यायालय द्वारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाले जाने की सम्भावना है।

हम इन किशोरों को विभिन्न गृहों अर्थात् किशोर गृह विशेष गृहों संप्रक्षेण गृहों और पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठनों में भेजते हैं। इन विभिन्न गृहों के कृत्यों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है।

जहां तक खण्ड 9, 10, 11 और 12 का सम्बन्ध है, जिनमें इन गृहों का उल्लेख किया गया है, वे बिल्कुल अस्पष्ट हैं।

कृत्य पूर्णत: और स्पष्टत: अलग-अलग बताये जाने चाहियें और उनकी परिभाषा दी जानी चाहिये। बहुत से गृह शुरू किये गये हैं।

इन किशोरों के लिए कोई सार्थक कार्य किया जाना चाहिए।

लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

अधिकांश लड़कियों को जोर जबरदस्ती से या फुसलाकर या धमकी देकर ले जाया जाता है। उनसे वेश्यावृत्ति करायी जाती है। शहरों में बहुत से वेश्यालय हैं। जहां तक इन वेश्यालयों का सम्बन्ध है, इनके सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही करने में असमर्थ है। सामाजिक संगठन भी इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। इस विधेयक से उन अभागी लड़कियों की किस प्रकार रक्षा होगी जिन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया गया है? इस विधेयक में उनके लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है;

जहां तक लड़कों का सम्बन्ध है, उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इन लड़कों को अपराधियों द्वारा भगा कर ले जाया जाता है। वे उन्हें अपंग कर देते हैं उनके अंग काट देते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। आप इस विधेयक द्वारा इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार रोकने जा रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है, जो लड़कों को अपंग कर देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। भारतीय दंड संहिता में इन अपराधों के लिए अधिक दंड की व्यवस्था है। मैं नहीं जानता कि यह विधेयक उनकी किस प्रकार सहायता कर सकेगा? जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, अपराधी या अपराध करने वाला नवयुवक का किसी विशेष न्यायालय में विचारण किया जाता है और उसे दी जाने वाली सजा भारतीय दंडसंहिता से भिन्न है। किशोर को जेल में नहीं भेजा जाता है। उसे भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिया जायेगा या उसे लगभग एक वर्ष तक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है अथवा उसे खण्ड 9 से 12 में उल्लिखित चार गृहों में से किसी एक गृह में भेजा जा सकता है। उन पर दो से तीन वर्ष तक निगरानी रखने का उपबंध किया गया है। सजा को न्यूनतम कर दिया गया है। मैं मंत्री

महोदय से किशोरों को दी जाने वाली सजा के मामले पर गहराई से विचार करने का निवेदन करता हूं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जब इस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जाती तब अपराधी इसका लाभ उठाते हैं। वे अपराध करवाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध करवाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। ये व्यक्ति पीछे रहकर किस प्रकार कार्य करते हैं ? वे इन लड़कों को पकड़ते हैं। उन्हें बड़े शहरों में लाते हैं उन्हें अपराध करने के लिए शहरों की सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये व्यक्ति उन्हें अपराध करना सिखाते हैं। जब ये युवा लड़के अपराधियों के हाथों में पड़ जाते हैं, तो वे उन्हें लूटपाट करना सिखाते हैं। वे उन्हें चोरी करना हत्या करना और तस्करी करना सिखाते हैं। अतः बहुत-सी बातें हैं। वे उन्हें सिखाते हैं और इसके पश्चात ये लड़के योजना के अनुसार जायेंगे और वे अपराध करेंगे। यदि वे पकड़ भी लिये जाते हैं, तो उनको सख्त सजा नहीं दी जाती है और अपराध कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। उनको किस प्रकार सजा दी जायेगी, उसका इस विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। विधेयक में कुछ ऐसे भी खण्ड हैं जिनमें यह उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल भीख मांगने या अन्य किसी अपराध के लिए करता है, तो उसे 6 मास से 3 वर्ष तक की कैद की सजा दी जायेगी यह क्या है? आखिर एक डाकू उनकी सहायता से बहुत से अपराध करता है। वह उन्हें हत्या करने के लिए उकसा सकता है—वह बैंक लूट सकता है और इन लड़कों को तस्करी करने और नशीले पदार्थ बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। जिससे ये नवयुवक खराब हो जाते हैं। हमने पिछले वर्ष स्वापक वस्तु अधिनियम भी पास किया था। इन सब बातों को करने के लिए असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है। वे इन सभी अपराधों के लिए इन नवयुवकों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनसे उनको लाभ होगा और वे लड़कों से यह कहेंगे :—

"आखिरकार आपको सजा नहीं होने वाली है। अधिक से अधिक वे आपकी भर्त्सना करेंगे और आपको किसी एक गृह में भेज देंगे या वे आपको एक या दो वर्ष परिवीक्षा पर रखेंगे या वे आपको सुधार विद्यालय में भेज देंगे। आप वहां दो या तीन वर्ष तक रहेंगे। इस प्रकार ये असामाजिक तत्व स्थिति का लाभ उठायेंगे और लूट के माल से अपनी जेब भरेंगे। इसलिए इस विधेयक से इन नवयुवकों को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

इस विधेयक में एक अन्य दोष है। आप कहते हैं कि ये उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में हैं। अन्य खंडों में आप दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के बारे में कहते हैं। आप विधेयक का मसौदा इस प्रकार क्यों तैयार करते हैं ? प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में हो सकती हैं। या तो आप इसे रखें या इसे दंड प्रक्रिया संहिता से पूरी तरह निकाल दें। यदि दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंध हैं, तो आप यह विधान क्यों लाये हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि अपराध संज्ञेय हैं अथवा असंज्ञेय हैं। लड़के अपराध करते हैं। उसके पीछे जो असामाजिक तत्व होते हैं, वे उससे अपराध करवाते हैं। आप उसे सजा नहीं दे सकते हैं। आप इसे साबित भी नहीं कर सकते हैं। इसे साबित करना बहुत कठिन कार्य है। यहां तक कि, यदि उसे पकड़ भी लिया जाता है तो उसे तीन या इससे अधिक

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

महीनों की ही सजा मिलती है। क्या आप इस प्रकार के व्यक्तियों को चेतावनी दिये बगैर सजा दे सकते हैं? क्या आप इन अपराधों को संज्ञेय बना सकते हैं। आप इस अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता के क्षेत्र से अलग नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार विधेयक में बहुत सी कमियां हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में जल्दी नहीं करें। कृपया इस समय इस विधेयक को वापस ले लें इस पर विचार करें अथवा इसे सभी संगठनों को परिचालित करा दें। इसके पश्चात विचार करें कि क्या आप इस विधेयक के खण्डों को कार्यान्वित करने में समर्थ हैं। अन्यथा यह एक और विधान होगा जिसे आप कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं है। जनता उन कानूनों की मजाक उड़ा रही है जिन्हें आप कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। आप इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनायें। इस समय आप विधेयक को वापस ले लीजिए और बाद में एक ऐसा व्यापक विधेयक लायें जिसमें इस विधेयक की सभी कमियों को दूर कर लिया गया हो। इसके पश्चात ही आप इन बेसहारा बच्चों को कुछ न्याय देने में समर्थ होंगे।

4.00 म० प०

दूसरी बात यह है कि जहां तक वित्तीय स्तर का सम्बन्ध है जब तक उनके निर्धन माता-पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करते हैं आप तब तक इन लोगों की नियति नहीं बदल सकते। अत: यह एक सामाजिक कानून है और इसमें धनराशि भी अन्तर्गस्त है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस विधेयक पर गंभीरता से विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं और मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ और समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाये और इस के अलावा विधेयक पर जनता की राय प्राप्त की जाये।

डा० फूलरेणु गुहा (कंटई) : महोदय, मैं 1986 के विधेयक संख्या 103 अर्थात् किशोर न्याय विधेयक, 1986 का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह और व्यापक होना चाहिए। उसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन, फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का विधेयक पहली बार सभा के समक्ष लाया गया है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा है कि जिन लड़कियों को वेश्या का जीवन बिताने के लिए बाध्य किया जाता है वे अपराधी किशोरियां हैं मुझे यह कहते हुए खेद है चूंकि मैंने अपराधी किशोरियों के बीच कार्य किया है और मैंने वेश्याओं के बीच भी कार्य किया है। उनकी अलग-अलग दो श्रेणियां हैं। हमें उन्हें मिलना नहीं चाहिए।

महोदय मैं यह कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपराधी किशोर के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। कोई भी बच्चा परिस्थितियों के कारण पारिवारिक वातावरण, तथा अन्य विभिन्न कारणों से अपराधी किशोर हो जाता है। हमे इस मामले को इस बात से नहीं मिलना चाहिए कि बच्चा अपराधी के रूप में जन्म लेता है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूँगी कि हमने व्यापक सर्वेक्षण किया है। यहां तक कि इस सम्बन्ध में एक अनुसंधान परियोजना और एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है और इसका बहुत से उन लोगों ने स्वागत किया है जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

यह परियोजना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गये धन से तैयार की गयी थी। मैं विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि बच्चे अपराधी के रूप में पैदा नहीं होते हैं। वे वातावरण, परिस्थितियों, गलत संगत अथवा यहाँ तक कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी अपराधी हो जाते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर हम यह देख चुके हैं कि बहुत से बच्चे जो अपराधी हो गये हैं, उसका कारण यह है कि उनके मां-बाप में आपसी कलह रहती थी। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह सच भी हो सकता है कि मां-बाप के आपसी झगड़ों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव हमेशा सभी बच्चों पर पड़ता है लेकिन कुछ संवेदनशील बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है और वे अपराधी हो जाते हैं।

मैं एक अन्य मुद्दे के बारे में भी बताना चाहती हूं कि जब कोई बच्चा पूरी तरह से अपराधी हो जाता है, हम तभी उसका सुधार करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जब कोई बच्चा अपराधी होना शुरू हो जाये तो हम उसके लिए कुछ उपाय करें। मैं विश्वास-पूर्वक यह कह सकती हूं कि यदि बच्चों को जन्म से ही सुधारा जाये तो वे अपराधी नहीं बन सकते।

अत: मैं अनुरोध करती हूं कि एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जब कोई बच्चा थोड़ा असामान्य हो जाता है चाहे वह किशोर हो या किशोरी, उसका सुधार किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब कोई बच्चा थोड़ा-थोड़ा असामान्य हो जाता है लोग यह सोचते हैं कि वह कहना नहीं मानता है और वह किसी की कोई बात नहीं सुनता है और वह जिद्दी हो गया है आदि। लेकिन हम समस्या के मूल कारणों को नहीं समझते हैं। जब बच्चे पूर्णत: अपराधी हो जाते हैं, तब हम उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। लेकिन हमें इन बच्चों को पूर्णत: अपराधी होने से बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम उनकी ओर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें उनको अपराधी होने से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी देश की सामाजिक-आर्थिक दशा के कारण और हम अपने समाज में इतने भौतिकवादी बन गये हैं कि मां-बाप के पास बच्चों की देखभाल करने के लिए समय भी नहीं होता है। पहले जब कोई बच्चा थोड़ा अपराधी हो जाता था तब वृद्धा औरतें इसका पता लगा लेती थीं और वे उसको सुधार लेती थीं। इस समय हमारी कोई व्यवस्था नही है और यह इस कारण से भी सम्भव नहीं है कि मां-बाप अपने निजी कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। अत: दो प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक व्यवस्था विद्यालय के लिए और दूसरी व्यवस्था विद्यालय के बाहर के लिए होनी चाहिए। मैं यह जानती हूं कि यह व्यवस्था खर्चीली होगी मैं यह भी जानती हूं कि यह अधिक खर्चीली नहीं है लेकिन यह खर्चीली होगी। सामाजिक कार्यकर्ता एक विद्यालय के एक ग्रुप के बच्चों की देखभाल कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इसे मनोविज्ञानी अथवा मनोचिकित्सक के पास भेजा जा सकता है। मैं इसे विश्वासपूर्वक कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने छोटे से अनुभव से यह देखा है कि अनेक बच्चों को बचाया जा सकता था। यही कारण है कि मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है मुझे पता है कि आप इसी समय इसे करने में समर्थ नहीं हैं किन्तु अगले वर्ष के बजट में आप एक छोटी शुरुआत तो कर सकते हैं और आपको इसके परिणाम भी प्राप्त हो जायेंगे।

[डा० फूलरेणु गुहा]

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय ने इसमें स्वैच्छिक संगठनों के शामिल किए जाने की बात कही है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि बहुत थोड़े से स्वैच्छिक सगठन हैं जो बाल अपराध पर कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

यह भी आवश्यक है कि जब सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों के विषय में कार्य करते हैं तो कुछ मामलों में यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग-चिकित्सकों के पास भेजा जाये।

मैं एक दूसरा प्रश्न उठाना चाहूंगा जो बहुत ही नाजुक है। किन्तु फिर भी मैं प्रोबेशन अधिकारियों के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने अनेक प्रोबेशन अधिकारियों को देखा है और यह पाया है कि उनमें से अनेक उस कार्य के योग्य नहीं हैं जो उन्हें मिला है उनमें बच्चों के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ बहुत अच्छे प्रोबेशन अधिकारी हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे देश में और भी बहुत अच्छे प्रोबेशन अधिकारी हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोबेशन अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व हमें केवल उसकी विश्वविद्यालय की अर्हता को ही नहीं देखना चाहिए। हमें जीवन के प्रति, बच्चों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक बच्चों के प्रति उसमें वह दृष्टिकोण नहीं है, किसी प्रोबेशन अधिकारी को यह कार्य नहीं सौंपना चाहिए।

मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा। अध्याय तीन में 'उपेक्षित बच्चे' कहा गया है। मैं महसूस करता हूं कि इस अध्याय का नाम ही सही नहीं है। किशोर उपेक्षित ही होते हैं चाहे परिवार में हों या समाज में। जब किसी व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है, तो वह किशोर बन जाता है। यही कारण है कि मेरा कहना है कि इस अध्याय का नाम 'उपेक्षित बच्चे' नहीं होना चाहिए। किन्तु फिर भी मेरा कहना है कि यह अच्छी बात है कि यह विधेयक लाया गया है और मैं आशा करता हूं कि इससे हमारे देश में अपचारी किशोर बच्चों के बारे में विचार करने में मदद मिलेगी। यह अच्छी बात है कि एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किन्तु जहां तक मुझे पता है, बोर्ड का गठन पहले ही हुआ पड़ा है। न्यायालय पहले से विद्यमान है। किन्तु आप इसका विस्तार कर रहे हैं और उन्हें विशेष कार्य सौंप रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि बोर्ड का गठन किया जायेगा। न्यायालय हैं। बोर्ड हैं। आप केवल उन्हें अधिक कार्य और विशेष कार्य दे रहे हैं। यही मुझे कहना है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं मन्त्री महोदय से यह अपील करना चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ, बाद में अपराध को रोकने के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे बच्चे अपराधी हों। हमें इसे रोकने के लिए कार्य करना है। यह आयु निवारण की आयु है। औषध में भी, हम निवारक औषध पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, यह एक सामाजिक व्यवस्था है—केवल सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि इस व्यवस्था के कारण अपराधियों की संख्या अधिक होती जा रही है। इस-

लिए आप इस पर विचार करें और छोटे रूप में एक प्रणाली बनायें तथा बाद में इसका उपयुक्त तरीके से विस्तार किया जाये।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, बच्चों का विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक शोषण किया जाता है। इस देश में भी, उपेक्षित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में लगाने पर रोक लगाई गई है। किन्तु इसके बावजूद आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश में खतरनाक व्यवसायों में 170 लाख बच्चे लगे हुए हैं। अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश के श्रम-बल में लगभग 440 लाख बच्चे शामिल हैं और उनमें से अधिकांश उपेक्षित अथवा अपराधी बच्चों की श्रेणी में आते हैं या ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी माता-पिता द्वारा अथवा समाज द्वारा देखभाल नहीं की जाती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे इन परिस्थितियों में सामाजिक कुव्यवस्था, अपराध अथवा उपेक्षा की स्थितियों में पाये जाने वाले किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए एक बहुत व्यापक विधान लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के 39 वर्षों के पश्चात् यह पहला अवसर है कि किशोरों के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने वाला इस प्रकार का सम्पूर्ण विधान बनाया जा रहा है। इसका अर्थ केवल अपराध को खत्म करना या उन्हें दण्डित करना नहीं है। इसका अभिप्राय बच्चों में पूरा परिवर्तन लाना है। दंड-सम्बन्धी पहलू को यहां बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है। मेरे पूर्व वक्ता ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस विधेयक में निवारक पहलू की प्रमुखता है। मुझे तो वास्तव में आश्चर्य है कि विपक्ष की मेरी सहयोगी ने इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं की पूरी तरह सराहना नहीं की है। मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विधेयक की एक अत्यधिक खास विशेषता यह है कि इस विधेयक का प्रायः प्रत्येक खण्ड जो अपराधी किशोरों से संबंधित है, उसमें सांसारिक भाव का स्पर्श है। मैं कुछ खंडों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, खण्ड 9(3) में कहा गया है :—

> "यह अधिनियम किशोर के लिए वास-सुविधा, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा, अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा और उसे भी इस बात के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देगा कि वह नैतिक खतरों या शोषण से अपना संरक्षण करे....."

ताकि भविष्य में वह एक उपयुक्त बालक बन सके। यह इस विधान में पैतृक देखरेख को दर्शाता है।

खण्ड 9, 10 और 11 के बीच भेद है जिसे पूर्ववक्ता सही ढंग से नहीं समझ पाये हैं। खंड 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका अभिप्राय 'उपेक्षित किशोर' है। 'उपेक्षित किशोर' 'अपचारी किशोर' से अलग है। खण्ड 9 के अधीन स्थापित किया जाने वाला गृह 'उपेक्षित किशोरों

[श्री ए० चार्ल्स]

के लिए 'किशोर गृह' है जबकि खण्ड 10 में 'अपचारी किशोरों के लिए विशेष गृह' की बात कही गई है और खण्ड 11 में 'किशोरों के बारे में कोई जांच लम्बित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए संप्रेक्षण गृह' का उल्लेख किया गया है। ये तीन श्रेणियां हैं और एक स्पष्ट अन्तर रखा गया है। तीन विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए ये तीन गृह हैं।

खण्ड 12 एक असाधारण खण्ड है। इसमें पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों पर विचार किया गया है। इसमें किशोरों की देखरेख करने का उद्देश्य है जब वे किशोर गृह अथवा विशेष गृह छोड़ते हैं और इसका उद्देश्य उन्हें एक ईमानदार, उद्यमी और उपयोगी जीवन जीने के योग्य बनाने का है ताकि भविष्य में वे भार न बने रहें। इसलिए बच्चे में परिवर्तन लाने और भविष्य में उसे एक अच्छा और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए हर प्रकार की देखरेख की गई है।

खण्ड 17 दर्शाता है कि इस विधेयक के द्वारा प्रत्येक क्षण के ब्यौरे पर ध्यान दिया गया है। खण्ड 17 में 'अनियंत्रित किशोरों' पर विचार किया गया है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखने में समर्थ नहीं होते हैं अथवा अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे अनेक मामलों को जानता हूं। कुछ परिवारों में जब कोई पिता अपनी पत्नी को छोड़ देता है अथवा मां विधवा हो जाती है, तो मां अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो जाती है और अधिकांश बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। मुझे एक मामले की याद आती है जब एक विधवा मेरे पास आई थी और उसने अपने बेटे को जेल भेजने की सिफारिश की थी किन्तु इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस विधेयक में अनियंत्रित किशोरों के इस पहलू पर अच्छी तरह ध्यान दिया गया है अर्थात् यदि कोई ऐसा मामला है जहां माता-पिता भी अपने बच्चों को नियंत्रित करने अथवा उन्हें अनुशासित करने या उन्हें अच्छा जीवन प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए एक खंड है जिसमें इन बच्चों को इन गृहों में रखने के लिए अवसर प्रदान किया गया है जहां उनकी देखभाल की जा सके।

इसलिए, मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु मेरी केवल एक ही चिन्ता है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं। विधेयक को पारित करना एक बात है। किन्तु इस बात की क्या गारंटी है कि इसे राज्यों में कार्यान्वित किया जायेगा? यहां मैं मन्त्री महोदय से यह देखने के लिए बहस करना चाहूंगा कि इसे उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये। प्रत्येक खंड में यह कहा गया है, "राज्य सरकार प्रबन्ध के लिए नियमों द्वारा प्रावधान कर सकेगी....." इसका अर्थ है कि सरकार 'नहीं भी कर सकेगी'। इसमें एक बाध्यता खंड होना चाहिए और इस विधान को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को कठोर निर्देश दिये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक खण्ड होना चाहिए कि इस विधान के पारित किये जाने के पश्चात्, यथोचित समय के भीतर, प्रत्येक राज्य उपयुक्त विधान या नियम बनायेगा ताकि ये गृह स्थापित किये जा सकें और इनकी समुचित देखरेख की जा सके तथा इस विधेयक के अन्तर्गत जो देखरेख करने की बात कही गई है, वह वस्तुतः बच्चों को दी जा सके।

अब मैं एक और मुद्दा निधियों के बारे में उठाना चाहता हूं। खंड 52 में कहा गया है—

"(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम में चर्चित किशोर के कल्याण और पुनर्वास के लिए ऐसे नाम से, जो वह ठीक समझे, एक निधि का सृजन कर सकेगी।

"(2) निधि में ऐसे स्वैच्छिक संदान, अभिदाय जमा किये जायेंगे....." आदि आदि स्वैच्छिक संदान भी लिए जा सकते हैं। किन्तु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार निधि प्रदान करेगी। यदि भारत सरकार द्वारा समतुल्य अनुदान दिया जाता है, तो योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं होगी और मैं महसूस करता हूं कि उसकी जिम्मेदारी इस विधेयक को पारित करने के साथ ही खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे आशा है कि राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी ताकि विधेयक में प्रस्थापित उच्च आदर्शों का इस देश के ऐसे लाखों बच्चों को वास्तव में लाभ पहुंच सकेगा जो या तो उपेक्षित हैं अथवा जो अपराधी बन गए हैं और जिनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी इस राष्ट्र की है। मुझे आशा है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें देश के सफल नागरिक बनाया जाएगा ताकि संविधान में प्रदत्त लक्ष्य भी प्राप्त हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, के आगामी जन्म-दिवस बाल दिवस के उपलक्ष में इस कानून को पेश करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

जब हम अपने आपसे यह पूछते हैं, अपना राष्ट्र कैसा होना चाहिए।

[हिन्दी]

"देश हमारा कैसा होगा ? जैसे हमारे बच्चे होंगे।"

[अनुवाद]

जैसा कि आप कहते हैं हमारे बच्चे राष्ट्र के भाग्य निर्माता होंगे। हमारे वरिष्ट सदस्य भी यही कहते रहे हैं। मुझे देश भक्ति का एक गीत याद आता है :—

[हिन्दी]

"हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के,
इस देश को को रखना मेरे बच्चो संभाल के।"

[श्री शांताराम नायक]

[अनुवाद]

इसका संदेश है कि हमारे बच्चों घर राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी है।

मंत्री महोदय ने बोर्ड, किशोर न्यायालय और विशेष गृह जैसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं। खंड 4(2) में यह प्रावधान है कि :—

"बोर्ड में एक चेयरमैन और कुछ ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें नियुक्त करना राज्य सरकार उपयुक्त समझेगी और इनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी....."

मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को ऐसे अधिकार क्यों सौंपे गए हैं? जब हम कोई बोर्ड बनाते हैं तो स्वयं अधिनियम में उसकी पूरी तस्वीर सुनिश्चित की जानी चाहिए। हां, कुछ छोटी-मोटी बातों का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। यदि मुख्य धारा में मार्गनिर्देशों का उल्लेख किए बिना हम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति राज्य सरकारों को दे देते हैं तो यह संभावना बनी रहती है कि प्रत्येक राज्य अपने ढंग के बोर्ड बनाएगा और इसके विपरीत, जैसा कि हम चाहते हैं, इन बोर्डों में कोई समानता नहीं होगी।

किशोर न्यायालयों के मामले में भी यही हुआ है। खंड 5(2) में कहा गया है :—

"किशोर न्यायालय में, एक ऐसी पीठ होगी जिसमें राज्य सरकार जिसे उपयुक्त समझे, प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेटों, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्य शामिल होंगे....."

किशोर न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में अधिनियम में इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। संख्या निर्धारित करने पर ही हमें न्यायालय की रूपरेखा स्पष्ट होती है। मेरे विचार से यह राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए अथवा हमें राज्य सरकारों को इस संख्या के निर्धारण का स्पष्ट अधिकार दे देना चाहिए।

खंड 9(4) में किशोर न्यायालय का सम्पूर्ण प्रबन्ध कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि :—

"इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार राज्य सरकार बाल-गृहों के प्रबन्ध की व्यवस्था कर सकती है जिसमें इन गृहों द्वारा कायम किये जाने वाला स्तर और सेवाओं का स्वरूप और उन परिस्थितियों और तरीकों, का उल्लेख किया गया है जिनमें बाल-गृह के प्रमाणीकरण की अनुमति दी जा सकती है अथवा उसे वापस लिया जा सकता है।"

मुझे इस बात पर आपत्ति है कि हमने ऐसे अधिकांश पहलुओं को राज्य सरकारों के निर्णय

पर छोड़ दिया है। मेरे विचार से हमें इन नियमों में प्रमुख बातों का उल्लेख कर देना चाहिए। विशेष गृहों के मामले में भी ऐसा ही है। अब किशोर गृह और विशेष गृह—दोनों के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। अत: इस अधिनियम से हमें विशेष गृह और किशोर गृह में सही अन्तर का पता नहीं चलता है क्योंकि हमने इस प्रयोजनार्थ नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे रखा है। अत: मुख्य अधिनियम में इसके बीच अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है। इस संबंध में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रदर्शित की गई है जिसमें एक मामूली सा अन्तर दिखाया गया है। इसके अलावा एक निरीक्षण गृह की व्यवस्था की गई है और निरीक्षण गृह के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे। निरीक्षण गृह एक ऐसा गृह है जहां किसी किशोर को उसके विरुद्ध लम्बित पड़े मामले की जांच होने तक रखा जाता है।

महोदय, क्या हम वास्तव में इन सब चीजों के लिए धनराशि प्रदान कर रहे हैं? मैं एक ऐसे गृह का सुझाव देता हूं जहां हम ये सब सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। क्या हमारी वित्तीय स्थिति, इस अधिनियम को लागू करने के बाद देश के सभी राज्यों में सभी किस्म के गृह बनाने लायक है? यदि नहीं, तो अधिनियम पारित करने और विभिन्न प्रकार के गृह बनाने मात्र से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। जब हमारे पास पर्याप्त धनराशि मौजूद हो तो हम ऐसा कर सकते हैं परन्तु इस समय एक ही प्रकार का गृह बना सकते हैं जहां हम किशोर आराधियों को सभी सेवायें प्रदान कर सकते हैं।

महोदय, खंड 14 में एक अच्छा प्रावधान किया गया है :—

> "यदि किसी व्यक्ति का, जो पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संगठन की राय में उपेक्षित किशोर है, कोई अभिभावक अथवा संरक्षक है, जो उस किशोर का वास्तविक रखवाला अथवा नियंत्रण है....."

तब उस अभिभावक से किशोर को जांच के लिए पेश करने के लिए कहा जा सकता है। अब यदि वे उन्हें पेश नहीं करते तो फिर इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है मुझे ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है जिसके द्वारा हम उन्हें किशोर अपराधी को पेश करने के लिए मजबूर कर सकें। बोर्ड को, ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि वह किशोर को अपने समक्ष पेश करवा सके। किशोर को पेश न करने पर पुलिस अधिकारी कोई दंड नहीं दे सकता है। पुलिस अधिकारियों के पास आपराधिक दंड संहिता के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु यहां प्रश्न बोर्ड की शक्तियों का है। यदि इन किशोरों को बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वे क्या करेंगे? अत: मैं यह सुझाव देता हूं कि ऐसा कोई निवारक नियम होना चाहिए जिससे अगर अभिभावक, किशोर को बोर्ड के समक्ष पेश करने से इंकार करते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था हो।

दूसरी बात यह है कि जब यह अधिनियम लागू होगा तो मुझे विश्वास है कि अधिकांश राज्य तब तक बोर्ड स्थापित नहीं करेंगे जब तक आप उनसे आग्रह न करते रहें। वे जिला मजिस्ट्रेट से किशोर न्यायालय के रूप में काम करने के लिए कह कर सन्तोष कर लेंगे। आमतौर

[श्री शांता राम नायक]

पर ऐसा ही होता है। अतः यह आवश्यक होना चाहिए कि किशोर न्यायालय स्थापित किया जाए और राज्य सरकार को पहले से मौजूद प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा यह समूचा कानून निरर्थक सिद्ध होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने किशोरों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। इसलिए यदि वे कोई अपराध करते हैं तो हम उसे गम्भीरता से नहीं लेंगे और उन्हें माफ कर देंगे आदि। अब पेशेवर अपराधियों में यह प्रवृत्ति पैदा हो सकती है कि वे अपराध करने में किशोरों का इस्तेमाल करें। वे इन गतिविधियों में केवल किशोरों को लगा सकते हैं ताकि किशोर इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जाएं और वे स्वयं कानून की गिरफ्त से बचे रहें। हमें यह देखना चाहिए कि पेशेवर अपराधी किशोरों का इस्तेमाल न करें ताकि यह अधिनियम परोक्ष रूप से निष्फल सिद्ध न हो।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, इस विधेयक का आशय सराहनीय है क्योंकि इसमें इस देश में किशोर सम्बन्धी समान न्याय व्यवस्था का निर्धारण किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी बालक को किसी भी परिस्थिति में जेल अथवा हवालात में बन्द न रखा जाए। इसमें किशोर अपराध प्रवृत्ति के निवारण और उपचार के प्रति विशेष दृष्टिकोण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसमें एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने और किशोर न्याय व्यवस्था के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न श्रेणी के बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक तंत्र और मूलभूत ढांचे का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है।

परन्तु हमारा अनुमान यह है कि इस कानून का पालन अभियोग के तौर पर अधिक होगा सतर्कता के तौर पर कम। यह इसलिए कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कानून पारित किए गए, परन्तु उनका प्रभाव क्या रहा है? दहेज-विरोधी अधिनियम को ही देखें। दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि बच्चे हमारी सम्पत्ति हैं। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि बच्चे देश की सम्पत्ति है, किन्तु भारतीय बच्चों का भविष्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 520 लाख बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 170 लाख बाल श्रमिक भारत में ही हैं। हमारे बहुत से बच्चों को तो दो वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है। इनमें से कइयों को तो छः अथवा सात वर्ष की आयु में ही अपनी आजीविका जुटानी होती है। समाचार पत्रों की खबरों से पता चलता है कि हजारों किशोर मिर्जापुर में गलीचा बुनाई फैक्टरियों में काम कर रहे हैं और छः से चौदह वर्ष की आयु के हजारों बच्चे शिवकाशी में आतिशबाजी की फैक्टरियों में काम कर रहे हैं।

यही स्थिति है। यहां तक कि बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। उनके संचालक बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में इन बच्चों को भीख मांगने के लिये नियुक्त करते हैं। यहां तक कि नवयुवतियों को शर्मनाक जिंदगी बिताने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें वेश्यालयों

में धकेल दिया जाता है। भारत में वास्तविक स्थिति यही है। अतः इसके लिये समेकित दृष्टिकोण और सामाजिक जागृति पैदा की जानी चाहिये।

बाल अपराध समाप्त करने के लिये चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्यतः स्कूल भेजने की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं की ओर से चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा देने का निर्देश है। इसलिये हमारी मांग है कि बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिये। इतना ही नहीं, उन्हें मुफ्त में वर्दी और मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिये और उनके लिये खेलकूद के पर्याप्त अवसर होने चाहिये।

अब हम हाल ही में सियोल में समाप्त हुए खेलों में जो कुछ हुआ, उस पर एक नजर डालें। वहां पर हम भारतीयों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। परन्तु जैसा कि हमने समाचारों पत्रों में पढ़ा है कि दक्षिण कोरिया ने कुछ वर्ष पहले एक लाख युवकों और युवतियों को चुना और उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया। बाद में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर इस संख्या को 5 हजार तक घटा दिया गया और उन्हें आगे का प्रशिक्षण दिया गया। यही कारण था कि उन्हें इन खेलों में शानदार सफलता मिली। परन्तु इसको देखते हुए हमारी सरकार की ओर से कोई इच्छा शक्ति नहीं दीख पड़ती है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें आशंका है कि इस विधान के पारित किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार सारा दोष राज्य सरकारों पर डाल देगी और कहेंगी कि हमारे इतना अच्छा विधान पारित करने के बावजूद भी वे कुछ नहीं कर रही हैं। हम देखते हैं कि विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है, परन्तु राज्य सरकारों के पास संसाधन कहां है। केन्द्रीय सरकार और उसकी नीति से राज्य सरकारें गरीब नगरपालिकाओं में बदल कर रह गई हैं। राज्य सरकारों को सदैव वित्तीय तंगियों का सामना करना पड़ता है। वे किस प्रकार बालगृह और आफ्टेर-केयर होमस आदि को चलायेंगे। इन सब काम के लिये धन चाहिये। अतः विधेयक का उद्देश्य अथवा केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य तब पूरा हो पाता यदि वे प्रस्तावित सुधार को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ धनराशि आवंटित करते।

इस सन्दर्भ में मैं पश्चिम बंगाल सरकार की उपलब्धियों का उद्धरण दूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला समिति की उन सिफारिशों को स्वीकार किया है जिनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि किसी भी बाल अपराधी को पुलिस की हिरासतों अथवा जेलों में नहीं रखा जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया है और उन्होंने पहले ही उन्हें कार्यान्वित किया है। इतना ही नहीं उन्होंने बाल अपराधियों के लिये घर भी बनाये हैं। उन्होंने अनाथ लड़कियों के लिये भी मकान बनाये हैं मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों के लिये हर क्षेत्र में चिन्ता की जानी चाहिये। अतः सरकार को हमारी जनता में सामाजिक जागृति पैदा करने के लिये प्रचार माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिये। इस समय दूरदर्शन केवल उपभोक्ताओं की छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करता है और वह केवल शहरी उच्च वर्गों के काम में आता है। वे केवल हमारे प्रधान मंत्री के विभिन्न स्थानों के दौरों के चित्र

[डा० सुधीर राय]

दिखाते हैं। प्रचार माध्यम के कुशल उपयोग से हमारे गरीब बच्चों की शोचनीय दशा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। प्रचार इस ढंग से होना चाहिये जिससे समाज बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए जागरूक हो। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन ने 'खारीज' नामक एक चलचित्र बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार एक जिम्मेदार और जागरूक मध्यवर्गीय परिवार में एक बाल मजदूर रसोई में दम घुट जाने के कारण मर गया। उसे बन्द रसोई में रहना पड़ता था और वह वहाँ पर दम घुट जाने के कारण मर गया। अतः लोगों में सामाजिक जागृति पैदा करने की आवश्यकता है।

बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि नियत की जानी चाहिये। बच्चों को अनिवार्यतः स्कूल भेजने पर जोर दिया जाना चाहिये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इतना शोरगुल होने के बावजूद हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कार्यान्वित करने का दायित्व केवल राज्य सरकारों को ही सौंपा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया, ने जो जुवेनाइल जस्टिस बिल, 1986 प्रस्तुत किया है, मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

यह बिल एक बहुत ही आवश्यक बिल था और इसे काफी अर्से पहले आना चाहिए था। किन्तु देर आयद दुरुस्त आयद, देर से ही सही, बहुत अच्छे तरीके से, व्यापक रूप से स्टडी करके और हर पहलू पर निर्णय लेकर यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

आज हमारे देश में बच्चों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। स्मगलर्स उनका दुरुपयोग करते हैं, चोरी करने वाले जो गैंग हैं वे उनका दुरुपयोग करते हैं, डकोइट्स उनका दुरुपयोग करते हैं, नारकोटिक्स, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले और उनका व्यापार करने वाले लोग, सभी उनका दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार के लोग धीरे-धीरे बच्चों को बहुत बड़ा अफेंडर बना देते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। जब माता-पिता की उचित देख-रेख के बिना या उनकी गलत आदतों की वजह से बच्चे आउट आफ कंट्रोल हो जाते हैं, उन बच्चों को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए और वह व्यवस्था आपने इस बिल के जरिए से की है, यह बहुत ही स्वागत-योग्य कदम है। हमारी सरकार ने हर पहलू पर दृष्टि रखकर इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की है। जिस तरीके से आपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में हर पहलू पर गरीब को ऊपर उठाने की व्यवस्था की है उसी तरीके से इस व्यवस्था को भी आपने अपने हाथ में लिया है।

आज इस देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको सही तरीके से पालने-पोसने की स्थिति उन लोगों की नहीं है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। (व्यवधान)

अगर आप लोग इस तरह से बीच में बोलेंगे तो मैं जुवेनाइल जस्टिस को छोड़कर मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पर आ जाऊंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय, ये लोग हमको जबरदस्ती छेड़ते हैं और चाहते हैं कि इनके लिए कुछ न कुछ कहा जाए। जुवेनाइल/को अफेंडर्स बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है।

श्री हरीश रावत : ये लोग उनको मेंटली करप्ट करते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेंटली ही नहीं हर तरह से करप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि ये सी० पी० एम० के लोग बच्चों को लाठी और तलवार चलाना सिखाते हैं, लड़ना-झगड़ना सिखाते हैं, ये सी० पी० एम० के लोगों का काम है। अब वही चीजें आपको दुख दे रही हैं, आप तकलीफ पाएंगे, आराम नहीं पाएंगे। यह गांधी का देश है, यहां पर शांति और अहिंसा के जरिए से ही ठीक व्यवस्था चल सकती है। आपकी इन हरकतों से देश में ठीक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए इसको आप छोड़िए और इस रास्ते पर आ जाइए, ताकि आज जो आपके सामने समस्या है वह हल हो सके, यह आपकी हरकतों से पैदा हुई है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इस कानून में—Section 41

[अनुवाद]

किशोरों के प्रति क्रूरता के लिए दंड।

भीख मांगने के लिये किशोरों का नियोजन।

किशोरों को मादक लिकर या स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिये शास्ति।

किशोर कर्मचारियों का शोषण।

[हिन्दी]

ये कुछ पीनल क्लाजेस इसने दी है, मगर इसके सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था आपने नहीं की है जिससे जुवेनाइल्स को अपराधियों के क्लेचेज से निकाला जा सके। आज जहां स्मगलिंग होती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, जितने भी बार्डर्स हैं, उन जिलों में जुवेनाइल्स का स्मगलर्स बहुत बड़ा उपयोग करते हैं, उनके क्लचेज से इनको निकालने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप इनको निकालेंगे, क्योंकि उनका अलग अंपायर होता है, वहां आपकी पुलिस नहीं पहुंच सकती, आपके अधिकारी नहीं पहुंच सकते। ये एक बहुत बड़ी बात

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

है, जिसके सम्बन्ध में इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि किस तरीके से उन बच्चों को वहां से निकाला जाएगा। खासतौर से ये लोग शराब और नारकोटिक्स का धंधा करते हैं।

आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी छोटे-छोटे बच्चों के जरिए से नारकोटिक्स सप्लाई की जाती है। इसी तरह कलकत्ता, बम्बई और जितनी मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, उन सबमें इनके जरिए से काम होता है। इसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। बड़े पावरफुल लोग हैं और करोड़ों रुपए का माल इधर से उधर करते हैं। इनसे डील करने के लिए क्या आपने कोई स्पेशल पुलिस या कोई स्पेशल आफिसर नियुक्त किया है, जो कि इन बच्चों को उनके हाथों से निकाल सके। शराब वाले लोग भी बड़े पावरफुल होते हैं। जो लोग नाजायज शराब बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, वे लोग भी इस प्रकार जुवेनाइल बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। पिक-पाकेटिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनसे पाकेटिंग करायी जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा गैंग है जो उस सारे पैसे का इस्तेमाल करता है। इन बच्चों को उससे कैसे निकाला जाए यह आपको देखना होगा। अभी जैसा रेड्डी साहब कह रहे थे कि आपने प्रोविजन तो कर दिया लेकिन जो बदमाश लोग चोरी, डकैती और स्मगलिंग करते हैं, उनको एक तरह से बहुत बड़ा फायदा मिल गया है। इन बच्चों के जरिए से चोरी, डकैती और स्मगलिंग कराने के बाद जब उन बच्चों को पकड़ कर उन होम्स रखा जायेगा और उनका करैक्टर ठीक पाए जाने पर उन्हें छोड़ा जायेगा तो वे फिर वहीं वापिस चले जायेंगे। आपने इन बच्चों की आफ्टर केयर की क्या व्यवस्था की है। जिस प्रकार से परिवार नियोजन और अन्य प्रकार के कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं लेकिन आफ्टर केयर न होने की वजह से लोग मर जाते है, उसी तरीके से इसमें भी आफ्टर केयर की मानिटरिंग की क्या व्यवस्था होगी। इसमें आपने आफ्टर केयर का प्रोविजन किया है, लेकिन उसका विशाल पैमाना क्या होगा। यह कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है जिसके आधार पर आपने एक क्लाज इसमें लगा दिया उससे क्या सारी आफ्टर केयर हो जायेगी यह बहुत आवश्यक है क्योंकि किसी बच्चे को सुधार गृह में प्रवेश करने के बाद जब उसको छोड़ा जाता है तो इन लोगों की गिद्ध दृष्टि होती है। वे जानते हैं कि कब उनको छोड़ा जा रहा है इसलिए वे कभी भी उन बच्चों को पकड़ सकते हैं। जब तक उन बच्चो को सुरक्षा नहीं होगी, वे बच्चे वहीं वापिस चले जायेंगे। आप कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे ये बच्चे ठीक प्रकार से चल सकें।..... (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि आपने बोर्ड में वोटिंग पावर्स दे दिए हैं। इन स्मगलर्स का बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है। इनके हाथ बहुत लम्बे है, सरकार के हाथो से भी ज्यादा लम्बे हाथ हैं। वोटिंग पावर्स देने के बाद बहुत गड़बड़ हो सकता है। ऐसी व्यवस्था बनाइए कि उस मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार हो ताकि वह जुवेनाइल के सम्बन्ध में पूरा निर्णय ले सके। वोटिंग पावर्स देने से तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं नहीं समझता यह सही है या गलत है। लेकिन आपको वोटिंग पावर के सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग न हो, बड़े लोगों के हाथ में जिनके पास दौलत की ताकत है वह इसका दुरुपयोग न कर सकें। आप बच्चों की सुरक्षा और सुधार के लिए यह कानून लाई हैं, यह अच्छी बात है मेरा इसमें सुझाव है कि इसके बोर्ड के

सम्बन्ध में, इसके संविधान के सम्बन्ध में और इसकी सदस्या के सम्बन्ध में आप ऐसा निर्णय लें जिससे इसका बड़े लोग दुरुपयोग न कर सकें और जुवीलाइन की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

आज कई तरह के इसमें होम बने हुए हैं जैसे नारी निकेतन है, जिनको कि राज्य सरकार चलती हैं, उनमें कितनी गड़बड़ी होती है, वहां पर किस तरह का अत्याचार वहां के अधीक्षक और कर्मचारी करते हैं, इनको आप कैसे रोकेंगी। क्या आप इसमें होम बनायेंगी तो क्या वह राज्य सरकार द्वारा संचालित होंगे। जैसा कि नारी निकेतन जैसे होम राज्य सरकारें चला रही हैं वह किसी से छिपा नहीं है। तो इन हालात में इन हालात मे इन होम का प्रशासन किस तरह से चलेगा और उन बच्चों का सुधार कैसे होगा, जो उनका शोषण होता है वह कैसे रुकेगा। कई समस्यायें हैं इसमें जो कि विचारणीय हैं, आपको इन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं और प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए जब तक आप अच्छे निर्णय नहीं लेंगी तब तक सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगी। जैसा कि अभी डाक्टर रेणु गुहा जी ने कहा था परहेज इलाज से बेहतर है। इसलिए प्रिवेंशन की व्यवस्था पहले करें ताकि यह बच्चे आगे चलकर अपराधी न बनें। यह एक सारे देश की समस्या है, जिस प्रकार से आप व्यापक पैमाने पर गरीबी हटाने का कार्यक्रम चला रहे हैं उसी तरह से बच्चों में बुराई प्रवेश न करने देने के लिए आपको इसमें एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना होगा तब यह सारी व्यवस्था सुचारु रूप से चल पायेंगी। केवल बिल पास कर देने से ही काम नहीं चलेगा, इस कानून को लागू करने में भी आपको बड़ी कठिनाइयां आयेंगी, जिन्हें आपने समाप्त करना है। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। जब तक इसमें अधिकारियों की नियुक्ति सही तरीके से नहीं होगी उसके बिना यह बिल ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पायेगा। कानून अच्छा है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी तब इसका लाभ देश को मिलेगा और देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : सभापति महोदय, इसका श्रेय भारत के कल्याण मंत्री को जाता है जो समाज की कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये बहुत ही व्यापक और प्रगतिशील विधान लाई है। मेरे विचार में और मुझे आशा है कि यह भारत के सामाजिक विधान के इतिहास में विशेष उल्लेखनीय विधान होगा। इस विधेयक में उल्लिखित कुछ धाराएं काफी हानिकारक और काफी कष्ट देने वाली हैं जो अवश्य ही कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अतिरिक्त सहायक होंगी।

[हिन्दी]

अब मैं इस बिल के सम्बन्ध में, संक्षेप में, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस बिल में "एज आफ जुवेनाइल" 16 या 17 या 18 वर्ष निर्धारित की गई है और मैं समझता हूं कि किसी भी बच्चे की यह अवस्था, किशोरावस्था उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने के लिए सबसे

[श्री सलाउद्दीन]

ज्यादा काम्पलीकेटिड या नाजुक आयु मानी जाती है। यदि इस आयु में कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो वह समाज के ऊपर, देश के ऊपर एक बोझ बन जाता और इस आयु में सुधर जाने पर वह अपने जीवन में कुछ कर गुजरता है। किशोरावस्था की इस आयु में बच्चे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के कैरियर को बनाने या बिगाड़ने में इस आयु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जितने नैग्लैक्टिड चाइल्ड अथवा बैगर्स हैं उनको समाज या देश के ऊपर बोझ समझ कर दुत्कारें नहीं, उनका तिरस्कार न करें बल्कि हमें उनमें सुधार लाने की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए, उनका रिफार्म्स करना चाहिए। इसी उद्देश्य से, इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, वे बहुत ही केयरफुल कन्सीडरेशन के बाद, सोच-समझ कर किए गए हैं और सबके हित में हैं। यह बात बिल्कुल गलत है कि इन प्रावधानों को जल्दबाजी में, हरि में, इस बिल में समाविष्ट कर दिया गया है। मैंने समस्त प्रावधानों का डिटेल्स में अध्ययन किया है और मैं मानता हूं कि उनको काफी सोच-समझकर, वैधानिक दृष्टिकोण से शब्दों का उचित चयन करके ही बिल में समाविष्ट किया गया है। जैसा यहां अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं और उनका कथन सरासर गलत है। अब मैं इस बिल की कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिल में आये विभिन्न उपबन्धों को पढ़कर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आगे चलकर कहीं उनका संविधान के उपबन्धों से टकराव न हो जाए। उदाहरण के लिए, एक स्थान पर लिखा हुआ है कि :

[अनुवाद]

परन्तु कोई किशोर अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ तब तक नहीं रखा जाएगा जब बोर्ड की राय में ऐसे माता-पिता या संरक्षक किशोर की उचित देख-रेख करने या उस पर नियंत्रण रखने के अयोग्य या असमर्थ हो या उचित देख-रेख न करता हो और नियंत्रण न रखता हो।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इस बात का आगे चलकर संविधान के उपबन्धों के साथ कहीं टकराव हो सकता है क्योंकि एक पुत्र के ऊपर, उसके बाप का कुछ अधिकार होता है और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। हमारे समाज और देश में बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है, जिसको किसी भी अवस्था में अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून उसके आड़े नहीं आता। इस बिल में एक अन्य स्थान पर लिखा हुआ है कि :

[अनुवाद]

परन्तु कोई किशोर अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ तब तक नहीं रखा जायेगा जब

बोर्ड की राय में ऐसे माता-पिता या संरक्षक किशोर की उचित देख-रेख करने या उस पर नियंत्रण रखने के अयोग्य या असमर्थ हो या वह उचित देखरेख न करता हो और नियंत्रण न रखता हो।

[हिन्दी]

इसका टकराव संविधान की किसी भी धारा से आगे चलकर सम्भव है। इसके अतिरिक्त, अन्य कई क्लौजेज इस बिल में ऐसी हैं, जिनके आधार पर जुवैनाइल कोर्ट तथा बोर्ड में आपस में टकराव उत्पन्न हो सकता है या ऐसी सम्भावना हो सकती है। किसी मामले में निर्णय का अधिकार पूर्णरूपेण या तो कोर्ट पर छोड़ देना अथवा बोर्ड के ऊपर छोड़ देना, मेरे विचार से, बाद में कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न कर देगा और उनमें कभी भी टकराव सम्भव है। कहां कोर्ट की जिम्मेदारी होगी, कहां बोर्ड की जिम्मेदारी होगी, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाने के बाद, कोर्ट और बोर्ड के बीच में कहीं न कहीं टकराव की स्थिति आ जाएगी।

अन्त में, मैं एक और निवेदन करके, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक अन्य उपबन्ध की ओर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि :

[अनुवाद]

हर किशोर-गृह, जिसे कोई उपेक्षित किशोर इस अधिनियम के अधीन भेजा जाये, किशोर के लिये वास-सुविधा, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा, अपितु उसके लिये अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा और उसे इस बात के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देगा कि वह नैतिक खतरों या शोषण से अपना संरक्षण करें, और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने के लिये अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा जो विहित किये जायें।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इसे ठीक तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्रेनिंग देने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसे कहां रखेंगे। यह ठीक है कि आप ऐसे बच्चे को पहले होम में लायेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसका सुधार करेंगे परन्तु उसके भविष्य का क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वे इस प्रावधान को थोड़ा और स्पष्ट करें कि इस तरह के जितने जुवैनाइल आपके पास आयेंगे, जिनकी आप ट्रेनिंग देंगे, होम में रखेंगे, उसका आफ्टर-केयर का जो पीरियड कहलाता है.....

5.00 म० प०

उस पीरियड के बाद इस प्रकार की किशोरावस्था के जो बालक हैं, उनका क्या होगा, इन बातों का क्लेरीफिकेशन हमें इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एज० ए० होल यह बिल

[श्री सलाउद्दीन]

बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही प्रगतिशील है और मैं समझता हूं कि भारत के सामाजिक इतिहास में इस बिल को एक मुख्य भूमिका निभानी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चम्पन यामस (मवेलिकरा) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह विधेयक इस दिशा में एक प्रगति सूचक प्रयास है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस विषय की जांच करके अर्थात् उपेक्षित किशोरों और किशोर अपराधियों की संख्या की जांच करके अपनी सद्-भावना सिद्ध करें। मैं महसूस करता हूं कि उनकी संख्या काफी अधिक है। हमारे बच्चों का समुचित अनुरक्षण नहीं दिया जाता है। उनकी उपेक्षा की जाती है और उनमे से कुछ अपराधी भी हैं। हाल ही में मलयालम के एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था कि 14 वर्ष पहले रमला नाम क किसी लड़की का अपहरण कर लिया गया था। उसकी आंखों में लोहे की छड़ घुसेड़ दी गई और उसे अन्धा कर दिया गया था। वह 14 वर्ष के बाद घर लौटी परन्तु वह अपनी मां को नहीं देख सकी। उसका इस्तेमाल भीख मांगने में किया जाता था। यह दुखद कहानी मेरे इलाके में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। ऐसी घटना केवल एल्लेपी में ही नहीं हमारे देश में सभी स्थानों पर होती है। जो बच्चों को पकड़ सकते हैं, उन्हें उठा ले जाते हैं। उन्हें अपंग बना देते हैं और उन्हें भीख मांगने के काम में लगाते हैं। यदि ऐसी गतिविधियों को नहीं रोका जाता और बच्चों का समुचित अनुरक्षण नहीं दिया जाता, तो हमारा भविष्य अन्ध-कारमय होगा।

हमें न्याय दिलाना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत बच्चों की देखभाल की जायेगी और उन पर पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा और उन्हें वे अवसर दिये जाएंगे जो देश में किसी अन्य बच्चे को उपलब्ध है।

मैं महसूस करता हूं ऐसा किए बिना उन्हें न्याय नहीं दिलाया जा सकता। अवश्य ही इस बाल अधिनियम, 1960 में परिवर्तन किया जा रहा है और अब समेकित रूप में एक नया विधेयक लाया गया है। इस सीमा तक मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु यदि इसे राज्य के विषय के रूप में रखते हैं और पुलिस अधिकारियों तथा अफसरशाही की दया पर छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप बच्चों को न्याय दिलाने में समर्थ होंगे। आप को इसमें स्वयंसेवी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा। अवश्य विधेयक में इसका उल्लेख है।

कुछ अनाथालय हैं, जिन्हें ईसाई धर्म प्रचारक और अन्य लोग बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं। परन्तु उनकी सहायता करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ध्यान नही दिया जाता है।

मेरा एक अनुभव है। कुछ लोगों में एक व्यावसायिक वकील होने के नाते उनकी तरफ से न्यायालय में पैरवी करने के लिए मुझसे अनुरोध किया ताकि वे कुछ अनाथ बच्चों को अपने बच्चों के रूप में अपना सकें। मैंने देखा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि भारत में बच्चों को गोद लिया जा सके। मैंने दूतावासों के माध्यम से पूछताछ की कि उन लोगों के जीवन निर्वाह की स्थिति क्या है जो गोद लेना चाहते हैं।

मैंने देखा कि वे अमीर थे और बच्चों को विदेशों में भारी संपत्ति मिलने वाली थी। परन्तु इस देश में उन्हें गोद लेने के लिए कोई कानून नहीं है। तब मुझे प्रस्ताव करने वाले अभिभावकों को उन्हें गोद लेने देने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की शरण लेनी पड़ी। ऐसा 15 वर्ष पहले हुआ था। धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने के प्रयोजनों से हिन्दू दत्तक अधिनियम को छोड़कर बच्चों को गोद लेने के लिए देश में अभी भी कोई कानून नहीं है। इसके बारे में मेरा अपना अनुभव है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि ऐसा एक अधिनियम होना चाहिए जिससे जो लोग बच्चों को गोद लेने में इच्छुक हैं और उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना चाहते हैं, ऐसा कर सकें। उनको ऐसा करने की अनुमति दो। इस संबंध में कानून में छूट दी जानी चाहिए। यदि पुलिस और अन्य लोग उन बच्चों की देखभाल करने जा रहे हैं जो कि गलियों में हैं, वे उनकी किस प्रकार देखभाल करेंगे ? इसके दो विस्तृत पहलू हैं। एक तो उपेक्षित बच्चे और दूसरे हैं अपचारी बच्चे। ये दोनों अलग-अलग श्रेणियां हैं। हमारे देश में अधिकतर बच्चे, मेरा निवेदन है कि, परिस्थितियों के कारण हर प्रकार से उपेक्षित हैं। इस देश में लगभग 60 लाख बच्चों को छोटे-मोटे कामों में लगाया गया है। यदि आप तमिलनाडु में शिवकाशी में जाओ, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे माचिस बनाने और इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हर जगह परिवार के लिए कुछ न कुछ कमाने के लिए बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। मुझे हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था, जिसमें भारत सरकार की एक अधिकारी भी आई थीं। वह जयपुर में हुए अपने अनुभवों के बारे में बता रही थीं, वह चार अथवा पांच बच्चों के परिवार के बारे में बता रही थीं। माता-पिता कठिन परिश्रम के बाद जो कुछ कमा रहे थे, वे सभी बच्चों को बराबर नहीं खिला रहे थे। वे पहले दिन सबसे बड़े बच्चे को खाना देते थे जबकि अन्य बच्चे उस बड़े बच्चे को देखते रहते थे जो कि खाना खा रहा था। दूसरे दिन दूसरा बच्चा खाना खाएगा और अन्य बच्चे उसको देखते रहेंगे; और तीसरे दिन तीसरा बच्चा खाना खाएगा। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए आप इस देश में बच्चों की किस प्रकार देखभाल करेंगे ? जो बच्चे अमीर घरों में पैदा हुए हैं उनके पास हर चीज काफी मात्रा में है उनके पास उन्नति करने की सभी सुविधायें हैं। लेकिन उन बच्चों की क्या स्थिति है जो गरीब परिवारों में पैदा हुए हैं ? इसमें उस बच्चे का दोष नहीं है। भाग्य के कारण वह गरीब परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यदि आप उन बच्चों को देखें, वे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और उनके पालन-पोषण के लिए उचित मशीनरी होनी चाहिए। इसलिए, मैं कहता हूं कि इस देश में स्थिति का उचित मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि बच्चों के पास अवसर नहीं है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके पास विकास के उचित अवसर नहीं हैं, उनके पास अध्ययन के उचित अवसर नहीं हैं। उन्हें स्थिति का मूल्यांकन करना

[श्री थम्पन थामस]

होगा उनके बारे में सख्त कानून बनाना होगा। इस कानून में उनको केवल न्यूनतम आवश्यकताएं देने की बात कही गई है जो कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र मांग-पत्र के अन्तर्गत देनी है और उससे अधिक कुछ नहीं देना है। इसलिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए और उनको अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर न्यायोचित ठहराने के लिए वे कानून में संशोधन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह पर्याप्त नहीं है। इस देश के हित में, इस देश के भविष्य के लिए, एक विकासशील राष्ट्र में, पर्याप्त अवसर देने होंगे और राष्ट्र के लिए हर बच्चे की एक समान देखभाल की जानी चाहिए।

मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। वास्तव में अपचारी·····(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : केरल सरकार उनके बारे में कभी नहीं सोचती।

श्री थम्पन थामस : चाहे यह जनता सरकार है अथवा कांग्रेस, समस्या यह नहीं है। यहां यह समस्या राष्ट्र की है, चाहे यह जनता अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अथवा कांग्रेस की सरकार है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह राष्ट्र के हित में है। आप बच्चों को रेलवे स्टेशनों पर अवारा घूमते हुए देख रहे हैं, क्या आप दिल्ली शहर में, जहां कि हम बैठे है, अवारा घूमते हुए बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और आपके पास उनके पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम है? क्या आपके पास उनको उचित कार्य के अवसर देने और उनको अध्ययन के लिए अवसर देने का कोई कार्यक्रम है? दुर्भाग्यवश, उनको उनके बारे में कोई चिन्ता नहीं है। उनकी केवल अपने बारे में चिन्ता है और उनको केवल अपनी सत्ता के बारे में चिन्ता है। वे सत्ता में बने रहने के लिए हर प्रकार के राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और इन निर्धन बच्चों का उनको कोई ख्याल नहीं है। उनको राष्ट्र के भविष्य के बारे में कोई चिन्ता नहीं है लेकिन विपक्ष में हम लोगों को बच्चों के बारे में चिन्ता है। विपक्ष में हम लोगों को देश के बारे में चिन्ता है और इस दृष्टि से हम उनके कार्यक्रम की आलोचना करते हैं। कम से कम उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए, मेरा निवेदन है कि यहां दो श्रेणियां हैं—उपेक्षित बच्चे और अपचारी बच्चे। मैं अपचारी बच्चों और उनके साथ होने वाले व्यवहार के बारे में एक बात का निवेदन करूंगा। सरकार इस समस्या की उपेक्षा कर रही है। मैं पश्चातवर्ती गृह (आफटर केयर होम) का मामला जानता हूं। बहुत ही संकोच के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस देश में अधिकतर पश्चातवर्ती गृह लड़कियों की सप्लाई करने के कार्य में लगे हुए हैं। निर्धन लड़कियां जो कि किसी न किसी कारण से अवारा हो जाती हैं, उनको पश्चातवर्ती गृह में रखा जाता है। लेकिन इन गृहों के प्रशासक उनके हितों को देखने की बजाय, लड़कियां सप्लाई करते हैं। अधिकतर पश्चातवर्ती गृह इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

कम से कम अपचारी बच्चों के मामले में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपके पास उनके मूल्यांकन के लिए और उनको सुधारने और उनको इस देश के अच्छे नागरिक बनाने के लिए आवश्यक तरीके होने चाहिए। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो

मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इस आशा के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि इसका विस्तार किया जाएगा और भविष्य में इसको बेहतर रूप में लाया जाएगा और संरक्षण चाहने वाले उन बच्चों के बारे में भी उचित मूल्यांकन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, किशोर न्याय विधेयक 1986 जो कि सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे देश का भविष्य बच्चों की प्रगति, बच्चों के विकास और उनकी वृद्धि पर निर्भर करता है।

आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम अभी जिस विधेयक के बारे में डिसकस्शन कर रहे रहे हैं वह भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ प्रश्न है। इस सम्बन्ध में जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे तब तक इस प्रकार की समस्यायें बनी रहेंगी।

5.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जनसंख्या की वृद्धि का कारण गरीबी है और गरीबी के कारण ही यह सभी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। यह जो समस्यायें होती हैं उन सब का निराकरण करना भी आवश्यक है। इस विधेयक के द्वारा इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए गये है, वह भी स्वागत योग्य हैं। हम जितने भी कानून बनाते हैं, उन कानूनों का पालन कराने के लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही निर्भर रहते हैं। यह स्वयं-सेवी संस्थायें किस प्रकार चलती हैं, इसका हम सबका कटु अनुभव है। आज जगह-जगह नारी निकेतन और बाल निकेतन आदि चल रहे हैं। हमने देखा है कि वहां पर भी बच्चों के साथ अन्याय होता है और उन पर कई तरह के जुल्म ढाये जाते हैं। यह देखना आवश्यक है कि हम बच्चों के कल्याण के लिये कल्याणकारी योजनायें और संस्थायें बनायें। अगर यह संस्थायें कल्याणकारी नहीं होंगी तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है कि इसमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

फंड्स के बारे में केन्द्र सरकार ने इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इसमें केन्द्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें स्पेशल होम्स और आफ्टर-केअर आर्गेनाइजेशन्स के बारे में भी प्रावीजन है। लेकिन जब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक ये होम्स सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। हमारे यहां तो स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि जो जूवेनाइल आर्फेंडर्स होते हैं—मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, हमारे यहां बाड़मेर में एक जूवेनाइल आर्फेंडर थेफ्ट के मामले में पकड़ा गया। वहां उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो उसे जोधपुर भेजा गया। वहां उसका सुधार किया गया। तो उसके परिवार के जितने भी लोग थे, उसके माता-पिता उनको काफी कष्ट उठाना पड़ा, उनको जोधपुर जाकर उसकी पैरवी करनी पड़ी। तो ऐसे जो होम्स हैं उनका प्राविजन जहां पर भी कोर्ट्स

[श्री बुद्धिचन्द्र जैन]

हों वहां पर होना चाहिए। अगर वहां वह प्राविजन नहीं किया जाता है और ऐसे घर के स्थानों पर किया जाता है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है और उन आफेंडर्स को लाभ पहुंचने के बजाय उनको नुकसान पहुंचाता है।

इसमें अवश्य ही कुछ ऐसे प्राविजन्स किए गए हैं—स्पेशल आफेसेज इन रेस्पेक्ट आफ जूवेनाइल्स, 41, 42, 43 और 44 भी है, इनके अन्दर जो इस प्रकार के आफेसेज हैं उनके लिए जो पनिशमेंट का प्राविजन किया गया है उस पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि जिन मामलों में कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग करके इन बच्चों का भविष्य बिगाड़ता है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी व्यास जी जो कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति नारकोटिक्स वगैरह के प्रयोग के जरिए बच्चों के भविष्य को बिगाड़ते हैं तो उस प्रभावशाली व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिए। अवेटमेंट के अन्दर वह सीधे आ जाते हैं। इसलिए जो इस प्रकार से बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं उनके लिए विशेष और सख्त प्राविजन होना चाहिए क्योंकि वे हमारे समाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जहां उन बच्चों का निर्माण करना चाहिए वहां वे उनका विध्वंस करना चाहते हैं, उनको विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी जो शक्तियां हैं उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यह एक सामाजिक कानून है और ये जो सामाजिक कानून हैं इनका क्रियान्वयन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता है और उसका कारण यह है कि सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति जब तक नहीं होती है तब तक इस प्रकार के जितने कानून होते हैं उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अभी अपोजीशन के मेम्बर कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूं कि बाल अपराध से सम्बन्धित जो कानून है, जितने इस प्रकार के आफेसेज हैं उनके सम्बन्ध में इन कानूनों का अभी भी पालन नहीं होता। अभी भी बहुत से सामाजिक कानून हमने पास किए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है, उनका क्रियान्वयन नहीं होता है, उनकी अवहेलना की जाती है। इसका कारण यही है कि समाज में जितनी जागृति होती है, जितनी चेतना होती है उतना ही इनका क्रियान्वयन होता है। जब तक जनता का सहयोग नहीं होता है तब तक ऐसे कानूनों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो सकता। इसके अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे वालंट्री आर्गेनाइजेशन बनाएं और ऐसे वालंट्री आर्गेनाइजेशन्स बनाकर बच्चों के भविष्य के सुधार में वे अपना सहयोग दें। यह तो एक सिद्धांत स्पष्ट माना गया है कि बच्चों को, जो जुर्म करते हैं उनको उस प्रकार की सजा नहीं दी जाती है जो कि बड़ों को दी जाती है। सारे विश्व में इस सिद्धांत को माना गया है। सुधार की प्रवृत्ति की ओर जोर दिया गया है कि उन्हें सुधारना चाहिए। सुधार की हमें भी कोशिश करनी चाहिए और उस सुधार की प्रवृत्ति में जिस प्रकार के विशेष गृह बनाये जायें हास्टल्स बनाये जायें उनमें हमें विशेष रुचि लेनी चाहिए। विशेष रुचि लेकर ही इस कार्य को अच्छी तरह से सम्पन्न किया जा सकता है।

एक बात और भी है। इस बिल के अन्तर्गत बोर्डों का भी गठन किया गया है और कोर्ट्स का भी गठन किया गया है और कोर्ट्स का भी गठन किया गया है। मैं समझता हूं दोनों के अलग-

अलग कर्तव्य होने चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है—इसमें दोनों के अलग-अलग कर्तव्य नहीं हैं। वेलफेयर कोर्ट्स और जुवेनाइल कोर्ट्स के अलग-अलग फंक्शंस होने चाहिए। उनके अलग-अलग कर्तव्य होने चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए।

इन विचारों के साथ मे यह भी चाहता हूं कि राज्य जो हैं वह इसका अच्छी तरह से इंप्लीमेन्टेशन करें। इसमें जो प्राविजन्स (9), (10) और (11) हैं उनमें शब्द "मे" लिखा हुआ है इसलिए पता नहीं "मे" के अन्तर्गत राज्य पालन करें या न करें यह उनके ऊपर ही निर्भर रहेगा। हम उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं डाल सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं इन प्राविजन्स के बारे मे हमें पुनर्विचार करना चाहिए ताकि अच्छी प्रकार से इसका परिपालन हो सके और तभी मैं समझता हूं इस कानून की सार्थकता होगी।]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आई० रामाराय (कासरगोड) : उप सभापति महोदय, श्रीमान, मैं 1986 के किशोर न्याय विधेय का स्वागत करता हूं। मैं कुछ कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं कि किशोर अपचारी क्यों बन जाते हैं। उपेक्षित बच्चे ही प्रायः अपचारी किशोर बनते हैं। और इसी सम्बन्ध में हम यहां बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप सावधानी के तौर पर उपाय करें तो आप युवाओं के एक समूह द्वारा किए गये नुकसान को रोक सकते हैं। जो कि हमारी भावी पीढ़ी बनने जा रहे हैं। बच्चे, विशेषकर अवैध बच्चे और वेश्यालय अथवा किसी अन्य अवैध स्थानों पर पैदा होने वाले बच्चों को प्रायः हीन भावना से पाला जाता है। वे अपनी आयु के अन्य बच्चों के समान नहीं रह सकते, वे अन्य बच्चों के समान रहन-सहन का स्तर नहीं रख सकते। जब आप बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों और अन्य स्थानों में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि 5-सितारा होटल बनते जा रहे हैं और उनके साथ ही आप देखते हैं कि सैकड़ों गन्दी बस्तियां अथवा झोपड़ियां भी मौजूद हैं। जब गन्दी बस्तियों मे ये बच्चे 5-सितारा होटल और उस होटल में ठहरने वालों को देखते हैं तो वे अपनी आयु के बच्चों के जीवन का अलग तरीका देखते हैं और वे रहन-सहन की बेहतर स्थिति। बेहतर शिक्षा और हर बात की आकांक्षा करते हैं।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि किशोरों के अपचारी होने का मुख्य कारण घर को छोड़ना है अथवा मानव जाति का एक गुण है कि जिससे वे काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आते हैं। और यह बात हम देख रहे हैं। बम्बई जैसे स्थानों में। मैं यह बात खुले-आम कह सकता हूं कि हमें यहां मजदूर अपने गांवों की अपेक्षा सस्ते मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति है। मेरे एक मित्र उल्लेख कर रहे थे कि बाल श्रम में 70 लाख बच्चे लगे हुए हैं, इसमें 70 लाख नहीं बल्कि भारत में बाल श्रम में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे लगे हुए हैं। ये वे आंकड़े हैं जो हमने पढ़े हैं अथवा सुने हैं। ये 1 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इतने अधिक बाल श्रमिक हैं। कभी-कभी बच्चे शौक के रूप में अपराध करते हैं। कुछ लोगों का

[श्री आई० रामाराय]

अधिक खाने से और कुछ लोगों का भूख से पेट दुख रहा है। यहां तक कि अमीर लोगों के बच्चे भी शौक के रूप में अपराध कर रहे हैं। लेकिन भारत में अधिकतर बच्चे, सभी अपचारी किशोर भूख के कारण हैं, हम इसको पूरी तरह से कह सकते हैं। मैं अध्याय IV पर पृष्ठ 16 का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं एक वकील नहीं हूं लेकिन वकीलों ने इस विधेयक की प्रत्येक धारा के प्रत्येक पहलू का विस्तार से अध्ययन किया है। मैं इसमें मिलने वाली सजा और उसके प्रमाद की तलाश कर रहा था। लेकिन उन धाराओं के लिए बहुत हल्के शब्द रखे गए हैं और यहां तक कि उसके लिए सजा भी बहुत कम रखी गई है।

> "44. जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए किशोर को दृश्यमानतः उपाप्त करेगा या किशोर के उपार्जनों को निर्धारित करेगा या उसके उपार्जन स्वयं अपने प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।"

केवल ऐसी छोटी बातें यहां दी गई है। बच्चों का वेश्यावृति, तस्करी के क्षेत्र में स्वापक पदार्थों के व्यापार में और बहुत से अन्य अपराधों के लिए अवैध मद्य-व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकतर अपराधों के पीछे प्रायः वयस्क लोग अथवा गिरोह होते हैं जो कि बच्चों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं और उकसाने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रायः ये अपचारी किशोर वास्तव में बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं। कभी-कभी वे बुद्धिभाव पथभ्रष्ट होते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को धोखा दिया जाता है और इस प्रकार उसे असामाजिक कार्यों के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तथा कुछ अन्य लोग इन छोटे और भोलेभाले बच्चों को उपयोग द्वारा लाभ उठाते हैं। हमारे कई अन्य मित्रों ने इस विधेयक के अन्य पहलुओं के बारे में कहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से सरकार से यह अनुरोध है कि वह सामाजिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अनाथालयों की स्थिति को सुधारने तथा उनकी संख्या और बच्चों को रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिये इन अनाथालयों की ओर ध्यान दे।

जहां तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिये प्रयास कर रहे हैं जैसा कि हमारे एक मित्र ने बताया है हमारी सरकार इस देश के लाखों गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये ठोस उपाय कर रही है और मुझे आशा है कि भावी पीढ़ी के लिये पर्याप्त भोजन, कपड़ा और आवासजुटाने के लिये किए जा रहे इस प्रकार के विभिन्न उपाय सफल सिद्ध होंगे।

मैं इन कुछ शब्दों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यदि मुझे अपनी प्रिय बहन, कल्याण मंत्री महोदया को बधाई देनी हो, तो मैं उन्हें उनके इन शुभकामनापूर्ण विचारों के लिए बधाई दूंगी। इस विधेयक को

मैं शुभ आकांक्षापूर्ण विधेयक मानती हूं क्योंकि यदि हम वर्तमान तरीकें से चलें तो यह एक कठिन कार्य होगा। संयोगवश जनता पार्टी के सदस्य और सत्तारूढ़ दल के सदस्य के बीच जनता सरकार और कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में संक्षिप्त बातचीत हुई। हमारे जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि यह सरकार का नहीं, राष्ट्र का प्रश्न है। किन्तु मुझे संकोचवश यह कहना है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है न कि राष्ट्र का। इस देश को खतरा है तो पूंजीवादी व्यवस्था से है। अमरीका को देखिए, वहां कितने अपराधी हैं? किन्तु यह पूर्णत: संयोग की बात है। सोवियत संघ में स्थिति पूर्णत: भिन्न है। तथ्य स्वयं बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि इस विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। किन्तु मुझे आशंका है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, वे शुभेच्छापूर्ण विचार ही सिद्ध होंगे—गुणवत्ता की दृष्टि से ही नहीं मात्रात्मक दृष्टि से भी इनसे छुटपुट सुधार हो सकेंगे। अभी मैं इस स्थिति का अध्ययन कर रही थी, कई आंकड़े दिए गए हैं। मैं सिर्फ एक बात उद्धृत करना चाहूंगी, हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1981-83 देशभर में गरीब किशोरों की संख्या में 40.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दो वर्षों में इतनी वृद्धि हुई है। दो वर्षों में उपेक्षित किशोरों की संख्या में 76 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दण्डित किशोरों की संख्या में 32.30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अपचारी किशोरों की संख्या में 59 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सिर्फ दो सालों में इतनी वृद्धि हुई है। किशोर अपराधों की संख्या इतनी अधिक है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। इसमें कितनी वृद्धि हुई? दो वर्षों में इतनी वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में केवल कोई विशेष मानसिकता अपनाना ही पर्याप्त नहीं है, हालांकि मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि कोई मानसिकता न अपनाया जाना अथवा निष्ठुर मानसिकता अपनाना निस्सन्देह हिन्कर मानसिकता अपनाये जाने की अपेक्षा कहीं अधिक बुरा है। इस विधेयक की यही सबसे अच्छी बात है। हर किसी ने कुछ न कुछ बात कही है। मैंने वित्तीय ज्ञापन पढ़ा है। यह कहने के बाद कितनी बातें कही जानी हैं? देश भर में कोर्टों, बोर्डों, सुधारगृहों के अतिरिक्त शिक्षा नीति, मनोविकार निवारक गृहों की व्यवस्था की जानी है। वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया है कि राज्य इन कार्यों पर अपनी-अपनी समेकित निधि से धनराशि व्यय करेंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में यह व्यय केन्द्रीय समेकित निधि से किया जायेगा। संघ राज्य क्षेत्रों में 1 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय होंगे। दिल्ली इन समस्याओं से सर्वाधिक ग्रस्त शहरों में से एक है। उन राज्यों की बात छोड़िए, जिनके पास ऐसी व्यापक स्वरूप की योजना के वित्तीयन के लिए कोई साधन नहीं है, क्या दिल्ली में ही इन अवस्थापना सुविधाओं के साथ इतनी धनराशि से कोई कारगर सेवा प्रदान की जा सकती है। मेरी इस सम्बन्ध में पूरी सहानुभूतिपूर्वक है और मेरा विचार है कि यह सब दिखावा भर है।

मैं केवल एक-दो बातें और कहना चाहूंगी। इसमें बोर्ड और कोर्ट के बारे में है। वे पहले ही से मौजूद हैं। हमारे लिए की गई पारिवारिक न्यायालयों की व्यवस्था से, जिसे व्यापक आन्दोलन के कारण पारित किया गया था, मन्त्री महोदय क्या अपेक्षा कर रही हैं। हमने कितनी प्रगति की है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। और कितने राज्यों में इन कोर्टों और बोर्डों की स्थापना की जानी है। मेरे राज्य में निस्सन्देह यह मौजूद हैं। आप क्या नई बात सुझा रहे हैं? सिवाय व्यवस्था की एकरूपता के कोई नई बात नहीं सुझाई जा रही है। मेरा

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

सुझाव यह है कि यदि आप ऐसी कामना कर रहे हैं, तो इसके लिए आप और अधिक व्यवस्था कीजिए। कोर्ट में किस प्रकार के कार्मिक होने चाहिए बोर्ड में किस प्रकार के कार्मिक होने चाहिए— ये सभी व्यवस्थाएं कीजिए और यदि कोई कुछ भी करना चाहता है तो उसे अपनी 30 अथवा 40 पृष्ठों की यह गीता पढ़ने दीजिए; ये सभी व्यवस्थाएं कीजिए। इसी प्रकार पुलिस सम्बन्धी बात है। इससे कौन निपटेगा ? एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। सभी प्रकार के मामलों से निपटने वाले पुलिस कर्मियों ने कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार के सामाजिक अपराधों से निपटने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। हम इस बात को तो स्वीकार करते हैं। कि यह समस्या सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई है। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्या हम इस व्यवस्था के अनुसार उन्हें विशेष ज्ञान प्रदान करने के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार कर सकतेहैं आप उन्हें चाहे कितना भी शिक्षित कर दें, यह होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था में ही। बंगाली में हम कहते हैं :—

"पारिले भेरार श्रिगेहीरार भंगे घर"

आप कुछ भी कर लें, जब पूंजीवादी व्यवस्था से हीरे (जैसे श्रेष्ठ कार्य) को हानि पहुंचेगी तो वह पूर्णत: अनुपयोगी हो जायेगा। फिर भी, चूंकि आप इन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए इसे व्यवस्था के अनुसार क्यों न विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाये और विशेषीकृत संवर्ग की व्यवस्था की जाये ? यदि आप कुछ नया करने चाहते हैं, तो केवल घिसी-पिटी व्यवस्थाओं को जारी रख कर काम नहीं चलेगा। इस समय आपके पास जो भी तन्त्र हो, यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आप उसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। अन्यथा, जैसा कि मैंने कहा था यह एक प्रकार की गीता ही सिद्ध होगी। कुछ बहुत ही सामान्य बातों के अलावा इस विधेयक का कोई दूरगामी प्रभाव नहीं होगा। इसमें आम तौर से कई बातें बताई गई हैं। मैं नहीं जानती कि इससे क्या होगा। उदाहरण के लिए स्वापक पदार्थों के मामले को लीजिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और नौजवान बहुत तेजी से स्वापक पदार्थों के शिकार होते जा रहे हैं। सारे देश में एक भी ऐसा परिचर्या गृह नहीं है जो स्वापक पदार्थों के आदी व्यक्तियों की देखरेख कर सकें। आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं जो स्वापक पदार्थ बेचते हैं। दिल्ली में आप किसी पहाड़ी स्थान पर जाइये—इस समय मुझे उस स्थान का नाम याद नहीं है; वहां स्वापक पदार्थों का व्यापार होता है। आजकल स्वापक पदार्थों के कितने विक्रेता पकड़े जा रहे हैं ? इनको पकड़ने की व्यवस्था है, किन्तु क्या इन्हें पकड़ा जा रहा है ? मेरे विचार से इन स्वापक पदार्थों के विक्रेताओं को दण्डित करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था करने और इस आशय की घोषणा करने से कि उन्हें इतनी अवधि की कैद की सजा दी जायेगी, से क्या इस स्थिति में कोई सुधार होगा। यहां भी स्वापक पदार्थों का व्यापार चल रहा है। इन्हें कौन पकड़ रहा है ? कोई इन्हें नहीं पकड़ रहा। इसीलिए मैंने यदि संभव हो तो, विशेष प्रयास करने की बात कही है। ऐसे बहुत से क्षेत्र होंगे जिनके सम्बन्ध में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ठोस तौर पर विचार करना होगा। इस विधेयक में केवल बहुत सामान्य किस्म की

टिप्पणियां की गई हैं। संभवत: मन्त्री महोदया अथवा विभाग ने इस विधेयक को लाने में बहुत जल्दबाजी की है; सम्भवत: यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या होने के कारण उन पर इसे लाने के लिए दबाव डाला गया हो। शायद इसीलिए इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिए था। यह एक स्वाभाविक बात है कि मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, यह सद्भावपूर्ण विचारों का एक सुन्दर नमूना ही सिद्ध होगा और वस्तुत: इसके कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं, तो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में इसके जो सीमित परिणाम हो सकते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए इस समस्या का अलग तरीके से अध्ययन करना होगा। निस्सन्देह इस विधेयक का प्रभाव बहुत सीमित होगा। फिर भी राज्य सरकारों के लिए इस आशय का एक सामान्य विधान जारी किये जाने की बजाय कि वे अपचारी किशोरों की स्थिति सुधारने के लिए अपनी शक्तियों के अन्तर्गत हर संभव प्रयास करें, संभवत: इस प्रकार का अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्याय महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग का प्रभारी माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सभा के समक्ष रखे गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए। वस्तुत:, इसके विपरीत, विधेयक में अनेक सराहनीय बातें हैं और यहां तक कि इसे पहले ही लाया जाना चाहिए था। विधेयक में बहुत ही प्रशंसनीय विषय रखे गये हैं जो कि दोहरे उद्देश्य वाले हैं—एक विषय विभिन्न कानूनी उपबंधों के कार्यान्वयन में मूल समानता लाने के बारे में हैं और दूसरा विषय बालक अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के कार्यकरण में गुणात्मक सुधार लाने के बारे में है। इस प्रकार, विधेयक के दोहरे उद्देश्य हैं। मैं विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

विधेयक के कार्यान्वयन के बारे में मुझे कुछ आशंकाएं हैं। इसके कानूनी रूप ले लेने के बाद, मैं नहीं जानता कि भिन्न-भिन्न राज्यों में इसे कितने कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। जैसा कि हमने अनुभव किया है, अनेक विधेयक जो यहां पारित हो रहे हैं, अनेक अधिनियम जो हम यहां बना रहे हैं और जिनका कार्यान्वयन राज्यों को करना होता है, हम देखते हैं कि कुछ राज्य कानूनों, विशेषरूप से सामाजिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं अथवा उनका गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

सामाजिक विधान का यह एक बहुत ही श्रेष्ठ नमूना है। दहेज विरोधी कानून, बालक-श्रम निषेध कानून के मामले में, व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि वे उक्त कानूनों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में गम्भीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सही तथ्यों और सही परिस्थितियों की जांच करें कि बालक अधिनियम, 1960 जो अब तक विद्यमान है, को देश के विभिन्न भागों में सही ढंग से क्यों नहीं कार्यान्वित किया जा सका। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में सहमति प्रकट की है कि बालकों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि अधिक से अधिक ध्यान पहले क्यों नहीं दिया जा सका। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बच्चे हमारी राष्ट्रीय निधि हैं

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

और बहुत कुछ हमारे बच्चों के भविष्य पर निर्भर करता है। राष्ट्र के भविष्य और बच्चों के भविष्य में पारस्परिक सम्बन्ध है और वे एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं।

इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं उन अधिकांश बातों से सहमत हूं। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, केवल सुधार के लिए इधर-उधर से कुछ सुझाव दिए गए हैं। दो प्रकार के किशोर होते हैं—एक उपेक्षित किशोर और दूसरे अपचारी किशोर। शुरू में मैंने बताया कि यदि आप इसकी सही परिभाषा देखें, तो उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया है कि यह विधेयक पूरे देश में इस कानून के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए लाया गया है।

लेकिन, महोदय, स्वयं किशोर की परिभाषा में भी लड़कों और लड़कियों की आयु के बारे में अन्तर है। लड़कों की आयु 16 वर्ष है लड़कियों की 18 वर्ष है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? उनकी समान आयु क्यों नहीं रखी गई है? लड़कों की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की जा सकती थी। आखिरकार कोई लड़का 18 वर्ष का होकर ही बालिग कहलाता है। जब हम एकरूपता की बात कर रहे हैं, तो इस मुद्दे की जांच की जा सकती है।

महोदय, अब प्रश्न यह है कि माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा क्यों की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि शायद ही कोई माता-पिता अपने बच्चों का परित्याग करने को तैयार होंगे। केवल गरीबी जैसी असाधारण परिस्थियों में ही माता-पिता ऐसा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां तक कि कुष्ट रोगी भी अपने बच्चों को साथ रखना चाहते हैं। गत 31 अक्तूबर को—श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूसरी पुण्य तिथि पर—मैंने एक ऐसे 'बाल निकेतन' का निरीक्षण किया जिसमें कुष्ट रोगियों के परित्यक्त बच्चों की देखभाल की जा रही थी। आरम्भिक अवस्था में वे अपने कुष्ट-रोग पीड़ित माता-पिता के यहां जाना चाहते थे और मैंने कुछ ऐसे माता-पिता को भी देखा जो अपने बच्चे इस बाल निकेतन को देना नहीं चाहते थे। स्वाभाविक तौर पर यह गरीबी जैसी असाधारण परिस्थितियां ही हैं जो उन्हें इसके लिए बाध्य करती हैं। जन्म के समय बच्चे एक समान माने जाते हैं किन्तु जन्म के बाद अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो बच्चों को भिन्न-भिन्न रास्तों पर डाल देती हैं।

महोदय, मैंने एक अन्य आश्रम का निरीक्षण किया। पहले यह कहा जाता था कि केवल ब्राह्मण ही संस्कृत सीख सकते हैं। वहां मैंने पाया कि हरिजन लड़कों को लाया जा रहा था और वे श्लोकों का सुन्दर उच्चारण कर रहे थे। अब वे संस्कृत में निपुण हो गये हैं। अतः शिक्षण और प्रशिक्षण का वास्तव में प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कार्यान्वयन के बारे में एक शब्द कहना है। हम अच्छे सामाजिक कानूनों के अभाव की बात नहीं कर रहे किन्तु वास्तव में जिसकी जरूरत है वह यह

है कि इन कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन हो जब तक इसका सही तरीके से कार्यान्वयन और निगरानी नहीं की जाती तब तक इनका वही परिणाम प्राप्त होगा जैसा इस प्रकार के कानूनों से प्राप्त होता है। इसलिए, मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद तुरन्त ही उन्हें सम्बन्धित राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और उनसे इस कानून को गंभीरतापूर्वक लागू करने का अनुरोध करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, महोदय, विभिन्न राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि यहां तक कि अपने नेमी कार्यों का संचालन करने के लिए भी उनके पास धन नहीं है। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इसके कार्यान्वयन में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाएगा। किन्तु मेरी राय यह है कि जब तक राज्यों को कोई अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक यह स्वाभाविक है कि उनमें इस कानून का सही तरीके से कार्यान्वयन करने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी।

इसके अलावा यह उस व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है जो इन आश्रमों का प्रभारी होगा। आरंभ में यह सुझाव दिया गया था कि हमारे यहां विशेष गृहों, निरीक्षण गृहों और किशोर आश्रमों जैसे अनेक आश्रम नहीं होने चाहिए। यदि केवल एक ही आश्रम हो और उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो यह काफी अच्छा रहेगा। होता यह है कि इन संस्थाओं का कार्यभार ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनिच्छुक प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। वे क्या करेंगे? उनकी कार्य करने की नीयत ही नहीं होगी। जब तक उनमें मानवोचित भावना नहीं होगी, वे अव्यवस्था फैलाते रहेंगे और निस्संदेह इन कानूनों का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगा इन कानूनों का स्वरूप काफी अच्छा है?

इसके अतिरिक्त इस कार्य में सही प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी भी आवश्यक है और उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। कतिपय स्वयंसेवी व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्त्ता ऐसे हैं जो इन संस्थाओं का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आगे आ रहें हैं। कतिपय संस्थाएं भी ऐसी हैं जो अपने निजी प्रयासों से धन एकत्रित कर रही हैं और इन संस्थाओं का संचालन कर रही हैं। इन संगठनों का बड़ी सावधानीपूर्वक पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता के जरिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए उनके ऊपर कुछ सरकारी नियंत्रण भी होना चाहिए।

यद्यपि वृद्धावस्था पेंशन एक अच्छी योजना है, किन्तु सम्बन्धित कानूनों के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण उन्हें कई-कई महीने तक पेंशन नहीं मिलती है। हमें भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें मिली हैं। निस्संदेह, यह दुख की बात है। हमें सही व्यक्तियों का चयन करना चाहिए और उन्हें इन संस्थाओं का कार्यभार सौंपना चाहिए। ऐसा करने से सम्बन्धित कानून का लम्बे समय तक सही कार्यान्वयन होता रहेगा।

इसके पश्चात किशोरों को उचित शिक्षा और परीक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। इस

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

मायने में, इन गृहों को स्कूलों की भांति कार्य करना चाहिए। इन बच्चों को सही शिक्षा दी जानी चाहिए और इसके पश्चात् उनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए। पिछले सप्ताह मैंने एक बाल गृह का निरीक्षण किया। रखवाल (केयरटेकर) शिकायत कर रहा था कि जिन छात्रों ने स्नातक परीक्षा पास कर ली है उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे उक्त बालगृह को नहीं छोड़ पा हैं रहे और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस कार्य को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में आसानी से शामिल किया जा सकता है जिससे कि रोजगार के मामले में इन लोगों तक योजना का लाभ पहुचाया जा सके। शिक्षा और प्रशिक्षण के पश्चात् सही रोजगार बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिए जाने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के साथ गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं केवल इस बात पर एक बार पुनः जोर देता हूं कि क्षेत्र में यह सही तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए न कि इसे सिर्फ कानून की पुस्तक में ही रहने दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्याय जी, मैं दो दृष्टिकोण से इस बिल का स्वागत करना चाहूंगा। एक तो जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 है उसमें कई प्रकार की कमियां बहुधा सदन के पटल पर भी चर्चा के दौरान रखी हैं और इस प्रकार की बातों को इस क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियो ने भी इंगित किया है। दूसरा कई राज्यों में अलग-अलग प्रकार के कानून थे, इस बिल के जरिये मंत्री महोदया ने यह कोशिश की है कि इनमें एकरूपता लाई जाये और इसके जरिये सारे देश के अन्दर जितने भी इस क्षेत्र के जो पहले एक्ट थे उनकी कमियों को दूर किया जा सके। उन कमियों को दूर करते हुए राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि जो जरूरी चीजें हैं जुविनाइल आफेन्डर्स के सुधार के लिए उन कमियों को ठीक किया जा सके। मैं समझता हूं इन दृष्टिकोणों से हर व्यक्ति इस बिल का स्वागत करना चाहेगा। मंत्री महोदया ने इस बिल के जरिये बहुत सारी अच्छी बातों को करने का संकल्प व्यक्त किया है, लेकिन जहां उन्होंने अपना बहुउद्देशीय इरादा व्यक्त किया है, वहीं हमारे सामने कुछ शंकायें भी पैदा होती हैं। क्योंकि अधिकतर कामों को करने का दायित्व उन्होंने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, केवल एक्ट बनाने का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली है···

इस बिल में आपने जुवैनाइल कोर्टस, जुवैनाइल बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम तथा स्पेशल होम आदि बनाने की बात कही है, मगर जब उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रश्न उठता है और बजट

में उसके लिए प्रावधान करने की बात आती है, पैसा देने की बात आती है तो आपने उसे राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। उनकी बहुधा यह शिकायत रहती है और समय-समय पर राज्य सरकारों की ओर से इस प्रश्न को उठाया जाता है कि उनके पास साधन बहुत सीमित होते हैं और उनसे वे अपने दायित्वों को ही ठीक तरह से पूरा नहीं कर पातीं, यदि हम इस तरह की कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर छोड़ देंगे, कार्य-भार सौंप देंगे तो निश्चित रूप से वे कागजी तौर पर तो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगी परन्तु वास्तविक रूप में कोई ठोस कार्य नहीं कर पायेंगी। इसलिए आपको इस विषय पर गहराई से ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकारों को समुचित पैसे का प्रावधान यहां से किया जाना चाहिए। यहां पर विपक्ष की ओर से इस शंका को व्यक्त किया गया है और मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक राज्य सरकारों को अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा वे वास्तविक रूप से आपके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेंगी इसलिए आपको साथ-साथ राज्य सरकारों को ऐसा आश्वासन भी देना चाहिए कि आप इस काम को करिए, हम आपके लिए इतने पैसे का प्रावधान करने जा रहे हैं। केन्द्र की ओर से राज्य सरकार को इतना पैसा आवंटित किया जा रहा है। अन्यथा यही होगा कि राज्य सरकारें केवल कागजी हेराफेरी के द्वारा ही आपके सामने कुछ फीगर्स प्रस्तुत कर देंगी कि हमने इतनी सफफलता प्राप्त कर ली, इस समय जितने चिल्ड्रन होम्स वहां चल रहे हैं उन्हीं को कोई दूसरा नाम देकर, आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देंगी, आपके पास सूचना भेज देंगी कि आपके एक्ट की जो भावना थी, हमने उसको पूरा करने के लिए अमुक काम किया, अमुक काम किया वे किसी ऑफिशियल का नाम बदलकर कुछ और रख देंगे या उसको अतिरिक्त कार्यभार सौंप देंगे, एक ही व्यक्ति को कोर्ट में, उसी को बोर्ड में रख देंगे, एक ही को दोनों का हैड बना देंगे, भले ही वह बच्चों के मनोविज्ञान से अवगत हो, या न हो, उनके सुधार के विषय में जानकारी रखता हो अथवा न रखता हो, उस क्षेत्र में काम करता हो या न करता हो। इसे आप कैसे निश्चित कर पायेंग यदि राज्य सरकार की ओर से कहा जाए कि अमुक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो उसको आप वास्तविक रूप से विशेषज्ञ मान सकें। इसका मानदण्ड क्या होगा। जब राज्य सरकारों ने ही इस बिल की भावनाओं को मूर्त रूप में साकार करना है तो आप उन पर कैसे शंका कर सकते हैं। इसलिए मुझे संदेह है कि जिस मूल भावना को लेकर यह बिल सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है, राज्य सरकारें उन उद्देश्यों की पूर्ति में सच्चे रूप में, वास्तविक रूप में आपके साथ सहयोग कर सकेंगी। वे महज कागजी खाना-पूरी करके ही आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर देंगी।

आपने इस बिल में कुछ वालेंटरी एजेन्सियों को जोड़ने की बात कही है। अपने आप में यह बहुत अच्छी बात है और मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे यहां बहुत से समाजसेवी संगठन पहले से कार्य कर भी रहे हैं। उनको निश्चित रूप से एन्क्रेज किए जाने की आवश्यकता है परन्तु एन्करेजमैंट मौखिक नहीं होना चाहिए। राज्य स्तर पर काम करने वाले जितने बोर्ड हैं, अथवा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी एजेन्सियां इस दिशा में कार्यरत हैं, उन सबकी हालत बहुत खराब है और सरकार की ओर से केवल नाममात्र की मदद ऐसे समाजसेवी संगठनों को दी जाती है। जब तक समाजसेवी संगठनों के लिए हम अलग से एक फण्ड की व्यवस्था नहीं करते अथवा उनके लिए

[श्री हरीश रावत]

पैसे का प्रावधान नहीं करते क्योंकि समाज में अभी भी इतनी चेतना नहीं है कि लोग खुद उभर कर सामने आयें, तन-मन-धन से सहायता करें या दूसरे रूप में सहयोग दें और ऐसा सम्भव भी नहीं है। जब तक राज्य सरकारों की ओर से अथवा केन्द्र की ओर से ऐसी संस्थाओं की मदद नहीं की जाती, तब तक वे समाजसेवी संगठन जिन्दा नहीं रह सकते और ठोस काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक तो अवश्य पास हो मगर इसके बाद कोई न कोई ऐसा प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की, समाजसेवी संगठनों की कुछ मदद की जा सके ताकि वे संगठन या संस्थाएं जुवैनाइल ऑफैन्डर्स को वास्तविक रूप से सुधारने में सहयोग दे सकें वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनको होम्स में या अन्य स्थानों पर ठीक तरह से सुधारा जा रहा है तथा आफ्टर-केयर कार्य में भी सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। एक बार जो बच्चा इन संस्थाओं में रख कर सुधारा जाए वह दोबारा अपराध के क्षेत्र में न आये और जिस तरह से हमारे समाज में बच्चों का शोषण होता आया है, उससे भी बच्चे को बचाया जा सके। क्योंकि हमारे देश में सदियों से बच्चों का शोषण किया जाता रहा है और आज भी शोषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस एक्ट के पास होने के बाद और बहुत से लोग आगे निकल कर आयेंगे और उनको मौका मिल जाएगा। पहले तो कोई बालक अपराध सिद्ध होने पर काफी लम्बे समय पर उसमें रहता था, लेकिन अब तो उनको किसी न किसी तरह की इमदाद भी मिल जायगी, कवरेज भी मिल जाएगी और ऐसे संगठन, जो बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करते हैं, अपराध करवाते हैं, वे और ज्यादा तेजी से उभरेंगे। इसलिए हमें उनके विषय में कोई न कोई प्रावधान ऐसा अवश्य करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर कोई नियंत्रण रखा जा सके, कन्ट्रोल रखा जा सके और इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार जो बच्चा सुधर कर निकले, वह फिर से अपराध क्षेत्र में वापस न आने पाये। आजकल राज्यों में जो बोर्डस हैं, चिल्ड्रन होम्स हैं, उनकी हालत देखने लायक है। मंत्री महोदया, आप तो हमारे प्रदेश में शिक्षा मंत्री रही हैं और उसके अन्तर्गत समाज कल्याण मन्त्रालय भी आता है, यदि आपने उत्तर प्रदेश में चिल्ड्रन्स होम की हालत देखी हो तो वह बहुत शोचनीय है।

6.00 म० प०

जितनी ग्राण्ट्स उनको मिलती है, उस ग्राण्ट में तो बिल्डिंग की पेंटिनेंस ही बहुत मुश्किल है, बच्चों की मेंटिनेंस कैसे करते होंगे, कैसे उनको देख पाते होंगे, इसकी कल्पना हम स्वयं कर सकते हैं, स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इन बच्चों को रखा जाए, उन चिल्ड्रन होम्स में कुछ ऐसा प्राविजन जरूर होना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि इनको मानिटर करने का काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। इसके लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होनी चाहिए

और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ-साथ कुछ स्वयं सेवी लोग भी होने चाहिएं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों पर ही यह काम नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

महोदया, आपने बहुत अच्छा नाम "किशोर न्याय विधेयक" रखा है, लेकिन किशोरों को न्याय हम किससे दिलवाना चाहते हैं, यह भी देखने की जरूरत है। जो इन बच्चों का शोषण करते हैं, उससे ही सिर्फ हमें इन बच्चों को न्याय दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि ये बाल-अपराध क्यों होते हैं। इसके लिए जो सामाजिक परिवेश है वह जिम्मेदार है। हमें इन बच्चों को उस सामाजिक परिवेश से भी न्याय दिलवाना पड़ेगा जिसके कारण ये अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस सामाजिक परिवेश के लिए जिन परिवारों से ये बच्चे होते हैं, उनकी माली हालत का खराब होना जिम्मेदार है। इसलिए सबसे पहला काम हमें यह करना है कि उन परिवारों की माली हालत को सुधारा जाए। गरीबी ही उनसे यह अपराध कराती है।

इसी सन्दर्भ में, अभी कुछ देर पहले हमारी बहिन श्रीमती फूल रेणु गुहा जी ने भी कहा था कि बाल अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के साथ-साथ प्रिवेंशन की तरफ भी जोर देना चाहिए। यदि हम ऐसे परिवारों की माली हालत सुधारने पर जोर नहीं देंगे, तो उसके परिवार की दुर्दशा उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसलिए सबसे मुख्य चीज उसकी माली हालत को सुधारना है।

आपके मंत्रालय का मुख्य काम समाज का कल्याण करना है, भले ही आपके पास इतना पैसा हो, चाहे न हो, लेकिन इस थोड़े पैसे में आपको इस बहुमुखी कार्य को पूरा करना है और इसमें आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 6 नवम्बर, 1986/15 कार्तिक, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053

लोक सभा वाद-वृत्त

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 5 नवम्बर, 1986 । 14 कार्तिक, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय-सूची पृष्ठ (iii), नीचे से पंक्ति 11, 'के के प्रस्ताव' के स्थान पर 'के प्रस्ताव' पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), प्रथम पंक्ति, 'सम्मान शुल्क (संशोधन) विधेयक' के स्थान पर 'सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक' पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), नीचे से पंक्ति 13, 'श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी' के स्थान पर 'श्री के० रामचन्द्र रेड्डी' पढ़िये ।

पृष्ठ 26, पंक्ति 8, '(घ)' के स्थान पर '(ख)' पढ़िये ।

पृष्ठ 48, नीचे से प्रथम पंक्ति 'श्री हन्नान मोल्लाह' के स्थान पर 'श्री हन्नान मोल्लाह' पढ़िये ।

पृष्ठ 65, नीचे से पंक्ति 10, 'बरा' के स्थान पर 'बार' पढ़िये ।

पृष्ठ 94, पंक्ति 12 और पृष्ठ 95, पंक्ति 4, 'श्री कादम्बुर एन०आर० जनार्दन' के स्थान पर 'श्री कादम्बुर जनार्दनन' पढ़िये ।

पृष्ठ 110. नीचे से पंक्ति 14, 'श्री मोहम्मद महफूज अली' के पश्चात् 'खां' जोड़िये ।

पृष्ठ 112, नीचे से दूसरी पंक्ति, 'सनानी' के स्थान पर 'सेनानी' पढ़िये ।

पृष्ठ 134, नीचे से पंक्ति 13, 'डा० कृपा सिन्धु भाई' के स्थान पर 'डा० कृपा सिन्धु भोई' पढ़िये ।

पृष्ठ 137, पंक्ति 21, 'महफ्ज' के स्थान पर 'महफूज़' पढ़िये ।

पृष्ठ 179, पंक्ति 13, 'इन घाटी' के स्थान पर 'इब घाटी' पढ़िये ।

पृष्ठ 179, नीचे से पंक्ति 3, 'उपर्युक्त' के स्थान पर 'उपयुक्त' पढ़िये ।

पृष्ठ 194, पंक्ति 6, 'अधिनियम सूत्र' के स्थान पर 'अधिनियमन सूत्र' पढ़िये ।